दशम माला, खंड 12, अंक 42

गुरुवार, 30 अप्रैल, 1992
10 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 12 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 12	तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)
अंक 42	गुरुवार, 30 अप्रैल, 1992/10 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–2
(श्री शशी रंजन का निधन)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 820 से 823 और 825 .	3–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर : . .	26–171
तारांकित प्रश्न संख्या : 824 और 826 से 840 . .	26–38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8569 से 8573, 8575 से 8637, 8639 से 8681, 8683 से 8711, 8713 और 8714 . .	39–200
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत के विरुद्ध सुपर 301 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के बारे में	172–201
सभा पटल पर रखे गए पत्र .	202–203
लोक लेखा समिति :	
पच्चीसवें से तीसवां प्रतिवेदन––प्रस्तुत .	204
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति :	
कार्यवाही सारांश––सभा पटल पर रखा गया . . .	204

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पुछा था ।

सभा का कार्य 205–207

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव 207

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण :

शेयर ब्रोकरों की हड़ताल . . 208–220
266–281

श्री जार्ज फर्नान्डीज 207
208

श्री मनमोहन सिंह . . . 219

श्री रूपचन्द पाल . . . 220

प्रो० रासा सिंह रावत 270

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे . 1–226

वित्त विधेयक, 1992 22

विचार करने के लिए प्रस्ताव : 221

श्री मनमोहन सिंह . . 7–229

मंत्री द्वारा वक्तव्य .

नया बाजार, दिल्ली में 29 अप्रैल, 1992 को आग लगने की घटना 227
श्री एम० एम० जैकब 230

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
दसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत 232

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों सम्बन्धी व्यापार (ट्रिप्स) आदि से सम्बन्धित प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . 230
32

श्री रूपचन्द पाल . . . .

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में संकल्प	233–265
श्री सत्यगोपाल मिश्र	233
प्रो० रासा सिंह रावत	238
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	243
श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही	248
श्री पी० सी० थामस	253
श्री दाऊ दयाल जोशी	255
श्री प्रताप सिंह	258
श्री सूर्य नारायण यादव	260
श्री सुदर्शन रायचौधरी	262
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती	264

लोक सभा

गुरुवार 30 अप्रैल, 1992/10 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को अपने एक भूतपूर्व साथी श्री शशि रंजन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री शशि रंजन वर्ष, 1962 से 1970 के दौरान तीसरी और चौथी लोकसभा में बिहार के पुपरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह पेशे से एक कृषक और एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे।

वह एक योग्य सांसदविद् थे और सदन की कार्यवाही में हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेते थे तथा कामगारों की समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे।

श्री शशि रंजन का निधन 73 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल, 1992 को नई दिल्ली में हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेगी।

अब सदस्यगण मृतक के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हों।

11.02 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह । (उलूबेरिया) : महोदय, प्रश्नकाल के विलंबन के लिए मैंने आपको एक नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस नोटिस को अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, अमरीका द्वारा स्पेशल–301 को भारत पर लागू किया गया है जिससे हमारे व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और इसने हमारी प्रभुसत्ता में हस्ताक्षेप किया है । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, वाणिज्य मंत्री ने कल अपने उत्तर के दौरान इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : (त्रिवेन्द्रम) : इस मुद्दे पर हम भी उतने ही चिंतित हैं । मैंने भी इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है । लेकिन वह प्रश्नकाल के बाद होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह प्रश्नकाल आपका ही है और हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं । मैंने यह देखा है कि ऐसे मुद्दों पर प्रश्नकाल शुरू होते ही सदस्यगण विरोध प्रकट करने लगते हैं । मैं इस सभा में यह कहता हूं कि प्रश्नकाल के शुरू होते ही यदि इस तरह के विरोध को सभा में प्रकट किया जाएगा तो उसे टी० वी० पर नहीं दिखाया जाएगा और आज टी० वी० कवरेज नहीं हो रहा है । मैं यह स्पष्ट करता हूं कि इस तरह की चर्चा टी०वी० पर नहीं दिखाया जाएगा ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पर चर्चा हो । हम इस पर सही समय पर चर्चा करें ।

श्री बसुदेव आचार्य : आज कोई टी० वी० कवरेज नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं । जब टी० वी० कवरेज नहीं हो रहा है तो आप ऐसा न करें ।

प्रश्न संख्या 820

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.07 म० पू०

कच्चे तेल का आयात :

[हिन्दी]

*820 श्री तेज नारायण सिंह :
श्री राकेश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल के आयात हेतु किन-किन देशों के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान नये समझौते किये गये हैं,

(ख) उक्त समझौतों का मुख्य-मुख्य ब्यौरा क्या है और उनमें क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन देशों से देशवार कुल कितने कच्चे तेल का आयात किये जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान, इंडियन आयल कार्पोरेशन ने नीचे दिए अनुसार विभिन्न देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ कच्चे तेल के आयात के लिए अल्पकालिक ठेके किये हैं :

1989–90

देश	कम्पनी	निश्चित मात्रा (एम०एम०टी० में)	अवधि
1	2	3	4
यू० एस० एस० आर०	एस० एन० ई०	4.5	1989
कुवैत	के० पी० सी०	1.0	1989–90
ईराक	एस० ओ० एम० ओ०	1.0	1989–90
ईरान	एन० आई० ओ० सी०	1.5	1989–90
आबू धाबी	ए० डी० एन० ओ० सी०	1.0	1989–90

1	2	3	4
साऊदी अरब	ए० आर० ए० एम० सी० ओ०	2.75	मई, 89-मार्च, 90
मलेशिया	पेट्रोनस	0.25	जुलाई 89—जून, 90
1990–91			
यू० एस० एस० आर०	एस० एन० ई०	4.5	1990
कुवैत	के० पी० सी०	1.5	1990–91
ईराक	एस० ओ० एम० ओ०	2.25	1990–91
ईरान	एन० आई० ओ० सी० —	1.5	1990–91
	—	1.0	जनवरी–मार्च, 1991
आबू धाबी	ए० डी० एन० ओ० सी०	1.0	1990–91
साऊदी अरब	ए० आर० ए० एम० सी० ओ०	3.0	1990–91
मलेशिया	पेट्रोनस	0.5	जुलाई, 90-जून, 1991
	पी० ई० टी० सी० ओ०	0.5	अक्तू०, 90–सित० 1991
1991–92			
यू० एस० एस० आर०	एस० एन० ई०	4.5	1991
ईरान	एन० आई० ओ० सी०	3.0	1991–92
आबू धाबी	ए० डी० एन० ओ० सी०	1.0	1991–92
साऊदी अरब	ए० आर० ए० एम० सी० ओ०	3.0	1991–92
मलेशिया	पेट्रोनस	0.5	जुलाई, 1991–जून, 92
	पी० ई० टी० सी० ओ० —	0.5	नवम्बर, 1991 अक्तूबर, 1992
	—	0.5	जनवरी, 1992 दिसम्बर, 1992

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सऊदी अरब से 5 एम एम टी कच्चा तेल, आबू धाबी से 1 एम एम टी तथा कुवैत से 4 एम एम टी कच्चे तेल का आयात किया जाना मान लिया गया है। अन्य देशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा ठेकों के नवीनीकरण अथवा किए जाने वाले नए ठेकों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चा तेल बाहर के देशों से मंगाने के लिए किन–किन देशों के साथ किन–किन शर्तों के साथ समझौता हुआ है और वह जो कच्चा तेल बाहर से आया है, इससे कितनी आवश्यकता की पूर्ति हमारे देश को हो सकी है और कितनी जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : वर्ष 1991–92 के दौरान स्वदेशी उत्पादन 29 मिलियन टन था और हमने 24 मिलियन टन कच्चा तेल का आयात किया। जहां तक 1992–93 का संबंध है, लक्ष्य

अभी निर्धारित किया जाना है और आयल इकोनामी बजट में 27.46 मिलियन टन स्वदेशी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने का संकेत दिया गया है और 26.7 मिलियन टन आयात करने का विचार है ।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को यह उम्मीद है कि अब हमारे देश में जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति इस साल कर सकते हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हम स्वदेशी उत्पादन से मांग पूरा कर सकते हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : प्रयास जारी हैं ।

[हिन्दी]

श्री तेजनारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, देश में जितनी आवश्यकता कच्चे तेल की है, उसकी पूर्ति सरकार एक साल या दो चार साल बाद पूरा कर सकती है और क्या केवल संभावना ही व्यक्त कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया है कि हम प्रयत्न करेंगे ।

प्रो० प्रेम धूमल : माननीय अध्यक्ष जी, विदेशों से कच्चे तेल की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारे देश में उत्पादन कम है, मंत्री महोदय ने माना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष अपने देश में जहां-जहां तेल उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं, वहां पर क्या आप प्रयत्न करेंगे और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी में चंगरतलाई में जो खुदाई का काम चल रहा है, वह आपने धीमा डाल दिया है, विशेषकर ज्वालामुखी में तो उसमें क्या प्रगति हुई है, बाहर से आयात किए जाने वाला कच्चा तेल कम हो सके और इस देश में उत्पादन बढ़ सके ।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि राज्यों में तेल की खोज के संबंध में क्या किया जा रहा है । कुछ समय पूर्व मैंने इसी सभा में प्रत्येक राज्य और इलाकों में इस संबंध में किये गए प्रयासों को स्पष्ट किया है। यह सर्वविदित है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं ताकि आयात में कमी करके विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री पी० जी० नारायणन : खंड (ख) के उत्तर में इन देशों के साथ किये गए समझौतों की शर्तों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन समझौतों से हमें क्या लाभ मिलेगा और हमारे तथा अन्य देशों के भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे विभिन्न देशों के तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए निर्धारित दर क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, जब हम तेल आयात करते हैं इसका एक भाग अल्पकालिक ठेके पर होता है । विभिन्न राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ हम अल्पकालिक समझौता करते हैं और ऐसा

करने का उद्देश्य यह है कि बेहतर ऋण सुविधा उपलब्ध हो । सामान्यत: ऋण सुविधा एक वर्ष के लिए होती है । सीधे भुगतान के लिए जब हम विदेशी मुद्रा नहीं दे पाते हैं तो अल्पकालिक ऋण का सहारा लिया जाता है । जब हम अल्पकालिक ऋण लेते हैं तो विदेशी-राष्ट्रीय तेल कम्पनी और भारतीय तेल कम्पनियों के बीच विचार-विमर्श की जाती है । विचार विमर्श के दौरान मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कच्चे तेल से उच्च लाभ यानि संवर्धित मूल्य प्राप्त करने का होता है और कच्चे माल से उत्पादित वस्तु जिसका उत्पादन शोधक कारखानों में होता है उसमें कम लागत हो ।

दूसरी बात जिस पर चर्चा में ध्यान देना होता है आयातित तेल के ढुलाई भाड़ा जो हमें देना होता है उस पर कम से कम व्यय किया जाए । यदि दूरी कम होगी तो स्वभाविक ही है कि मूल्य कम होगा ।

प्राय: हम चाहते है कि हमें यह कम मूल्य पर प्राप्त हो जबकि विदेशी कम्पनियों का यह प्रयास होता है कि वह अधिक मूल्य पर अपना कच्चा माल बेचें । हमारा यह हमेशा प्रयास होता है कि हम प्रतियोगी मूल्य पर तेल प्राप्त करें । इन मुद्दों पर विचार किया जाता है ।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : मंत्री जी ने बहुत चौंकाने वाला उत्तर दिया। इस साल देश में उत्पादन 29 मिलियन टन हुआ, 24 मिलियन टन बाहर से आयात किया गया। अगले साल का लक्ष्य निर्धारित करना है, फाइनल नहीं हुआ है वह 27 के करीब है, बाहर से 26 मंगायेंगे, यह प्रोडक्शन क्यों गिरी है । यह कैसे रिवाइव करे जिससे आगे बढ़ने की बात हो ? अपने ही देश में पैदा हो रहा है जितना हम बाहर से मंगा रहे हैं, स्थिति में सुधार के लिए कोई चिन्ता है और किस तरह से ठीक करने का आपका विचार है ? 32 तक पहले पहुंचा, 29 पर आ गया और अब 27 पर आ गया, इसका क्या कारण है ? जो कारण है उसको ठीक नहीं किया जायेगा तो देश की विदेशी मुद्रा कितनी और ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मै माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि देश में तेल के उत्पादन में कमी आई है । यह सच है कि विगत दो वर्षों में उत्पादन कम हुआ है । कुछ हद तक यह सरकार के लिये चिन्ता का विषय है । उपचारात्मक कदम उठाने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ताकि तेल का उत्पादन फिर से सही स्थिति में आ जाए ।

इसके लिये दास गुप्ता समिति का गठन किया गया था । इसने कुछ सुझाव दिये हैं और हम समिति के उन सुझावों पर कार्य करने के लिये तत्पर हैं । वास्तव में हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं । माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि उत्पादन और मांग के बीच का अन्तर बढ़ रहा है । हमारा यह प्रयास है कि अधिक तेल का उत्पादन करके इस अन्तर को कम किया जाए ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि आयात की जाने वाली कच्चे तेल की मात्रा समझौतों के पुनर्नवीनीकरण इत्यादि पर निर्भर है । मैं यह सोच रहा था कि मंत्री जी यह कहेंगे कि इसकी मात्रा अपने देश में उत्पादन और पेट्रोलियम पदार्थों के मांग पर रोक लगाने पर निर्भर करेगा । लेकिन ऐसा नहीं कहा गया । मैं यह उस प्रश्न के क्रम में ही कह रहा हूं । हाल

ही मैं इच्छापुर में बहुत बड़ी खोज हुई। इस खोज किए गए तेल की गुणवत्ता तथा पश्चिम बंगाल के इच्छापुर में इसकी कितनी मात्रा मिलेगी उसके बारे में कोई वक्तव्य अभी तक सभा में नहीं दी गया है।

महोदय, आप जानते हैं कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम बंगाल के बेसिन में तेल भंडार भरे पड़े हैं, यह प्रश्न हमने बार-बार उठाए हैं। इस वक्तव्य के कारण शंका पैदा होती है जिसमें यह कहा गया है कि आगे तेल की कोई खोज नहीं की जाएगी, इच्छापुर में भी नहीं की जाएगी। तेल के खोज को कम करने के प्रयास जारी है। माननीय मंत्री से मैं इस संबंध में आश्वस्त होना चाहता हूं।

उनका कहना है कि लोग बाल्टियों में तेल भर कर ले जा रहे हैं। इस कावर कहां तेल निकल रहा है।

आयात में प्रभावी कमी करने के लिये क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि पश्चिम बंगाल बेसिन तथा इच्छापुर तेल कुओं के आस-पास तेल की खोज को बढ़ाया जाएगा। इच्छापुर में पाए गए तेल भंडारों के संबंधों में मैं एक वक्तव्य चाहता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, सदस्य के विचार से सहमत होते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इच्छापुर में पाया गया हाइड्रो-कार्बन अच्छे किस्म का है। यह हमें और अधिक खोज के लिये प्रोत्साहित करता है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, जो तेल हम आयात करते हैं वह या तो समय-बद्ध ठेके के आधार पर—दीर्घकालीन या अल्पकालीन ठेका—विदेशी सरकारों या उनके राष्ट्रीय कम्पनियों या उत्पादन स्थल के आधार पर ही विश्व बाजार से लेते हैं।

महोदय मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि 1991-92 के दौरान आयात किये गए तेल का आंकड़ा क्या है यानि 204 करोड़ टन में से कितना तेल दीर्घकालीन ठेका और अल्पकालीन ठेका के तहत आयात किया गया और इसमें से कितना विश्व बाजार से उत्पादन स्थल पर खरीदा गया। मैं आपूर्ति के इन तीन माध्यमों के तुलनात्मक सापेक्ष मूल्य भी जानना चाहता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 50 प्रतिशत से कुछ अधिक तेल का आयात उत्पादन स्थल पर खरीद के आधार पर किया गया। यह निविदाओं के माध्यम से किया जाता है। जो भी हमें सबसे अच्छे मूल्य और अच्छी गुणवत्ता वाला तेल देता है हम उससे ही लेते हैं। अल्प अवधि ठेका में ऋण जुड़ा होता है। प्राय: यह छह माह के लिये होता है पर कई हमें 12 महीने या एक वर्ष की अवधि के लिये देने की इच्छा व्यक्त करते हैं।

जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि 50 प्रतिशत से कुछ अधिक तेल उत्पादन स्थल पर खरीद के आधार आयात की जाती है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अल्पकालीन और दीर्घकालीन आंकड़ों के संबंध में क्या कहना है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मै ये सभी आंकड़े दे रहा हूं। वर्ष 1991-92 के लिए अल्प-कालिक ठेके के माध्यम से 106.05 लाख टन कच्चा तेल खरीदा गया। इसका मूल्य 3331 करोड़ रुपये थी।

जहां तक उत्पादन स्थल पर ही कच्चे तेल की खरीदी गयी मात्रा की बात है यह आंकड़ा 134.23 लाख टन है और मूल्य 4280 करोड़ रुपये है ।

यातायात प्रबन्धन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना :

*821 डा० आर० मल्लू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यातायात प्रबन्धन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान "कम्पाउण्डिंग फी" के रूप में पुलिस द्वारा निम्न-लिखित राशि एकत्र की गई :—

1989	—	4,96,59,338 रु० ।
1990	—	5,84,65,225 रु० ।
1991	—	6,87,75,881 रु० ।
1992 (31.3.92 तक)	—	1,82,13,291 रु० ।

विवरण :

श्रेणीवार अपराध	दर्ज किए व्यक्तियों की संख्या			
	1989	1990	1991	1992 (31.3.92)
यातायात संकेत	197029	339495	303529	107665
बत्तियां	15600	27382	34658	5378
ड्राईविंग लाइसेंस	87251	79477	119091	9777
अधिक गति	23620	20692	19186	3689
रैस्ट्रिक्शन	92614	36474	27879	5951
तीन व्यक्ति बैठना	9130	12607	8109	2510
बिना हैलमेट	58499	76302	66534	12455
वाहन गलत ढंग से खड़ा करना	103603	96342	91422	29291
शराब पीकर गाड़ी चलाना	1884	602	1920	326
अंधाधुंध गाड़ी चलाना	8369	9823	24161	4981
परमिट उल्लंघन करना	11345	16627	5195	3218
नम्बर प्लेट	18934	51530	79422	13966
अधिक भार रखना	9592	2734	580	353
बिना पंजीकरण/फ़िटनैसी प्रमाण पत्र/परमिट	4661	3012	2409	275
प्रेशर हार्न	39533	63022	66158	23285
ऊंची और लम्बी सड़क	46224	96028	92145	20546
अधिक धुंआ	22995	9560	4150	1048
दि० पु० अधिनियम	28361	27045	85400	15407
अन्य	153336	168610	393910	58038
	932580	1137874	1418858	317849

डा० आर० मल्लू : मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली पुलिस में यातायात वार्डन सरकारी सेवा से संबद्ध हैं या गैर-सरकारी सेवा से । दिल्ली में यातायात पुलिस की पदवार संख्या क्या है और यातायात पुलिस तथा जनसंख्या का अनुपात क्या है ? अन्य महानगरीय शहरों की तुलना में इस संबंध में स्थिति क्या है ?

श्री एम० एम० जैकब : दिल्ली में यातायात पुलिस की कुल संख्या 1842 है दिल्ली में आप देखेंगे कि पिछले 20 वर्षों में जनसंख्या में 130 प्रतिशत वृद्धि हुई है और

वाहनों की संख्या में नौ गुणा से भी अधिक वृद्धि हुई है। जैसे कि मैंने कहा था अन्य स्थानों की तुलना में यह अनुपात इस प्रकार है . दिल्ली में इनकी संख्या 1842 है तथा वाहनों की संख्या लगभग 19 लाख है; कलकत्ता में श्रमशक्ति 2020 है और वाहनों की संख्या 4.77 लाख है; मुम्बई में इनकी संख्या 2082 है तथा वाहनों की संख्या 6.53 लाख है; मद्रास में इनकी श्रमशक्ति 2108 है तथा वाहनों की संख्या 6.2 लाख है।

दिल्ली में इस क्षेत्र में कोई भी गैर-सरकारी अभिकरण काम नहीं कर रहे हैं; केवल जरूरत पड़ने पर ही हमें इस प्रकार के अभिकरणों से सहायता मिलती है।

डा० आर० मल्लू : जहां तक यातायात अपराधों के लिए 'कम्पाउण्डिंग' के रूप में एकत्र की गई राशि का प्रश्न है यह विवरण के अनुसार दिल्ली में करोड़ों में है तथा इसे दिल्ली यातायात के सुधार में या अन्य क्षेत्रों में लगाया जा रहा है ?

श्री एम० एम० जैकब : इस पर दिल्ली प्रशासन द्वारा अवश्य ही ध्यान दिया जाता है। मैं समझता हूं कि थोड़ी सी राशि दिल्ली पुलिस के सुधार के लिए इस्तेमाल की गई है। परन्तु मुझे इसका पता लगाने के लिए एक अलग नोटिस चाहिए। इसे खाते में जमा किया जा चुका है। हमें वास्तविक आंकड़ों की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री आर्क फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, वैसे तो यह प्रश्न है यातायात के बारे में किन-किन लोगों का सहयोग लिया जाता है लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो असली चीज है वह यह है कि पिछले साल सारे हिन्दुस्तान में केवल सड़क पर हुए अपघातों में 52,000 लोगों की मृत्यु हुई है और सवा दो लाख लोग अपंग हुए हैं। वे क्रिपल्ड, मेम्ड हुए हैं और उनकी जिन्दगी में उनके लिए भविष्य जैसी कोई चीज नहीं बची है। अध्यक्ष जी, रेलवे में एक्सीडेंट होने पर दो लाख रुपए दिए जाते हैं, हवाई जहाज से दुर्घटना होने पर उससे दो या ढाई गुना ज्यादा दिए जाते हैं। तो 52,000 लोगों को दो लाख के हिसाब से जोड़ेंगे तो एक हजार करोड़ रुपया आपको इस तरह से साल में देना पड़ेगा। मेरा कहना का मतलब है और मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि हजारों करोड़ रुपए हिन्दुस्तान में केवल लोगों के इस तरह से मर जाने से या उनको चोट लगने से या उनकी जिन्दगी बरबाद होने से खत्म हो जाते हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि सड़कों पर एक्सीडेंटस को कैसे कम किया जाए। केवल पुलिस क्या कर रही है या वालंटरी एजेन्सीज क्या कर रही हैं, यह बात नहीं है। सरकार इस मामले में पैदल चलने वाले लोगों को और गाड़ी चलाने वाले लोगों को सड़क की जो कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियम और मर्यादाओं के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए क्या कर रही है ताकि देश को जो अरबों खरबों रुपए का घाटा हो रहा है उससे देश को बचाया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : यह सच है कि पिछली दो सदियों में प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या 418 से बढ़कर 1778 हो गयी है ; पिछले 20 वर्षों के दौरान यह वृद्धि जारी है ।

लेकिन मुआवजा भूतल परिवहन मंत्रालय और मोटर वाहन न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाता है; और इस कार्य को भूतल परिवहन मंत्रालय देखता है । यह सच है कि हम पर हमें पुनः गौर करना चाहिए और मुआवजे से संबद्ध मांग पर ध्यान देना चाहिए ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूं कि इस तरह के यातायात में सड़कों पर पैदल चलने वालों को और अपना वाहन चलाने वालों को भी उचित ढंग से शिक्षित किया जाना चाहिए । कितने ही चालक अपने वाहन शराब पीकर चलाते हैं परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं । यहां पैसे की बात नहीं है परन्तु जो मूल्यवान जीवन खत्म होता है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से यह आवश्यक है कि इस संबंध में शिक्षित करने वाले पहलू पर उचित रूप से जोर दिया जाना चाहिए । मैं इस पर पूरी तरह से सहमत हूं ।

इजरायल के अधिकारियों द्वारा भारत का दौरा

[हिन्दी]

822 श्री प्रभुदयाल कठेरिया
श्री देवी बक्स सिंह } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल के अधिकारियों ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपने समकक्ष भारतीय अधिकारियों के साथ किन-किन द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत की और इनके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए किन्हीं विशेष क्षेत्रों को चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) से (घ) इस बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में संभव सहयोग के बारे में विचार-विमर्श हुआ था, जैसे कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नागर विमानन, पर्यटन एवं संस्कृति । इन

तयशुदा क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम तैयार करने के लिए विशेषज्ञ स्तर के प्रतिनिधि-मण्डलों द्वारा यात्राएं की जाने की उम्मीद है ।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष जी, भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं, यह सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है । इसी सिलसिले में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इजरायल सरकार यरूशलम विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन पीठ को पुर्नस्थापित करेगी । यदि हां, तो उसका विवरण क्या है । दूसरे, चिकित्सा के क्षेत्र में किन विषयों पर विशेष चर्चा हुई है । क्या इजरायल से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भारत में आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार हेतु यहां आ चुका है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है । अध्यक्ष जी, इसमें सबसे अहम बात यह है और जैसा कि सर्वविदित है इजरायल विश्व में सर्वोतम तकनीकों का प्रयोग-स्थल है, तो क्या भारत सरकार ने इस दिशा में इजरायल से भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये, हमारे किसानों को प्रशिक्षण और बेहतर तकनीकी मुहैया कराने तथा हरित क्रान्ति लाने के लिए सहायता की इच्छा प्रकट की है । यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलेरो : विवरण में मैंने उन क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिन पर हमने सामान्य चर्चा की और आरम्भिक बातचीत की । किसी भी परियोजना विशेष पर चर्चा नहीं हुई और मैं इस बात को दोहराऊंगा कि यहां व्यापक रूप से चर्चा की गयी और यह बहुत ही प्रारम्भिक स्तर की थी ।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्ली मैंन्टरी प्रश्न यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए इजरायल के लम्बे अनुभव और कामयाबी को देखते हुए, क्या भारत सरकार इस विषय में इजरायल से सहयोग का प्रस्ताव करेगी ।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलेरो : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस समय ऐसी किसी विशेष बात पर विचार नहीं किया गया ।

श्री ई० अहमद : अभी हाल ही में भारत सरकार ने इजरायल को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने का फैसला किया है, इससे इस देश के अधिकांश लोगों को निराशा तथा दुख हुआ है । अभी तक भी हम इन दोनों देशों में दूतावास स्थापित नहीं कर पाये हैं । मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ने क्या चर्चा की है । माननीय मंत्री ने कहा है कि यह केवल प्रारंभिक बातचीत थी । मैंने उनके उत्तर में 'संस्कृति' शब्द भी मिला है । इसके सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में भी चर्चा हुई होगी ।

अब इजरायल अधिकृत क्षेत्र में अरब नागरिकों से अमानवीय व्यवहार कर रहा है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार इस मामले को इजरायल के ध्यान में लायी है और यदि हां तो इजरायल की क्या प्रतिक्रिया है । मैं अच्छी तरह समझता हूं कि भारत के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं से इजरायल को क्या कुछ प्राप्त हुआ है । मैं यह नहीं समझ सका हूं कि इससे भारत की क्या उपलब्धि रही है । मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की इजरायल अधिकृत क्षेत्र में अरबों के साथ किये इस निर्दय और अमानवीय व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री एडुआर्डो फलेरो : इजरायल के साथ हमारा राजनयिक संबंधों को स्थापित करने का मुख्य कारण यह है कि हम मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकें जिससे हम आशा करते हैं कि फिलिस्तीनी मुद्दा हल हो सकेगा ।

हमारे उस क्षेत्र के लोगों से, उस क्षेत्र के देशों से पारंपरिक संबंध है; हम उस क्षेत्र से भू-राजनैतिक हितों से जुड़े हैं । अत: सभा यह जानकर प्रसन्न होगी कि इस वजह से हमने राजनयिक संबंध स्थापित किये हैं । राजनियक संबंधों के बगैर हम इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकतें हैं । इस प्रक्रिया में इजरायल से इस क्षेत्र में असंबद्ध कोई भी देश तब तक भाग नहीं लेगा जबतक कि इसके इजरायल से राजनयिक संबंध न हों । अत: यह आवश्यक था । महोदय, मुझे आपके जरिये सभा को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस समय जितना संभव था उतनी उद्देश्य की प्राप्ति करने में हमें पूर्ण सफलता मिली है और यह बात इससे भी स्पष्ट होती है कि कुछ समय पहले शान्ति प्रक्रिया के दोनों प्रवर्तक देश, अमरीका और रूस ने हमें सूचित किया है कि हम इस बहुस्तरीय बातचीत में सभी कार्यकारी समुहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं । और यह वास्तव में एक प्रमुख उपलब्धि है । हमारी पहल से अच्छे परिणाम मिले हैं ।

माननीय सदस्य ने अन्य कई समस्याओं सहित इस समस्या का जो जिक्र किया है वह वास्तव में हमारे लिए फिलिस्तीन प्रश्न से जुड़ा मूल मुद्दा है । निश्चित रूप से हम इसे लेंगे । हम इस मुद्दे को सभी मंचों पर उठा रहे हैं । अब हमारे लिए यह मंच भी उपलब्ध है । हम यह प्रश्न वहां भी रखेंगे ।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे विदेश मंत्री से एक आश्वासन मिल सकता है कि जहां तक इजरायल के संबंध में भारत सरकार की नीति का सवाल है यह पश्चिमी एशिया में शान्ति प्रक्रिया के बारे में तिरुपति में स्वीकृत संकल्प के निर्देशों का पालन करेगी ? यदि हां तो क्या हमें उनसे यह आश्वासन भी मिल सकता है कि इजरायल के साथ हमारे भावी संबंधों के बारे में हमारा ध्यान प्रमुख रूप से अरब मूल के उन इजरायली नागरिकों की तरफ जायेगा जिनके साथ उनकी अपनी सरकार गंभीर रूप से भेदभाव कर रही है ।

श्री एडुआर्डो फलेरो : महोदय, सरकार नि:संदेह तिरुपति में हुए कांग्रेस सम्मेलन या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में स्वीकृत संकल्प को स्वीकार करती है । यह पहली बात है ।

हम अपनी उन नीतियों से बंधे हैं जिन्हें हम समय-समय पर दोहराते रहते हैं तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । इसका दूसरा पहलू यह है कि अब बातचीत चल रही है । बातचीत में भाग लेने वाली पार्टियां मूलभूत रूप से फिलिस्तीनी, अरब राज्य जिनकी भूमियां अधिग्रहित कर ली गयी हैं या जिनकी भूमि इजरायल के साथ विवादग्रस्त हैं । और इस पर बातचीत भी चल रही है । इन मुद्दों को इन्होंने ही हल करना है । हम उनके इस उद्देश्य का समर्थन करते हैं । हम इस मुद्दे को उसी तरह लेंगे जैसे कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे दूसरा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि इजरायल के साथ राजनयिक संबंध इसलिए स्थापित किया गया है ताकि हमें पश्चिम एशिया बातचीत में स्थान मिल सके । उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि हमें अभी हाल में एक आमन्त्रण मिला है और उन्होंने ठीक ही कहा है कि 'बातचीत के इस चरण में' इसका अर्थ यह है कि हमें वास्तव में बातचीत में नहीं बुलाया गया था । हो सकता है कि बातचीत का एक और तीसरा चरण चले जिसमें काफी संख्या में देशों के लिए दरवाजे खोल दिये जायेंगे । अतः बातचीत के उस चरण में हमें उपस्थित होने के लिए कहा गया था । मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई खास उपलब्धि है । लेकिन मेरा प्रश्न यह नहीं है ।

सभा में यह कहा गया है कि इजरायल के साथ हमारे संबंध इस विवाद के हल करने में हुई प्रगति के अनुरूप चलेंगे । अब हम इजरायल के साथ बहुआयामी सहयोग की बात करते हैं । मैं उस बातचीत का जिक्र कर रहा हूं जो यहां हुई है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह बतायें कि बातचीत किस स्तर पर हुई तथा क्या इससे दोनों देशों के मध्य संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यद्यपि पश्चिम एशिया शान्ति वार्ता से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं । आज सुबह भी फिलिस्तीनी प्रवक्ता का कहना है कि कोई प्रगति नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस धीमी प्रगति का इजरायल के साथ बहुआयामी सहयोग पर बातचीत करने की तत्परता से क्या संबंध है अर्थात पश्चिम एशिया शांति वार्ता में धीमी प्रगति के होने में, जहां कि भारत को अंततः बहुपक्षीय चरण पर आमन्त्रित करने पर, हमारी उपस्थिति या अनुपस्थिति से अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा ।

श्री एडुआर्डो फलेरो : अध्यक्ष महोदय, आपके निदेशानुसार मैं उन बातों को दोहरा रहा हूं जो कि मैंने पहले कही हैं कि इजरायल के प्रतिनिधियों के साथ कोई समझौते की बातचीत नहीं हुई थी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं । तो भी यह सरकारी स्तर की बातचीत भी व्यापक रूप से विचारों का आदान-प्रदान किया गया था और कोई समझौता [व्यवधान] ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : हमारे राजनीतिक नेताओं ने उनका स्वागत किया था ······[**व्यवधान :**] ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जी हां, उनका स्वागत किया गया था । जैसा कि वह अपने लम्बे अनुभव से जानते हैं, हम मंत्रालय में अनेक लोगों का स्वागत करते हैं और उन सबसे हमारी वार्ताएं होती हैं । दूसरी, यह सच है कि मध्यपूर्व में शान्ति स्थापना की प्रक्रिया द्रुत गति से नहीं चल रही है । वास्तव में, इसकी प्रगति बिल्कुल द्रुत गति से नहीं हो रही है । लेकिन, इसमें शामिल मुद्दों की जटिलता को देखते हुए और तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि कई दशकों से कोई प्रगति नहीं हुई थी इसी चीज की उम्मीद रखी गई थी । यही एक तथ्य अरब तथा इजरायल के प्रतिनिधि एक साथ आमने-सामने बैठे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जो कि यह मैं कहूंगा कि इतिहास में पहली बार हुआ है अपने आप में ही महत्वपूर्ण प्रगति है । यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है । हम निरंतर वार्ताओं की उम्मीद करते हैं । हम तत्काल परिणामों की उम्मीद नहीं करते हैं । लेकिन शान्ति स्थापना का अवसर देना चाहिए और शान्ति स्थापना के लिए इस ऐतिहासिक अवसर को खोना नहीं चाहिए । ·····
[**व्यवधान**]

जहां तक कि एशिया का संबंध है, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि चीन और जापान के अलावा--चीन तो एक स्थायी सदस्य है और जापान एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है--एशिया तथा अन्य देशों में से केवल भारत को ही आमंत्रित किया गया है ।

श्री पी० एम० सईद : महोदय माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सहयोग के लिए व्यापक क्षेत्रों में पता लगाया गया है । समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि इजरायली लोगों को आतंकवाद पर नियंत्रण की विशेषज्ञता प्राप्त है । मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इन अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान अथवा किसी अन्य स्तर पर क्या यह मुद्दा सामने आया था अथवा क्या भारत सरकार आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के लिए इजरायल के साथ कुछ सहयोग करने पर विचार कर रही है क्योंकि हम भी इस देश में आतंकवाद के संकट का सामना कर रहे हैं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उत्तर है 'नहीं' में दें महोदय ऐसे किसी सहयोग पर विचार नहीं किया गया है ।

[**हिन्दी**]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : अध्यक्ष महोदय, तिरुपति में आपने जो करारदाद पास की और उसमें बताया कि जिन जमीनात पर कब्जा किया गया है अरबों की और उसके बाद जिन-जिन लोगों के साथ हम ताल्लुकात रखेंगे फौरन पालिसी जो आपने वाजे की और अब जो इजरायल से ताल्लुकात हैं, उसमें फर्क महसूस होता है । अब जमीन पर कब्जा कर लिया गया उसके बाद भी आप उनसे ताल्लुकात रखें और फिर हम कुछ

हासिल भी नहीं कर सके, तो कुछ भी होना चाहिए था । जो बात हो रही है अरब और इज़रायल की उसमें भी हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं ?

جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدر آباد) : جناب اسپیکر صاحب تیروپتی میں آپ نے جو قرارداد پاس کی اور اسی میں بتایا کہ جن زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے عربوں کی اور اسی کے بعد جن جن لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات رکھیں گے فارن بالیسی جو آپ نے واضح کی اور اب جو اسرایل سے تعلقات ہیں اس میں فرق محسوس ہوتا ہے ۔ جب زمین پر قبضہ کر لیا گیا اس کے بعد بھی آپ ان سے تعلقات رکھیں اور پھر ہم کچھ حاصل بھی نہیں کرسکے جو کچھ بھی ہونا چاہئے تھا ۔ جو بات ہو رہی ہے عرب اور اسرایل کی اسی میں بھی ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوا ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ۔

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुका हूं कि जब तक कि इज़रायल के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं हो जाते, हम मध्य-पूर्व की शान्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं और इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे कूटनीतिक संबंध है, तो अब परिणाम स्पष्ट है क्योंकि हमें बहुपक्षीय वार्ताओं में भाग लेने के लिए आमंत्रणपत्र प्राप्त हुए हैं; और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती है ।

आवारा बच्चे

823. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्री महेश कनोडिया : } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 में अभी तक दिल्ली की गलियों से कितने लड़के और लड़कियों को आवारागर्दी करने के आरोप में पकड़ा गया है :

(ख) वे किस आयु वर्ग के हैं ;

(ग) ऐसे मामलों में सामान्यतः किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है; और

(घ) इन बच्चों से जेलों/बाल गृहों में किस प्रकार का कार्य कराया जाता है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गत 3 वर्षों के दौरान किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अधीन आवारागर्दी करने के आरोप में पकड़े गए लड़के और लड़कियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लड़के	लड़कियां
1989—90	1072	498
1990—91	955	375
1991—92	886	392

आरोप में पकड़े गये लड़कों की आयु 16 वर्ष तक और लड़कियों की आयु 18 वर्ष तक की थी ।

किशोर कल्याण बोर्ड के आदेशों के अधीन उन्हें प्रेक्षण गृहों में भेजा जाता है । लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग गृह हैं । ऐसे बच्चों को इन गृहों में भेजने के तुरन्त बाद उनके परिवारों का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं । ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं होते अथवा जो विघटित परिवारों/अनुपयुक्त माता-पिता के होते हैं उन्हें किशोर गृहों में रखा जाता है ।

किसी भी किशोर को जेल में नहीं रखा जाता है । ऐसे किशोरों को प्रेक्षण गृहों/किशोर गृहों में शिक्षा के नियमित पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों में व्यस्त रखा जाता है ।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी० एस० चौहान : अध्यक्ष महोदय, भीख मांगना आज एक व्यवसाय, जरूरत, कला और फैशन बन गया है । देश में आज करीब 40 लाख भिखारी हैं । दिल्ली में हजारों लोग भीख मांगते हैं । भिखारी अधिकतर बच्चे होते हैं । यह भी देखा गया है कि 65 प्रतिशत भिखारी पूर्ण रूप में सक्षम होते हैं, जो काम कर सकते हैं । ऐसे गिरोह हैं जो बच्चों को उठाकर, डरा-धमकाकर और अपाहिज बनाकर भीख मंगवाते हैं जिससे हजारों बच्चों का भविष्य बरबाद हो रहा है । सरकार इन गिरोहों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, इस समय किशोर कल्याण बोर्ड यहां है । जब कभी भी शहर में किन्हीं भी परिस्थितियों के अन्तर्गत आवारा बच्चे पाए जाते हैं, तो वे पुलिस द्वारा पकड़ कर किशोर कल्याण बोर्ड में लाए जाते हैं । तत्पश्चात्, सामान्य योजना के अनुसार उन्हें प्रेक्षण गृहों तथा किशोर कल्याण गृहों में ले जाया जाता है तथा उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें वहां प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन, यह सच है कि बड़ी संख्या में लड़कों

को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है और हमें इसको रोकने के लिए प्रभावी तरीके ढूंढने हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि समाज कल्याण मंत्रालय उन बच्चों की समस्याओं पर ध्यान दे रहा है जिनको भीख मांगने के काम से रोकना है। जहां तक संभव है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के माध्यम से हर कदम उठा रहे हैं कि ऐसे बच्चों को कोई प्रशिक्षण दिया जाए, या तो हस्तकला में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में और तत्पश्चात्, किसी प्रकार का सक्षम प्रशिक्षण ले लेने के बाद, उन्हें बाहर जाने दें। ताकि वे या तो स्व- रोज़गार आरम्भ करें अथवा वे बाद में रोज़गार प्राप्त कर सकें। इस समय हम यही कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे सहमत हूं कि बच्चों का शोषण हो रहा है और हम इस बारे में गंभीर रूप से चिन्तित हैं।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी० एस० चौहान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में भिखारियों पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। इसका कारण समाज कल्याण विभाग दिल्ली पुलिस को दोष देता है और दिल्ली पुलिस समाज कल्याण विभाग को दोष देती है। पुलिस का कहना है कि वे कानून और व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाये भिखारियों को पकड़ने पर और अगर वे किसी को पकड़ते भी हैं तो उन्हें कल्याण विभाग के लोग छोड़ देते हैं। इसके अलावा पुलिस भिखारियों को उनके राज्यों में भिजवा देती है। कुछ राज्यों में भीख मांगना जुर्म नहीं है। कुछ समय पूर्व समाज कल्याण और श्रम मंत्रालय द्वारा एक बिल तैयार किया गया था जिसे राज्यों को उनके विचार-विमर्श के लिये भेजा गया था। क्या सरकार भीख मांगने के खिलाफ यह संसद में बिल लायेगी जिससे इस बढ़ती हुई समस्या पर काबू पाया जा सके।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है। उन पर निश्चय ही ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम तो कर रहे हैं, वह यह कि पुलिस कुछ बच्चों को पकड़ रही है और यदि उनके अभिभावक उन्हें वापस ले जाने को तैयार हैं, तो वे उनके माता-पिता से संपर्क रखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों को वापस अपने घरों में भेज दिया जाये। उन्हें न्यायालय द्वारा मुक्त किया जाता है और समाज कल्याण विभाग इसकी देख-रेख करता है।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : विधेयक के बारे में क्या हुआ, महोदय ? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या आप संसद में विधेयक पेश कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह एक अच्छा सुझाव है **(व्यवधान)**

श्री एम० एम० जैकब : मैंने कहा है कि यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : जब वे कह रहे हैं कि यह एक अच्छा सुझाव है तो इसका अर्थ है वे इससे सहमत हैं। यह एक आश्वासन है।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : केवल एक बात और, महोदय । क्या आप संसद में इन गरीब बच्चों पर चर्चा करने की अनुमति देने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बाल अपराध हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है । मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि ——

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप उत्तर पर जा रहे हैं, आप प्रश्न पर आइये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह जरूरी है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रेक्षणगृहों में और किशोर गृहों में इन अपराधियों को रखा जाता है । वहां व्यावसायिक शिक्षा और पाठ्यक्रमों की शिक्षा उन्हें दी जाती है। सुनने व पढ़ने में यह आया है कि यहां जो बाल अपराधी रखे जाते हैं, उनके साथ बहुत घृणात्मक व्यवहार किया जाता है। इनको भोजन, कपड़े नहीं दिये जाते हैं। इनके लिए जो बजट होता है, उसका अधिकांश रुपया वहां बड़े लोग अपराध करके खा लेते हैं । कई बार अखबारों में भी यह बात आई है कि दिल्ली, बम्बई और हमारे यहां वाराणसी में जो किशोर लड़कियां इन गृहों में रखी जाती हैं, उनसे नाजायज कार्य करवाये जाते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा यौन अपराधों में शामिल किया जाता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ऐसी कोई सूचना है ? इसके अलावा सरकार इन बाल गृहों और प्रेक्षणगृहों के सुधार के लिए क्या कार्रवाई कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यह सच है कि बाल-गृह कार्य कर रहे हैं । लेकिन उसके साथ ही किशोर गृहों अथवा प्रेक्षण गृहों में किसी प्रकार के यौन-शोषण की कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है ।

लेकिन, इसके साथ ही यदि कार्य कर्तव्य पूरा करने में कोई लापरवाही बरती जाती है तो हम कार्यवाही करते हैं । हमने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें अधिकारियों की ओर से अपना कर्तव्य में कुछ लापरवाही बरती गई थी ; और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई थी । अब मैं समझता हूं कि शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होगी । यदि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होगी तो हम निश्चय ही उस पर ध्यान दे सकते हैं और उसका हल ढूंढा जा सकता है ।

श्री बल्लभ पाणिग्रही : महोदय, यद्यपि यह प्रश्न दिल्ली तक सीमित है, फिर भी यह समस्या पूरे देश में व्याप्त है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है । इस संबंध में मैं माननीय मंत्रीजी से दो बातें जानना चाहूंगा । उन लड़कों और लड़कियों को पुलिस द्वारा उठाए जाने

या पकड़े जाने के बाद तथा उन्हें प्रेक्षण गृहों अथवा सुधार गृहों में भेजने तथा उन्हें कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि देने के बाद, इस बारे में प्रशासन का क्या अनुभव रहा है ? ऐसे लड़के तथा लड़कियों की प्रतिशतता क्या है जिनको सुधारा गया और जो उसके पश्चात् अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और अपने आपको विभिन्न कार्यों को करने में योग्य पा रहे हैं । मैं यह उल्लेख कर दूं कि सर्वप्रथम यह समस्या बेरोजगारी तथा गरीबी से उत्पन्न होती है। यह प्रश्न 16 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का है । 18 से 22 वर्ष तक की आयु के उन युवाओं से सम्बन्धित प्रश्न भी गंभीर चिंता का विषय है में, जो अधिकारियों, निम्न मध्यम वर्ग तथा मध्यम वर्ग के बच्चे हैं

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिगृही, कृपया प्रश्न पूछिए । यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री बल्लभ पाणिग्रही : मैं उन बच्चों की प्रतिशतता के बारे में जानना चाहता हूं जो कि इन गृहों में प्रशिक्षण पाने के पश्चात् विभिन्न कार्यों के योग्य सिद्ध हो जाते हैं । दूसरे यह समस्या गरीबी से उत्पन्न होती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ते जैसा किसी प्रकार का कोई भत्ता देने पर विचार कर रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको किसी प्रकार के रोजगार की गारंटी देने का प्रस्ताव है ?

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, जो कुछ भी श्री पाणिगृही ने कहा है वह एक अच्छा प्रश्न है । किशोर-न्याय अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था क्योंकि यह समस्या पूरे देश में विद्यमान है न कि केवल दिल्ली में । इसके पश्चात् वर्ष 1987 में यह अधिनियम लागू किया गया । इसके बाद हमने इस कार्य को हाथ में लिया । अनेक राज्यों ने भी इस प्रकार के गृहों को चलाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली । लेकिन आपने उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में विशेष प्रश्न पूछा है जिनको प्रशिक्षण दिया गया था । मैं दिल्ली के लोगों के बारे में बता सकता हूं । मेरे पास अन्य राज्यों के आंकड़े नहीं हैं । प्रश्न दिल्ली से सम्बन्धित है और मैंने दिल्ली के आंकड़े ही एकत्रित किए थे ।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : मंत्री जी जवाब तो ठीक से नहीं दे रहे हैं, पूछ कुछ रहे हैं और जवाब कुछ दे रहे हैं इसलिए उनसे कहें कि वह तैयार होकर आया करें ।

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन पूछने वाले का समाधान हो गया तो ठीक है ।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : प्रश्न दिल्ली के सम्बन्ध में पूछा गया था । **(व्यवधान)**

वर्ष 1990–91 में 955 लड़के और 375 लड़कियां पकड़ी गई थी और उसी वर्ष में वे उनके माता-पिता के पास पहुंचा दिये गए बच्चों की संख्या में 710 लड़के और 308 लड़कियां हैं । पकड़े गए बच्चों में से 23 लड़के और 10 लड़कियों का पुनर्वास किया गया था । उसी वर्ष में 245 लड़कों और 122 लड़कियों को विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में

प्रशिक्षित किया गया । इसी तरह से मेरे पास वर्ष 1992 के आंकड़े हैं । लेकिन पूरे ब्यौरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन प्रतिशतताए नहीं हैं । मेरे पास उन व्यक्तियों की संख्या है जिन्हें पुनर्वासित किया गया ।

लेकिन, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह सच है कि 18 वर्ष की आयु के बाद या उनका तो पुर्नवास कर दिया गया के लिए चाहिए अथवा उन्हें स्वरोजगार के लिए भेज देना चाहिए । लेकिन अब हम देखते हैं कि उन्हें कुछ और समय के लिए तब तक रखा जाता है जब तक कि उन्हें स्वरोजगार नहीं मिल जाता अथवा उन्हें बाहर कहीं कोई काम नहीं मिल जाता । इसलिए हम उदारतापूर्ण रवैया अपनाते हैं,और देखते हैं कि उनका पुनर्वास हो जाये । यदि लड़कियां चली जाती हैं और उनका विवाह हो जाता है तो हम उन्हें 2500 रु० देते हैं । यदि वे स्वयं किसी कार्य के लिए बाहर जाती है तो हम उन्हें पुनर्वास खर्च के रूप में 2500 रुपए भी देते हैं ।

चकमा शरणार्थी

[हिन्दी]

825 : श्री नीतिश कुमार
मोहम्मद अली अशरफ फातमी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बांग्लादेश के चित्तागांग पर्वतीय क्षेत्रों में म्यानमार के रोहिंगा मुसलमान शरणार्थियी के पुनर्वास हेतू वहा की सरकार के निर्णय सम्बन्धी हाल ही के समाचारों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चकमा शरणार्थियों को बांग्लादेश वापस भेजने के विषय पर वहां की सरकार के साथ विचार-विमर्श किया था/करने का विचार है और

(ग) यदि हां, तो इस पर बांग्लादेश की क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

विवरण

(क) जी हां । तथापि, सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि बांग्लादेश की सरकार का कहना यह है कि वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि म्यानमार के सभी शरणार्थी जल्दी म्यानमार लौट जाएं ।

(ख) और (ग), सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ अलग से इस बात के लिए भी जोर दे रही है कि चकमा शरणार्थियों को चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में वापस ले जाने के शीघ्र प्रबंध किए जाएं ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग "सी" का उत्तर नहीं आया है। मैंने प्रश्न किया था—बंगला देश की क्या प्रतिक्रिया थी ? उत्तर में भाग "बी" और "सी" का घालमेल कर दिया है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर सरकार कई दफ़ा पिछले दो वर्षों में इस सदन में या इस सदन में ऐसे ही देती रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मयन्मार से जो शरणार्थी आए हैं और बंगला देश में दो लाख की संख्या में, उनको अगर चटगांव की पहाड़ियों में बसा दिया जाएगा तो फिर क्या हमारे यहां जो चकमा शरणार्थी आए हुए हैं लगभग 53 हजार की संख्या में वे कहां लौटेंगे ? यहां उनके रख-रखाव पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही पौने छः करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, दो लाख तीस हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ऐसी स्थिति में क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मजबूती के साथ उठाया है कि किस प्रकार से चकमा शरणार्थी अपने देश में वापिस हो सकेंगे ? बंगला देश की सरकार के साथ जो बातचीत हुई है, उसके लिए आपने बार-बार जिक्र किया है कि हमने इस सवाल को उठाया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं बंगला देश की सरकार ने क्या कहा है, चकमा शरणार्थी कब तक लौट पायेंगे या हम इस प्रकार से उनका बोझ ढोते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : हमारे उत्तर में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी शरणार्थी वपिस चले जायें क्योंकि यह सच है कि उन पर हमारा धन खर्च हो रहा है; और अन्यथा भी, किसी भी देश में शरणार्थियों के आगमन से सामाजिक आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और यही भारत में हो रहा है। सर्वप्रथम, हम चाहते हैं कि वे वापस लौट जाएं। दूसरे, बंगला देश सरकार भी उन्हें वापस लेना चाहती है। इस लिए आम यही स्थिति है। फिर भी काफी शरणार्थी अथवा उनका एक बड़ा भाग वापस जाना नहीं चाहता है क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा को खतरा लगता है। इसलिए बंगला देश सरकार को चाहिए कि इनको वापस लेने के आश्वासन के अतिरिक्त, उन्हें चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी सुरक्षित वापसी और सुरक्षित आवास की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। अब सभा यह जानने की इच्छुक होगी, मैं आपके द्वारा उन्हें यह बता दूं, महोदय, कि सन 1989 से व्यावहारिक रूप से चकमा लोगों का भारत में कोई आगमन नहीं हुआ है। इसके विपरीत, यह प्रतीत होता है कि उनमें से काफी संख्या में शरनार्थी वापस लौट गए हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो जवाब है, उसके हिसाब से तो पता नहीं शायद उनको अनंतकाल तक रखना पड़ेगा। "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी" यही हिसाब है, न कंजीनियल एडमासफियर क्रिएट होगा शरणार्थियों के हिसाब से और न ये लौट कर जाएंगे। जो शरणार्थी यहां पर आये हुए हैं, बसे हुए हैं, उनके यहां शरण लेने के कई कारण हैं, जैसे सोशियल और कल्चर आदि। इसी प्रकार अन्य शरणार्थी भी आए हुए हैं। दिल्ली में यहां पर बंगला देश के शरणार्थी आए हुए हैं और यहां क़ाइम हो रहे हैं। कई प्रकार की बातें उठती हैं कि वे अवैध रूप से यहां पर आए हुए हैं। इस प्रकार अन्य शर-

णार्थी लोग भी जो सोशियल और कल्चर कारणों से यहां चले आए हैं और यह जानी हुई बात है कि वे लौटकर नहीं जाएंगे, सरकारी आंकड़े चाहे आप कितना ही दे दीजिए और उनके जीवन-यापन पर कितना खर्च करते चले आइए, संभव है वे लौट कर नहीं जायेंगे। इस हालत में क्या भारत सरकार उदारता बरतेगी, चूंकि भारत विभाजन के पहले बंगला देश हमारा ही हिस्सा रहा है किसी न किसी प्रकार से, कि तमाम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर उनको यहां बसा देगी—यही हम सरकार से जानना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि वे वापिस चले जाएं और मानवीय आधार पर हम उन्हें यहां पर रख रहे हैं। परन्तु हमारा प्रयास यह है कि वे वापस चले जाएं।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र अलीपुरद्वार है और वहां तीन प्रकार के आदमी आ रहे हैं और इस वजह से जितने भी प्रोग्राम हैं, वे सब फेल हो रहे हैं। हम मानवता की खातिर उनको पुश नहीं कर रहे हैं। जो यहां पर चकमा लोगों का सवाल है, उनको बाध्य किया गया है, उनको मिलिट्री पुलिस के द्वारा हटाया गया है और इस तरह से ड्रास्टिक मेजर ले रहे हैं। उनको यहां रखने में हमारे हिन्दुस्तान का खर्च हो रहा है। जो शरणार्थियों की संस्था है, जो रुपया हम उन पर खर्च कर रहे हैं, क्या यह रुपया हमने उनसे मांगा है ? यदि नहीं मांगा है, तो क्या उसको मांगने की कोशिश करेंगे या नहीं ? नहीं तो यह खर्च बंगला देश उठाए।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं समझता कि सभा भी इससे सहमत होगी कि शरणार्थियों के प्रति सामान्यतः हमारी स्थिति मानवीय आधार पर किया गया एक प्रयास ही होगा। यदि शरणार्थी यहां पर हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी ही है। हम किसी भी शरणार्थी को बलपूर्वक वापस नहीं भेजेंगे। परन्तु हम चाहेंगे कि जिस देश से वे आये हैं वहां से वे वापस जाएं। उनकी वापसी के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

श्री पीयूष तीरकी : इस पर धन हम खर्च कर रहे हैं। क्या सरकार बंगला देश सरकार से इसका व्यय वहन करने के लिए कहेगी ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : बंगला देश सरकार उनकी वापसी चाहती है। उनका कहना है "आप लोग कृपया वापस आ जाएं"। वे शरणार्थियों की वापसी के लिए पूर्ण प्रबन्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, बंगला देश बार्डर के पास हम लोगों का एरिया पड़ता है और पूर्णिया, कटिहार ········ (व्यवधान) आदि स्थानों पर हर जगह बंगलादेशी शरणार्थी पड़े हुए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश के कोने-कोने में जो 10–15

साल से यहां बस चुके हैं । उन्हें भारतीय नागरिक बनाएंगे और अभी जो बंगला देश से आ रहे हैं······(व्यवधान०।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका जवाब दे दिया है ।

[अनुवाद]

यह आपका विषय नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मेरा प्रश्न यह है कि जो चकमा शरणार्थी 10–15 साल से बस चुके हैं······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने न कह दिया है ।

[अनुवाद]

श्रीमती बिभू कुमारी देवी : मैं सीमावर्ती राज्य से संबंधित हूं । हमारा बहुत छोटा राज्य है और हम शरणार्थियों को रखने का खर्च वहन नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ष 1971 में हमारे यहां 20 लाख शरणार्थी आये थे और उनमें से अधिकांश शरणार्थी वापस नहीं गये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या वह जानते हैं कि हमारे देश में 70,000 शरणार्थी हैं जो वापस जाकर अपनी जन्मभूमि पर फिर से बसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1898 में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व बंगलादेश ब्रिटिश भारत का ही एक अंग था और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच ये समझौते किए गए थे कि जिन क्षेत्रों में चटगांव, चकमा शरणार्थी रह रहे थे उन क्षेत्रों में नागा लोगों के समान प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा । चटगांव चकमा शरनार्थी यह मांग कर रहे हैं । क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं ? शरणार्थियों की समस्या के संबंध में क्या भारत सरकार को बंगलादेश से कोई ठोस और विशेष उत्तर मिला है । इसके अतिरिक्त क्या भारत सरकार चकमा शरणार्थियों के प्रति क्रूरता बरते जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अथवा मानव अधिकार आयोग के पास जाने का विचार कर रही है चूंकि महिलाओं के साथ बलात्कार होने और धार्मिक अत्याचार होने के समाचार मिले हैं ?

वर्ष 1977 से हम उन्हें यहां पर रख रहे हैं । चूंकि मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आयी हूं, अतः मैं वहां की समस्याओं को समझती हूं । इससे सरकार पर अत्याधिक वित्तीय बोझ पड़ रहा है ।

चटगांव चकमा शरणार्थियों की दूसरी वैकल्पिक मांग यह है कि वे चाहते हैं कि भारत सरकार और बंगलादेश सरकार दोनों को उनके निवासस्थलों पर वापस जाने के वक्त मौजूद होना चाहिए । क्या वह इससे अवगत हैं और यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ये योजना के बारे में विस्तृत विवरण हैं जिन्हें हम कार्यरूप दे सकते हैं । परन्तु इतना निश्चित है कि मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं क्योंकि ये शरणार्थी त्रिपुरा के कैम्पों में रह रहे हैं ।

परन्तु हमें योजना संबंधी विस्तृत विवरण को कार्यरूप देना है कि किसको उपस्थित होना चाहिए और कब ?

श्री मुमताज अंसारी : अभी हाल ही में बंगलादेश और बर्मा के मध्य एक समझौता हुआ था कि बर्मा के शरणार्थी बंगलादेश से बाहर चले जाएंगे। इस संबंध में भारत सरकार कितनी मदद करेगी ?

श्री ऐडुआर्डो फलीरो : यह समझौता दो दिन पहले ही हुआ है। उसके अनुसार मयन्मार अर्थात् बर्मा उन रोहिंग मुसलमानों को वापस लेने के लिए सहमत हो गया है जो बंगलादेश आये हैं। इससे काफी सहायता मिल सकती है क्योंकि डर यह था कि मयन्मार के इन शरणार्थियों को चटगांव क्षेत्र में रखा जायेगा इससे वापस जाने वाले चकमा वासियों की समस्या और बढ़ जायेगी। इस समय इस समझौते को देखते हुए यह समस्या काफी सीमा तक शान्त हो गयी है, ऐसा लगता है।

इसको जितनी भी मदद की आवश्यकता होगी, हम मदद करेंगे क्योंकि यह एक बहुत अच्छा समझौता है।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान–पाकिस्तान के बंटवारे के समय से तराई क्षेत्र में लगभग 17 हजार बंगाली आए हुए हैं। उनको आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई है और जो नए बंगाली आ रहे हैं, इनको क्यों बसाया जा रहा है।

[व्यवधान

श्री एडुआर्डो फलीरो : इसकी छानबीन करना गृह मंत्री का काम है।

श्रीमती बिभु कुमारी देवी : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह त्रिपुरा की सहायता करने को सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि तराई क्षेत्र में बहुत से शरणार्थी आए हुए, हैं उनके भविष्य के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है। उनके बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा और आने वालों को कैसे रोका जायेगा।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : यह सोचना मेरा काम नहीं है। मैं कहूंगा कि इस सम्बंध में गृह मंत्रालय बेहतर स्थिति में होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैस की सप्लाई

824. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के अहमदाबाद और वलिया शहरों को पाइप लाइन से गैस की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है, और,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त शहरों को कब तक गैस सप्लाई किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) और (ख) गैस की उपलब्धता के पूर्वानुमानों और पहले किए गए आवंटनों को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद और वालिया शहरों में आपूर्ति के लिए गैस का आवंटन नहीं किया गया है ।

सिर पर मैला ढोने वालों को इस प्रथा से मुक्त करने और उनका पुनर्वास करने की राष्ट्रीय योजना

826. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनम** :
श्री मंगलराम प्रेमी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की इस प्रथा से मुक्त करने और उनका पुनर्वास करने की कोई राष्ट्रीय योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं,

(ग) क्या इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा किया जायेगा,

(घ) यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति पर नियंत्रण कैसे रखा जायेगा,

(ङ) 1991–92 और 1992–93 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य संघ राज्यों क्षेत्रों को कितनी धनराशि दी गई दिये जाने की सम्भावना है, और

(च) इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु क्या उपाय किए गए हैं / करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी)

(क) जी हां।

(ख) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य, मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को मानव मल तथा गन्दगी को हाथ से हटाने के घृणित कार्य से मुक्त कर, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के अन्दर वैकल्पित तथा सम्मानजनक काम-धन्धों में उनका पुनर्वास करना है।

(ग) यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी। जहां ऐसे राज्य निगम विद्यमान नहीं हैं, अनुसूचित जाति कल्याण के प्रभारी विभाग निदेशालय किसी अन्य पदनामित निगम के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वियन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(घ) यह योजना सभी स्तरों अर्थात राष्ट्रीय/राज्य/ जिला तथा स्थानीय निकाय स्तरों पर मानिटरिंग समितियों के माध्यम से मानिटर की जायेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राज्य स्तरीय अनुसुचित जाति विकास निगमों के सहयोग से कार्यक्रम के कार्यान्वियन को मानिटर करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ङ) 1991–92 के दौरान इस योजना के क्रियान्वियन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50.50 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। इस योजना के लिए 1992–93 के दौरान 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(च) इस योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय मानिटरिंग समितियों की बैठकें नियमित अन्तरालों पर की जाएंगी।

विश्व पर्यावरण कोष

827. श्री सुधीर गिरि
श्री ललत कुमार मण्डल } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत "अर्थ सम्मिट" अर्थात एक पर्यावरण संबंधी सम्मेलन में भाग लेगा;

(ख) क्या "विश्व पर्यावरण कोष" और उसके प्रबंधन के मुख्य मुद्दे पर भारी मतभेद पैदा हो गए हैं; और

(ग) यदि हां तो पर्यावरण और विकास पर होने वाले विश्व सम्मेलन की तैयारी करने वाली समिति के अन्तिम दौर की वार्ता पर इन मतभेदों का क्या प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) : संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की तैयारी समिति के अन्तिम दौर में वित्तीय संसाधनों तथा वित्तीय तंत्र अथवा तंत्रों से संबद्ध मुख्य सवाल पर मतभेद अनसुलझे ही रहे। उम्मीद है कि स्वयं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में ही इन मतभेदों को दूर किया जा सकेगा।

भारत पाक सम्बन्ध

828 श्री सी० के० कुप्पुस्वामी
श्री बी० एन० रेड्डी } : क्या **विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1992 के "दि हिन्दु" में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा भारत-पाक दृष्टिकोणों में आमूल परिवर्तन लाने हेतु हाल ही में किए गए आह्वान के सम्बन्ध में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) जी हां।

(ख) से (घ) दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने भारत के प्रति अपनी नीति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया है और पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लगातार सहायता और बढ़ावा दे रहा है। यह रवैया आपसी भरोसा तथा विश्वास की प्रगति अथवा सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए सार्थक वार्तालाप के लिए अनुकूल नहीं है।

सरकार को उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों को समर्थन देना बंद कर देगा, अपने नकारात्मक रुख को छोड़ देगा और अच्छे पड़ोसी जैसे सम्बन्धों को बनाने के उपायों में शामिल होगा।

इसी संदर्भ में भारत पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ उचित स्तरों पर द्विपक्षीय वार्ता जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है ।

कृषि का विकास

*829 प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कृषि के व्यापक विकास के लिए विश्व बैंक ने जिन परियोजनाओं को सहायता दी है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सहायता से किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) केरल में व्यापक कृषि विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कोई परियोजनाएं नहीं हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

*830. डा० ए० के० पटेल
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में और 1992 के दौरान अब तक कितने आतंकवादी भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान और अन्य देशों में चले गये ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सुरक्षा बलों ने ऐसे कितने आतंकवादियों को मार गिराया और कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जो हमारी सीमा अवैध रूप से पार करके दूसरे देश में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आतंकवादियों को हथियार कहां से मिल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत से पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा को पार करते समय 1991 के दौरान 77 आतंकवादी मारे गए और 76 पकड़े गए । बताया गया कि 1992 में, मार्च तक कोई भी मारा/पकड़ा नहीं गया। पाकिस्तान, इस देश में आतंकवादी तत्वों को हथियार जारी करने वाला प्रमुख संभरक रहा है । आतंकवादियों के पास उपलब्ध हथियार अधिकतर पाकिस्तान में प्राप्त किए जाते हैं और उसके बाद उनकी भारत में तस्करी की जाती है। इसके अलावा, आतंकवादी अपने शस्त्र भंडार में बढ़ोतरी करने के लिए हथियार छीनते हैं।

समुद्र में मत्स्य-पालन की नई तकनीक

*831. श्री रामकृष्ण कोंताला
श्री ए० प्रताप सहाय } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने समुद्री जल में कृत्रिम विधि से मत्स्य पालन की कम लागत वाली कोई तकनीक विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश के कुछ भागों में यह तकनीक सफल रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने कृत्रिम "रीफ फार्मिग" के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात में कुछ स्थानों का चयन किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :

(क) जी, हां ।

(ख) मोती शुक्ति, खाद्य शुक्ति, मसेल, क्लैम, समुद्री झींगे, समुद्री ककड़ी और समुद्री खरपतवारों के लिए समुद्री मात्स्यिकी प्रौद्योगिकियां विकसित की गयीं हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तमिलनाडु में तूतीकोरन में मोती शुक्ति संवर्धन प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया और मोपला खाड़ी, कन्नानूर में एक सामान्य स्तर की झींगा हैचरी स्थापित की गयी है ।

(ङ) नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रैक्टर प्रोद्योगिकी

*832. श्री बी० देव राजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टर प्रौद्योगिकी तथा खेती की नवीनतम तकनीकों के सम्बन्ध में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए देश में कुल कितने केन्द्र हैं

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा एक केन्द्र तमिलनाडू विशेष रूप से वहां के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :

(क) भारत सरकार ने बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गार्लेदिने, जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) और विश्वनाथ चारिअली, जिला सोनितपुर (असम) में चार क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान स्थापित किये हैं ।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों में फार्म मशीनरी के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा सम्पत्तियों की खरीद

*833. श्री दत्तात्रेय बंडारु } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री अन्ना जोशी

(क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा 1990–91 और 1991–92 के दौरान वर्षवार और देशवार कितने मूल्य की भूमि, भवन और अन्य सम्पत्तियां खरीदी गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके सुधार, मरम्मत अथवा नवीकरण पर देशवार कितना धन खर्च किया गया ?

(विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री) एडुआर्डो फैलीरो :

(क) 1990–91 में विदेशों में स्थित भारतीयों मिशनों ने, उनके नाम के सामने दिए गए मूल्य पर, निम्नलिखित संपत्ति खरीदी थी :

(1) लीमा (पेरू)	चांसरी भवन	45,10,000 रुपये
(2) काहिरा (मिस्र)	चांसरी भवन	4,59,20,000 रुपये
(3) विंटहोक (नामिबिया)	(1) चांसरी भवन	44,93,500 रुपये
	(2) राजदूतावास आवास	1,04,06,000
	(3) प्रथम सचिव के लिए आवास	39,73,200
	(4) तीन कर्मचारियों के लिए आवास	21,28,500

1991–92 में कोई सम्पत्ति नहीं खरीदी गई ।

(ख) 1990–91 और 1991–92 के दौरान इन संपत्तियों को बेहतर बनाने के लिए उनकी मरम्मत पर हुआ व्यय नीचे लिखे अनुसार है :

(1) लीमा . . .	4,61,947	रुपये
(2) काहिरा . . .	3,36,800	रुपये
(3) विन्डहोक	35,49,007	रुपये

सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग

*834. डा० परशुराम गंगवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :

संविधान में प्राविधित एवं विधि द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को योजनानुसार कार्यान्वित कर रही है । इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्हें हिन्दी नहीं आती है, हिन्दी भाषा/टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण देने, हिन्दी में अनुवाद सम्बन्धी कार्य व इस कार्य में लगे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों को अनुवाद की कला में प्रशिक्षण देने, यांत्रिक/तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता एवं उन पर हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजनाएं शामिल हैं । सरकार की यह नीति है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रोत्साहन एवं सद्भावना द्वारा बढ़ाया जाए , इसके लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं ।

बिहार में तेल की खोज

*835. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में तेल की खोज के लिए वर्ष 1992–93 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या उन कूपों की खुदाई का कार्य अगले छः महीनों के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है जहां फिलहाल यह कार्य चल रहा है ;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने संयंत्र को बिहार से असम ले जाने का आदेश जारी कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में तेल की खोज के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) कडमाहा में वेधन किए जा रहे कूप पर व्यय की जाने वाली राशि के अतिरिक्त भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए करीब 2 करोड़ रुपए।

(ख) जी, हां।

(ग) रिग को शिफ्ट करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भूकम्पीय सर्वेक्षणों के लिए करीब 16 करोड़ रुपए।

गैस आवंटन हेतु लंबित परियोजनाएं

*83. श्री भगवान शंकर रावत }
डा० लाल बहादुर रावल } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री :

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक गैस के आवंटन हेतु केन्द्रीय सरकार के पास इस समय लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने 1991-92 के दौरान स्वीकृति प्रदान की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) पहले से किए गए 90 एम एम एस सी एम डी के आबंटन के अतिरिक्त निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार लगभग 240 एम एम एस सी एम डी मात्रा की मांग गैस अथॉरिटी आफ़ इंडिया लिमिटेड के पास पंजीकृत है।

राज्य	पार्टियों की संख्या	मात्रा (एम एम एस सी एम डी)
1	2	3
गुजरात	326	43.98
उत्तर प्रदेश	122	18.25
हरियाणा	92	3.72

1	2	3
दिल्ली/पंजाब/एच० पी०	4	0.04
राजस्थान	28	15.95
मध्य प्रदेश	57	20.90
महाराष्ट्र	96	47.05
ए० पी० / टी एन०/कर्नाटक . . .	166	82.19
आसाम	16	5.26
त्रिपुरा	18	1.80
योग :	925	239.14

(ख) से (घ) : समय-समय पर गैस आबंटन के लिए आवेदन आते रहते हैं और गैस की उपलब्धता तथा पहले की गई वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया जाता है । गैस की उपलब्धता के वर्तमान अनुमान तथा पहले किए गए आबंटन को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अलावा आबंटन किए जाने की कोई संभावना नहीं है ।

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान त्रिपुरा राज्य में ही केवल दो आबंटन करने की सहमति हुई है । वे निम्नानुसार हैं :—

1) अगरतला और इसके आस-पास औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए — 0.25 एम एम एस सी एम डी

2) त्रिपुरा विद्युत विभाग रौखिया — 0.4 एम एम एस सी एम डी

तेल और गैस के भंडार

*837 प्रो० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री बलराज पासी :
} क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार विद्यमान हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक भण्डार में तेल और प्राकृतिक गैस की कितनी-कितनी मात्रा होने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान तेल और गैस के कितने नये भण्डारों का पता लगाया गया है, और

(घ) इनसे कितनी मात्रा में गैस मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (घ) निम्नलिखित राज्यों के पास अपने तेल और गैस के भंडार हैं :—

तटवर्ती : गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, नागालैंड, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और असम तथा अरूणाचल प्रदेश ।

अपतटवर्ती : पश्चिमी तथा पूर्वी तट ।

1-1-1991 को तेल और गैस के भंडारों की अनुमानित मात्रा नीचे दी गई है :—

राज्य	भूकम्पीय भंडार तेल+ कंन्डेन्सेट एम एम टी	गैस एम एम एम³
क—तटवर्ती		
1. गुजरात	793.02	191659.3
2. राजस्थान	—	8646.0
3. त्रिपुरा	—	23713.8
4. असम } 5. अरुणाचल प्रदेश	970.25	271099.0
6. नागालैंड	23.55	4351.5
7. आंध्र प्रदेश	6.55	55705.7
8. तमिलनाडु	18.84	16734.9
भूमि पर कुल	1812.21	571910.2
ख—अपतटवर्ती		
1. पश्चिमी समुद्र तट	2464.23	927938.6
2. पूर्वी समुद्र तट	81.28	27923.3
कुल अपतटवर्ती	2545.51	955861.9
कुल तटवर्ती+अपतटवर्ती	4357.72	1527772 1

वर्ष 1991-92 के दौरान 14 नए स्थानों (11 तटवर्ती तथा 3 अपतटवर्ती) पर तेल तथा गैस के भंडारों का पता लगाया गया ।

नए क्षेत्रों से संबंधित भंडारों की मात्रा का पता निर्धारण के पश्चात् ही लग सकेगा ।

(अनुवाद)

खाद्यानों की खपत

*838. श्री एम० जी० रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय खाद्यानों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) क्या प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता स्थिर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में कौन से सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :

(क) वर्ष 1991 के लिए खाद्यानों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता जिसे खपत माना जा सकता है अनन्तिम तौर पर 186.5 कि० ग्रा० प्रति वर्ष आंकी गई है।

(ख) और (ग) पिछले वर्षों में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता में सामान्यतया वृद्धि का रूख रहा है। 1981 को समाप्त हुए 3 वर्षों के दौरान खाद्यानों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 163.4 कि० ग्रा० होने का अनन्तिम अनुमान है, जो बढ़कर 1991 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान 180.00 कि० ग्रा० हो गई है।

(घ) उत्पादन और उपलब्धता बनाने के लिए उठाये गये कदमों में समेकित चावल विकास कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहू, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का और मोटे अन्न, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम और दलहनों के लिये विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम आदि का कार्यान्वयन शामिल है।

तिलहनों की खेती

*839. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी
श्री बब्बूलाल चन्द्राकर } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने सर्वेक्षण करके तिलहन की खेती के लिये उपर्युक्त क्षेत्रों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है ;

(ग) सरकार का किसानों को क्या-क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(घ) तिलहन के उत्पादन हेतु वर्ष 1992-93 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत शामिल किये जाने के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

राज्य	जिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	22
असम	13
बिहार	25
गुजरात	18
हरियाणा	16
जम्मू और कश्मीर	8
कर्नाटक	18
मध्य प्रदेश	45
महाराष्ट्र	26
उड़ीसा	13
पंजाब	11
राजस्थान	27
तमिलनाडु	18
उत्तर प्रदेश	45
पश्चिम बंगाल	12
हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य
मणिपुर	सम्पूर्ण राज्य
सिक्किम	सम्पूर्ण राज्य
त्रिपुरा	सम्पूर्ण राज्य

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत उन्नत बीज, पौध संरक्षण, छिड़काव यंत्रों (स्प्रिंकलर्स), उन्नत फार्म उपकरणों, जिप्सम/पाइराइटस और रिजोबियम कल्चर का उपयोग करने के लिये खेतिहरों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

(घ) वर्ष 1992-93 के लिये 185 लाख मीटरी टन का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है ।

[हिन्दी]

मुर्गीपालन उद्योग

*840. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुर्गीपालन उद्योग भारी संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुर्गीपालन उद्योग संघ ने भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया है कि उन्हें उसी मूल्य पर गेहूं सप्लाई किया जाये जिस पर आटा मिलों को सप्लाई किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार इस उद्योग को कृषि का दर्जा देने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :

(क) देश में कुक्कुट उद्योग, मुख्यत: मक्के की कमी और उसकी ऊंची कीमतों के कारण, जो कि आहार का एक महत्वपूर्ण अंश है, एक कठिन दौर से गुजर रहा है ।

(ख) और (ग)

कृषि मंत्रालय को भारतीय कुक्कुट फेडरेशन सहित कुक्कुट क्षेत्र में विभिन्न संगठनों से कुक्कुट आहार के रूप में प्रयोग करने के लिए गेहू की आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे । खाद्य मंत्रालय से, आटा उद्योग को आपूर्ति की जाने वाली कीमतों पर, कुक्कुट आहार के प्रयोग लिए पांच लाख मीटरी टन गेहूं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

कुक्कुट पालन क्षेत्र के लिए, मक्का उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) व्यापारियों द्वारा मक्के की जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारों से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है ।

(2) कुक्कुट पालन क्षेत्र को मक्का उपलब्ध कराने के लिए नेफेड से मक्के की स्थानीय तौर पर खरीद करने तथा विदेश से मक्के की आयात की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया गया है ।

(3) देश में मक्के का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(4) अण्डों तथा कुक्कुट विपणन को सुव्यवस्थित करने तथा उचित मूल्यों पर संतुलित कुक्कुट आहार की आपूर्ति करने के लिए राज्य स्तर के कुक्कुट निगमों/फेडरेशनों तथा इसी प्रकार के दूसरे संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैय्या कराई गई है ।

(घ) कुक्कुट पालन राज्य का विषय होने के कारण कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा केवल राज्य सरकारें ही प्रदान कर सकती हैं । भारत सरकार ने, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बिजली टैरिफ, श्रम तथा भूमि कानून, सांस्थानिक वित्तपोषण, बिक्री कर तथा चुंगी के प्रयोजन के लिए, अण्डों तथा टेबल पोल्ट्री के उत्पादन के संबंध में, कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा देने की सिफारिश की है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय मंत्रि-परिषद पर व्यय

8569. **श्री के० चोक्का राव**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के वेतन, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, टेलीफोन और अन्य सुविधाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को सुविधाएं'

8570. **श्री ललित उरांव :**
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :
श्री बी० देवराजन :
श्री हरीश नारायण प्रभुझांट्ये :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, आश्रम विद्यालय, अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटर, वजीफा/छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक योजना से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य वार कितनी धनराशि दी गई तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लाभ के लिए कार्य कर रहे स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान दिया गया।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा वर्ष 1992-93 के लिए उक्त योजनाओं हेतु कितनी धन-राशि देने का विचार है, और

(ग) कितने आश्रम विद्यालय, अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र राज्य वार, स्थान वार स्थापित किए गए हैं/करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I से III में दी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के आवंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 1992-93 के दौरान इन योजनाओं के लिए 88.25 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण IV से VI संलग्न हैं।

विवरण—I

1989–90 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रीय/

	कोचिंग तथा संबद्ध	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	पुस्तक बैंक
1	2	3	4	5
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
1. आन्ध्र प्रदेश	3.82	2120.689	8.83	810.00
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3. असम	—	289.496	—	6.45
4. बिहार	—	1720.75	2.00	—
5. गोवा	—	0.17	—	0.15
6. गुजरात	—	408.48	20.76	3.15
7. जम्मू और कश्मीर	—	7.37	—	1.00
8. हिमाचल प्रदेश	—	27.60	—	—
9. हरियाणा	—	40.00	1.69	1.00
10. कर्नाटक	2.91	568.008	3.007	1.58
11. केरल	—	459.701	—	3.00
12. मध्य प्रदेश	—	712.95	3.967	4.68
13. महाराष्ट्र	—	2207.508	2.035	9.84
14. मणिपुर	1.00	62.86	—	0.50
15. मेघालय	—	104.41	—	—
16. मिजोरम	—	78.24	—	—
17. नागालैंड	100.48	—	—	—
18. उड़ीसा	1.36	274.944	0.256	3.80
19. पंजाब	2.61	240.00	34.289	1.58
20. राजस्थान	8.88	164.36	3.06	0.50
21. सिक्किम	—	3.70	—	—
22. तमिलनाडु	1.71	409.79	9.15655	0.40

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राशि

लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	आश्रम विद्यालय	अनुसंधान और प्रशिक्षण**	स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान***
6	7	8	9	10
126.86	—	—	9.14	4.65
—	—	—	—	3.38
6.99	—	—	13.75	6.90
31.94	—	—	—	11.89
—	—	—	—	—
9.44	—	—	10.00	—
1.53	—	—	—	—
8.56	—	—	—	—
—	—	—	—	—
29.16	—	—	—	—
16.22	—	—	—	7.49
119.91	9.46	—	6.96	4.83
13.95	—	—	—	31.02
22.31	—	—	—	4.11
5.91	—	—	—	23.48
5.91	—	—	—	—
—	—	—	—	0.99
51.00	7.93	—	3.96	3.12
1.00	—	—	—	—
8.56	—	—	—	15.81
—	—	—	—	—
5.38	12.77	—	10.66	2.73

विवरण

1		2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	0.33	20.84	0.21	2.22
24.	उत्तर प्रदेश	15.36	1107.00	—	6.09
25.	प० बंगाल	—	628.29	—	0.37
26.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—
28.	दिल्ली	1.18	12.49	—	2.14
29.	दादर और नगर हवेली	—	4.00	—	—
30.	दमन और दीव	—	0.89	—	—
31.	पांडिचेरी	0.20	1.20	—	0.74
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
	कुल	29.42	11879.22	88.38	57.59

**सीधे ही 33.35 लाख रुपये विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों को प्रदान किए गए ।

I—समाप्त

6	7	8	9	10
6.94	6.00	—	—	—
—	—	—	—	5.74
17.97	—	—	8.76	36.48
6.75	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	22.17
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
12.77	—	—	—	—
—	—	—	—	—
546.40	50.00	—	63.23	182.79

***सीधे ही 12.52 लाख रुपये अनुसंधान संस्थानों को प्रदान किए गये ।

***स्वयंसेवी संगठनों के लिए दिए गये सहायता अनुदान शामिल हैं ।

विवरण

1990-91 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रीय/

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोचिंग* तथा संबद्ध	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	पुस्तक बैंक
	1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.00	100.67	—	9.36
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	2.00	16.49	13.00	1.30
4.	बिहार	3.20	213.44	1.77	—
5.	गुजरात	7.03	213.85	—	—
6.	हरियाना	—	3.34	0.21	1.33
7.	हि० प्रदेश	—	1.89	—	—
8.	जे० एण्ड के०	—	5.94	—	—
9	केरल	0.19	83.15	—	3.00
10.	कर्नाटक	3.29	157.22	0.99	2.62
11.	मध्य प्रदेश	—	250.66	1.05	4.00
12.	महाराष्ट्र	3.80	53.88	0.77	—
13.	मणिपुर	—	4.77	—	—
14.	मेघालय	0.96	5.77	—	—
15.	नागालैंड	—	74.32	—	—
16.	मिजोरम	—	13.84	—	—
17.	उड़ीसा	—	100.56	—	1.00
18.	पंजाब	3.01	10.56	—	1.98
19.	राजस्थान	—	112.51	1.45	1.00
20.	सिक्किम	—	1.59	—	—
21.	तमिलनाडु	—	61.86	3.68	11.68
22.	त्रिपुरा	2.17	32.67	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	—	297.97	—	—
24.	प० बंगाल	0.69	43.47	0.05	0.80
25.	गोवा	—	19.05	—	0.10

II

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राशि

(रु० लाख में)

लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	आश्रम विद्यालय	प्रशिक्षण और अनुसंधान**	स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान***
6	7	8	9	10
148.90	162.79	30.00	11.50	8.93
7.13	—	—	—	32.11
21.00	21.13	—	14.76	18.40
68.23	141.15	—	—	6.79
11.66	—	15.38	1.18	2.14
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
6.25	—	—	—	3.04
20.55	21.45	17.48	10.00	13.45
49.54	76.65	32.06	—	3.95
342.49	67.07	—	13.80	9.23
4.67	6.25	—	4.34	31.84
—	28.14	—	9.00	4.32
5.00	6.00	—	—	25.62
—	—	—	—	0:94
—	—	—	—	—
23.00	25.00	16.65	4.60	6.47
—	1.50	—	—	—
17.12	17.12	—	1.00	8.62
12.84	17.13	36.52	—	—
61.59	72.44	20.41	25.00	3.51
6.13	8.57	7.00	—	—
6.32	28.56	33.50	10.00	6.19
28.52	24.81	—	—	35.20
—	—	—	—	—

विवरण

1		2	3	4	5
26.	चंडीगढ़	—	—	—	1.00
27.	दादरा हवेली	—	—	—	—
28.	दिल्ली	1.73	—	—	—
29.	पांडिचेरी	—	—	—	—
30.	दमन और द्वीव	—	—	—	—
31.	अंडमान निकोबार	—	—	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
	कुल	38.06	1860.38	22.97	41.22

*विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को सीधे ही 74.15 लाख रु० प्रदान किए गए।

**30.08 लाख रु० अनुसंधान संस्थानों को सीधे ही प्रदान किए गए।

***स्वयंसेवी संगठनों को सीधे दिए गए सहायता अनुदान शामिल हैं।

III समाप्त

6	7	8	9	10
—	—	—	—	—
29.20	5.72	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
3.53	4.28	—	—	—
11.44	—	—	—	—
9.18	814.95	209.00	105.18	168.15

विवरण

वर्ष 1991–92 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रीय/

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोचिंग* तथा संबद्ध	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	पुस्तक बैंक
	1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23.68	48.63	77.15	12.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	0.57	17.06	13.00	0.33
4.	बिहार	7.50	102.56	20.16	7.50
5.	गुजरात	4.38	291.27	25.47	1.58
6.	हरियाणा	3.24	31.68	12.92	1.28
7.	हि० प्रदेश	1.29	—	—	0.45
8.	जे० एंड के०	2.00	0.77	—	0.77
9.	केरल	1.47	109.73	11.39	5.92
10.	कर्नाटक	2.07	223.96	1.00	4.49
11.	मध्य प्रदेश	20.69	377.84	98.74	1.95
12.	महाराष्ट्र	1.00	350.79	14.72	2.00
13.	मणिपुर	—	23.08	—	1.00
14.	मेघालय	0.25	0.62	0.26	—
15.	नागालैंड	—	102.37	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—
17.	उड़ीसा	0.58	55.30	1.31	1.00
18.	पंजाब	1.74	29.44	20.27	0.60
19.	राजस्थान	15.27	264.77	35.69	1.00
20.	सिक्किम	—	0.74	—	—
21.	तमिलनाडु	4.00	263.32	5.16	9.60
22.	त्रिपुरा	2.96	45.44	9.42	0.80
23.	उत्तर प्रदेश	9.01	700.00	49.79	2.00

III

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राशि

(रु० लाख में)

लड़कियों के छत्रावास	लड़कों के छात्रावास	आश्रम विद्यालय	प्रशिक्षण और अनुसंधान**	स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान***
6	7	8	9	10
181.31	319.42	—	5.00	17.68
—	28.18	—	—	4.11
230.00	23.00	—	16.00	23.30
141.80	311.95	—	9.25	18.25
42.01	77.82	—	2.25	47.10
—	—	—	—	97.40
—	—	—	—	—
50.00	5.00	—	—	96.84
20.00	33.58	38.38	12.00	14.11
92.07	165.63	—	—	7.17
207.26	35.00	—	23.20	2.65
48.68	64.10	190.00	5.80	37.84
9.07	2.62	—	10.00	25.38
—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.31
6.13	6.13	—	—	—
62.43	25.98	20.00	2.60	4.22
1.00	1.50	—	—	—
40.22	7.58	—	5.00	—
8.56	8.56	—	—	—
44.60	48.02	—	11.54	5.53
8.96	19.90	8.00	—	0.96
51.35	75.82	—	5.00	

विवरण

1		2	3	4	5
24.	प० बंगाल	0.63	7.04	3.73	0.28
25.	गोवा	0.82	0.01	—	0.05
26.	चंडीगढ़	—	—	—	0.30
27.	दादरा हवेली	—	—	—	—
28.	दिल्ली	1.07	—	—	—
29.	पांडिचेरी	—	—	—	0.60
30.	दमन और दीव	—	—	—	—
31.	अंडमान निकोबार	—	—	—	0.15
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
	कुल	104.22	350.00	400.00	56.23

*विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को सीधे ही 32.72 लाख रु० प्रदान किए गए ।

III समाप्त

6	7	8	9	10
39.14	28.87	—	5.48	83.54
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
0.48	11.41	—	—	—
—	—	—	—	149.23
20.22	1.00	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	22.05	—	—	—
1046.77	1300.00	256.38	105.00	649.91

**5.11 लाख रु० अनुसंधान संस्थानों को सीधे ही प्रदान किए गए।

***स्वयंसेवी संगठनों को सीधे दिए गए सहायता अनुदान शामिल हैं।

विवरण-IV

अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आश्रम स्कूलों की संख्या तथा स्थान

क्रम सं०	राज्य	स्थान	1990-91 आश्रम स्कूलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	बतलाया नहीं गया	5
2.	गुजरात	—तदैव—	20
3.	कर्नाटक	1. मण्डया दक्षिण कन्नड़ जिला	2
		2. बरहुभगिरी, एच० डी० कोटी-मैसूर कोटी मैसूर जिला	5
4.	केरल	1. केरल, तिरूवन्तपुरम जिला	3
		2. नालोनगेन्डू जिला	
		3. वायनाड जिला	
5.	उड़ीसा	1. जगन्नाथपुर क्योनक्षार जिला	4
		2. मुरू स्वैन क्योनक्षार जिला	
		3. कानझीपानी क्योंनक्षार जिला	
		4. जारूपाली सुन्दरगढ़ जिला	
6.	सिक्किम	1. लेचोन उत्तरी सिक्किम	3
		2. लेचुंग उत्तरी सिक्किम	
		3. ही गयाथन्ग उत्तरी सिक्किम	
7.	तमिलनाडु	1. उत्तरी आरकोट जिला (3)	8
		2. दक्षिण आरकोट जिला (2)	
		3. सलेम जिला (2)	
		4. धरमपुरा जिला (1)	
8.	त्रिपुरा	1. दुबुरनगर ब्लाक	4
		2. धावमानु ब्लाक	
		3. बाजीर्फा	
		4. गंगानगर ब्लाक	
9.	उत्तर प्रदेश	बिलानुरसुवा खीरी	1
			50

विवरण–IV–समाप्त

1	2	3	4
			1991–92
1.	महाराष्ट्र	38	स्थान उपलब्ध नहीं
2.	उड़ीसा	2	—तदैव—
3.	केरल	3	—तदैव—
4.	त्रिपुरा	1	—तदैव—
	कुल	44	

विवरण–V

अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या और स्थान

1. आदिवासी सांस्कृतिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, आन्ध्र प्रदेश सरकार तेलुगु समक्षमा भवन, तीसरी मंजिल, मसवा टैंक, हैदराबाद ।
2. असम आदिवासी और अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, असम सरकार, जवाहरनगर 111137 गुवाहाटी–22।
3. आदिवासी कल्याण अनुसंधान संस्थान बिहार सरकार, मरबाड़ रोड़, रांची ।
4. आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।
5. केरल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान प्रशिक्षण और विकास अध्ययन संस्थान, केरल सरकार, कोजीकोड ।
6. मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान और विकास संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार 35, शिमला हिल्स, भोपाल ।
7. आदिवासी और हरिजन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।
8. आदिवासी अनुसंधान संस्थान, महाराष्ट्र सरकार, 28 क्वीन्स रोड, पुणे ।
9. आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
10. आदिवासी अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, उथगामंडलम तमिलनाडु ।
11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अनुसंधान ए 2–12–डी, विशाल खंड–2, गोमती नगर, लखनऊ-226001 ।
12. सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, -/4, सी० आई० टी० स्कीम वी० आई० एम० वी० आई० रोड, मुंशीपटोला, कलकत्ता ।
13. आदिवासी अनुसंधान, संस्थान मणिपुर, इम्फाल ।

9—99 LSS/93

विवरण–VI

कोचिंग और सम्बद्ध योजना

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधे चलाए जा रहे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उस विश्वविद्यालय का नाम जहां पर चल रहा है	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र का नाम और डाक पता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	नागार्जुन स्टडी सर्किल, नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर
2.		उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र वासवी इंजीनियरी कालेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।
3.	गुजरात	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हरिवल्लभदास कालीदास केन्द्र, गुजरात विश्वविद्यालय पुस्तकालय के सामने अहमदाबाद ।
4.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, सतत शिक्षा और विस्तार कार्य केन्द्र, जम्मू विश्वविद्यालय, केनाल रोड, जम्मू तवी ।
5.	कर्नाटक	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	बैंकिंग सेवा परीक्षा के लिए कोचिंग, एम० सी० सेनटेनरी हाल, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।
6.		कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ ।

7.		अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
8.		विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग केन्द्र, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
9.		देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग केन्द्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
10.	महाराष्ट्र	मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग केन्द्र, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद।
11.		शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोचिंग के लिए केन्द्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर कोल्हापुर ।
12.		नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, विश्वविद्यालय की मुख्य पुस्तकालय भवन, अमरावती रोड, नागपुर ।
13.	पंजाब	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर	अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए अखिल भारतीय सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर ।
14.		पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	आंचलिक भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, आर्टस ब्लाक, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ।

विवरण-VI-जारी

1	2	3	4
15.	राजस्थान	सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
16.	उत्तर प्रदेश	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	इंजीनियरिंग कालेज के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण केन्द्र (इंजी० सेवा परीक्षा) इलाहाबाद ।
17.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद	अखिल भारतीय अनु० जाति/अनु० जनजाति सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, पंत होस्टल, चौथम लाइन्स, इलाहाबाद-2 ।
18.		गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढवाल, श्रीनगर	अनु० जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अखिल भारतीय सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर ।
19.		आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	प्रतियोगिता परीक्षा, अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए कोचिंग केन्द्र, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।
20.	दिल्ली		एस० एन० दास गुप्ता कालेज, 25 बी, पूसा रोड नई दिल्ली ।
21.			राव का आई० ए० एस० स्टडी सर्कल (प्रा०) लि०, 10/44, दकनीश्वर, हैले रोड, नई दिल्ली ।
22.		सच्चदेवा न्यू पी० टी० कालेज	सच्चदेवा न्यू पी० टी० कालेज, नई दिल्ली ।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से चलाए जा रहे केन्द्र

23.	आंध्र प्रदेश		आंध्र प्रदेश स्टडी सर्किल, शान्ती नगर, हैदराबाद ।
24.		आदिवासी सांस्कृतिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंजारा हिल्स, हैदराबाद	अनु० जाति/ अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, आदिवासी संस्कृति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंजारा हिल्स रोड़, हैदराबाद ।
25.			श्रीकृष्ण देवराया, शैक्षिक विकास संस्थान, अनंतपुर ।
26.	असम	असम प्रशासनिक स्टाफ कालेज (सी०टी० आई०) गुवाहाटी	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, असम प्रशासनिक स्टाफ कालेज (सी० टी० आई०) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जवाहर नगर, पो० आ० खानापारा, गुवाहाटी–22।
27.	बिहार	बिहार आदिवासी कल्याण अनुसंधान संस्थान, रांची	अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार आदिवासी कल्याण अनुसंधान संस्थान, मोराबादी रोड़, रांची, पाकुर लोहरडगा, सेमडेगा रकुंती, गुमला, लाटेहार में 9 केन्द्र ।
28.	—	—	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, पटना विश्वविद्यालय, पटना ।
29.	—	—	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा विश्वविद्यालय, दरभंगा ।

विवरण-VI-जारी

1	2	3	4
30.	—	—	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केद्र,, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर ।
31.	दिल्ली		अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (दिवस पारी) डी–61/32 रामजस रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली ।
32.	गुजरात		अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बंगला सं० 70, मणिकबाग सोसायटी, अम्बरवाड़ी, अहमदाबाद ।
33.			अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, तीसरी मंजिल, मल्टी परपज बिल्डिंग, सूरत ।
34.			अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, दूसरी मंजिल, नर्मदा भवन, नजदीक कोठी, बड़ौदा ।
35.			अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, गांधी नगर ।
36.			अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, राजकोट ।
37.	हरियाणा		अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय पॉलिटेक्निक्स पटियाला हाउस, नजदीक मिशन हस्पताल, अम्बाला शहर, अम्बाला ।

38.			अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक ।
39.			अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, भिवानी ।
40.			अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, करनाल ।
41.			अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार ।
42.			प० पू० प्र० केन्द्र, रेवाड़ी ।
43.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा और सम्बद्ध सेवाओं के लिए हि० प्र० परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, हि० प्र० लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान, शिमला ।
44.	कर्नाटक		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संपांगीरमन नगर बंगलूर—27 ।
45.			इंदिरा नगर बैंगलूर ।
46.			परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नु० 30/1, हैलियन रोड़, धारवाड़ ।
47.			प० पू० प्र० के०, मकान न० 1–1559 वेंकटेशनगर, गुलबर्गा ।
48.			प० पू० प्र० के०, मैसूर ।

विवरण-VI-जारी

1	2	3	4
49.	केरल		प्र० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, एरणाकुलम, टावर हाऊस महात्मा गांधी रोड़, कोचीन ।
50.			अ० जा०/अनु० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, टी० सी० 15/1807, वलनाला नर्सिंग होम के निकट वजूथाकोड त्रिवेन्द्रम—14 ।
51.			अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के० कोझीकोड (कालीकट) ।
52.	•		अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के०, त्रिवेन्द्रम ।
53.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान और विकास संस्थान, भोपाल	अ० जा०/अ० ज० जा० के परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, आदिवासी अनुसंधान और विकास संस्थान भोपाल, 35 शामला हिल्स रोड़, भोपाल। ।
54.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए अखिल भारतीय सेवा पू० प्र० के०, रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ।
55.			अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के०, इंदौर ।
56.			अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के०, ग्वालियर ।

1	2	3	4
57.			अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के०, सागर ।
58.			अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के०, जबलपुर ।
59.			अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के०, बिलासपुर ।
60.	महाराष्ट्र	पूना विश्वविद्यालय	अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के०, के पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
61.	मणिपुर		अ० जा०/अ० ज० जा० के प० पू० प्र० के०, आदिम जाति शिक्षा आश्रम परिसर, इम्फाल ।
62.	मेघालय	नार्थ ईस्ट हिल, विश्वविद्यालय शिलांग	अ० जा०/अ० ज० जा० अखिल भारतीय प० पू० प्र० के०, नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, बिजली काम्पलैक्स, लेयमखार, शिलांग—3 ।
63.	नागालैंड		बैंकिंग सेवाओं हेतु अ० ज० आ० के लिए प० पू० प्र० के०, राज्य प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, नागालैंड, कोहिमा ।
64.	उड़ीसा		अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए परीक्षा पूर्व प्रशि० केन्द्र, राजकीय कालेज, फूलबनी ।
65.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के० राजकीय कालेज, भवानीपाटन ।

1	2	3	4
66.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए परीक्षापूर्व केन्द्र, रायगढ़ कालेज, रायगढ़, ।
67.			अनु० जा०/अ० ज० जा० के लिए परीक्षा पूर्व केन्द्र, राजकीय कालेज, सुन्दरगढ़ ।
68.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए गजुपुर कालेज, गुनुपुर ।
69.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, प्राइवेट कालेज, नीलगिरी ।
70			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए धानरानीधार कालेज, क्योंझर ।
71.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के० रविन्दा कालेज, कटक ।
72.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय; भुवनेश्वर ।
73.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, मध्य प्रदेश कालेज; बारीपाड़ा ।
74.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए श्री कृष्ण चन्द्र गजपति कालेज, पारलखेमुंडे ।
75.			अ० जा० /अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, यूनिवर्सिटी कालेज, बरहामपुर यूनिवर्सिटी, बरहामपुर ।

1	2	3	4
76.			अ० जा०/प्र० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, डी०ए०वी० कालेज, कोरापुट ।
77			नौगाँव गवर्नमेंट हाई स्कूल, फुलबनी ।
78.			अ० ज०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, भुवनेश्वर ।
79.	राजस्थान	राजस्थान विश्वविद्यालय	अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के० झालना, डूंगरावरोड़, जयपुर, राजस्थान ।
80.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के० समाज कल्याण विभाग, सरदार मेडिकल कालेज के पीछे, बीकानेर ।
81.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, समाज कल्याण विभाग, जोधपुर ।
82.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, समाज कल्याण विभाग, बिहारी निकेतन, गोधंन पुरा, चौक, कोटा ।
83.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर ।
84.	तमिलनाडू		अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, माउंट रोड़, पश्चिमी सी० आई० टी० नगर, मद्रास—35 ।

1	2	3	4
85.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, सी-234, निरालानगर, लखनऊ।
86.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, महर्षि बाल्मीकी मार्ग, मम्फ़ोर्डगंज, इलाहाबाद।
87.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, न्यायिक सेवार्थ, इलाहाबाद।
88.			प० पू० प्र० के० बरेली (केवल महिलाओं के लिए)।
89.			प० पू० प्र० के०, गोरखपुर।
90			प० पू० प्र० के०, मेरठ।
91.			प० पू० प्र० के०, वाराणसी।
92.			प० पू० प्र० के०, झांसी।
93.	पश्चिम बंगाल		अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए पश्चिम बंगाल, सिविल सेवाएं, मौलाना आजाद कालेज, रफ़ी अहमद किदवई रोड, कलकत्ता।
94.			सूफी कार्माशियल कालेज, कलकत्ता।
95.			अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, ए० सी० कॉलेज ऑफ़ कामर्स जलपाईगुड़ी।
96.			प० पू० प्र० के० साल्ट लेक, कलकत्ता।

1	2	3	4
97.			इंस्टिट्यूट ऑफ माडर्न। मैनेजमेंट, 3 लोडन स्ट्रीट, कलकत्ता ।
98.	त्रिपुरा		अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, त्रिपुरा लोक सेवा, परीक्षा भवन, अगरतल्ला ।
99.	पंजाब		आवासीय शिक्षण संस्थान, कल्याण विभाग, दारा स्टूडियो, चरण 6 एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब ।
100.	पांडिचेरी		अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, पांडिचेरी ।
101.	गोवा		अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए प० पू० प्र० के०, गवर्नमेंट पालिटेक्निक, पणजी ।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस का भण्डार

8571. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे स्थानों का पता लगाया है जहां तेल और प्राकृतिक गैस का प्रचुर भण्डार होने की सम्भावना है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है,; और

(ग) अन्वेषण कार्य के कब तक आरंभ किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण करने के पश्चात तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने जाबेरा में (जिला दामोह) एक अन्वेषण कूप का वेधन और परिक्षण किया था हाइड्रोकार्बनों के वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य कोई मात्रा प्राप्त नहीं हुई थी। तेहकी (जिला शहदोल) में अन्य स्थान को वेधन के लिए निर्दिष्ट किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और जर्मनी की कम्पनियों के बीच विवाद

8572. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और जर्मनी की कुछ कम्पनियों के बीच चल रहे विवाद की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विवाद को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाने का विचार हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां। बोन में हमारे राजदूतावास को एक जर्मन कम्पनी "मैसर्स" जेरहत एण्ड बच गम्ब एण्ड कम्पनी के० जी० से मैसर्स हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास सहयोग, शिमला के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस शिकायत की पूरी जांच करवाई है तथा जर्मन कम्पनी को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करा दिया है ।

बम्बई का नाम बदलकर "मुम्बई" रखना

8573. **श्री मोहन रावले श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी सहित प्राय: सभी राष्ट्रीय भाषाओं में भारतीय संविधान और केन्द्रीय अधिनियमों के सरकारी अनुवादों में बम्बई के लिए "मुम्बई" के नाम का प्रयोग किया गया है :

(ख) क्या यूनेस्को ने 1981 में प्रकाशित अपने "क्लाइमेटिक एटलस आफ एशिया" में रोमन लिपि में मुम्बई नाम का प्रयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अंग्रेजी की रोमन लिपि में बम्बई के लिए "मुम्बई" नाम को संवैधानिक तौर पर बदलने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम०जैकब) (क) संविधान के हिन्दी रूपान्तर में दिए गए "मुम्बई" शब्द का प्रयोग स्थानीय विधायनों में किया गया है, जो, संविधान की अनुसुची–I तथा IX में उल्लिखित है। हम बम्बई से संबंधित किसी ऐसे केन्द्रीय विधायन से अवगत नहीं हैं जहां "मुम्बई" नाम का प्रयोग किया गया हो ।

(ख) यूनेस्को द्वारा 1981 में प्रकाशित "दी क्लाइमेटिक एटसल आफ एशिया" में "मुम्बई" नाम का प्रयोग किया गया है, परन्तु विभाग को इस प्रकार के नाम का प्रयोग करने के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं है । तथापि, मामले को विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यू एम ओ) तथा यूनेस्को के साथ उठाया गया है और विश्व मौसम संगठन से पता चला है कि इन अक्षरों का आधार मुख्य भूगणित तथा मान–चित्रकारी निदेशालय, यू० एस० एस० आर० द्वारा प्रकाशित 1967 का सरकारी प्रकाशन था । यूनेस्को में हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से यूनेस्को से इस बारे में सुधा–रात्मक कदम उठने के लिए अनुरोध किया गया था ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भूमि में अप्राप्य जल को प्राप्त करने के लिए सौर उर्जा

8575. **श्री जॉर्ज फर्नान्डीज** : क्या कृषि मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में फल्टन में निम्भार कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा के उपयोग से भूमि में अप्राप्य जल को प्राप्त करने तथा इसे पौधों तक पहुंचाने के एक नवीन तरीके की खोज की है जैसाकि 11 फरवरी, 1992 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रणाली विज्ञान में मिट्टी में गड्ढा खोद कर उसे प्लास्टिक या ग्लास स्टील से ढंकना भी शामिल है । सौर ऊर्जा से मिट्टी गर्म होती है और मिट्टी में स्थित जल वाष्पित होकर ग्लास स्टील की भीतरी भित्ति पर संग्रहित हो जाता है । इस जल को एक बोतल में एकत्रित कर लिया जाता है और इस जल से पौधों को सींचा जाता है ।

(हिन्दी)

सब्जियों और फलों के विक्रय केन्द्रों के लिए स्थान

3576. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जियों और फलों के विक्रय केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा कोई अध्ययन कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किया गया है और यह अध्ययन कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन)

(क) और (ख) : जी, हां । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड फलों और सब्जियों के विपणन हेतु मांग और आपूर्ति के एक ग्रिड के रूप में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को 6 बड़े शहरी केन्द्रों अर्थात अहमदाबाद, कलकत्ता, कोचिन, हैदराबाद, लखनऊ और मद्रास से जोड़ने वाली समन्वित परियोजना की स्थापना करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है इन शहरों को अध्ययन के उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि बाजारों और सवण क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है । फल और सब्जियों के विपणन हेतु ऐसे केन्द्रों की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय अभिज्ञात स्थानों पर केन्द्रों की व्यवहारिकता के बारे में परामर्शदाताओं की सिफारिशों पर निर्भर करेगा । जून, 1993 तक अध्ययन को पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ग) जी, हां । अध्ययन पर आने वाले पूरे खर्च को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है ।

(घ) 2,83,293 अमेरिकी डालर जमा 8.25 लाख रुपये ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का अध्ययन

8577. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए उस अध्ययन की जांच की है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि देश के खाद्य आधार का विस्तार करने तथा कृषि की अति अनिश्चय की स्थिति जैसे धान्य उत्पादकता में कमी को दूर करने हेतु कुछ नीतिगत उपायों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इसके साथ-साथ कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपणन के क्रय संबंधी निवेशों के बदले "फार्म उत्पाद निवेशों" के उपयोग को बढ़ाने के माध्यम से आनुवंशिक अभियांत्रिकी, सम्मिलित डी एन ए प्रौद्योगिकी, टिशु कल्चर, प्रोटो प्लास्ट कल्चर तथा संसाधन प्रबंध जैसे माडर्न टूल्स के उपयोग का भी सुझाव दिया गया है।

(ग) मंत्रालय इन विचारों का समर्थन करता है।

आम और अन्नानास का उत्पादन

8578. श्री पी० सी० चाको : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में आम और अन्नानास का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या इन फलों का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान देश-वार इन फलों का कितना निर्यात किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इनका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) :

(क) मोटे अनुमान के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित आम और अन्नानास की राज्यवार मात्रा विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1991–92 के दौरान निर्यात की गई आम और अन्नानास की मात्रा के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) (1) केन्द्र सरकार ने 1990–91 और 1991–92 के दौरान कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, महाराष्ट्र को अलफॉन्सो आम के बहुलीकरण के लिए सहायता दी है।

(2) पुराने बागानों, जिसमें आम भी शामिल है, के पुनरूद्धार के लिए सहायता दी गई है।

(3) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 1989–90 से जनजातीय क्षेत्रों में झूम खेती को समाप्त करके अन्नानास की खेती के लिए नागालैंड को सहायता दी है।

(4) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 1989–90 से मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के जनजातीय क्षेत्रों में उच्च सघनता वाले अनन्नास की खेती के लिए भी सहायता दी है।

इसके अलावा, राज्य सरकारें क्वालिटी पौध रोपण सामग्री का वितरण करके तथा उत्पादकों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रसार करके भी सहायता दे रही है।

विवरण—I

आम और अनन्नास का उत्पादन

आम का उत्पादन

क्षेत्र हैक्टेयर में
उत्पादन मीटरी टन में

क्रमांक	राज्य का नाम	1986–87		1987–88		1988–89	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	157320	1887880	164705	1976460	178946	2147352
2.	बिहार	143600	1436000	149110	1391010	144204	1542040
3.	गोवा	3200	25000	3285	29500	3359	30166
4.	गुजरात	30000	300000	30500	305000	31000	310000
5.	हरियाणा	6665	23325	6876	38368	7204	40212
6.	कर्नाटक	59164	567974	61471	590122	63597	604171
7.	केरल	61999	200561	67532	226105	67532	226105
8.	मध्य प्रदेश	21032	189288	20886	—	21579	194000
9.	महाराष्ट्र	13997	90000	13997	90000	35400	145140
10.	मणिपुर	100	400	100	400	1380	1400

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	उड़ीसा	89253	821127	90500	850680	92198	875881
12.	मिज़ोरम	109	307	123	399	78	599
13.	पंजाब	9345	58400	9896	61852	10537	65858
14.	राजस्थान	7689	49440	7689	49440	7689	49440
15.	सिक्किम	20	20	30	30	50	50
16.	तमिलनाडु	40800	398000	44748	136180	44748	136180
17.	त्रिपुरा	4830	42800	4869	44800	4892	45700
18.	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	221842	833691	222652	1114361	237790	1362657
19.	उत्तर प्रदेश (पहाड़ी)	16749	60000	17449	46000	17666	44690
20.	पश्चिम बंगाल	55800	230000	54126	395119	54400	375000

विवरण—II

आम और अनन्नास का उत्पादन

अनन्नास का उत्पादन

क्षेत्र हैक्टेयर में
उत्पादन टन में

क्रमांक	राज्य का नाम	1986–87		1987–88		1988–89	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	1137	5917	1137	5917	1511	6962
2.	असम	4600	43000	4890	48900	10030	149135
3.	बिहार	1991	19000	2080	31200	2492	49920
4.	कर्नाटक	3276	114660	3403	119105	4000	140000
5.	केरल	4425	54927	4097	50639	4097	50639
6.	मणिपुर	6600	82200	6600	82200	5600	42000
7.	मेघालय	7246	60580	7917	61044	8560	68500
8.	मिजोरम	400	5200	520	6000	842	10639
9.	नागालैण्ड	721	1697	870	2030	765	1760
10.	उड़ीसा	158	1896	220	2260	220	2260
11.	तमिलनाडु	850	17000	783	32332	783	32332
12.	त्रिपुरा	2990	19700	3170	21700	3269	24500
13.	पश्चिम बंगाल	9200	230000	9563	177412	9600	239000
14.	गोवा	440	6600	440	6600	440	6600

जम्मू और कश्मीर में अपहरण के मामले

8579. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1992 के दौरान जम्मू और कश्मीर में अपहरण के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए; और

(ग) वर्ष 1992 में अब तक राज्य में कितने असैनिक मारे गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब)

(क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(I) मार्च, 1992 में सूचित अपहृतों की संख्या—37

(II) मार्च, 1992 में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या—130

(III) 1992 में (15 अप्रैल, 1992 तक)

आतंकवादीयों हिंसा में मारे गए नागरिकों (असैनिक) की संख्या—163

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

8580. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में क्या कदम उठाए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान तिलहनों के उत्पादन में क्या उपलब्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 19 राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

(ख) बीज, बीज मिनीकट, पौध संरक्षण रसायनों और उपस्करों, उन्नत फार्म उपकरणों का उत्पादन व वितरण करने, जिप्सम और पाइराइटस का वितरण करने, छिड़काव

यंत्रों का वितरण करने "फटलाइन" और सामान्य प्रदर्शन करने के लिये वित्तीय सहायता दी गई।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में तिलहनों का बढ़ा हुआ उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1989—90	18.46
1990—91	23.55
1991—92	28.00 (प्रारंभिक अनुमान)

पान विकास बोर्ड

8581. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पान विकास बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोको, सुपारी तथा मसाला विकास की योजनाओं संबंधी कार्य करने के लिए एक अलग निदेशालय है। पान के क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता और इसके विकास की क्षमता को देखते हुए इस जिंस के लिये एक अलग बोर्ड बनाने की कोई व्यवहार्यता नहीं है।

मथुरा तेल शोधक कारखाना

8582. श्री सत्य देव सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उक्त तेल शोधक कारखाना अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहा है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)

(क) 7.5 मि० ट० प्रति वर्ष ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विकलांगों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता

8583. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से 1992–93 के दौरान विकलांगों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) राज्य के उक्त उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री

(श्री सीता राम केसरी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(अनुवाद)

सिक्किम में तेल और प्राकृतिक गैस

8584. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिक्किम में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य ग्रहण केन्द्र

8585. श्री ग्रोस्कार फर्नान्डीज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हेतु न्यू मैंगलौर पोर्ट पर मत्स्य ग्रहण केन्द्र के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग)

प्रश्न नहीं उठते ।

विकलांगों को प्रमाण-पत्र जारी करना

8586. डा० सी० सिलवेरा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कुछ एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री

(श्री सीता राम केसरी) :

(क) जी, हां ।

(ख) कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 4-2/83-एच० डब्ल्यू०-3, दिनांक 6-8-86 के अनुसार जिला स्तर पर प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी एक चिकित्सा बोर्ड होगा। इस बोर्ड में जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मंडलीय चिकित्सा अधिकारी तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र का एक और विशेषज्ञ अर्थात दृष्टि विकलांगताओं के मामले में नेत्र शल्य चिकित्सक, वाणी तथा श्रवण विकलांगताओं के मामले में या तो एक आंख, नाक, गला, शल्य चिकित्सक या श्रवण विज्ञानी लोकोमोटर विकलांगताओं के मामले में एक अस्थि एवं पुनर्वास शल्य चिकित्सक या कार्य चिकित्सक का एक विशेषज्ञ मानसिक विकलांगताओं के मामले में एक मनोचिकित्सक अथवा एक क्लिनिकल मनोविज्ञानी या विशेष शिक्षा का एक शिक्षक होंगे ।

12—99LSS 93

तथापि, कुछ विभागों/मंत्रालयों ने उनके द्वारा प्रदान की गई विभिन्न रियायतों/सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु विकलांगता के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने की हकदार एजेंसियों का निर्धारण किया है जो इस प्रकार है।

क्रम सं०	रियायत/सुविधा	पात्र व्यक्ति आदि	प्राधिकारी जिस पर रियायत अनुमत्य होगी
1.	रेलवे		
	रेल यात्रा	दृष्टिहीन व्यक्ति एक सहायक के साथ	1. एक पंजीकृत चिकित्सक 2. कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दृष्टि विकलांग संस्थानों अथवा संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के प्रधान । 3. एक सरकारी चिकित्सक
		मूक तथा बधिर व्यक्ति	एक सरकारी चिकित्सक
		मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति	एक सरकारी चिकित्सक
		अस्थि विकलांग व्यक्ति	एक सरकारी चिकित्सक/अस्पताल
2.	इण्डियन एयरलाइन्स		
	वायुयान द्वारा यात्रा	दृष्टिहीन व्यक्ति	एक नेत्र अस्पताल अथवा एक चिकित्सक जो एम० बी० बी० एस० से कम न हो अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नेत्रहीन संस्थान का प्रधान ।
3.	पैट्रोलियम मंत्रालय		
1.	तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिप/एजेंसियां प्रदान करना ।	अस्थि विकलांग तथा दृष्टिहीन व्यक्ति	सरकारी अस्पताल का सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा अधीक्षक ।

विश्व में जातीय कट्टरवाद की शुरूआत

8587. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए राष्ट्र मण्डल शासनाध्यक्षों के हरारे सम्मेलन में विश्व में जातीय कट्टरवाद की शुरुआत, विशेषकर पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम के सन्दर्भ में चिन्ता जाहिर की गई थी और सभी व्यावहारिक कदम उठाने का आह्वान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई बातचीत का स्पष्ट निष्कर्ष क्या निकला; और

(ग) उसके अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लंदन स्थित संगठन "नागा विजिल"

8588. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लंदन स्थित संगठन "नागा विजिल" के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर नागालैंड में प्रच्छन्न गतिविधियों में लिप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) "नागा विजिल" नामक संगठन डेविड वार्ड तथा स्टीफन हिलमन द्वारा उस समय गठित किया गया जब वे वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन की वेलिंगवरो जेल में थे । यह एक छोटा सा ग्रुप है, जिसमें मुख्य रूप से वे भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं, जिन्होंने भारत में सेवा की है । उन्होंने वेलिंगवरों जेल में अगस्त, 1991 में तीन लाभप्रद गोष्ठियों का आयोजन किया ।

(ग) डेविड वार्ड तथा स्टीफन हिलमन एक पर्यटक वीसा पर भारत में आए और नागालैंड यात्रा के लिए (आवश्यक) प्रतिबंधित क्षेत्र अनुज्ञापन/आन्तरिक सीमा रेखा अनुज्ञा पत्र / आन्तरिक सीमा रेखा अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए बिना अनधिकृत रूप से नागालैंड में प्रविष्ट हुए । उन्होंने नागालैंड में विभिन्न स्थानों पर अनेकों बैठकें आयोजित की और "नागा" लोगों को भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने के लिए कहा ।

(घ) दोनों विदेशियों को नागालैंड से दिनांक 30 जनवरी, 1992 को गिरफ्तार कर लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया । उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और जांच का काम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया ।

नीलम समुद्री तेल क्षेत्र को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपना

8589. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूसरे बड़े समुद्री तेल क्षेत्र-"नीलम" को विकास तथा उत्पादन हेतु बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) और (ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड से कार्यादेश वापस लिया जाना ।

8590. डा० देवी प्रसाद पाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री : यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गेस आयोग ने बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड से तत्पर प्लेटफार्म निर्माण कार्य संबंधी अपना लगभग 50 करोड़ रुपये का कार्यादेश वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कार्यादेश की वापसी के परिणामस्वरुप उक्त कम्पनी के मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को निर्णय की पुनरीक्षा करने हेतु निर्देश देने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (घ) कूप प्लेटफार्मों के दो स्थाई डेकों के लिए मैसर्स बी एस सी एल को दिए गए सशर्त आशय पत्र को ओ० एन० जी० सी० द्वारा निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि अधिकतम मूल्य के संबंध में कोई सहमति नहीं हो पाई थी और कार्य समापन पर भी अनिश्चितता बनी हुई थी । सरकार ने मैसर्स बी एस सी एल को ठेका दिये जाने की संभावना की जांच करने के लिए ओ० एन० जी० सी० को सलाह दी है ।

भारत में मानवाधिकार स्थिति पर अमरीकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट

8591. श्री कमल मिश्र मधुकर :
श्री प्रकाश वी० पाटील :
} क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1992 के "बिजनेस एण्ड पालिटिकल आब्जर्वर" में भारत में मानवाधिकार स्थिति पर अमरीकी विदेश विभाग की रिपोर्ट के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उसमें लगाये गये आरोपों का खंडन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) :

(क) जी, हां ।

(ख) हमारे संविधान में हमारे सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की पूर्व गारंटी दी गई है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारा स्वतंत्र प्रेस और जनमत मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन के प्रति सदैव सजग रहते हैं ।

(ग) सरकार ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट के बारे में सम्बद्ध प्राधिकारियों को समुचित रूप से समझा दिया है तथा इन आरोपों का प्रतिकार करने के लिए उसने राजनयिक तथा प्रचार के स्तरों पर कदम उठाए हैं ।

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण

8592. **श्री मोहन सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहीत निर्मित सम्पत्ति में से केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की सम्पत्ति के अधिग्रहण के 15 वर्ष की अवधि से पहले अथवा पश्चात कोई सम्पत्ति मुक्त करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार मालिकों, विशेषकर निराश्रय एवं असहाय व्यक्तियों की कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित ऐसी सम्पत्तियों को अधिग्रहण मुक्त एवं खाली करने हेतु निदेश जारी करेगी;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार का विचार उन निराश्रित और असहाय मालिकों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए क्या वैकल्पिक उपचारात्मक उपाय करने का है, जिनकी सम्पत्तियां कई सालों से अधिग्रहण में पड़ी हैं ?

(हिन्दी)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वैष्णों देवी की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री

8593. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान वैष्णों देवी मन्दिर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनसे चढ़ावे के रूप में मन्दिर को कुल कितनी धन–राशि प्राप्त हुई; और

(ग) यात्रियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा मन्दिर के रख–रखाव पर कुल कितनी धन–राशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)

(क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित सूचना भेजी है।

31,15,447 (इकतीस लाख पन्द्रह हजार चार सौ सैंतालीस) तीर्थयात्री कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान वैष्णो देवी मन्दिर गए।

कुल 7,76,50,400 रु० (सात करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार चार सौ रुपये) की राशि वर्ष 1991 में चढ़ौती एवं दान के रूप में तथा 3,12,25,200 रु० (तीन करोड़, बारह लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये) की राशि विविध स्रोतों से आय के रूप में बोर्ड को प्राप्त हुई। वर्ष 1991 में समग्र आय 10,88,75,600 रु० (दस करोड़, अठासी लाख पिछत्तर हजार छ: सौ रुपये) थी।

कुल 6,42,95,465 रु० (छ: करोड़, बयालीस लाख पिचानवे हजार चार सौ पैंसठ रुपये) की राशि वैष्णों देवी की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को नई सुविधाएं प्रदान करने तथा उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि के लिए खर्च की गई। इन सुविधाओं में तीर्थयात्रियों के लिए आवास, मन्दिर का रख–रखाव तथा तीर्थ यात्रा में सुधार से संबंधित अन्य सेवा उद्भूत कार्य शामिल हैं।

सऊदी अरब द्वारा भारतीय नर्सों की भर्ती

(अनुवाद)

8594. श्री ए० चार्ल्स
श्री पी० सी० थामस } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सऊदी अरब तथा कुछ अन्य देशों द्वारा भारतीय नर्सों की भर्ती पर प्रतिबन्ध अथवा अवरोध अथवा स्थगन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला सऊदी अरब के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय नर्सों की भर्ती के लिए किसी अन्य देश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) सऊदी अरब में कितनी भारतीय नर्सें कार्यरत हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) : 1 जनवरी, 1991 के बाद से इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला है ।

(छ) अनुमान है कि इस समय सऊदी अरब में करीब 10 हजार भारतीय नर्से काम कर रही हैं ।

(हिन्दी)

शहर के नाम में परिवर्तन

8595. श्री यशवंत राव पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी शहर का नाम सरकारी तौर पर बदलने के लिये क्या प्रक्रिया और मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) शहरों के नाम बदलने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और उन शहरों के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाई की गयी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) 1953 में निर्धारित दिशा-निर्देश में अनेक विस्तृत सिद्धान्त हैं, इन सिद्धान्तों को राज्य सरकारों को गांवों, कस्बों, शहरों इत्यादि के नामों को बदलने के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखना होता है। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि जब तक कोई विशेष कारण न हो, किसी नाम, जिसका प्रयोग करते हुए लोग आदी हो गए हैं, को बदलना वांछनीय नहीं है, वह कि स्थानीय देश भक्ति के आधार पर या भाषायी कारणों या केवल क्षेतीय भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए नाम न बदला जाये ।

(ख) 1-1-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के दौरान किसी भी राज्य सरकार से किसी भी शहर के नाम को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(अनुवाद)

भारत में पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन

8596. श्री एम० डेनिस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन आयोजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र के लिए वार्षिक अंशदान

8597. श्री के० तुलसिऐया वान्डायार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशी मुद्रा में संयुक्त राष्ट्र के लिए अंशदान देता है, यदि हां, तो भारत संयुक्त राष्ट्र को प्रतिवर्ष कितना अंशदान देता है;

(ख) क्या कुछ देशो में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अपने देश के कर्मचारियों को अमरीकी डालर में वेतन का भुगतान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे भारत में कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) संयुक्त राष्ट्र को भारत का अंशदान अमरीकी डालर और भारतीय रुपये दोनों में दिया जाता है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत का अंशदान 3,535,329 अमरीकी डालर था। इसमें से 200,000 डालर, जो 43,50,300 रु० के बराबर है, की अदायगी रुपयों में की गयी थी।

(ख) सिद्धान्त रूप से संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने स्थानीय कर्मचारियों को भुगतान स्थानीय मुद्रा में करता है। तथापि कुछ विशिष्ट मामलों में संबंधित राष्ट्रीय कानूनों और स्थानीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे भुगतान अमरीकी डालर में अथवा अन्य मुद्राओं में भी किए जाते रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र को भारत द्वारा रुपये में दिए गए अंशदान का उपयोग संयुक्त राष्ट्र भारत में अपने स्थानीय व्यय पर खर्च करता है। इसमें स्थानीय कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी शामिल है। अतः संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थानीय कर्मचारियों को अमरीकी डालर में वेतन के भुगतान से भारत को विदेशी मुद्रा की कोई बचत नहीं होगी।

माइक्रो-वाटरशेड्स

8598. श्री पृथ्वीराज डॉ० चव्हाण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कई जिलों में माइक्रो-वाटर शेड्स विकसित करने हेतु एक अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कौन-कौन से जिले चुने गए हैं; और

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) :

(क) और (ख) जी, हां । वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत देश में लगभग 357 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है । जिलों की राज्य—वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) इस स्कीम के दो उद्देश्य हैं :—पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना तथा स्थायी बायोमास उत्पादन कार्यक्रम घटकों में कृषि भूमि, अकृष्य भूमि तथा जल निकास नालियों का उपचार करना शामिल है, ताकि वार्षिक फसल, शुष्क भूमि बागवानी, कृषि वानिकी, चारागाह विकास, पारिवारिक उत्पादन प्रणाली तथा कुटीर उद्योग, पशुधन प्रबंध आदि सहित विविधिकृत उत्पादन प्रणालियों को समर्थन दिया जा सके ।

विवरण

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित जिलों की राज्य-वार संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत जिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	असम	22
3.	बिहार	35
4.	गुजरात	19
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	जम्मू और कश्मीर	6
8.	कर्नाटक	19
9.	केरल	14
10.	मध्य प्रदेश	44
11.	महाराष्ट्र	29
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	5
14.	नागालैण्ड	7
15.	उड़ीसा	13

13—99 LSS/93

1		2
16.	पंजाब	3
17.	राजस्थान	27
18.	तमिल नाडु	14
19.	त्रिपुरा	3
20.	उत्तर प्रदेश	31
21.	पश्चिम बंगाल	15
22.	सिक्किम	4
23.	गोवा	2
24.	अरूणाचल प्रदेश	4
25.	दादर और नगर हवेली	1
26.	दमन और दियू	2
27.	मिजोरम	3
	कुल :	357

खेसारी दाल का उत्पादन

8599. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :
डा० बी० राजेश्वरन :
श्री अंकुश राव टोपे :
} क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेसारी दाल का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने देश में खेसारी दाल की बिक्री पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या खेसारी दाल की पूरी मात्रा का विदेशों को निर्यात किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्लो रामाचन्द्रन) :

(क) वर्ष 1990–91 में देश में खेसारी दाल का कुल उत्पादन 5.19 लाख मीटरी टन था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) खेसारी दाल के उत्पादन और बिक्री पर रोक उठाने के मामले की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ परामर्श करते हुए विस्तारपूर्वक जांच की गई है और स्वास्थ्य के आधार पर इस रोक को उठाना वांछनीय नहीं पाया गया ।

(घ) जी, नहीं ।

(हिन्दी)

दक्षिणी राज्यों की भाषायें

8600. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कितने लोग अपनी क्षेत्रीय भाषायें बोलते हैं और इनका प्रतिशत कितना है; और

(ख) इन राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग कितने हैं तथा उनका प्रतिशत कितना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, केरल और कर्नाटक में क्रमश: तेलगु, तमिल, मलयालम और कन्नड बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत के आंकड़े जनगणना के आधार पर उपलब्ध नहीं हैं । तथापि 1981 की जनगणना के अनुसार इनमें से प्रत्येक राज्य में उन व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है जिनकी मातृभाषा (प्रत्येक के अधीन समूहबद्ध बोलियों/उप भाषाओं सहित) ये भाषाएं हैं । 1991 की जनगणना के आधार पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सारणीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत के आंकड़े जनगणना के आधार पर उपलब्ध नहीं है । तथापि 1981 की जनगणना के अनुसार हिन्दी (उसके अधीन समूहबद्ध बोलियों/उप भाषाओं सहित) और अंग्रेजी मातृभाषा वाले व्यक्तियों की संख्या उसी विवरण में दी गई है । 1991 की जनगणना के आधार पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सारणीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 1981 की जनगणना के अनुसार उन व्यक्तियों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत जिनकी मातृभाषा सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा है तथा इनमें से प्रत्येक राज्य में उन व्यक्तियों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत जिनकी मातृभाषा हिन्दी और अंग्रेजी है

राज्य का नाम	क्षेत्रीय भाषा का नाम	राज्य में उन व्यक्तियों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत जिनकी मातृभाषा (उसके अधीन समूहबद्ध बोलियों/उप भाषाओं सहित) कालम 2 में उल्लिखित भाषा है		राज्य में उन व्यक्तियों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत जिनकी मातृभाषा (उसके अधीन समूहबद्ध बोलियों/उप भाषाओं सहित) हिन्दी है		राज्य में उन व्यक्तियों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	तेलुगू	45,446,007	84.87	1,418,358	2.65	11,455	0.02
तमिलनाडु	तमिल	41,045,591	84.79	111,589	0.23	27,392	0.06
केरल	मलयालम	24,429,133	95.98	16,466	0.07	4,649	0.02
कर्नाटक	कन्नड	24,046,196	64.75	694,374	1.87	19,818	0.05

टिप्पणी:—तमिलनाडु के मातृभाषा सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि तमिलनाडु राज्य की "पी" सेम्पल परियोजना का रिकार्ड बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। इस राज्य के संबंध में दिए गए आंकड़े 1981 की जनगणना में परिवार अनुसूची के माध्यम से परिवार में मुख्य : बोली जाने वाली भाषा (प्रत्येक के अधीन समूहबद्ध बोलियों/उप भाषाओं सहित) के सम्बन्ध में एकत्रित जानकारी पर आधारित है।

कर्नाटक में "इंटिग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेंट प्रोजेक्ट"

8601. श्री बी० देवराय नायक
श्री शिवप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु "इंटिग्रेटिड वाटरशेड मेनेजमेंट प्रोजेक्ट—दि क्रेडिटेंस्ट फुर वाइडरएफन्स (के० एफ० डब्ल्यू०) जर्मन बैंक, पश्चिम जर्मनी" नामक कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां ।

के० एफ० डब्ल्यू (क्रेडिटेन्टल्ट फरवाइडेरोफन्स) जर्मन बैंक से वित्तीय सहायता के लिये समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना स्वीकृत कर दी गई है और इसे मूल्यांकन के लिये के० एफ० डब्ल्यू० को भेज दिया गया है ।

(हिन्दी)

रतनगढ़ में तेल शोधक कारखाना

8602. श्री राम सिंह कास्वा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के रतनगढ़ चरू जिले में एक तेल शोधक कारखाना लगाने का है, और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग

8603. श्री बाल हरि चौरे
श्री राजेश कुमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सहयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी के अनुसार ये दोनों देश एक दूसरे के साथ किन-किन क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं; और

(ग) इस प्रकार के सहयोग से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलोरो) :

(क) और (ख) सरकार को चीन और पाकिस्तान के बीच अनेक क्षेत्रों में, जिनमें संस्कृति और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और व्यापार तथा रक्षा शामिल हैं, व्यापक सहयोग होने की जानकारी है ।

(ग) चीन की सरकार के साथ अपनी चर्चा के दौरान सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को उसकी तर्क संगत रक्षा आवश्यकताओं से अधिक आधुनिक शस्त्रों और रक्षा प्रौद्योगिकी की आपूर्ति से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और यह दक्षिण एशिया में शान्ति और स्थायित्व बनाए रखने के अनुकूल नहीं है । सरकार ऐसी सभी गतिविधियों की निरन्तर समीक्षा करती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो ।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन और खपत

8604. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार प्राकृतिक गैस के उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है,

(ख) इस अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर कितना खर्च किया गया, और

(ग) गैस से वर्षवार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (ग) वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के लिए विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (एम० एम० एस० सी० एम०)	उपयोग (एम० एम० एस० सी० एम०)	गैस के उत्पादन के लिए आवंटित किया गया व्यय करोड़ रुपए	राजस्व करोड़ रुपए
1	2	3	4	5
1988–89	13214	9340	1062.55	1173.45
1989–90	16989	11256	1286.47	1459.43
1990–91	17998	12836.62	1700.45	1678.34

(हिन्दी)

पिछड़ी जाति वित्त तथा विकास निगम द्वारा ऋण देना

8505. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़ी जाति वित्त तथा विकास निगम को पिछड़ी जातियों से संबंधित व्यक्तियों से ऋण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं,

(ख) उन पर क्या कारंवाई की गई है, और

(ग) इन्हें कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क) पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों से अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तथा विदेशी नागरिकता

8606. श्री सुरेशानंद स्वामी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ भारतीयों द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी हां। लेकिन इसका ब्यौरा पाना संभव नहीं है क्योंकि विदेशी सरकारें आमतौर इस तरह की सूचना देती नहीं।

डेयरी प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सहायता

8607. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में डेयरी प्रणाली के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों के लिए किस प्रकार सहायता प्रदान करने का है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादों के लिए सहायता देने के वास्ते कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं होता ।

(अनुवाद)

सुपारी का उत्पादन

8608. श्री के० एच० मुनियप्पा
श्री बी० कृष्ण राव : } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार सुपारी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सुपारी के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया है और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुलापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में सुपारी के कुल उत्पादन का राज्यवार विवरण के रूप में परिशिष्ट में दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

विवरण

उत्पादन "000 टन में

	1988–89	1989–90	1990–91
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	0.2	0.2	0.2
असम	78.2	70.4	70.4
गोवा	1.5	1.5	1.5
कर्नाटक	89.1	91.9	92.4
केरल	58.7	66.0	63.6
महाराष्ट्र	2.3	2.5	2.5
मेघालय	5.2	5.2	5.2
मिजोरम	नग:	0.2	0.2
तमिलनाडु	4.0	4.0	3.9
त्रिपुरा	2.3	2.3	2.3
पश्चिम बंगाल	7.0	7.0	7.0
पांडिचेरी	—	0.1	0.1
अखिल भारतीय	248.5	251.3	249.3

नग: नगण्य

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंड

8609. श्री रामचंद्र घंगारे :
श्री राम बचन :
श्री सनत कुमार मंडल
} क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंड पर चर्चा करने हेतु नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों (राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों के) संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपालों का एक सम्मेलन 10 अप्रैल, 1992 को आयोजित किया गया था ।

(ख) भाग लेने वालों द्वारा इस सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए गए ।

(हिन्दी)

फ्रांस के साथ प्रत्यर्पण समझौता

8610. श्री साइमन मराण्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत का विचार फ्रांस के साथ कोई प्रत्यार्पण समझौता शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) :

(क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

(अनुवाद)

केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड की बैठक

8611. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 में केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड की बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में मुख्य रूप से क्या निर्णय लिए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) जी हां ।

(ख) नई दिल्ली में 8 अक्तूबर, 1991को आयोजित बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जी ने की थी जोकि केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। राज्य मंत्री (कृषि और सहकारिता) तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष, तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री भी बैठक में उपस्थित थे। 46 सदस्यों में से 25 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया जिसमें विभिन्न राज्यों के मात्स्यिकी प्रभारी मंत्री भी शामिल हैं । बैठक की कार्यसूची, मतस्य कृषकों को प्रोत्साहन देने, भूमि पट्टा नीतियों, छोटे मछुवारों के हितों की रक्षा करने, मात्स्यिकी संसाधनों का परिरक्षण करने, ऋण सुविधाओं देने आदि से सम्बद्ध थी ।

(ग) बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय निम्नानुसार हैं :—

(1) मछलीपालन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा मछली पालकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना ।

(2) भूमि तथा खाराजल मात्स्यिकी संसाधनों के पट्टे के संबंध में दीर्घकालीन पट्टा नीति अपनाना।

(3) लघु तथा पारम्परिक मछुवारों के हितों की रक्षा को उचित प्राथमिकता देना ।

(4) उच्च गति डीजल तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करके छोटे मकनाइजड मत्स्यन नौकाओं को राहत देने की योजना को जारी रखना ।

(5) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर को सुदृढ़ करना ।

(6) प्रमुख मात्स्यिकी बन्दरगाहों के उचित रखरखाव और प्रशासन के लिए केन्द्रीय मात्स्यिकी बन्दरगाह प्राधिकरण की स्थापना के बारे में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया, और

(7) मात्स्यिकी क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में ऋण सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय तथा संबंधित वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध करना ।

एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्यक्रम

8612. **श्री नवल किशोर राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास मानव अधिकारों की रक्षा के रूप में मानव को प्रताड़ना से बचाने के लिए एक सुपरिभाषित दस सूत्री कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के विगत इतिहास, परम्परा और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)

(क) से (ग) "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" ने "टार्चर रेप, और डैथ्स इन कस्टेडी इन इंडिया" शीर्षक से मार्च, 1992 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इसने, अत्याचार और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघनों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित 10 सूत्री कार्यक्रम सुझाया है :—

(1) मानवधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सरकारी नीति अपनाना;

(2) अत्याचार के सभी आरोपों की निष्पक्षता पूर्ण जांच करना;

(3) अपराधकर्ताओं के साथ न्याय करना;

(4) अत्याचार न हो इसके लिए सुरक्षा उपाय मजबूत करना;

(5) बंधक बनाए गए लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराना;

(6) पुलिस और सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षण देना तथा पुलिस बल में सुधार करना;

(7) शिकार हुए लोगों को मुआवजा देना;

(8) अत्याचार के शिकार हुए व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा तथा पुनर्वास उपलब्ध करना;

(9) उत्पीड़न करने के कारणों और तरीकों की जांच करना;

(10) भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के प्रति वचनबद्धता को मजबूत बनाना।

मुद्दों में से काफी मुद्दों को संविधान और कानून द्वारा अधिदेशाधीन किया गया है; कुछ अन्य प्रशिक्षण और प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों पर, जो कि मुख्य रूप से "पुलिस" और "लोक आदेश" से संबंधित है मामलों की कानूनी अनिवार्यताओं को पुरजोर रूप से लागू करने के लिए दबाव डालने के प्रयास करना जारी रहेगा।

उड़ीसा में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

8613. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड ने उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की, और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) और (ख) गत तीन वर्ष के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में भूमि पर कोई अन्वेषण कार्य नहीं किया गया था ।

गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका

8614. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के हाल ही के व्यापक परिवर्तनों को देखते हुए सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भावी भूमिका के संबंध में उसके सदस्य देशों के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) :

(क) और (ख) : 1989 में हुए बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से लेकर सितम्बर, 1991 में अंकरा में हुई मंत्री स्तरीय बैठक और फरवरी, 1992 में हुई निकोसिया मेथोडोलाजी समिति की बैठक सहित गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर पूर्वी यूरोत समेत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हाल ही में हुए परिवर्तनों पर व्यापक विचार-विमर्श होता रहा है । गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति है कि बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में भी यह आन्दोलन प्रासंगिक है क्योंकि इस आन्दोलन का उद्देश्य शीत युद्ध नहीं था बल्कि इसके सदस्यों की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य-स्वतन्त्रता और निर्णय स्वतन्त्रता को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प था । भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सतत् प्रासंगिकता को उजागर करने तथा इसकी नई प्राथमिकताओं को जैसे विकास, संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रिकरण और पर्यावरण निर्धारित करने के मामले में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है ।

डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोह

8615. श्री रोशन लाल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोह के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं पर सरकार ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है, और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त योजनाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) बाबा साहब डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोहों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु विभिन्न कल्याण योजनाओं पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

योजना	1990–91 के दौरान खर्च की गई राशि	1991–92 के दौरान खर्च की गई राशि
		(रू० करोड़ में)
1. अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण योजनाएं	318.79	382.50
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं	269.10	293.83
3. डा० अम्बेडकर शताब्दी कार्यक्रम	0.18	10.73

(ख) 1992–93 के दौरान प्रावधान हेतु प्रस्तावित राशियों से संबंधित विवरण।

योजना	वर्ष 1992–93 के लिए आवंटन
	(रु० करोड़ में)
1. अनुसुचित जातियों के लिए कल्याण योजनाएं	405.19
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं	314.80
3. डा० अम्बेकडर शताब्दी समारोह	3.35

[हिन्दी]

दिल्ली का नया प्रशासनिक ढांचा

8616. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारिया समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के गठन हेतु अधिकारियों की समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति को क्या कार्य सौंपा गया है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं तथा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को स्कूल / होस्टल शुल्क

8617. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को स्कूल/होस्टल शुल्क की प्रतिपूर्ति करने हेतु कोई प्रावधान बनाया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पात्र दिवा तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति में संस्थानों को देय अप्रत्यापर्णीय शुल्क शामिल होते हैं । 1991–92 में 35 करोड़ रुपये संवितरित किए गए । चालू वर्ष में इस योजना के लिए 46 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

म्यांमार से बंगलादेश में भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन

8618. **श्री के० वी० तंग्काबालू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि म्यांमार से बंग्लादेश में भारी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में बंगलादेश ने भारत से किसी सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) :

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली में आतंकवाद

8619. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी**
श्रीमती बासवा राजेश्वरी } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1992 में कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में कोई आतंकवादी घटना हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घटना में अलग-अलग कितने आतंकवादी मारे गये और कितने गिरफ्तार किए गए;

(घ) गोलाबारी में कितने नागरिक मारे गए ;

(ङ) मृतकों के निकट संबंधियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) कैलाश कालोनी पार्क में दिनांक 6.4.1992 को गिरफ्तार किए गए एक आतंकवादी से पूछताछ करने के बाद एक पुलिस पार्टी, जिसमें तीन सिपाही थे, ने पार्क में तीन आतंकवादियों को देखा । जब इन्हें ललकारा गया तो उनमें से एक आतंकवादी ने गोली चलाई जो निकट ही खड़े एक व्यक्ति को लगी । जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और पीछा करने के बाद उनमें से एक आतंकवादी को पकड़ लिया । दो आतंकवादी मकान नम्बर एफ़-15, कैलाश कालोनी में घुस गए, जहां से उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। जब

गोलियां चलनी बन्द हुई तो घर को घेर लिया गया और घर की तलाशी ली गई। दो आतंकवादी मृत पाए गए। एक आतंकवादी के मृत शरीर के बगल में एक रिवाल्वर पड़ा पाया गया।

(ग) दो आतंकवादी मारे गए और दो गिरफ्तार किए गए।

(घ) एक

(ङ) मृतक नागरिक की विधवा को मुआवजे के रूप में 50,000 रु० की राशि दी गई।

(च) राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में प्रत्येक पुलिस जिले में एक आतंकवाद विरोधी कक्ष का गठन करना, सामरिक/महत्वपूर्ण स्थानों पर सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियां तैनात करना; चलती–फिरती गश्त गहन करना; जनता को अधिक जागरूक बनाने की दृष्टि से उनमें लाभप्रद साहित्य का वितरण करना; पहचानकर्त्ताओं को तैनात करना; सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात आतंकवादियों के फोटो प्रदर्शित करना; सामरिक स्थानों पर पी० सी० आर० वाहन खड़े करना; तथा सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करना शामिल है।

ग्रामीण उत्कर्ष केन्द्र

8620. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोध का लाभ उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण उत्कर्ष केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना की गई है अथवा कितने केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गई है; और

(ग) इन केन्द्रों के कार्यों और कार्य क्षेत्र का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लंबित विधेयक

8621. **श्री सुब्रत मुखर्जी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित विधेयकों का ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं; और

(ख) इन विधेयकों को कब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब):

(क) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद द्वारा पारित 7 विधेयक 27-4-92 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस समय कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है क्योंकि विधेयक विचारण के विभिन्न स्तरों पर पड़े हैं।

विवरण

क्र० सं०	विधेयक का नाम	प्राप्ति की तारीख
	पश्चिमी बंगाल	
1.	ट्रेड यूनियन (पश्चिमी बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983	22-11-1983
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982	22-05-1984
3.	रविन्द्र कलचरल इंस्टीटयूट (प्रबंध को अपने हाथ में लेना) विधेयक, 1989	05-06-1989
4.	हावड़ा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990	23-10-1990
5.	आसनसोल नगर निगम विधेयक, 1990	31-01-1991
6.	चन्दरनागोर नगर निगम विधेयक, 1990	05-08-1991
7.	सिलीगुड़ी नगर निगम विधेयक, 1991	19-12-1991

[हिन्दी]

रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट

8622. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन वैटिरिनरी साइंस रिसर्च इंस्टिट्यूट बरेली, उत्तर प्रदेश में कोई "रीसाइकिलग प्रोजेक्ट" चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस परियोजना के माध्यम से पूरे किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ङ) क्या इस परियोजना को अब बंद करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) से (च) : सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

ऊन को कृषि–पण्य घोषित करना

8623. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऊन को कृषि–पण्य घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इसके फलस्वरूप ऊन उत्पादकों और निर्माताओं को कौन-कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) :

भारत सरकार में "कृषि जिंस" के नाम से कोई विशिष्ट वर्गीकरण नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता के उद्देश्य से कुछ जिंसों को "कृषि, उत्पाद" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण के तहत ऊन को शामिल नहीं किया गया है।

बोडो समस्या संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

8624. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोडो पीपल्स एकशन कमेटी ने बोडो समस्या संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब):

(क) से (ग) : असम के मैदानी आदिवासियों पर एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की एक प्रति अभी हाल ही में अखिल बोडो छात्र संघ / बोडो पीपुल्स एकशन कमेटी को सूचनार्थ और अध्ययन के लिए भेज दिया गया है ।

[हिन्दी]

विदेशी नेताओं की यात्रा

8625. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जुलाई, 1991 से मार्च, 1992 तक की अवधि के दौरान देशवार किन-किन विदेशी नेताओं ने भारत की यात्रा की;

(ख) प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य क्या था; और

(ग) प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) :

(क) और (ख) सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8625 के भाग (क) और (ख) उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

नाम	यात्रा की तारीख	उद्देश्य
1	2	3
डा० नथान एम० शमुयारिरा, जिम्बाबवे गणराज्य के विदेश मंत्री	5-7-91 से 7-7-91	द्विपक्षीय सम्बन्धों पर चर्चा करने और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विनिमय करना ।
श्री जुहेअर मशारगाह, सीरिया के उप राष्ट्रपति	22-7-91 और 22-7-91 से 29-7-91	पारगमन यात्रा, द्विपक्षीय सम्बन्धों पर चर्चा करने और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विनिमय करने ।
श्री अनिरूध जगन्नाथ मारीशस के प्रधान मंत्री, उनके साथ विदेश मंत्री जोन क्लाड एल' इस्टराक भी आए	23-7-91 से 26-7-91	नई सरकार से जान-पहचान और भारत तथा मारीशस के बीच विशेष सम्बन्धों को और मजबूत बनाना ।
श्री हेराल्ड, हैरात श्रीलंका के विदेश मंत्री	27-7-91 से 31-7-91	भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए विदेश मंत्री के आमंत्रण पर यात्रा ।

1	2	3
डा० बुतरस घाली मिस्र अरब के विदेश संबन्धों के लिए उप प्रधान मंत्री	11-8-91 से 17-8-91	द्विपक्षीय सम्बन्धों पर चर्चा करने और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विनिमय करने ।
श्री इस्लाम ए करिमोव, उजबेक एस० एस० आर० के राष्ट्रपति	17-8-91 से 19-8-91	द्विपक्षीय सम्बन्धों को आगे विकसित तथा मजबूत करने के लिए ।
श्री मामून अब्दुल गायूम, माल्दीव गण-राज्य के राष्ट्रपति	18-8-91 से 20-8-91	सार्क मसलों पर प्रधानमंत्री से विचार विमर्श करने के लिए ।
श्री ए० एस० एम० मोस्ताफिजुर रहमान, बंगलादेश लोकतांत्रिक गण-राज्य के विदेश मंत्री	26-8-91 से 29-8-91	द्विपक्षीय हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए सरकारी यात्रा ।
श्री एस० थोंडामन, श्रीलंका के पर्यटन तथा उद्योग मंत्री	12-9-91 15-9-91	भारत-सीलोन समझौतों के अंतर्गत भारतीय मूल के तमिलों की भारत वापिसी से संबन्धित मामलों पर प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ चर्चा और श्रीलंका की जातीय समस्या पर विचार-विनिमय ।
महामान्य जिग्मे सिंगे वांगचुक भूटान नरेश	9-9-91 से 12-9-91	भारतीय नेताओं के साथ आपसी हित के मसलों पर चर्चा के लिए
श्री हुन सेन कम्बोडिया के प्रधान मंत्री	3-10-91 से 5-10-91	द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत करने और कम्बोडिया की व्यवस्था और द्विपक्षीय मामलों के सम्बन्ध में हमारे नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए ।
श्री राणे फेल्बर स्विटजरलैंड के उप राष्ट्रपति और विदेश मंत्री	4-10-91 से 13-10-91	द्विपक्षीय वार्ता के लिए ।
श्री एड्रियन नस्तासे रूमानिया के विदेश मंत्री	29-10-91 से 1-11-91	द्विपक्षीय सम्बन्धों को और विकसित करने तथा और अधिक मजबूत करने के लिए ।
श्री अतो अगागो तिरुनेह इथोपिया के राष्ट्रपति के विशेष दूत	29-10-91 से 1-11-91	राष्ट्रपति मिलेस जेनावी की नई इथोपियन सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियों का खुलासा करने के लिए ।

1	2	3
श्री रोबर्ट जी मुगाबे जिम्बाब्वे गणराज्य के राष्ट्रपति	14-11-91 से 16-11-91	अंतर्राष्ट्रीय समझ पर 1989 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तथा जिम्बाब्वे की इस इच्छा की पुष्टि करने के लिए कि वे द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग और बढ़ाना चाहते हैं ।
श्री फतेहुल्लाह जमील मालदीव गणराज्य के विदेश मंत्री	19-11-91 से 22-11-91	दिसम्बर, 1991 में कोलम्बो में हुए छठे सार्क शिखर सम्मेलन की संशोधित तारीखें निर्धारित करने के बारे में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से परामर्श करने के लिए ।
श्री अब्देरहमान असुता कर्नल गद्दाफी के विशेष दूत	3-12-91	द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता करने के के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए ।
श्री वांग कैन सेंग सिंगापुर के विदेश मंत्री	5-12-91 से 8-12-91	आपसी हित के मसलों पर हमारे नेताओं से चर्चा करने के लिए ।
श्री जी० पी० कोईराला नेपाल के प्रधानमंत्री	5-12-91 से 10-12-91	सद्भावना यात्रा
श्री ली पेंग चीन लोकतांत्रिक गणराज्य की राज्य परिषद के प्रमुख	11-12-91 से 16-12-91	सरकारी सद्भावना यात्रा
श्री इसीडोरो पी० मालमीएर्का क्यूबा के विदेश मंत्री	16-12-91 से 21-12-91	हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कास्ट्रो का व्यक्तिगत संदेश देने के लिए ।
श्री हैराल्ड हेरात श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणतन्त्र के विदेश मंत्री	4-1-92 से 8-1-92	भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की पहली बैठक के लिए श्रीलंका शिष्टमंडल के प्रमुख के रूप में ।
श्री जालूद लीबिया के उप-राष्ट्रपति	22-1-92	द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए भी । (पारगमन यात्रा)

1	2	3
डा० सेन्सु टबोने माल्टा के राष्ट्रपति	13-1-92 से 20-1-92	राजकीय यात्रा
श्री डगलस हर्ड ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय मामलों और विदेशी मामलों के राज्य सचिव	15-1-92 से 18-1-92	द्विपक्षीय वार्ता के लिए
श्री यासर अराफत फिलीस्तीनी राज्य के राष्ट्रपति	20-1-92 से 22-1-92	द्विपक्षीय सम्बन्धों पर वार्ता के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श के लिए भी।
डा० मारियो सोआरेस पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति	25-1-92 से 4-2-92	राजकीय यात्रा
डा० इस्मत अबदेल मेगुद, महासचिव, अरब लीग	6-2-92 से 9-2-92	द्विपक्षीय सम्बन्धों पर वार्ता के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श के लिए।
वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी	10-2-92 से 15-2-92	शाही यात्रा
डा० अबदलतीफ फीलाली मोरक्को साम्राज्य के विदेशी और सहयोग के मंत्री	18-2-92 से 20-2-92	द्विपक्षीय सम्बन्धों पर वार्ता करने और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श के लिए।
श्री नजरबेव कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति	21-2-92 से 22-2-92	द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक विकसित तथा मजबूत करने के लिए।
डा० सेम नुजोमा नामिबिया गणराज्य के राष्ट्रपति	24-2-92 से 28-2-92	शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार लेने के लिए।
श्री फतहउल्लाह् जमील मालदीव गणराज्य के विदेश मंत्री	29-2-92 से 7-3-92	भारत-मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए।
ई०ई०सी० ट्रोइका विदेश मंत्री	4-3-92 से 6-3-92	वार्षिक भारत ई०-सी० वार्ता के लिए ट्रोइका।
श्री अस्कर अकाइव किरगीजिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति	17-3-92 से 19-3-92	द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक विकसित तथा मजबूत करने के लिए।

1	2	3
श्री नगुयेन मान्ह किम वियतनाम के विदेश मंत्री	71–3–92 से 27–3–92	द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर हमारे नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए तथा दिल्ली में भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग के 5वें सत्र में विदेश मंत्री के साथ सह-अध्यक्षता करने के लिए ।
श्री लियोनीद एम० क्रावचुक उक्रेन के राष्ट्रपति	25–3–92 से 29–3–92	द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक मजबूत तथा विकसित करने के लिए ।
श्री अब्दुल माजिद अल-गौड कर्नल गद्दाफी के विशेष दूत	25–3–92 से 26–3–92	द्विपक्षीय सम्बन्धों पर वार्ता के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श के लिए ।

[अनुवाद]

तेल विकास और रायल्टी पर आय और व्यय

8626. श्री शंकर सिंह वाघेला
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल विकास उपकर और उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, और

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों पर तेल विकास और रायल्टी पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(करोड़ रुपयों में)

(क) निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त राशि	1988–89	1989-90	1990–91	1991–92
तेल विकास उपकर	2028.72	2946.74	2756.97	2540.70 आर० ई०
सीमा शुल्क	1916.74	2148.94	3145.46	3492.45 आर० ई०

कच्चे तेल पर कोई उत्पाद कर नहीं है ।

(करोड़ रुपयों में)

(ख) निम्नलिखित पर खर्च की गई राशि	1988-89	1989-90	1990-91
राज्यों में रायल्टी	226.79	268.07	686.18

तेल विकास पर खर्च की गई राशि के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पशु चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता

8627. डा० प्रसन्न बाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तकनीकी संवर्ग में कार्यरत पशु चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक जाने किए की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते के लिए आंदोलन किया था अथवा कोई अभ्यावेदन दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तकनीकी संवर्ग (कैडर) में कार्य करने वाले सभी पशु चिकित्सकों को, जहां बिना किसी वैकल्पिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित भर्ती योग्यताएं बैचुलर आफ वेटनरी साइन्स हैं, गैर-प्रैक्टिस भत्ता देने का फैसला किया गया है ।

(ख) उपरोक्त श्रेणी में आने वाले पदों का पता लगाया जा रहा है, इसके बाद फैसले को कार्यान्वित किया जाएगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) गैर-प्रैक्टिस भत्ता के पात्र न होने वाले कुछ वैज्ञानिकों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे । इन बातों पर विचार किया गया है और इसके लिए पात्रता के मानदंड के सम्बंध में व्यापक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

कृषि योग्य भूमि

8628. कुमारी विमला वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कितनी है;

(ख) क्या प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में कोई कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) जनगणना के अद्यतन उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 1990–91 के दौरान प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि 0.32 हैक्टेयर थी।

(ख) जी हां।

(ग) जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि कम हो गई है।

झींगा मछली पालन

8629. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में झींगा मछली पालन की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो 1991–92 के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य को कितनी सहायता दी गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य से प्रति वर्ष झींगा मछली का कुल कितना निर्यात किया गया; और

(घ) राज्य में झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) तमिलनाडु में 56,000 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र में झींगा मछली पालन का विकास करने की संभावना है।

(ख) राज्य में झींगा मछली पालन के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्ष 1991–92 के दौरान 19.50 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी।

16—99 LSS/93

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य से प्रति वर्ष झींगा मछली के कुल निर्यात की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1988–89	6957	8498
1989–90	6091	6673
1990–91	6965	11098

(घ) राज्य में झींगा मछली पालन द्वारा झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उठाए गये/उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) झींगा मछली पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन देने के लिये दक्षिण अर्काट, तंजावुर, चिदाम्बरनार और चेन्गाई जिलों में खारा जल मछुवारा विकास एजेंसियों की स्थापना करना।

(2) प्रति वर्ष लगभग 15–20 मिलियन लारवा अवस्था के बाद के टाइगर झींगा मछली का उत्पादन करने के लिये नीलंकराई में स्थित झींगा हैचरी में उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन करना।

(3) कारंगाडू में झींगा मछली पालकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रदर्शन व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

(4) "सेमी-इन्टेसिव प्रान सीड हैचरीज" और "फीड मिल्स" का निर्माण करने के लिये विभिन्न श्रेणियों के झींगा मछली पालकों को सहायता देने के लिये प्रावधान करना।

केरल में मत्स्य उद्योग विकास एजेंसियां

8630. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में मत्स्य उद्योग विकास एजेंसियां कहां-कहां कार्य कर रही हैं; और

(ख) वर्ष 1991–92 के दौरान केरल में मत्स्य पालन के विकास के लिए कितनी धनराशि जारी की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) चौदह मत्स्य पालक विकास एजेंसियां केरल में काम कर रही हैं। ये मत्स्य पालक विकास एजेंसियां निम्नलिखित स्थानों में हैं—तिरुवनन्तपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा,

एर्नाकुलम, कोट्टयम, त्रिसो, पलक्कड, मलापुरम, कोजिकोड़े, कन्नूर, कसरगोड, वयनड, इदुक्को और पटनमथिट्टा ।

(ख) वर्ष 1991–92 के दौरान मत्स्य पालक विकास एजेंसी योजना के तहत ताजा जल मत्स्य पालन विकास के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में 14 लाख रुपए की धनराशि केरल को निर्मुक्त कर दी गई है ।

[हिन्दी]

म्यांमार सेना द्वारा मारे गए छापे

8631. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार सेना ने हाल ही में दो मणिपुरी गांवों पर छापा मारा था और उन्हें दो दिन तक कब्जे में रखा था जैसा कि 1 अप्रैल, 1992 के "स्टेट्समैन" में छपा था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या म्यांमार सरकार ने भारतीय सीमा के किसी भूभाग पर अपना कब्जा घोषित किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में म्यांमार के सैनिक वाहनों को आने जाने की अनुमति है जबकि भारतीय वाहनों के आने जाने पर रोक है जैसा कि समाचार में प्रकाशित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) म्यांमार सैनिकों ने बर्मा के कुछ सैनिक कार्मिकों, जिनके बारे में शस्त्रों सहित म्यानमार की सेना को छोड़कर भाग जाने का समाचार है, का पता लगाने के लिए मणिपुर के चन्देल जिले के कुछ गांवों में खोजबीन की थी । म्यानमार सेना के कार्मिकों को भारतीय क्षेत्र में निकट के जंगलों में 13-3-92 तक शिविरों में ठहरते हुए देखा गया।

(ख) क्षेत्र में राज्य पुलिस की उपस्थिति को बढ़ा दिया गया है ।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान ।

(ङ) और (च) कलिम्यों-ताम मार्ग भारतीय क्षेत्र में मालछाम गांव के निकट लगभग 3½ कि० मी० की दूरी तक आता है । बर्मा के वाहन इस पट्टी मार्ग से बार-बार आते-जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई सड़क को केवल सही मौसम में ही प्रयोग किया जाता

है। भारतीय वाहन इस सड़क का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि भारतीय क्षेत्र में अलग संचारी सड़कें उपलब्ध हैं।

प्राकृतिक गैस की योजनायें / परियोजनायें

8632. **श्री अवतार सिंह भड़ाना**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य की प्राकृतिक गैस से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें 31 जनवरी, 1992 तक केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी और उक्त तिथि को कितनी योजनायें लंबित थी :

(ख) इन लंबित योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन योजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 19.4 एम एम एस सी एम डी के स्तर तक गैस के आवंटनों के लिए संस्तुति की गई है। गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 43.98 एम एम एस सी एम डी की मांग गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० के पास दर्ज है। इस संबंध में आगे के आवंटन गैस की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

[अनुवाद]

संसदीय शिष्ट मंडल का अयोध्या दौरा

8633. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक संसदीय शिष्टमंडल ने अयोध्या का दौरा किया था और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)

(क) जी हां श्रीमान।

(ख) और (ग) रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

वियतनाम के साथ द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र

8634. **डा० राजा गोपालन श्रीधरण :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और वियतनाम ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए किन्हीं क्षेत्रों को चुना है? और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) :

(क) जी हां ।

(ख) भारत–वियतनाम संयुक्त आयोग के पांचवे सत्र, जो 23—25 मार्च 1992 को दिल्ली में हुआ था, में सहयोग के लिए कई क्षेत्र तय किए गए । इनमें रत्न ऐपाटाइट माइनिंग राक फ़ासफ़ेट, रबर प्लांटेशन तथा तत्संबंधी उद्योग, काजू और चाय प्लांटेशन तथा प्रौसेसिंग चीनी मिलें, प्रौसेसिंग एंड पैकेजिंग आफ़ साफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, परिवहन क्षेत्र, कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण व विस्तार होटल, छोटे सीमेंट प्लांटस, समुद्री उत्पादन, भेषज, इमारती लकड़ी और उससे सम्बद्ध उत्पाद और पर्यावरण के संरक्षण के लिए परियोजनाएं शामिल हैं । इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है ।

तेल की विपणन लागत

8635. **श्री अमल दत्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल कम्पनियों को किस फ़ार्मूले के आधार पर विपणन लागत की अनुमति दी जाती है तथा प्रत्येक कम्पनी को पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्तुतः कितनी धनराशि की अनुमति दी गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा विपणन लागत पर कितना व्यय किया गया और यदि कुछ बचत हुई तो कितनी; और

(ग) यदि कोई घाटा हुआ है तो उसे किस प्रकार पूरा किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (ग) : विपणन लागत का निर्धारण अवधारण लागत तथा कुल मूल्य पर कर पश्चात 12% की वसूली और नियामक ऋण पर ब्याज के आधार पर किया जाता है । उपर्युक्त के आधार पर विपणन कम्पनियों को प्रतिपूर्ति प्राप्त किए गए वास्तविक कारोबार के संदर्भ में की जाती है

चूंकि इसका निर्धारण नियामक आधार पर किया जाता है अतः विपणन कम्पनियों को अपने स्वयं के संसाधनों में से निर्धारित मानदंडों को नहीं प्राप्त करने के कारण उत्पन्न घाटा, यदि कोई है, तो पूरा करना होगा ।

दंगा-पीड़ित तमिलों के क्षतिपूर्ति के दावों के बारे में न्यायिक जांच

8636. **श्री ए० अशोक राज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कावेरी जल विवाद के परिणामस्वरूप हुए दंगों से प्रभावित तमिलों के क्षतिपूर्ति के दावों के मामले की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) तमिल लोगों को हुई क्षति का मूल्यांकन करने और इन नुकसानों के लिए मुआवजा देने के लिए उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है ।

(ख) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है, इसलिए लोक व्यवस्था खराब होने के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन करना और उस क्षति के लिए राहत वितरित करने के लिए कदम उठाना कर्नाटक सरकार का काम है । कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मात्स्यिकी विकास

8637. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया/विश्व बैंक की किसी टीम ने महाराष्ट्र में मात्स्यिकी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य का भ्रमण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र को मात्स्यिकी विकास के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) और (ख) : सूचना एकत्र की जायेगी तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) वर्ष 1991–92 के दौरान केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए महाराष्ट्र को प्रदत्त वित्तीय सहायता 237.33 लाख रुपये बनती है ।

[अनुवाद]

राज्यों के कल्याण सचिवों का सम्मेलन

8639. श्री रवि राय :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कल्याण सचिवों और समाज कल्याण निदेशकों का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये, और

(घ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) जी हां ।

(ख) किशोर न्याय प्रशासन के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समाज कल्याण सचिवों तथा निदेशकों का एक सम्मेलन 7–4–1992 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था । किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी ।

(ग) इस सम्मेलन की मुख्य सिफ़ारिशें थी :—

(1) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किशोर कल्याण बोर्डों तथा किशोर न्यायालयों की स्थापना;

(2) किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विभिन्न गृहों की स्थापना;

(3) किशोर सामाजिक कुसमंजन के निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना का प्रभावी कार्यान्वयन;

(4) किशोर न्याय प्रशासन में गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग; और

(5) सरकारी पदाधिकारियों और स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन ।

(घ) इस सम्मेलन की सिफ़ारिशों के संबंध में राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी ।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण

8640. श्री जीवन शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण करने तथा उनका अतिक्रमण करने से रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर बड़ी संख्या में हो रहे अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमणों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमणों को रोकने में असफल हुए पुलिस तथा सिविल अधिकारियों को दंडित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) अनधिकृत निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित नागरिक निकाय / भू-स्वामित्व प्राधिकारियों की है। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकने के संबंध में जिम्मेदारी भू-स्वामित्व प्राधिकारी तथा दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है ।

(ख) दिल्ली में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के प्राथमिक कारण निम्न प्रकार हैं:—

(1) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना और पड़ोस के राज्यों से लोगों का आप्रवासन;

(2) शहर में स्थान की उपलब्धता में कमी के कारण उसकी कीमत सामर्थ्य से बाहर होना;

(3) भू-स्वामित्व एजेंसियों द्वारा अतिक्रमणों का समय से पता लगाने के तंत्र की कमी, क्योंकि भूमि महानगर की अनेक भागों में छितरी हुई है;

(4) न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश प्रदान करना ।

(ग) तथा (घ) : जब कभी भी सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माणों / अतिक्रमणों में अधिकारियों की मिली भगत ध्यान में आती है तो संबंधित संगठनों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी करना

8641. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर दुकान, मिट्टी के तेल का डिपो, खाद्य तेलों की डीलरशिप आदि चलाने सहित किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी किये जाने से पहले दिल्ली के नगर निकायों से लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में खाद्य तेल लाइसेंस धारकों को गैर अनुपालक क्षेत्रों के नगर निकायों द्वारा जारी लाइसेंस प्रस्तुत किये बिना ही लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) नगर निकायों को इस कारण हुई राजस्व हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जकब)

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर छात्र समन्वय समिति की मांगें

8642. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर छात्र समन्वय समिति ने लम्बे समय से चली आ रही अपनी मांगों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को हाल ही में कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मांगें, कुछ एक कानूनों को निरस्त करने, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अलावा अन्य स्थानों से सशस्त्र बलों को हटाने, बड़ी संख्या में विदेशियों के आगमन के आयाम का अध्ययन करने, अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने, पर्यावरणीय और आर्थिक विकास और शिक्षा से संबंधित हैं ।

(ग) सरकार को उत्तर-पूर्व क्षेत्र की समस्या की जानकारी है और इसके सम्पूर्ण विकास के लिए वचनबद्ध है । राज्य सरकार के सहयोग से केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त उपाय किए हैं और कर रही है ।

[हिन्दी]

आक्सिटोसिन इंजेक्शन के प्रभाव

8643. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गायों की दुग्ध क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से "आक्सिटोसिन" नामक इंजेक्शन लगाया जा रहा है;

17—99 LSS/93

(ख) क्या इससे कोई दुष्परिणाम निकला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) से (ग) :— सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

राज्य डेरी विकास बोर्डों को धनराशि

8644. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्य डेयरी विकास बोर्डों को राज्यवार तथा वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) 31 मार्च, 1992 को राज्य डेयरी विकास बोर्डों के विरुद्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को राज्यवार कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश डेयरी विकास बोर्ड को दिए जाने वाले अनुदानों में वृद्धि करने की कोई योजना है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) आपरेशन फ्लड–3 के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राज्य के शीर्ष स्तर की डेयरी है सहकारी संघों/दुग्ध संघों को आपरेशन फ्लड कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसियां होने के कारण वित्तीय सहायता देता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा राज्य डेयरी सहकरी संघों/दुग्ध संघों को 1990–91 और 1991–92 के दौरान संवितरित की गई राज्यवार धनराशि को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ख) 31–3–1992 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की राज्य डेयरी सहकारी संघों/दुग्ध संघों पर राज्य–वार बकाया धनराशि को दर्शाने वाला विवरण–II भी संलग्न है।

(ग) चूंकि कोई आन्ध्र प्रदेश डेयरी विकास बोर्ड नहीं है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा राज्य डेयरी सहकारी संघों दुग्ध संघों को 1990-91 और 1991-92 के दौरान संवितरित की गई राज्यवार धनराशि को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपयों में)

		1990–91 (अनंतिम)	1991–92 (अनंतिम)
1.	अंडमान और निकोबार	(–) 0.04	--
2.	आन्ध्र प्रदेश	627.63	440.73
3.	असम	16.37	2.99
4.	बिहार	179.87	263.51
5.	गोवा	8.81	11.75
6.	गुजरात	1119.01	1332.22
7.	हरियाणा	140.49	212.44
8.	हिमाचल प्रदेश	7.85	(–) 0.18
9.	कर्नाटक	486.94	613.26
10.	केरल	108.27	122.91
11.	जम्मू और कश्मीर	--	0.83
12.	मध्य प्रदेश	287.62	86.61
13.	महाराष्ट्र	126.43	203.21
14.	मणिपुर	0.36	0.33
15.	उड़ीसा	64.73	77.20
16.	पाण्डिचेरी	19.63	2.49
17.	पंजाब	892.67	257.71
18.	राजस्थान	70.94	341.80
19.	सिक्किम	1.42	0.31
20.	तमिलनाडु	430.51	580.19
21.	त्रिपुरा	0.80	0.82
22.	उत्तर प्रदेश	347.13	225.16
23.	पश्चिम बंगाल	296.00	69.13
		5194.44	4845.42

विवरण-II

31-3-1992 स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय डेरी सहकारी संघों / दुग्ध संघों पर राज्यवार बकाया धनराशि को दर्शाने वाला विवरण ।

(लाख रुपयों में)
(अनन्तिम)

1.	हरियाणा	215.40
2.	केरल	77.93
3.	पश्चिम बंगाल	69.88
4.	महाराष्ट्र	35.86
5.	बिहार	52.98
6.	पंजाब	180.36
7.	राजस्थान	498.75
8.	आन्ध्र प्रदेश	67.29
9.	मध्य प्रदेश	456.70
10.	दक्षिणी अण्डमान	8.11
11.	कश्मीर	2.45
12.	असम	51.17
13.	कर्नाटक	6.67
14.	त्रिपुरा	0.53
15.	तमिल नाडु	1.18
16.	सिक्किम	0.59
17.	गुजरात	8.88
18.	नागालैण्ड	0.08
19.	मिजोरम	0.05
	कुल	1734.86

दिल्ली में व्यक्तियों की सुरक्षा

8645. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) इन व्यक्तियों को किन कारणों से सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ग) सरकार को इन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में कितना खर्च वहन करना पड़ता है; और

(घ) क्या इस संबंध में किये गये खर्च का कुछ भाग उन व्यक्तियों से वसूल किया जाता है जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) से (घ) : दिल्ली में 402 व्यक्तियों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आंके गए खतरे के आधार पर सुरक्षा प्रदान की गई है। मार्च, 1992 में दिल्ली पुलिस द्वारा 1.22 करोड़ रुपए (लगभग) व्यय किए गए। एस०पी०जी० अधिनियम 1988 के अधीन एस०पी०जी० द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराने पर मंत्री मंडलीय सचिवालय ने वर्ष 1991–92 के दौरान 9.37 करोड़ (लगभग) रुपये खर्च किये । यह सारा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

नई किस्मों के तिलहन का विकास

8646. **श्री आर्ज फर्नान्डीज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शासीका (राई) में "टिशू कल्चर" तकनीक के प्रयोग से नई किस्मों के तिलहन के विकास हेतु प्रयत्नशील हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) जी हां ।

(ख) अनेक टिशू कल्चर से उत्प्रेरित विविधों (सोमाक्लोन) को, जिनमें आर्थिक महत्व के गुण हैं, को पृथक किया गया है और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है तथा प्रजनन कार्यक्रम में इन्हें इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इन दो सोमोक्लानों अर्थात बी० आई०ओ०–902 और बी० आई० ओ०–वाई० एस० आर० को भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए किस्म संबंधी परीक्षणों में समावेश किया गया ।

[हिन्दी]

दुग्ध संगठनों को घाटा

8647. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड प्रोग्राम में संशोधन किया गया है;

(ख) देश में अधिकांशत: सभी दुग्ध संगठन "भारी घाटे" पर चल रहे हैं और उनका संचयी घाटा बढ़ता आ रहा है;

(ग) क्या पशुधन और डेरी विकास के कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दुग्ध संगठनों के संचयी घाटे का पचास-पचास प्रतिशत आधार पर प्रतिपूर्ति करनी चाहिए;

(घ) यदि हां तो उक्त सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को उसके दुग्ध संगठनों को हुए घाटे को प्रतिपूर्ति करने हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) आपरेशन फ्लड -3 की प्रगति का प्रबोधन उक्त प्रयोजन के लिए गठित विषय निर्वाचन समिति द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) जबकि अधिकतर कार्यात्मक ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियां लाभ अर्जित कर रही हैं, तथापि बड़ी संख्या में शीर्ष संगठन यूनियम तथा संघ, दोनों घाटा वहन कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) : आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990—95) के निरूपण के लिए पशु-पालन और डेयरी से संबद्ध कार्यकारी दल ने संघों / यूनियनों के संचित घाटों को समाप्त करने के लिए एक स्कीम की सिफारिश की थी । ऐसी स्कीम आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) में तैयार की गई है ।

(ङ) स्कीम को मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश डेयरी संघ को वित्तीय सहायता निर्मुक्त कर दी जाएगी ।

विकलांगों के लिए संस्थान

8648. श्री सत्य देव सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विकलांगों के कल्याण के लिए कितने संस्थान हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 के दौरान राज्य में ऐसे और संस्थान खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) एक-राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून उत्तर प्रदेश ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भवनों में सुरक्षा उपाय

8649. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस वाणिज्यिक परिसर के बहुमंजिला भवनों में आग बुझाने का कोई साधन नहीं है;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि दिल्ली अग्नि सेवा अधिकारियों ने अनेक भवनों को असुरक्षित घोषित कर दिया है और इन भवनों के प्रवेश द्वार पर यह चेतावनी लिख दी थी कि इन भवनों में अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन भवनों के मालिकों ने अग्नि सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने भवन हैं; और

(घ) अग्नि शमन सेवा के निर्देशों के पालन को निश्चित करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियां राजधानी में असफल क्यों रही हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) कनाट प्लेस व्यापारिक परिसर में कई भवनों में अग्नि सुरक्षा उपाय कर लिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।

(ख) भवन मालिकों ने कार्रवाई की है, लेकिन प्रगति बहुत धीमी है ।

(ग) 12 बहुमंजिली इमारतों में चेतावनी नोटिस लगाए गए हैं ।

(घ) दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मालिकों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पशु पालन संवर्धन

8650. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से पशु-पालन संवर्धन के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान पशु-पालन के संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

"ब्रेक वाटर" में मत्स्यन

8651. **श्री ओंकार फर्नान्डीज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से "ब्रेक वाटर" में मत्स्यन के लिए किन–किन योजनाओं पर विचार किया है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, खारा जल मछली पालन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एकीकृत खारा जल मत्स्य फार्म विकास की स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के विभिन्न घटक निम्नानुसार हैं :—

1. टारगेट ग्रुप को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार समर्थन का पैकेज मुहैया कराने के लिए सक्षम तटीय जिलों में खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों की स्थापना करना ।

2. खारा जल झींगा मछली पालन की तकनीकी—आर्थिक व्यवहार्यता के प्रदर्शन के लिए पायलट खारा जल झींगा मछली फार्मों की स्थापना करना।

3. झींगा मछली छिम्पौना की मांग को पूरा करने के लिए झींगा मछली छिम्पौना हैचरियों की स्थापना करना ।

4. खारा जल झींगा मछली पालकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना ।

5. खारा जल मछली पालन के विकास के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए समुद्रतटीय राज्यों के मात्स्यिकी विभागों में तकनीकी विंग को सुदृढ़ करना ।

6. 1992–93 से आगे 7 वर्षों की अवधि में लगभग 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3810 हैक्टेयर निवल जल क्षेत्र को कवर करते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक समर्थित श्रिम्प पालन परियोजना को क्रियान्वित करना ।

(ख) अब तक प्राप्त किए गए लक्ष्य निम्नानुसार हैं :—

	घटक	स्वीकृत संख्या
1.	खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियां	31
2.	खारा जल फार्म	20
3.	झींगा मछली डिम्पौना हैचरियां	5
4.	प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	6
5.	समुद्र तटीय राज्यों के मात्स्यिकी विभागों के तकनीकी विंगों को सुदृढ़ करना ।	4 राज्य

महाराष्ट्र में फार्मर्स एक्सटेंशन सर्विस योजना

8652. **श्री अन्ना जोशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में एक फार्मर्स एक्सटेंशन सर्विस योजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इस योजना के अन्तर्गत अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) इस नाम के अंतर्गत महाराष्ट्र में कोई योजना आरंभ नहीं की गई है । विस्तार को प्रशिक्षण और दौरा पद्धति का कार्यान्वयन 1981 से इस राज्य में जारी है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यावरण

8653. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर-सरकारी समिति (आई० पी० सी० सी०) ने विश्व-व्यापी ऊष्णता और कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी आने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्लोबल इन्वायरमेन्ट फैसिलिटी द्वारा भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी पर्यावरण संबंधी तकनीकी और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि आवंटित करने की संभावना है;

(घ) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका रियोडिजेनेरो में आगामी पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर एक प्रारूप अभिसमय में हस्ताक्षर करने का इच्छुक है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस देश ने विकासशील देशों की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कुछ शर्त रखी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो)

(क) और (ख) जलवायु संबंधी अन्तर–सरकारी समिति इस बात का एक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन तैयार कर रही है कि ग्रीन हाउस गैसों की कुल निकासी की वजह से संसार भर की जलवायु में क्या परिवर्तन हो सकते हैं और ऐसा मूल्यांकन करते समय वे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों के क्या–क्या स्रोत होंगे, कितनी उसमें से बेअसर हो जाएंगी तथा समूची दुनियां को गर्म करने की उनमें कितनी क्षमता होगी। जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर–सरकारी समिति ने 1992 में एक परिशिष्ट निकाला है जिसमें उसने अपनी पहली मूल्यांकन रिपोर्ट (अगस्त, 1990) को अद्यतन बनाया है। इसमें ऐसी किसी योजना को कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के कुल दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है लेकिन इसमें यह बताया गया है कि ये गैसें कहां–कहां निकल सकती हैं।

(ग) 30 दिसम्बर, 1991 तक जी० ई० एफ० के "कोर फंड" को 61,680,000 एस० डी० आर० "सार्वभोम" पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए अंशदान के रूप में प्राप्त हो चुके थे।

(घ) अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल ने संकेत दिया है कि यह जलवायु संबंधी एक ढांचागत अभिसमय के लिए अंशदान देने को तैयार हैं बशर्ते कि इस अभिसमय से सारतत्व अमरीकी नीतियों के अनुरूप हों।

(ङ) और (च) अमरीका ने विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त कोष की व्यवस्था के संबंध में कोई विस्तृत अथवा विशिष्ट शर्तें तो निर्धारित नहीं की हैं लेकिन उसने ओ० ई० सी० डी० के दूसरे सदस्यों के समरूप रवैया अपनाया है। भारत तथा अन्य विकासशील देशों ने यह रवैया अख्तियार किया है कि विकासशील देशों पर जो अतिरिक्त लागत आ रही है वह पूरी तरह विकासशील देशों की ओर से पर्याप्त, नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करके पूरी की जानी चाहिए। ओ० ई० सी० डी० के अधिकांश देशों ने यह तर्क दिया है कि बढ़ी हुई लागत के बारे में जो "सहमति" हो उसे मान लिया जाना चाहिए।

बौद्धिक सम्पदा

8654. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी सिनेटर द्वारा भारत पर संयुक्त राज्य अमेरिका की बौद्धिक सम्पदा की चोरी का आरोप लगाने के बारे में दिनांक 8 मार्च 1992 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) :

(क) जी हां ।

(ख) भारत में बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी भारतीय कानूनों के अनुरूप औषधियों का उत्पादन किया जाता है, निर्यात के लिए और अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी । इसलिए भारत में औषधियों के उत्पादन में अथवा इस प्रकार की औषधियों को भारत से बाहर भेजने में किसी तरह की चोरी का कोई सवाल नहीं ।

[हिन्दी]

टेलीफोन कालों को रिकार्ड करना

8655. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय संचार मंत्रालय के सहयोग से 100 नम्बर टेलीफोन पर आने वाली सभी कालों को रिकार्ड करने तथा जिस टेलीफोन से काल की गई है, उसका पता लगाने के लिए योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस नम्बर पर गलत जानकारी देने वाले लोगों के लिए किसी दण्ड का प्रावधान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

[अनुवाद]

ऊन का उत्पादन

8656. **श्री गुरुदास कामत**
श्री संदीपान भगवान थोरात } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री गोविन्द राव निकाम

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार तथा वर्षवार ऊन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी ऊन का आयात किया गया और कितनी ऊन का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने अंगोरा ऊन सहित ऊन के उत्पादन में वृद्धि तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) ऊन विकास बोर्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने भेड़ पालन के लिए कोई अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ज) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आयात किए गए ऊन की मात्रा निम्नानुसार है :—

	मात्रा (मिलियन कि० ग्रा०)
1989-90	28.00 (अनुमानित)
1990-91	30.00 (-तदैव-)
1991-92	28.00 (-तदैव-)

गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे ऊन का कोई निर्यात नहीं किया गया था ।

(ग) और (घ)

अंगोरा ऊन सहित ऊन का उत्पादन और क्वालिटी में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं :

(1) बढ़िया विदेशी नस्लों के साथ स्थानीय नस्लों की संकर नस्लें तैयार करना।

(2) बढ़िया देशी नस्लों में से चुनिन्दा नस्ल का प्रजनन करना ।

(3) ऊन उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य देकर उनकी सहायता करना ।

(4) प्रजनकों में तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) ऊन विकास बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव है ताकि इसे सुदृढ़ किया जा सके ।

(छ) और (ज)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भेड़ पालन तथा ऊन उत्पादन और उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर मौलिक एवं अनुपयुक्त अनुसंधान कार्य करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

बढ़िया ऊन तथा देश के अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गोश्त की वर्द्धित प्राप्ति के लिए भेड़ विकास पर अनुसंधान कर रहा है।

विवरण

राज्यवार-वर्षवार ऊन का उत्पादन

(000 कि० ग्रा०)

क्र० सं०	राज्य/क्षेत्र	वर्ष		
		1989–90	1990–91*	1991–92**
1.	आन्ध्र प्रदेश	1668	1700	1730
2.	अरुणाचल प्रदेश	57	57	57
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	1092	1103	1125
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	1844	1791	2283
7.	हरियाणा	1298	1450	1500
8.	हिमाचल प्रदेश	1400	1452	1460
9.	जम्मू व कश्मीर	3627	3370	3593
10.	कर्नाटक	4000	3808	4426
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	910	915	915
13.	महाराष्ट्र	1411	1435	1454
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—
19.	पंजाब	1478	1454	1530
20.	राजस्थान	16700	16700	17100
21.	सिक्किम	30	31	32
22.	तमिलनाडु	3736	3600	3700
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	1867	1726	1867
25.	पश्चिमी बंगाल	596	624	654
	योग :	41714	41216	43426

* — अनन्तिम

** — प्रत्याशित उपलब्धि

[हिन्दी]

दिल्ली में गेस्ट हाऊस

8657. मोहम्मद अली अशरफ फातमी
श्री अर्जुन सिंह यादव } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन गेस्ट हाऊसों को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29 (II) के साथ पठित धारा 14 तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 28/112 के अधीन नोटिस दिए गए है, उन्हें बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अधिनियमों को ठीक ढंग से लागू न करने हेतु दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान (दिनांक 1-1-87 से 31-3-92 तक) स्थानीय पुलिस द्वारा वैद्य अनुज्ञप्तियों के बिना चलाए जा रहे 501 गेस्ट हाउस/होटलों के खिलाफ 3,430 चालान किए गए, इनमें से 151 गेस्ट हाऊस/होटल न्यायालयों के आदेशों से बन्द कर दिए गए। बन्द किए जाने के आदेश देने की शक्ति न्यायालय के पास है।

(ग) दिल्ली पुलिस ने आगे सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम को ठीक ढंग से लागू न करने के लिए किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है ।

अनाधिकृत गैस कनेक्शन

8658. श्री तेज नारायण सिंह
श्री राजेश कुमार
श्रीमती शीला गौतम } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अनाधिकृत गैस कनेक्शनों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कनेक्शनों को नियमित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल उद्योग ने डीलरों द्वारा बिना बारी के कनेक्शन देने, किसी अन्य के सिलिन्डरों और रेग्यूलेटरों को रखे जाने अप्राधिकृत अस्थायी कनेक्शनों आदि के बारे में सूचित किया है।

(ख) और (ग) कुछ ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति के पास ऐसा सिलिंडर है जो उसके नाम में नहीं बल्कि किसी अन्य के नाम में हैं, कनेक्शन को विनियमित करने की अनुमति आवश्यक निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद दी जाती है।

बाढ़ से प्रभावित राज्यों को सहायता

8659. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया**
श्री राम कृष्ण कुसमरिया } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-93 के दौरान इस प्रकार के कितने क्षेत्रों का पता लगाया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा किये गए मूल्यांकन के अनुसार देश में 40.00 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। प्रतिवर्ष प्रभावित क्षेत्र की औसत सीमा अनुमानत: 8.00 मिलियन हैक्टेयर है।

(ख) अनन्तिम अनुमानों के आधार पर जल वृद्धि, भारी वर्षा तथा चक्रवाती तूफान के कारण विभिन्न राज्यों में 1991 के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र संलग्न विवरण के कालम 3 में दिया गया है।

(ग) राहत व्यय की वित्त पोषण की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत, बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत उपाय करने के लिए आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। इस कोष में केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत का वार्षिक अंशदान दिया जाता है। 1991-92 के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का

ब्यौरा, आपदा राहत कोष में अंशदान के संबंध में कालम 4 में तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा प्रबंध के संबंध में कालम 5 दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रभावित क्षेत्र (अनन्तिम) (मिलियन हैक्टेयर में)	निर्मुक्त आपदा राहत कोष में केन्द्र का शेयर (करोड़ रुपये)	बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्र में एकीकृत पनधारा प्रबंध के लिए सहायता (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.619	49.20	—
2.	असम	1.323	22.50	—
3.	बिहार	0.980	26.25	2.350
4.	हरियाणा	0.001	12.75	0.950
5.	कर्नाटक	0.335	20.25	—
6.	केरल	0.251	23.25	—
7.	मध्य प्रदेश	0.003	27.75	2.111
8.	महाराष्ट्र	0.039	33.00	—
9.	मेघालय	0.003	1.50	—
10.	उड़ीसा	0.677	29.76	—
11.	सिक्किम	—सूचित नहीं—	2.25	—
12.	तमिलनाडु	0.235	29.25	—
13.	त्रिपुरा	0.005	2.25	—
14.	उत्तर प्रदेश	0.819	67.50	6.963
15.	पश्चिमी बंगाल	0.679	30.00	1.144
16.	पाण्डिचेरी	0.011	2.72*	—
	कुल :	6.980	380.18	13.518

*समुद्री तूफान/बाढ़ की स्थिति में राहत कार्यों के लिए स्वीकृत रकम।

नीलम तेल क्षेत्र और गैस फ्लेयरिंग परियोजना

8660. श्री नीतीश कुमार
श्री सुकदेव पासवान } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरिया के निर्यात-आयात बैंक ने नीलम आयल फील्ड एंड गैस फ्लेयरिंग परियोजना के लिए सहायता देने का वचन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कुल कितनी धन-राशि उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया था;

(ग) क्या इस बैंक ने हाल में यह वित्तीय सहायता प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) नीलम प्रोसेस परिसर के लिए स्थित आशय पत्र के प्रति अभी तक किसी आपूर्तिकर्ता की क्रेडिट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। आपूर्तिकर्ता की क्रेडिट को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों की सुरक्षा

8661. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्य-वार कितने संसद सदस्यों को उनके अनुरोध पर सुरक्षा प्रदान की है और कितने संसद सदस्यों को एहतियात के तौर पर सुरक्षा दी गई है ;

(ख) उक्त सुरक्षा पर प्रतिदिन औसतन कितना खर्च होता है; और

(ग) क्या यह खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है अथवा इसे स्वयं संसद सदस्य ही वहन करते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) किसी व्यक्ति के लिए उत्पन्न खतरे का सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है । इस समय 59 संसद सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है । सुरक्षा प्रदान व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके नाम और ब्यौरे बताना ठीक नहीं समझा जाता है । अनुमानित व्यय 50,000 रु० प्रतिदिन है । यह व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

9—99 LSS/93

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच कराए जाने की मांग

8662. श्री सन्तोष गंगवार
श्री रामा जोशी
प्रो० रीता वर्मा
श्रीमती भावना चिखलिया
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में गम्भीर अपराधों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच कराए जाने की पुरजोर मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में गम्भीर अपराधों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराए जाने की मांग की गई है ।

ऐसे प्रत्येक अनुरोध पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके कार्रवाई की जाती है ।

अनाथ बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं

8663. श्री महेश कनोडिया
प्रो० रीता वर्मा
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्रीमती भावना चिखलिया
: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में अनाथ बच्चों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा 1992-93 के दौरान इन बच्चों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याणार्थ केन्द्र प्रायोजित योजना चालू वर्ष में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित की जा रही है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान किए जाने वाली राशि को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

8664. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित परिषद की उपसमितियों सहित विभिन्न समितियों की बैठक पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) आम सभा शासी निकाय और वित्त समिति के निर्णय/निदेश भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्यप्रणाली को सुचारू और कुशल बनाते हैं ।

(ख) और (ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की अनेक समितियां और सलाहकार पैनल हैं जिनमें अफ्रीका, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा लातिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्रों से सम्बद्ध समितियां और सलाहकार पैनल शामिल हैं। इनकी बैठकें समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं ।

[हिन्दी]

भारत में पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक

8665. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत आने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति वापस चले गए हैं तथा कितने व्यक्ति हैं जिनका पता नहीं लग रहा है ;

(ग) लापता पाकिस्तानियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) सरकार पाकिस्तानियों के लापता हो जाने की समस्या से परिचित है, और उसने राज्य प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है तथा उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी मशीनरी को दुरूस्त करके लापता हुए पाकिस्तानियों का पता लगाएं तथा उन्हें वापस भेजें। साथ ही पाकिस्तानियों के आगमन, ठहरने एवं भारत से वापसी को नियमित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत राज्य प्राधिकारियों को ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के मामले में उन पर मुकदमा चलाने/वापिस भेजने की कार्रवाही के लिए, जब भी आवश्यकता हो, अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

विवरण

वर्ष	आगमन	वापसी	जिनका पता नहीं लगाया जा सका अथवा लापता
1989	2,11,265	1,88,302	3,009
1990	1,66,341	1,56,961	2,994
1991	1,96,878	1,69,215	2,943

[अनुवाद]

सुपारी के लिए समर्थन मूल्य

8666. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर कर्नाटक में सुपारी उत्पादनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सुपारी के बाजार मुल्य में वृद्धि के बावजूद किसानों को उसके लिये समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सुपारी उत्पादकों को समर्थन मूल्य देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) देश या कर्नाटक में सुपारी उत्पादकों की संख्या का अधिकारिक तौर पर कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) देश के प्रमुख बाजारों में सुपारी की कीमतों में 1991 से वृद्धि हो रही है। अतः इसके समर्थन मूल्य के निर्धारण की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मत्स्य परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

8667. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी मत्स्य परियोजनाओं को दूसरे देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई नई परियोजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में झींगा मछली पोषण की कमी है;

(ङ) क्या कोई विदेशी संगठन देश में झींगा मछली पोषण निर्माण संयंत्र का पता लगाने पर सहमत हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) :

(क) दूसरे देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाएं निम्न हैं :—

(1) भारत डेनिस मात्स्यिकी परियोजना, टाडरी, कर्नाटक।

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त ट्राउट फार्मिंग परियोजना, कोकरनाग, जम्मू और कश्मीर।

(3) नार्वे से सहायता प्राप्त ट्राउट फार्मिंग परियोजना, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश।

(4) जापानी सहायता से केरल के लिए जाल बनाने वाली मशीनों की सप्लाई।

(5) जर्मन से सहायता प्राप्त केरल जलाशय मात्स्यिकी परियोजना; तथा

(6) कुवैत से सहायता प्राप्त झींगा मछली पालन की केरल मात्स्यिकी विकास परियोजना।

(ख) और (ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त श्रिम्प तथा मछली पालन परियोजना जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना के लिए मछली पकड़ने वाले जलयानों की प्राप्ति तथा डेनिस सहायता के अन्तर्गत केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण जलयानों की पुनर्स्थापन की परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

(घ) से (च) क्वालिटी झींगा मछली आहार के उत्पादन और आपूर्ति में अन्तर है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त श्रिम्प और मछली पालन परियोजना में निजी क्षेत्र में झींगा मछली आहार मिलों के वित्त पोषण परिकलित हैं। भारत सरकर ने भारतीय कम्पनियों को भी विदेशी सहयोग से झींगा मछली आहार संयंत्र लगाने की अनुमति दी है।

दिल्ली में विशेष पूछताछ केन्द्र

8668. श्री नवल किशोर राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लाल किला में कोई विशेष पूछताछ केन्द्र है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में ऐसे और अधिक केन्द्र बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब):

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना

8669. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन
श्री रवि राय
श्री एन० जे० राठवा
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन, इसके शोधन और विपणन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए कुछ प्रस्ताव और औपचारिकताएं तैयार की हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन निवेशकों को भी आमंत्रित किया है जो इस कार्य के लिए पूंजी निवेश करना चाहते हैं;

(ग) इन राष्ट्रीयकृत कम्पनियों की गतिविधियों को सुरक्षापूर्वक संचालित करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र के निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की हैं। तेल रिफाइनरियों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर मामले दर मामले के आधार पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त तेल वितरण कार्य-कलापों में निजी भागीदारी पहले से ही है।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में किन तीन राष्ट्रीयकृत कम्पनियों का उल्लेख किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व मामलों की भारतीय परिषद सम्बन्धी विधेयक

8670 : **श्री मदन लाल खुराना :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व मामलों की भारतीय परिषद का प्रबन्धन ग्रहण करने के लिए संसद में पुनः विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) से (ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

दिल्ली अग्नि शमन सेवा के कर्मचारी

8671. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली अग्नि शमन सेवा में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं :

(ख) उनमें से अराजपत्रित कर्मचारी कितने हैं :

(ग) क्या सरकार इन कर्मचारियों के कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए इन्हें इनकी तैनाती स्थान के निकट ही आवास उपलब्ध करने पर विचार कर रही है : और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) इस समय दिल्ली अग्नि शमन सेवा में 1456 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 1752 परिचालन कर्मचारी हैं।

(ख) सभी कर्मचारी नगर निगम की सेवा में होने के कारण गैर राजपत्रित हैं।

(ग) और (घ) 1257 परिचालन कर्मचारियों में से 414 को पारिवारिक आवास उपलब्ध कराया गया है तथा शेष को बैरक आवास उपलब्ध कराए गए हैं। 27 में से 13 अग्नि शमन केन्द्रों में बैरक आवास के अलावा पारिवारिक आवास उपलब्ध हैं, शेष अग्निशमन केन्द्रों में केवल बैरक आवास उपलब्ध है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

8672. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की दैनिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या इन संयंत्रों को इनकी आवश्यकतानुसार गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

और

(ङ) उत्तर प्रदेश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहां स्थित हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की वचनबद्धता 5.25 एम० एम० एस०सी० एम० डी० गैस की वचनबद्धता की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इटावा जिले के ओरैया में और गाजियाबाद जिले के दादरी में।

तेल शोधक कारखानों की क्षमता

8673. श्री राजेश कुमार :
श्री मुमताज अंसारी :
श्रीमती शीला गौतम :
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन तेल शोधक कारखानों ने विश्व बैंक से ऋण लेकर अपनी उत्पादकन क्षमता में वृद्धि की है और अन्य औद्योगिक सुविधाएं स्थापित की हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक तेल शोधक कारखाने ने कितने ऋण का फायदा उठाया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) से (ग) विश्व बैंक "पेट्रोलियम परिवहन परियोजनाओं" के अंतर्गत इंडियन आयल कारपोरेशन की विभिन्न परियोजनाओं को वित्त प्रदान कर रहा है जिसके लिए इंडियन आयल कारपोरेशन और विश्व बैंक के बीच 340 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहमति पर हस्ताक्षर किये गये हैं । इसमें से मेसर्स इंडियन कारपोरेशन ने सितम्बर 1990 मे 35 मिलियन अमेरिकी डालर की निकासी की है ।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

8674. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने स्वयंसेवी संगठनों ने 1991–92 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए अनुदान हेतु आवेदन किये हैं; और

(ख) अब तक कितने आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है और कितने आवेदन-पत्र अभी भी लम्बित हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) 1991–92 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से अनुदान हेतु आवेदन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की संख्या 93 थी ।

(ख) 1991–92 के दौरान अन्तिम रूप दिए गए आवेदन पत्रों की संख्या 50 थी और लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या 43 है ।

[अनुवाद] प्याज का निर्यात

9675. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र से प्याज का निर्यात करने का है क्योंकि चालू वर्ष के दौरान उसका अत्यधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां तो चालू वर्ष के दौरान उसका कितनी मात्रा में निर्यात करने का विचार है;

(ग) किन देशों को प्याज का निर्यात किया जायगा; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान प्याज का औसत निर्यात मूल्य क्या था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1992–93 के दौरान प्याज के निर्यात का अनुमान 3.50 लाख मीटर टन है, जिसमें महाराष्ट्र से निर्यात किये जाने वाले प्याज की मात्रा भी शामिल है ।

(ग) वे देश जिनको वर्ष 1992–93 के दौरान प्याज का निर्यात करने का प्रस्ताव किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सउदी अरब, डोह, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मारिशस, मालदीव, सिचलस, नेपाल और बंगला देश हैं ।

(घ) वर्ष 1991–92 के दौरान प्याज के निर्यात पर प्राप्त किया गया औसत निर्यात मूल्य का अनुमान अनन्तिम तौर पर 4400 रु० प्रति मीटरी टन लगाया गया है ।

पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई तथा वितरण

9676. श्री एम० बेनिस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण तथा ढुलाई का कार्य भारतीय गैस एजेंसी लिमिटेड को सौंपने का विचार है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में अग्नि कांड

8677. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप्रैल, 1992 को दिल्ली की जहांगीर पुरी में भयंकर आग लग गई थी और धन-जन की व्यापक हानि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन झुग्गियों में आग लगने के कारणों की जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) और (ख) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने सूचित किया है कि तारीख 3-4-1992 और 12-4-1992 को क्रमशः जहांगीर पुरी के सी तथा डी ब्लाक और भुलसवा डेरी स्थित झुग्गी-झोपड़ियों में आग लग गई थी ।

जहांगीर पुरी में आग लगने से एक बच्चे की मृत्यु हो गई । लगभग 657 झुग्गियां जल गईं । भुलसवा डेरी में आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और लगभग 400 झुग्गियां जलकर राख हो गईं ।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं और जांच शुरू कर दी है ।

अपंग/मंदबुद्धि बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं

8678. श्री परसराम भारद्वाज
कुमारी विमला वर्मा
कुमारी उमा भारती
श्री एन० जे० राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा देश में मन्दबुद्धि/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) उनके पुनर्वास हेतु राज्यवार कितनी संस्थाएं स्थापित की गई हैं/किए जाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) बच्चों सहित मानसिक रूप से विकलांग/मन्दबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जो योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, वे, हैं :—

1. विकलांग व्यक्तियों हेतु संगठनों को सहायता।
2. सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/लगाने हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना।
3. मस्तिष्क घात तथा मानसिक मन्दता वाले व्यक्तियों हेतु संगठनों को सहायता।
4. मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।
5. विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की योजना।

(ख) और (ग) बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले प्रत्येक संस्थान को 1992–93 के दौरान आबंटित की गई धनराशि सहित, नीचे दिए गए हैं :—

संस्थान	योजनागत	गैर–योजना
		(लाख में)
1. राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, देहरादून	150	158
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता	110	93
3. राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई	110	192
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद	150	90
5. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक	50	148
6. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली	60	151

1992–93 में कोई अन्य संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

मरुस्थल क्षेत्रों में कृषि का विकास

8679. श्रीमती वसुंधरा राजे क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में कृषि विकास हेतु नई योजनाए कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या ह और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) :

(क) जी हां । विविधिकृत भूमि उपयोग प्रतिमान का संवर्धन करने के लिए सरकार 1977-78 से मरुस्थल विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रही है ।

(ख) योजना का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल क्षेत्रों में वनरोपण, रेते के टीलों का स्थिरीकरण, "शेल्टर बेल्ट" पौद रोपण, चारागाह विकास, मृदा और नमी संरक्षण और जल-संसाधनों का विकास करने के माध्यम से इन क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, सूखे के प्रभाव को कम करना, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढ़ाना है । यह शतप्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है और यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों में चलाई जा रही है ।

(ग) राजस्थान के मरुस्थल में कृषि के विकास के लिये किसी नई योजना का प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं होता ।

अकबर होटल

8680. श्री रोशन लाल : क्या विदेश मंत्री 1 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 1226 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उनके मंत्रालय में कार्यरत पूर्व अकबर होटल के कर्मचारियों को खपाने और उनके वेतनमान निर्धारित करने हेतु अपेक्षित पद सृजित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त होटल को पुनः खोलने और भारत पर्यटन विकास निगम के सभी पूर्व कर्मचारियों को पुनः इस रोजगार में लेने के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह होटल कब तक चालू हो जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) :

(क) से (ग) : 117 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर यह मंत्रालय काम कर रहा है। जब तक इन पदों का सृजन नहीं हो जाता तब तक के लिए अगस्त, 1991 से इन लोगों की तनख्वाह अस्थायी रूप से चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित वेतनमानों में निर्धारित कर दी गई है। उन्हें मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते उसी तरह दिए जा रहे हैं, जिस तरह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

(घ) से (च) : इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आई० टी० डी० सी० द्वारा अकबर भवन को अपने अधिकार में लेकर उसे पुनः होटल बनाने का सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि विदेश मंत्रालय के कार्यालयों के लिए कोई उपयुक्त दूसरी जगह दे दी जाए।

दिल्ली में जाली करेंसी नोटों का पकड़ा जाना

8681. श्री ओंकार शर्मा
डा० सी० सिलवेरा
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल में कोई जाली करेंसी नोट पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली पुलिस ने और अधिक संख्या में इन नोटों को पकड़ने के लिए इन जाली नोटों का विवरण प्रकाशित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब):

(क) और (ख) दो मामले, एक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489 (ख) और (ग)/34 तथा दूसरी धारा 489 (ग) के अधीन क्रमशः दिनांक 10–4–1992 और 13–4–1992 को थाना ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर में दर्ज किए गए। 500/– रु० अंकित मूल्य वाले 98 जाली नोट बरामद किए गए।

(ग) और (घ) 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान् । ऐसे प्रकाशन के परिणामस्वरूप, इस आशय का समाचार पढ़ने के बाद 500/– रु० अंकित मूल्य वाले चार नोट, दो व्यक्तियों ने थाना ग्रेटर कैलाश में प्रस्तुत किए ।

(छ) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) ऐसी घटनाओं का प्रचार किया जाता है ।

(2) जब भी जाली नोट बरामद किए जाते हैं, तुरन्त कानूनी कार्रवाई की जाती है तथा सहायक पुलिस आयुक्त और पुलिस उप-आयुक्त की कड़ी निगरानी में मामले की जांच की जाती है

(3) सभी ए० सी० एस० पी/एस० एच० ओ०/क्षेत्रीय अधिकारियों/गश्त अधिकारियों और प्रभारी विशेष स्टाफ/सतर्कता को इस बारे में आपराधिक आसूचना एकत्र करने के लिए बताया जाता है ।

कर्नाटक के मात्स्यकी-संबंधी प्रस्ताव

8683. श्री ऑस्कार फर्नान्डीज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से मात्स्यकी के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में कितने मत्स्य ग्रहण स्थानों के विकास का कार्य शुरू किया गया है/शुरू करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) और (ख) माल्पे में छोटे मत्स्य पत्तन चरण-2 का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुआ है । कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय मात्स्यकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर से परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करें ।

(ग) राज्य सरकार मात्स्यकी पत्तन/मछली अवतरण केन्द्र स्थापित करने के लिए परि-योजनाओं का प्रस्ताव स्थानीय आवश्यकताओं और परियोजना लागत के अपने अंश को पूरा करने के लिये धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करती है ।

लीबिया में भारतीय मूल के लोग

8684. श्री गुरुदास कामत
श्री यशवन्तराव पाटील } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीबिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनमें से कुछ लोग भारत लौटना चाहते हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) उनकी वापसी को सुगम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) अनुमान है कि लीबिया में 13 हजार से 15 हजार के बीच भारतीय राष्ट्रिक हैं ।

(ख) जो लोग वापस लौटना चाहते हैं, वे लौट रहे हैं क्योंकि लीबिया से बाहर जाने वाले सड़क के रास्ते अभी भी खुले हैं और जो लोग लौटना चाह रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है ।

(ग) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितने लोग लौटना चाहते हैं ।

(घ) भारतीय राजदूत ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के परामर्श से, भारत लौटने के इच्छुक भारतीयों की सहायता करने की योजनाएं बनाई हैं, बशर्ते कि वे सामान्य मार्गों से न आ पा रहे हों या उन्हें किन्हीं खास कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो।

सुपारी का उत्पादन

8685. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार, कितने किस्म की सुपारी का उत्पादन होता है; और

(ख) किस किस्म की सुपारी की घरेलू खपत के लिए अधिक मांग है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) सुपारी उगाने वाले मुख्य क्षेत्रों में सुपारी की निम्नलिखित महत्वपूर्ण किस्में उगाई जाती हैं :—

राज्य का नाम	किस्मों का नाम
कर्नाटक	दक्षिण कनारा, थिरथाहाली
केरल	दक्षिण कनारा, मंगला, सुमंगला
महाराष्ट्र	श्रीवर्धन
तमिलनाडु	मेट्टुपल्लयम
पश्चिमी बंगाल	मोहित नगर
असम	काहिकुची

(ख) दक्षिण कनारा की, जिसे मंगलूर सुपारी कहा जाता है, स्वदेशी खपत के लिए अधिकतम मांग है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

8686. श्री आर० धनुष्कोडी आदित्यन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1991 के दैनिक समाचार पत्र में विश्व वित्त-पोषी निकायों के आधार पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन करने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को वित्तीय सहायता देने हेतु अनेक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने इसके वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने की शर्तें रखी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

21—99 LSS/93

(हिन्दी)

उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं और मक्का की फसलें

8687. डा० लाल बहादुर रावल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने क्षेत्रफल में गन्ना, गेहूं और मक्का की फसलें उगाई गयीं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना, गेहूं और मक्का के बारे में शोध और विकास कार्य हेतु कोई सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उक्त अवधि में इस संबंध में कोई शोध परियोजना शुरु की थी;

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(च) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) महोदय, उत्तर प्रदेश में कुल जितने क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान गन्ना, गेहूं और मक्के की खेती की गई उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान गन्ना, गेहूं और मक्का पर अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को उपलब्ध की गयी वित्तीय सहायता अनुबंध—II में दी गयी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं और मक्का पर अनुसंधान का कार्य भा० कृ० अ० परिषद् द्वारा समन्वित प्रायोजनाओं के तहत किया जा रहा है। एक गन्ना अनुकूलन अनुसंधान प्रायोजना भी चालू की गयी है।

(च) गन्ना अनुकूलन अनुसंधान प्रायोजना के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 508.21 लाख रु० की राशि जारी की गयी है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं और मक्का की, की गयी खेती का कुल क्षेत्र

फसलें	1988–89	1989–90	1990–91
	क्षेत्र	(हजार हैक्टर)	
गन्ना	1761.3	1761.3	1855.6
गेंहू	8702.3	8637.5	8489.6
मक्का	1153.9	1149.5	1132.8

अनुबंध—II

गन्ना, गेहूं एवं मक्का और केन्द्रीय क्षेत्र फसलोन्मुख योजना के अन्तर्गत अनुसंधान के लिए उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता ।

(लाख रु०)

	1989–90	1990–91	1991–92
गन्ना	304.15	418.61	442.51
मक्का	14.25	30.34	167.28 (मोटे अनाज शामिल हैं)
गेंहू	23.84	24.42	38.67

पेट्रोल और डीजल में रसायनों का मिलाया जाना

8688. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेथनॉल और एथनॉल को पेट्रोल में मिलाने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन रसायनों को डीजल में भी मिलाने की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) मामला विचाराधीन है ।

(अनुवाद)

कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के लीबिया के प्रयास

8689. श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लीबिया द्वारा कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाने के प्रयासों के संबंध में हाल ही में प्राप्त समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने यह मामला लीबिया के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लीबिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) और (ख) जी हां ।

(ग) 7 जनवरी, 1992 को लीबिया ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक पत्र भेजा था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि महा सभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रश्न पर विचार किया जा सके । तथाकथित अनिर्णीत राजनैतिक मुद्दों की सूची में "कश्मीर समस्या" का मुद्दा शामिल था। भारत ने लीबिया से कड़ा विरोध प्रकट किया था। लीबिया ने यह स्पष्टीकरण दिया था कि उनका विचार कश्मीर में आतंकवाद के खतरे को प्रकाश में लाना था। हमारी कार्यवाही के बाद लीबिया ने "कश्मीर समस्या के उल्लेख" को निकाल दिया था और तद्नुसार 21 जनवरी, 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने एक शुद्धि-पत्र जारी किया था ।

मछुआरों को रियायतें

8690. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्यन के आधुनिक तरीके को बढ़ावा देने हेतु परम्परागत मछुआरों को दी गई रियायतों तथा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

ऐसी कुछ प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें निम्नलिखित हैं, जिनके माध्यम से मत्स्यन की आधुनिक विधि को बढ़ावा देने के लिये पारम्परिक मछुआरों को रियायतें और सुविधायें दी जाती हैं :—

(1) पारम्परिक नौकाओं का यन्त्रीकरण;

(2) प्लाईवुड की नौकाओं का प्रयोग; और

(3) सुदूर तटवर्ती पेलाजिक (वेलापवर्ती) नौकाओं का प्रयोग ।

पारम्परिक नौकाओं के यन्त्रीकरण के लिये 10,000/- रुपये प्रति इंजन अधिकतम सीमा के अधीन आंउट बोर्ड मोटर/इन बोर्ड मोटर की लागत का 50% राज सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसका वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समान रूप से किया जाता है । प्लाईवुड की नौकाओं की शुरुआत करने के लिए 30,000/- रुपये प्रति नौका की अधिकतम सीमा के अधीन नौका की लागत का 25% राज सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है जिसका वहन केन्द्र व राज्य द्वारा समान रूप से किया जाता है । सुदूर तटवर्ती पेलाजिक (वेलापवर्ती) नौकाओं की शुरुआत करने के लिए 1.6 लाख रुपये प्रति नौका की अधिकतम सीमा के अधीन नौका की लागत का 25 % राज सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसका 75% केन्द्र द्वारा और 25 % राज्य द्वारा वहन किया जाता है ।

(4) यन्त्रीकृत / मोटरीकृत मत्स्यन नौकाओं जिनकी लागत का वहन केन्द्र और राज्य द्वारा 80 : 20 के आधार पर किया जाता है, में उपयोग में लाये जाने वाले एच० एस० डी० आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति ; और

(5) छोटे मात्स्यकी पत्तनों और मत्स्य अवतरण केन्द्रों का निर्माण, जिनकी लागत भी केन्द्र और राज्य द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन की जाती है ।

श्रीलंका के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की यात्रा

8691. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलका की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती सिरीमावो भंडारनायके ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा का उद्देश्य क्या था और भारतीय अधिकारियों के साथ हुई वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :

(क) और (ख) श्रीलंका की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती सीरीमावो भंडारनायके इलाज के लिए 12 मार्च से 1 अप्रैल, 1992 तक भारत यात्रा पर आई । वे भारत सरकार की मेहमान थीं इसलिए, विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा के प्रबन्धों का समन्वय किया ।

जजोबा की खेती

8692. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की जलवायु जजोबा की खेती के अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में जजोबा के खेती-क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) आठवीं योजना हेतु क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) 1991–92 के दौरान राजस्थान सरकार ने मार्गदर्शी आधार पर जजोबा की खेती अपने बल पर शुरू की है । इस समय जजोबा की खेती के तहत क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है । इसलिये अब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों पर हवाई हमला करने हेतु हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध

8693. श्री अजय कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नक्सलवादियों पर हवाई हमला करने के लिये केन्द्रीय सरकार से दो लड़ाकू हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जैसा कि 5 अप्रैल, 1992 के दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) से (ग) राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी नक्सल विरोधी कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में निगरानी रखने तथा कार्मिकों को लाने-ले आने के कार्य के लिए दो हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था । दूसरे राज्यों/संघ राज्यों की मांगों तथा साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिस सीमा तक सम्भव होता है, इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है ।

2000 इसवीं तक खुशहाली

8694. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु "प्रोसपेरिटी 2000" नामक व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना में ग्रामीण रोजगार पैदा करने का प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं होते ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को आवास का आवंटन

8695. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के पास अपने कर्मचारियों को आवंटित करने के लिये श्रेणीवार कुल कितने रिहायसी क्वार्टर हैं ?

(ख) क्वार्टरों के आवंटन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ग) इस समय कितने कर्मचारी आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा श्रेणी I, II और III के और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) क्या इन कर्मचारियों को आवंटन करने के लिए गैर-सरकारी आवास किराये पर लेने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उसके कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए सामान्य पूल में कुल 6558 आवासीय फ्लैट उपलब्ध हैं । इन फ्लैटों का टाइप-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

टाईप	फ्लैटों की संख्या
ए	2120
बी	2810
सी	724
डी	575
ई	108
ई–I	20
ई–II	1

इसके अलावा पुलिस, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और सहायक अस्पतालों तथा तिहाड़ जेल के लिए विशेष पूल हैं ।

(ख) सरकारी आवास का आवंटन दिल्ली प्रशासन आवास आवंटन (सामान्य पूल) नियम, 1977 के अनुसार किया जाता है ।

(ग) इस समय 13507 कर्मचारी आवंटन के इन्तजार में हैं ।

(घ) दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान से धीरपुर में 42 एकड़ जमीन सामान्य पूल के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए खरीदी है । दिल्ली विकास प्राधिकरण से भी स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए द्वारिका तथा नरेला में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

सुपारी का खेती क्षेत्र

8696. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में सुपारी की खेती की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में सुपारी की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में सुपारी की खेती के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का ब्यौरा विवरण के रूप में परिशिष्ट में राज्य वार दर्शाया गया है ।

(ख) और (ग) इस समय सुपारी की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है । वर्तमान बागानों की उत्पादकता में सुधार लाकर मांग की पूर्ति करने का प्रस्ताव किया गया है ।

विवरण

1989-90 से 1990-91 के दौरान सुपारी का राज्यवार क्षेत्र

(क्षेत्र '000 हेक्टेयर में)

	1988-89	1989-90	1990-91
आन्ध्र प्रदेश	0.2	0.2	0.2
असम	59.8	63.1	63.1
गोवा	1.3	1.3	1.3
कर्नाटक	61.1	62.9	63.1
केरल	62.5	63.2	62.1
महाराष्ट्र	1.8	1.9	1.9
मेघालय	6.1	6.1	6 1
मिजोरम	नगण्य	0.1	0.1
तमिलनाडु	4.2	4.1	3.9
त्रिपुरा	1.2	1.2	1.2
पश्चिम बंगाल	5.3	5.3	5.3
पांडिचेरी	—	0.1	0.1
अखिल भारत	203.6	209.5	208.4

सशस्त्र पुलिस बलों का दर्जा

8697. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के सशस्त्र पुलिस बलों के दर्जे को जांच करने हेतु कोई पैनल गठित करने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पैनल अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) से (ग) "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण राज्यों में सशस्त्र पुलिस बलों में सुधार करना और उनकी जांच करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार ने कोई पैनल गठित नहीं किया है।

मत्स्य पत्तन

8698. श्री एम० डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग में मानसून के दौरान मछली पकड़ने में मछुआरों को आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए मत्स्य पत्तन खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) और (ख) मात्स्यिकी बन्दरगाह स्थापित करने के प्रस्ताव राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा किए जाते हैं। केरल में मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण हेतु दो प्रस्ताव अप्रैल, 1992 से प्राप्त हुए हैं।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

8699. श्री प्रवीण कुमार पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से मार्च, 1992 के दौरान कितने प्रतिशत प्राकृतिक गैस जलाई गई तथा वह कितने मूल्य की थी ;

(ख) उससे कुल कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इस गैस का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का विचार है ?

22—99 LSS/93

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)

(क) और (ख) जनवरी, 1991 से मार्च, 1992 की अवधि के दौरान लगभग 5500 एम० एम० एस० सी० एम० गैस जलाई गई थी जो देश में उत्पादित कुल गैस का लगभग 23 प्रतिशत है और संदर्भगत समय पर विद्यमान बिक्री मूल्य पर इसका मूल्य 700 करोड़ रुपए (लगभग) आंका गया है ।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना पश्चिमी अपतट में क्रियान्वित की जा रही है । गुजरात और असम में गैस के दहन में कमी करने के लिए भी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

उड़ीसा में नये राज्य का सृजन

8700. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ संगठनों ने एक नये राज्य कोसला का सृजन करने का आह्वान किया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) और (ख) भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डेयरी तथा मुर्गीपालन विकास योजनाएं

8701. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने डेरी तथा मुर्गीपालन के विकास के लिये किन-किन कार्यक्रमों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन किया है;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार तथा वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) 1992–93 के लिए किन-किन कार्यक्रमों और योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1991–92 के दौरान डेरी तथा मुर्गीपालन विकास परियोजनाओं के लिये अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ;

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(च) ऐसे कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है और उनके लिये कितनी धनराशि का परिव्यय था; और

(छ) ये परियोजनाएं, राज्य-वार किन-किन स्थानों पर हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा डेयरी और मुर्गी पालन विकास के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं :-

(1) आपरेशन फ्लड-3 ।

(2) दिल्ली दुग्ध योजना ।

(3) दिल्ली में तीसरी डेयरी की स्थापना ।

(4) डेयरी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन ।

(5) समेकित डेयरी विकास परियोजना ।

(6) स्विस सहायता प्राप्त डेयरी विकास परियोजना ।

(7) राज्य मुर्गी पालन निगमों/परिसंघों को सहायता ।

(8) ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिये बैकयार्ड मुर्गी पालन यूनिटों की स्थापना हेतु राज्यों को सहायता ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित (1) से (4) तक की मदों की योजनाओं के लिये डेयरी विकास हेतु धन मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त किया गया । 1989-90 से 1991-92 के दौरान निर्मुक्त धन इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

	निर्मुक्त धन
1989-90	6038.97
1990-91	4127.65
1991-92	7649.00

पिछले तीन वर्षों में दी गई केन्द्रीय सहायता उपर्युक्त (क) में मद (5) से (8) तक के लिये का राज्यवार, वर्ष-वार विवरण-I संलग्न है ।

(ग) वर्ष 1992-93 में डेयरी और मुर्गी पालन विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें प्रस्तावित हैं :—

(1) आपरेशन फ्लड-3 ।

(2) दिल्ली दुग्ध योजना ।

(3) दिल्ली में तीसरी डेयरी की स्थापना ।

(4) डेयरी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन ।

(5) जर्मनी से गायें मंगाना ।

(6) दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश ।

(7) आपरेशन फ्लड के बाहर के, पर्वतीय, तथा पिछड़े इलाकों में समेकित डेयरी विकास परियोजना ।

(8) केरल में स्विस सहायता प्राप्त डेयरी विकास परियोजनायें ।

(9) राष्ट्रीय मुर्गी पालन विकास एजेंसी/बोर्ड ।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मुर्गी पालन तथा डेयरी विकास के लिये वर्ष 1991-92 के दौरान 124 प्रस्ताव मिले ।

(ङ) से (छ) स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या तथा प्रस्तावों के स्थानों आदि के बारे में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है ।

विवरण-I

1989-90, 1991-92 के दौरान डेयरी और कुक्कुट पालन के विकास के लिए निर्मुक्त राज्यवार निधि को दर्शाने वाला विवरण ।

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	11.31	10.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.14	0.75	0.25
3.	असम	0.38	—	20.00
4.	बिहार	0.86	1.31	—

1	2	3	4	5
5.	गोवा	--	0.75	--
6.	गुजरात	0.58	3.50	0.43
7.	हरियाणा	0.58	1.31	0.43
8.	हिमाचल प्रदेश	7.82	13.49	--
9.	कर्नाटक	0.58	1.31	--
10.	केरल	140.42	26.31	150.00
11.	मध्य प्रदेश	--	2.63	20.00
12.	महाराष्ट्र	0.58	1.31	0.43
13.	मणिपुर	0.31	--	--
14.	मेघालय	0.33	0.75	0.25
15.	मिजोरम	0.58	1.31	0.43
16.	नागालैंड	--	0.75	0.25
17.	उड़ीसा	8.42	12.44	30.81
18.	पंजाब	0.58	1.31	0.43
19.	राजस्थान	10.00	1.88	0.63
20.	तमिलनाडु	5.43	6.56	--
21.	त्रिपुरा	0.62	1.73	0.58
22.	उत्तर प्रदेश	6.20	12.63	15.88
23.	पश्चिम बंगाल	--	1.03	--
24.	सिक्किम	0.15	--	--
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	--	--
26.	दादर और नागर हवेली	--	0.64	0.25
27.	लक्षद्वीप	0.16	0.75	0.25
28.	पाण्डिचेरी	0.29	0.75	0.25

विवरण—II

1991–92 के दौरान प्राप्त की गई तथा मंजूर की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की अवस्थिति	ब्लॉक लागत	रा० स० वि० नि० की सहायता का अंश	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**कुक्कुट विकास**						
	1. महाराष्ट्र	87 उत्पादन इकाइयां	14	जिले —— अहमदनगर (1) धुले (2) जलगांव (1) नांदेड (1) पुणे (2) औरंगाबाद (1) कोल्हापुर (4) सांगली (1) वर्धा	1120	1064	शेष 73 परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए हैं तथा उनकी प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	5 उत्पादन इकाइयां	—	—	600	—	नेल्लूर में एक परियोजना का मूल्यांकन किया गया राज्य सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है गुंटूर (2) तथा पश्चिमी गोदावरी (2) के अन्य प्रस्तावों की विवेचना की जा रही है ।
3.	उड़ीसा	दो चरणों में 29 उत्पादन इकाइयों सहित समन्वित परियोजना	—	—	2350	—	10 समितियों को शामिल करते हुए चरण-1 के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है । चरण—1 के तहत परियोजना की मंजूरी के बाद चरण-2 के लिए मूल्यांकन किया जाएगा ।

विवरण-II (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. नागालैण्ड	1 समन्वित परियोजना	—	—	84	—	मूल्यांकन किया जा रहा है।
2.	**डेयरी विकास**						
	1. तमिल नाडु	1	1	श्रीविल्लिपुत्तुर (जिला कामराज)	465.50	325.85	—
	2. महाराष्ट्र	1	--	बाभलश्वर (जिला अहमदाबाद)			प्रस्ताव की जांच की गई। संशोधित लागत 105 लाख रुपये निर्धारित किया गया। तद्नुसार राज्य सरकार को सिफारिश भेजने के लिए कहा गया।

आर्थिक सहयोग संगठन सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा

8702. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में तेहरान में हुए प्रथम आर्थिक सहयोग सम्मेलन के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था;

(ग) क्या सम्मेलन की वार्ता में कश्मीर का मुद्दा भी शामिल किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य देशों को इस मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में अवगत करा दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) :

(क) जी हां ।

(ख) आर्थिक सहयोग संगठन (ई० सी० ओ०) के शिखर सम्मेलन में इसके तीन संस्थापक सदस्यों अर्थात पाकिस्तान, टर्की और ईरान के अलावा अजरबेजान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान ने भाग लिया और कजाकिस्तान ने विशेष आमंत्रण के आधार पर इसमें भाग लिया ।

(ग) से (च) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आर्थिक सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी तेहरान विज्ञप्ति जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी गई है, में निम्नलिखित पैरा शामिल था, "राज्याध्यक्ष / शासनाध्यक्ष इस बात पर सहमत हैं कि आर्थिक विकास के लिए इस क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा की स्थापना एक प्रथम आवश्यकता है । जम्मू और कश्मीर में बिगड़ती हुई स्थिति पर गौर करते हुए उन्होंने इस बात की आ-वश्यकता पर बल दिया कि कश्मीरी लोगों के मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप मुद्दों का निपटारा किया जाना चाहिए जिनका लम्बे समय से चली आ रही वचनबद्धताओं के अधीन अभी पता लगाया जाना है ।"

सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अनुसार पाकिस्तान के साथ सभी मत-भेदों को द्विपक्षीय और शान्ति पूर्ण तरीके से हल किया जाना है । इस संबंध में किसी बाहरी व्यक्ति अथवा तीसरे पक्ष के किसी प्रकार के सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं है

23—99LSS/93

आर्थिक सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की सरकारें कश्मीर पर भारत सरकार की विदित नीति से पूर्णतः परिचित हैं । इस बारे में भारत की स्थिति की जानकारी विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय सम्पर्कों के दौरान उन्हें दी जाती रही है ।

दूसरे देशों के नौसैनिक पोतों को अनुमति

8703. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूसरे देशों के परमाणु अस्त्रों से रहित प्रमाणीकृत नौसैनिक पोतों को भारत आने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान परमाणु अस्त्रों से युक्त दूसरे देशों के नौसैनिक पोतों ने भारत का दौरा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) (क) से (ङ) सरकारी नीति के अनुसार, जिससे विदेशी सरकारों को अवगत करा दिया गया है, हम उन विदेशी युद्ध पोतों को भारतीय बंदरगाहों में आने की इजाजत नहीं देते जिनके बारे में यह जानकारी हो कि वे नाभिकीय अस्त्र ले जा रहे हैं ।

किरघिजस्तान का यूरेनियम देने का प्रस्ताव

8704. श्री साईमन मरान्डी
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किरघिजस्तान के राष्ट्रपति ने भारत को यूरेनियम देने का प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नव गठित स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमण्डल के किसी राज्य ने भी भारत को यूरेनियम देने का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) :

(क) और (ख) 18 मार्च को अपने संवाददाता सम्मेलन में किरघिजस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था कि यूरेनियम के उत्पादन और वितरण पर किरघिजस्तान, रूस और कजाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय करार है। किरघिजस्तान उन देशों को छोड़कर जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने "अवांछित" माना हुआ है, कड़े आई० ए० ई० ए० सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत अन्य देशों को समृद्ध यूरेनियम बेचने के लिए इच्छुक है। सरकार ने इस बयान पर गौर किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(अनुवाद)

विदेशी राजनयिकों के साथ बातचीत में हिन्दी का प्रयोग

8705. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्री बलराज पासी
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्री नरेश कुमार बलियान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई अनुदेश जारी किया गया है कि विदेश स्थित भारत के राजनयिकों और अधिकारियों को विदेशी राजनयिकों के साथ बातचीत करते समय यथासंभव हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए;

(ख) क्या इस संबंध में साथ-साथ भाषान्तरण की कोई सुविधा प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : **(क) से (ग)** विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय शिष्टमण्डलों द्वारा बातचीत में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में समुचित निर्देश विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों को परिचालित किये गये हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीय हिन्दी समिति की 18 सितम्बर, 1985 को हुई बैठक में कुछ सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव, कि भारत के बाहर विदेशों में हमारे राजनयिक और अधिकारी विदेशों के राजनेताओं से जहां तक सम्भव हो सके, बातचीत में हिन्दी का प्रयोग करें, से अवगत कराया गया है। उन्हें संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय (संसदीय कार्य विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति की 30 सितम्बर, 1985 को हुई बैठक में भी कुछ सदस्यों द्वारा इस विषय पर दिये गये सुझाव से अवगत कराया गया है। जब हमारे राष्ट्रीय नेता विदेशों की यात्रा पर जाते हैं तो वे उस देश में अपने समकक्ष सहयोगियों के साथ अपनी बातचीत में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यद्यपि हिन्दी भाषान्तरकार का अलग से कोई पद नहीं है, परन्तु भारतीय मिशनों में नियुक्त अधिकतर कर्मचारी हिन्दी जानते हैं और वे भाषान्तरण का कार्य कर सकते हैं।

(हिन्दी)

टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

8706. श्री जगबीर सिंह
श्री एम० के० राठवा } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991 से अब तक विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा टाडा के प्रावधानों का दुरूपयोग किये जाने संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर क्या कारंवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार टाडा के प्रावधानों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) टी० ए० डी० ए० के अन्तर्गत केवल संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में गिरफ्तारियां की गईं। 1 जून, 1991 से दिसम्बर 1991 तक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में तथा चण्डीगढ़ में क्रमशः 130 तथा 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ख) से (घ) : बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों द्वारा टी० ए० डी० ए० का तथा कथित दुरूपयोग करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, अतः मामला राज्य सरकार के इस अनुरोध के साथ भेजा गया है कि वे टी० ए० डी० ए० के उपबंधों को अत्याधिक सावधानी तथा सतर्कता से लागू करें।

(ङ) इस समय अधिनियम को संशोधित करने का कोई विचार नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख की समस्याओं पर आयोगों की सिफारिशें

8707. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दाख के निवासियों की समस्याओं के अध्ययन के लिए गजेन्द्र गडकर आयोग और सीकरी आयोग गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को मिल गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन रिपोर्टों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम०जेकब) : (क) से (घ) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा अकसर जन सामान्य में परिचर्चा का विषय रहा और समय-समय पर विभिन्न समितियां एवं आयोग राज्य सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों की जांच करने तथा उन पर अपनी संस्कृति देने के लिए नियुक्त किए गए जो क्षेत्रीय समानता के लिए काफी सहायक हो सकें। इनमें न्यायमूर्ति श्री पी० बी० गजेन्द्र गडकर तथा न्यायमूर्ति श्री एस० एम० सीकरी की अध्यक्षता में क्रमशः नवम्बर, 1967 तथा जून, 1979 में गठित आयोग शामिल थे।

गजेन्द्र गडकर एवं सीकरी आयोगों द्वारा क्रमशः दिसम्बर, 1968 तथा अगस्त, 1980 में प्रस्तुत संस्कृतियां/प्रतिवेदन जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिए गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने आगे सूचित किया है कि आयोगों द्वारा की गई अनेकों संस्कृतियों पर उनके द्वारा समय-समय पर उपयुक्त कारंवाई की गई है।

[अनुवाद[

डा० अम्बेडकर के कार्यों और भाषणों का प्रकाशन

8708. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति द्वारा डा० बी० आर० अम्बेडकर के कार्यों और भाषणों को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) डा० अम्बेडकर की कृतियों और भाषणों के 12 खण्डों के हिन्दी तथा 8 अन्य भारतीय भाषाओं अर्थात् बंगला, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड, उड़ीया, पंजाबी और गुजराती में अनुवाद और प्रकाशन कराने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग को 1991–92 के दौरान 38 लाख रु० की राशि विमुक्त की गई है। इस योजना के लिए 1992–93 की वार्षिक योजना में 80 लाख रु० के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस काम को मानीटर करने हेतु एक सैल की स्थापना की है। प्रकाशन प्रभाग इस काम को प्राईवेट प्रकाशकों, साहित्य अकादमी तथा पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय को सौंपने की संभावनाओं का भी पता लगा रहा है।

कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ

8709. श्री शंकर सिंह वाघेला
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4000 पाक-प्रशिक्षित आतंकवादी और विध्वंसात्मक गतिविधियों हेतु कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा कि 14 जनवरी, 1992 के "द हिन्दू" में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) ऐसी सूचनाएं हैं कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान में प्रशिक्षित उग्रवादी, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां करने के लिए कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के अवसर की इन्तजारी में हैं। सीमा पर सख्त निगरानी होने के कारण ये आतंकवादी बड़ी संख्या में घाटी में प्रवेश करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा बल घुसपैठ रोकने के अपने प्रयास जारी रखेंगे।

सुपारी के बाजार मूल्य

8710. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपारी का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ने के बावजूद सुपारी के बाजार मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सुपारी के बाजार मूल्य में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : जी हां। सुपारी के थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981–82) में 1989–90 में 2.6 प्रतिशत, 1990–91 में 66.6 प्रतिशत और 1991–92 में 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तेल की खोज संबंधी तकनीक

8711. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र में तेल के भंडारों की प्रकृति और उनकी क्षमता के बारे में विस्तृत भूकंपीय आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए कोई तेल की खोज संबंधी नई तकनीक अपनायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप तेल और गैस के कितने भंडारों का पता लगाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हाँ। पश्चिमी क्षेत्र में त्रिआयामी भूकंपन प्रणाली के नाम से जानी जाने वाली एक नयी अन्वेषण तकनीक प्रयोग में है। इस तकनीक को विभिन्न स्थानों में प्रयोग में लाया गया है जिसमें गुजरात के वलोल, जोटाना, लिंच, नंदासन, साउथ, कड़ी-विराज, नादा और लिम्बोदरा शामिल हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके उत्तरी गुजरात के जोटाना क्षेत्र में चार स्थानों को निर्दिष्ट किया गया था जिसका परीक्षण वेधन करने पर ज्ञात जोटाना क्षेत्र का उत्तरी एक्सटेंशन महत्वपूर्ण साबित हुआ।

नेप्था का उत्पादन

8713. **श्री एच० डी० देवगौड़ा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित कच्चे तेल की वास्तविक उत्पादन लागत को मिलाकर तैयार किए गए प्रति टन नेप्था की लागत कितनी है;

(ख) आयातित कच्चे तेल से तैयार किये गये नेप्था की प्रति टन लागत कितनी है;

(ग) इस समय देश में कुल कितनी मात्रा में नेप्था का उत्पादन किया जा रहा है; और

(घ) कितनी मात्रा में नेप्था का निर्यात किया जा रहा है और प्रति टन इसका मूल्य कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) :

चूंकि कच्चे तेल की वास्तविक उत्पादन लागत क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न-भिन्न होगी, अत: नेप्था की लागत भी भिन्न होगी। नेप्था की लागत संसाधित क्रूड की किस्म—आयातित या स्वदेशी, और रिफ़ाइनरी के आकार पर भी निर्भर होगी।

(ग) और (घ) वर्ष 1991–92 के दौरान, 4.9 एम० एम० टी० नेप्था का उत्पादन हुआ और लगभग 1.42 एम० एम० टी० का निर्यात 4537/- रुपये एम० एम० टी० की औसत दर पर किया गया था।

वनस्पति तेलों के लिए दीर्घकालीन नीति

8714. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के बीच वनस्पति तेलों के लिए एक दीर्घकालीन नीति पर नई दिल्ली में 7 फरवरी, 1992 को हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां। इस पर 6 फ़रवरी, 1992 को हस्ताक्षर किए गये।

(ख) यह समझौता वनस्पति तेल के लिए दीर्घकालीन नीति स्ट्रैटजी (चरण–2) संबंधित है। प्रथम चरण तिलहन क्षेत्र के विकास के विभिन्न पहलुओं तथा उत्पादन संसाधन विपणन तथा खपत के लिए उनके दीर्घकालीन प्रभाव पर अध्ययनों से संबंधित था। हाल की परियोजना उक्त अध्ययनों, अर्थात् तिलहन विकास के लिए कार्य नीति तथा नीतिगत मामलों पर विचार। विमर्श करने के विस्तार तथा त्वरित कार्रवाई तथा तकनीकी सहायता की प्राथमिकताओं के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने से संबंधित है। यह परियोजना 30000 अमेरिकी डालर के आबंटन से खाद्य और कृषि संगठन के तकनीकी सहयोग द्वारा वित्त पोषित की जाती है।

12.00 मध्याह्न

संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा भारत के विरुद्ध सुपर 301 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने बारे में

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध सुपर 301 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा की मांग करते हैं। समूची सभा इसकी निन्दा करने में सर्वसम्मत है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, मैं समझता हूं कि आप इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं इस मुद्दे पर आपको अपनी बात कहने की अनुमति देने का इच्छुक हूं। लेकिन एक-एक करके अपनी बात रखिये।

... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया समझने की कोशिश करें। अपने स्थान से ही इस प्रकार के निदेश मत दीजिये। यदि आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, तो केवल चार सदस्य बोल सकते हैं। यदि आप यहां पर किसी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं तो चार से अधिक भी बोल सकते हैं। यदि आप 193 के अंतर्गत चर्चा करना चाहते हैं, तो कोई समय नहीं है क्योंकि चर्चा के लिए अन्य मुद्दे भी हैं। कृपया यह मत समझें कि अध्यक्षपीठ से निर्णय लेने वाली शक्तियां आपके हाथ में हैं क्योंकि निपटान हेतु लम्बित पड़े सभी मामलों की पूरी जानकारी आपको नहीं है।

... (व्यवधान) ...

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने इस बहस की इजाजत दी है, यह पूरी होनी चाहिए, वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री दोनों को बैठने का आदेश दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि अगर वे अन्यथा व्यस्त नहीं हैं, तो वे सभा में आने ही वाले हैं ।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक): दिल्ली के मामले पर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए । मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मेरा कहना है कि पहले बयान को करिये । (व्यवधान) । विवरण देने दीजिये ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री से बातचीत करना चाहूंगा । मैं थोड़ी देर में इस बात को पुनः लूंगा । यह पूरा मामला बड़ा महत्वपूर्ण है । कल गृह मंत्री ने मुझे यह विवरण दिया था । सम्भवतः उनके पास कुछ और अधिक जानकारी है और वे उस विवरण को संशोधित करना चाहते हैं ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : विवरण को अद्यतन किया जाना है और इसका हिन्दी में अनुवाद भी होना है और इस प्रकार से यह विवरण 2.30 म० प० अथवा 3.00 म० प० तक विवरण के लिए तैयार हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपको दिया जायेगा । उस समय, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : स्टेटमेंट से पहले जो वहां की स्थिति है वह मैं बताना चाहता हूं जिससे स्टेटमेंट में उसका जवाब भी आ जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप पहले अपनी स्थिति बयान कर दें, फिर स्टेटमेंट होगा, इसके बाद मैं जार्ज साहब को बुलाऊंगा ।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी वेदना से और दुखी मन से जो दिल्ली में कल भयंकर बम कांड हुआ है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । पिछले 6 दिन से लगातार दिल्ली में चार बम कांड हुए और उस विषय को यहां पर उठाया गया, परन्तु सरकार की ओर से उसके सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं आया । सरकार क्या एक्शन ले रही है उन्होंने इसका कोई महत्व नहीं समझा । अगर सरकार इसके महत्व को समझती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो कांड हुआ है 29 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, आज भी सुबह मैं वहां गया था कल भी दो घंटे रहा था, चार लाशें आज भी निकली हैं, कुछ लाशें ऐसी हैं जिनका सिर उड़ गया है और मलबे में दबी हुई हैं, कई के हाथ नहीं हैं, कई के पांव नहीं हैं । मै यह बताना चाहता हूं यह कांड कल दिन में दस बजकर बीस मिनट पर हुआ । वहां के कार्पोरेशन के कमिश्नर बीस मिनट के बाद पहुंच

गये, परन्तु चीफ़ इंजीनियर जब तीनों बिल्डिंग्स स्वाहा हो गईं, ध्वस्त हो गईं, उसके नीचे दबकर लोग मर गये, कारपोरेशन को कार्य करना चाहिए था मलबे को हटाकर लोगों को निकालने का, चीफ़ इंजीनियर* हैं......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : ढहने के बाद वह डेढ़ बजे आये और 12.30 बजे जो 12 बेलदार वहां आये, उनमें अधिकतर महिलाएं थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम में अपनी बात निवेदन कर दूं लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। वहां के निवासियों ने मलवे को हटा हटाकर तीन बजे तक लाशें निकालीं जबकि ये बेलदार वहां पर 2 बजे आए । उनके पास फावड़े थे और उससे पहले जो बेलदार आये थे वे निहत्थे थे । जब कोई बिल्डिंग गिरती है और जिनके पास फावड़े नहीं हैं, जिनके पास शौवल्स नहीं है, क्या वे मलबे को हटा सकते हैं ? चीफ़ इंजीनियर ने वहां मौजूद उत्तेजित भीड़ के साथ इस संवेदना के मौके पर जो व्यवहार किया, वह बहुत ही अशोभनीय है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहले पुलिस ने यह कांड गैस सिलेंडर फटने का बनाया जो पुलिस का पुराना रवैया है । तारीख 23 को पहाड़गंज में जो बम विस्फोट हुआ, उसको भी गैस सिलेंडर फटने का कारण बताया...

अध्यक्ष महोदय : खण्डेलवाल जी, स्टेटमेंट आने तक इस पर क्यों बहस कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं दो या तीन मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा । कृपया मुझे बोलने का समय दें ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ टाईम का सवाल नहीं है। आज आप जो बोल रहे हैं, वह एफेक्टिवली आना भी चाहिए । आप स्टेटमेंट आने तक रुकिये, वे क्या कहते हैं, जरा सुनिये तो सही ।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष जी, स्टेटमेंट पता नहीं किस टाईम पर आयेगा, मैं उस समय यहां हूं या नहीं हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपको यहां रहना चाहिये, इतना अहम मामला है ।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष जी, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह देता। तो पुलिस ने पहले सिलेंडर फटने का मोड़ दिया, उसके बाद रसायन के कारण आग लगी, इसको मोड़ दिया। तीन बिल्डिंग्ज गिर गयीं और पास की दो बिल्डिंग्ज इतनी खराब हो चुकी हैं कि उनको भी गिराना पड़ेगा। आधे किलोमीटर तक की दूरी पर जितने मकान हैं, उनमें दरारें आ गयी हैं। इतना बड़ा भयंकर विस्फोट था। तो पुलिस हमेशा ही मोड़ देती है, यह मुनासिब नहीं है। मैं दो-तीन मांगें करना चाहता हूं। होम मिनिस्टर बयान दें, उसमें उनका क्या दृष्टिकोण है वे रखें ? मैं मांग करता हूं कि जो लोग मरे हैं, उन्हें दो लाख रुपया और जो इन्जर्ड हैं, उनको पचास हजार रुपया दिया जाये। इस पर एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि सदन में हमेशा मंत्री महोदय तो बतायेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, में आपका अटेंशन चाहता हूं। सदन के विभिन्न सदस्यों ने अलग-अलग कांड में मुआवजा की मांग की है परन्तु सरकार ने कभी उसका रिएक्शन या उसका उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन मांगों के प्रति उदासीन क्यों है ? अगर सरकार खुलकर कहती है तो कहे कि बीस हजार रुपया देगी लेकिन लोग जाने तो सही कि सरकार ने मनुष्य के जीवन की कितनी कीमत तय की है ? मैं चाहता हूं कि सरकार दो लाख रुपया दे और प्रधानमंत्री भी अपने फण्ड में से इस काण्ड के लिए दें।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार का जहां तक दायित्व है, मैं एक निवेदन अपने सांसदों से भी करना चाहता हूं कि हमारे सांसदों का भी एक दायित्व है जनता के प्रति। जो बाहर के सांसद हैं, यहां पर अर्थात् दिल्ली में छः माह तो रहते ही हैं, यह दिल्ली उनका सेकेण्ड होम है। यह उनके परिवार का अंग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के साथ-साथ एक बहुत अच्छी सद्भावना पब्लिक में होगी 500/– रु० प्रति सदस्य अगर इसमें अपना योगदान दे तो संसद सदस्यों के प्रति जनता में एक बहुत बड़ी भावना फैलेगी। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई परम्परा भी नहीं डालना चाहता हूं। यह केवल इसलिए है कि आप और हम लोग दिल्ली में रहते हैं और एक स्पेशल काण्ड हुआ है। बहुत से सदस्यों ने इसका स्वागत किया है, आश्वासन दिया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और दिल्ली की जनता भी उनका आभार व्यक्त करेगी। .... (व्यवधान) .....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जितेन्द्रनाथ दास (जलपाईगुड़ी) : इस मुद्दे पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। वास्तव में, मैं उस स्थान पर गया हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जब स्टेटमेंट आयेगा तो आप उस पर क्लेरिफिकेशन्स अलाऊ नहीं करेंगे। आप देखिये कि दिल्ली में बराबर ऐसी घटनायें घट रही हैं, जन-जीवन बिल्कुल भयभीत है और यह मामला

भारत सरकार के अन्तर्गत आता है। भारत सरकार को इसकी रेस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे उसके बाद हम लोगों का अधिकार तो रहेगा नहीं। आप स्वयं जजमेंट कर लेंगे कि उसके बावजूद सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इसको किसी न किसी रूप में डिस्कशन के लिए रखेंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है। ...(व्यवधान)...।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सभी पर डिस्कस करना चाहूंगा, पर आपके पास टाइम नहीं है।

...(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान : कालिंग अटेंशन में नहीं रख सकते हैं? यह मेरा सुझाव है। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, मैंने उस स्थान का दौरा किया था जहां यह विस्फोट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास वक्तव्य देने के लिए कुछ नहीं है। आप ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : मैं दिल्ली में हुए विस्फोट पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं। मैंने उस स्थान का दौरा किया है।

अध्यक्ष महोदय : जिस सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में वह विस्फोट हुआ है, उसने पहले ही इसका जिक्र कर दिया है। अतः यह आवश्यक नहीं है और यदि आपके पास कोई जानकारी है तो आप इसे मंत्री जी को दे दें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, यह अच्छा होता अगर वाणिज्य मंत्री बाद में बोलते। ...(व्यवधान)...।

अध्यक्ष महोदय : ये थोड़ा सा इनीशिएट कर दें फिर आप बोल लें।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय इस मामले पर विचार-विमर्श किया जाना है। मुझे पता चला है कि श्री बसुदेव आचार्य, श्री जार्ज फर्नांडीज और अन्य माननीय सदस्यगण इस पर एक उचित तरीके से चर्चा करना चाहते हैं।

मेरा आपके विचारार्थ यह सुझाव है कि आप सोमवार को एक ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव स्वीकार करने पर विचार करें क्योंकि मुझे इस अवधि के दौरान हमारे दूतावास से अधिसूचना की एक प्रति प्राप्त होने की उम्मीद है। मैं समझता हूं कि यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण और अवांछनीय है।

दूसरे, पिछले दस महीनों में, कुछ लोगों में यह संदेह व्यक्त किया गया था कि भारत दबाव में आ जाएगा और अपने अत्यावश्यक राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं करेगा। वास्तव में, इस निर्णय का एक दृढ़ पहलू है। यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि, पिछले दस महीनों में, वास्तव में हमने अपने अत्यावश्यक राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। अतः, महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस अवधि के दौरान मुझे अधिसूचना की प्रति प्राप्त होने की आशा है। इसलिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा किसी भी उचित तरीके से इस पर विचार-विमर्श के लिए सोमवार का दिन निश्चित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उस मुद्दे पर मैं पहले ही अपना अभिमत व्यक्त कर चुका हूं। यदि आप ध्यानाकर्षण चाहते हैं, तो मुश्किल से चार व्यक्ति बोल सकते हैं। हम अन्यों के विचार भी सुनना चाहेंगे, जोकि आपके लिए भी सहायक हो सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : आप एक उचित निर्णय कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, मंत्री जी के ब्यान के बारे में मेरी अपनी राय है कि हम लोग अपने विचार यहां पर रखें। बाद में जैसा आप कराना चाहेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगर संभव होगा तो। . . .

श्री जार्ज फर्नांडीज : . . . हम उसका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी यह कहा कि पिछले 10 महीनों से यह सारा मामला चल रहा था और एक ऐसी बात चल पड़ी थी कि सरकार अमेरिका के सामने झुक रही है, और अभी उन्होंने कहा कि अभी सुबूत मिल गया कि हम लोग नहीं झुक रहे हैं। कौन सा सुबूत मंत्री जी ने यहां दिया या कौन सा सुबूत वाशिंगटन से यहां आया कि सरकार नहीं झुक रही है, यह मैं नहीं समझ पाया।

अध्यक्ष जी, आज स्थिति यह बनी है कि पिछले 10 महीनों से इस सदन के कई सदस्य और देश के कई लोग कह रहे थे कि अमेरिका इस देश को दबाना चाहता है अनेक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके इस देश के विकास के काम को रोकना चाहता है और विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास तक नहीं है बल्कि इस देश का अपने पैरों पर खड़ा होना

और दुनिया में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आना यह अमेरिका और गोरी चमड़ी के लोगों को मंजूर नहीं है, यह हम एक अरसे से महसूस करते थे और कहते भी थे। आज उसका एक और उदाहरण हम लोगों के सामने है।

अध्यक्ष जी, जो हुआ है उसको हम लोग समझ लें। इस सदन के भीतर और इस सदन के बाहर कार्लाहिल्स का नाम अनेक बार लिया गया, लेकिन आज का जो ऐलान हुआ है, यह कार्लाहिल्स का नहीं है। यह अमेरिका के प्रेजिडेंट ने कल प्रेजिडेंशियल आदेश निकाल कर कहा कि भारत को अब कटघरे में रखने का काम करो और इनके यहां से आयात की जो चीजें है, उन पर जी एस पी (जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेन्स) के आधार पर हम लोगों को जो ड्यूटी में वहां मदद मिलती थी, उसको रोकने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष जी, इस निर्णय को लाने से पहले हमारी सरकार से उनकी क्या बातें हुई, मैं नहीं जानता। हमारे रक्षा मंत्री अभी अमेरिका गए थे, हमारे विदेश सचिव भी अमेरिका में थे और हमारे राजदूत भी वहां पर बहुत ही मजबूत आदमी हैं। ये इस देश के हित को जानने वाले व्यक्ति हैं। इन सभी लोगों से अमेरिका के अधिकारियों ने किस प्रकार की बातें कीं यह हम नहीं जानते हैं। इसलिये हम मंत्री जी से चाहेंगे कि वहां से जो भी नोटिफिकेशन वगैरा आने में देर लगे मुझे नहीं मालूम मगर फैक्स से सुना जाता है कि दो मिनट में सब कुछ आ सकता है, कल जब वहां पर आदेश हो गया फिर आप हमें और 10 घण्टे इन्तजार करने के लिये कह रहे हैं, यह बात अध्यक्ष जी, कम-से-कम मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस निर्णय पर, अमेरिका के राष्ट्रपति के आने के पहले या अमेरिका की सरकार के आने से पहले, आप लोगों से क्या-क्या इस मुद्दे पर बातें हो गयीं; आपने कौन सी भूमिका रखी उनके सामने कि जिसके चलते इस निर्णय पर अमेरिका की सरकार आ नहीं सकी।

इसके बाद, अध्यक्ष जी, जो कार्लाहिल्स का ब्यान है इस संदर्भ में, क्योंकि आज वह ब्यान आया है, हिन्दुस्तान में आया है, देश में भी आया है, जिसमें हम लोगो को चोर कह करके एक बार फिर पुकारा गया है। उनका ब्यान है . . .

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैंने आपको इस विषय पर चर्चा करने के लिए हाउस में इजाजत दी है मगर इसके साथ-साथ इसमें दूसरे देशों के भी प्रतिनिधि होते हैं और उनके सम्बन्ध में अगर कुछ कहना है तो सिर्फ न्यूज पेपर के ऊपर आधारित होकर, एक किनारे पर जाकर न कहें। हां आप यह जानने की कोशिश करें कि क्या ऐसा कहा है, वगैरह।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने कहा है कि हम चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं आपको ऐसा वायदा करता हूं कि ऐसा वाक्य इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जिस पर मुझे रत्ती भर भी शक हो । विदिन कोट एण्ड अनकोट करके ही मैं उस बयान को यहां रखना चाहूंगा, कार्लाहिल्स का जो बयान है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रोक रहा हूं, माफ करना, मगर यह जो है, इसीलिए शायद मंत्री जी ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा था कि मैं स्टेटमेंट करूंगा और वे स्टेटमेंट करेंगे ताकि वह फैक्चुअल पोजीशन हो जाती, मगर जहां मैंने डिस्कशन एलाव किया है, वहीं आपको न्यूज पेपर को कोट करने की जरूरत नहीं है । न्यूज पेपर्स जो कुछ लिखते हैं, वे भी सोच-समझकर लिखते हैं, मगर इसके ऊपर, उनका भी हियर-से-एविडेंस होता है वह ।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं अखबार के लोगों की राय को नहीं कह रहा हूं, मगर कार्लाहिल्स ने जो कहा है, उनका बयान आपके पास है, वह बयान है:—

[अनुवाद]

"यह एक शैक्षणिक प्रश्न नहीं है ।" .... "विश्वव्यापी पेटेंट्स की चोरी के परिणाम स्वरूप इस देश में हमने 60 बिलियन रु० का घाटा उठाया है ।"

[हिन्दी]

इसमें हम लोगों पर आरोप है कि हम विदेश से यानी अमेरिका से उनके पेटेंट को यहां पर चोरी करते हैं । मुझे नहीं मालूम की हम लोग उनकी क्या चोरी करते हैं मगर मेरी अपनी मान्यता है कि हम किसी भी देश की कोई चोरी नहीं करते हैं । हमारी यह भी मान्यता है कि हमारे देश में बहुत खोज होती है दवाईयों, कैमिकल्स और अन्य चीजों में, जहां पर मौका दिया जाता है, हमारे राष्ट्र में अनेक चीजें बनना संभव है । हम लोग आज जिस तरह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हिन्दुस्तान में लाने की छूट दे रहे हैं, हमने उन्हें छुट्टी दे दी है, उसे लेकर उन लोगों के दिमाग में जो मस्ती बढ़ गयी है, यह उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं । हम इन आरोपों को बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे ।

अगर चोरी की बात करनी है, अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में केवल कमोडिटीज के एक मामले पर, केवल कमोडिटीज के मामले पर चीनी, दाल, लोहा, आयरन-ओर, या हमारे देश से निर्यात होने वाले जितने प्राईमरी प्रोड्यूस हैं, क्या उन सब के दाम पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में बढ़े नहीं हैं । क्या वह चोरी नहीं है, क्या वह डे—लाइट रौबरी नहीं है । क्या ऐसा करने वाले राष्ट्र आज अमेरिका के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे हैं । एक तरफ, हमारे यहां से निर्यात होने वाली चीजों पर हमें लूटने का काम किया जा रहा है दूसरी तरफ, यदि कोई छुटपुट बात हुई, जहां बहस हो सकती है, जहां विचार हो सकता है, वहां हिन्दुस्तान को कटघरे में रखने का काम होता है, हम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है । इसलिए मेरी आज आपसे यह प्रार्थना है, मैं आपके

जरिये सरकार के सामने, मंत्री जी के सामने इसे रखना चाहता हूं कि तीन चीजों को हमारी सरकार तत्काल करे :–

(1) आपको अमेरिका से जो भी मंगाना है, लेकिन आज हिन्दुस्तान के लोगों के सामने यह बात कही गयी है, आप अमेरिका को कहिये कि इस प्रकार की अर्मट्विस्टिंग हम लोगों को दबाने की प्रवृत्ति हमें स्वीकार नहीं है। इस बात को, इन शब्दों में हमें कहना चाहिए।

(2) अध्यक्ष जी, इस सदन में एक दो बार पहले भी यह मामला उठा था कि जो ज्वाइंट नैवल एक्सरसाईज का विषय है —

[अनुवाद]

यदि आपका अर्थ वास्तव में अमेरिकन्स की तरह तरक्की करना है, तो आप इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को समाप्त कर दें और उन्हें यह बता दें कि हमें यह स्वीकार नहीं है।

[हिन्दी]

उसमें हम-आपका पुरुषार्थ कितना है, उसे समझ पायेंगे।

और नंबर 3 अध्यक्ष जी, हम सरकार से कहना चाहेंगे कि कुछ शब्द आज हम लोगों को लेने में शर्म लगती है। इजराइल के हमले की चर्चा कर सकते हैं और लोगों की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन नॉन-अलाइनमेंट और सार्क अब ये दो शब्द हम लोगों को अच्छे नहीं लगने लगे हैं क्योंकि बहु–राष्ट्रीय कम्पनियां और आई० एम० एफ० हम लोगों पर दबाव डाल रहा है। अध्यक्ष जी, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप नॉन-अलाइनमेंट मूमेंट की जो भी कमेटी है, जो भी चीज है, उनको तत्काल बुलाने का काम करिए और अमेरिका का आज जो समूचे विश्व के ऊपर हमला हो रहा है, क्यूबा को चावल देने पर रोक दिया, लीबिया पर सैंक्शन्स का सिलसिला चला दिया, रूस को कहा कि इनको टैक्नोलोजी देना बन्द करो और आज हमारे ऊपर सीधा हमला हो गया, तो सार्क और नॉन–अलाइनमेंट दोनों को बुलाकर, अमरीका को कहिए कि अब बहुत हो गया, तुम्हारा सामना करने के लिए ये देश सक्षम हैं, यह बताने का काम करिए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए पूर्व-सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और अब इसे दोहरायें नहीं।

श्री हन्नान मोल्लाह : ऐसा स्थिति की गम्भीरता के कारण है क्योंकि यह हमारा अपमान करना है, हमारे विरुद्ध एक आर्थिक युद्ध है। इस अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी की हम सभी को सुस्पष्ट निंदा करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने इस ओर संकेत किया है और इस पर और बल दिया जाना चाहिए। आप जानते ही हैं कि यह पिछले कई महीनों से चल रहा है। वे हम पर यह

दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके आगे आत्म समर्पण कर दें। अब, वे हम पर 'चोरी' का इल्जाम लगा रहे हैं। हमें उन द्वारा व्यक्त उस रुख की निन्दा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। हमें इसे तूल नहीं देनी चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : जो देश अन्य देशों को लूट रहे हैं, वह 'चोरी' जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

अतः महोदय, मेरा कहना है कि अमेरिका के राजदूत से शीघ्र मिला जाना चाहिए और यह कहा जाना चाहिए कि भारत इस प्रकार की गुंडागर्दी को बर्दास्त नहीं करेगा। हमें विशेष रूप से यह भी कहना चाहिए कि तीसरे–विश्व के राष्ट्रों पर लगातार दबाव डाला जा रहा है और वे हम पर आत्मसमर्पण, "ट्रिप्स" इत्यादि स्वीकार करने के लिए दबाव डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस पर सरकार का बड़ा कड़ा रुख होना चाहिए कि हम अपने "पेटेंट" अधिकार और अन्य बातों का त्याग नहीं करने जा रहे हैं। इस स्थिति में, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर एक व्यापक विवरण तैयार करेगी और इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उसके आधार पर, हमें अपने बिलों को साफ़ कर लेना चाहिए और तीसरे–विश्व के देशों को एक संदेश दिया जाना चाहिए, ताकि वे भी गतिशील हो जायें और हमारा अनुकरण करने लगें। गुट–निर्पेक्ष–आंदोलन के नेता होने के नाते, हमारे आर्थिक अधिकारों के इस प्रतिघात, यह प्रतिघात हमारी राजनैतिक–प्रभुसत्ता तक भी विस्तृत हो सकता है, के विरुद्ध हमें दृढ़ता से डटे रहना चाहिए। हमें उस पर अडिग रहना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सरकार दृढ़ता से डटी रहेगी। यदि वे एक सही रुख अपनाते हैं, तो सारा राष्ट्र उनके साथ है। अन्यथा यदि वे झुक जाते हैं तो जनता सहन नहीं करेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर सही रूप से डटी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका संक्षेप में और विषय पर बोलने के लिए बहुत आभारी हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, हम, सभा के इस ओर के सदस्य, इस अचानक घटी इस घटना के बारे में समान रूप से चिन्तित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के विरुद्ध इसके औषध–उद्योग में पेटैंट्स के अवैध अपर्याप्त संरक्षण के लिए प्रतिकारात्मक कार्रवाई की है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय औषध निर्यात अब अधिमानों की सामान्य पद्धति के अंतर्गत शुल्क-लाभ का फायदा नहीं उठा सकेगा। यह और भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार-प्रतिनिधि कुमारी कार्ला हिल्स द्वारा रखी गई प्राथमिकता सूची में ताईवान और थाईलैंड के साथ सम्मिलित कर लिया गया है। कुछ महीने पहले, उन्होंने चीन को भी धमकी दी थी; लेकिन किसी प्रकार से चीन अब इस सूची से बाहर है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है अथवा बल्कि एक पृथक् घटना है। वे सभी प्रकार के दबाव डालने की चालें चल रहे हैं, ताकि यह देश प्रगति न कर सके। वे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए "क्रायोजैनिक" इंजन की आपूर्ति के बारे में रूस में चल रही वार्ताओं से नाखुश हैं। वे अंतरिक्ष कार्यक्रम में तीसरे विश्व के देश के उभरने से नाखुश हैं। लेकिन हम इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। अतः इस स्थिति का सामना करने में हमें बड़ा सतर्क रहना है।

कुवैत-इराक युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि केवल वह ही एकमात्र महा-शक्ति है। हमें इस बारे में सोचना है। हमें गुट-निर्पेक्ष-आंदोलन को बल प्रदान करना है। अपने हितों की रक्षा करने का यही एक रास्ता है। लेकिन, इसके साथ ही मुझे यह सुनकर बड़ा दु:ख हुआ है कि हमारे माननीय सदस्य, श्री जार्ज फ़र्नान्डीज इस सरकार पर कैसे दोष लगा रहे हैं। पिछले दस महीनों से समूचा विपक्ष यह संदेश देने का प्रयत्न कर रहा है कि यह सरकार देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को त्यागने पर तुली है। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। (व्यवधान) हम विदेशियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हम पर किये गये सभी-हमलों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का विरोध करना है। यह केवल इसलिए कि हम खाद्य पदार्थों पर राज–सहायता को जारी रखने में सक्षम हैं। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1700 जिलों को चुना है। हम उर्वरकों पर राज-सहायता जारी रखे हुए हैं। अत: इसी लड़ाई की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका हमसे परेशान है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब विपक्ष दोहरी चाल चल रहा है—अमेरिका पर कटाक्ष करना और साथ ही इस सरकार पर हमला करना। इस घड़ी में ही हमें एक रहना है। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वह एकता बनाए रखें और संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा किसी अन्य देश द्वारा हमें अस्थिर करने अथवा हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने के सभी प्रयासों का खण्डन करे।

इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह माननीय सभा अमरीका की कार्यवाही कि निंदा तथा अपने हितों की रक्षा के लिए सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि कल दुर्भाग्यवश वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान संबंधी मांगों पर चर्चा समय की कमी के कारण संक्षिप्त कर दी गई थी। विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान संबंधी मांगों पर हमने व्यापक रूप से चर्चा की। अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए क्रायोजैनिक इंजनों की आपूर्ति जो कि हम किसी अन्य देश से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं के सम्बन्ध में अमरीका सरकार के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में हमने अलग से विचार किया। बेशक विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान संबंधी मांगें मुख्य रूप से ..

अध्यक्ष महोदय : एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पर भी चर्चा हो रही है।

श्री जसवंत सिंह : एक गैर-सरकारी प्रस्ताव भी विचाराधीन है। वह सब सदन के समक्ष है। परन्तु मेरे विचार में आज प्रात: जो चर्चा के दौरान सदन में चिंता का विषय उभरा वह निश्चित रूप से आर्थिक स्वायत्तता का प्रश्न है। मेरा यह विचार उस जानकारी के आधार पर बना है जो कुछ मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है तथा अमरीकी सरकार के अधिकारियों द्वारा तथाकथित रूप में जो वक्तव्य जारी किए गये। अगर मेरा अनुमान सही है और अगर माननीय मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ और प्रकाश डालें तो मुझे प्रसन्नता होगी। मूल मुद्दा यह है कि अमरीकी सरकार के कुछ पदाधिकारियों ने पेटन्ट कानूनों के सम्बन्ध में टिप्पणी की है तथा उनके विचारानुसार इनका अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर पर गलत उपयोग हो रहा है विशेषकर फार्मेस्यूटीकल उद्योग के क्षेत्र में । अब जब कि यह सब प्रचार हो रहा है तो भारत का फार्मेस्यूटीकल उद्योग इन सभी मुद्दों का मुख्य बिन्दु है, चाहे वह डंकल प्रस्ताव हो अथवा विशेष 301 प्रावधान इत्यादि ।

जब आर्थिक स्वायत्तता की परीक्षा हो रही है, तो वास्तविक प्रश्न यह है कि फार्मेस्यूटीकल की कीमतों में हमें कितनी ढील दे सकते हैं । माननीय वाणिज्य मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, उससे मैं काफी आश्वस्त हूं । अगर अमरीकी सरकार का कोई पदाधिकारी किसी प्रकार की शब्दावली का उपयोग करता है, तो यह उनका अधिकार है तथा वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है । मैं अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज के साथ एक पुरानी अरबी कहावत साझा करना चाहता हूं कि अगर हर बार गांव के कुत्तों के भौंकने पर कारवां रुक जायेगा तो वह कारवां अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पायेगा । भारत जैसे महान देश का कारवां अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है तथा अपना रास्ता और दिशा निर्धारित कर लेने के बाद अब यह रुकेगा नहीं । जब भी गांव के कुत्ते भौंकेंगे, यह रुकेगा नहीं । परन्तु इस सम्बन्ध में आश्वासन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, विशेषकर इस सम्बन्ध में क्योंकि जहां तक फार्मेस्यूटीकल उद्योग का प्रश्न है, दवाईयां तथा अन्य फार्मेस्यूटीकल उत्पादन भारत में शायद सबसे सस्ते हैं और दवाईयों के कीमत निर्धारण और फार्मेस्यूटीकल उद्योग के सम्बन्ध में किसी दबाव के आगे घुटने टेकना भारत के हित में नहीं होगा, चाहे यह दबाव अमरीका द्वारा डाला जा रहा हो । अथवा किसी अन्य देश द्वारा, मेरे विचार में यही आश्वासन हम सरकार से प्राप्त करना चाहते हैं । मुझे बस इतना ही कहना है ।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, इस समय राष्ट्र के सामने अभूतपूर्व संकट व्याप्त है । मेरी वाणिज्य मंत्री महोदय तथा अन्य मंत्रियों से यह ताकीद है कि वे इस मुद्दे को केवल तकनीकी मुद्दे के रूप में न देखें । यह मामला केवल वाणिज्य अथवा आर्थिक स्वायत्तता का नहीं है। यह मामला भारत द्वारा अमरीका के प्रभुत्व का सामना करने का है जो कि नई विश्व व्यवस्था का मूल आधार है जो अमरीका हमारे देश पर थोपना चाहता है । इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस मुद्दे पर झुके नहीं, अब भी इस सम्बन्ध में चर्चा होती है तो यह फार्मेस्यूटिकल्ज अथवा पेटेन्ट कानूनों अथवा फार्मेस्यूटीकल उत्पादों के लिए जी० एस० पी० सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अमरीकी बाजार से वे प्राप्त करने तक सीमित न हो, बल्कि उन्हें यह स्पष्ट किया जाये कि क्या वे सम्पूर्ण सम्बन्धों पर पुर्नविचार करने के लिए तैयार हैं, जबकि स्थिति ऐसी है कि अमरीका हमसे बातचीत करने की बजाय हमें धमकाने का प्रयत्न कर रहा है । यह हमारी सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है जब उसे यह प्रमाणित करना है कि हम एक गुटनिर्पेक्ष राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र का आत्म-सम्मान है, तथा हमारी स्वायत्तता केवल आर्थिक स्वायत्तता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जैसा कि मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने कहा कि हमें प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है। यह विशिष्ट कार्यवाही हमारे राष्ट्र को विश्व में अधीनस्थ राष्ट्र के स्तर तक गिराने

और अमरीका की प्रभुत्ता स्थापित करने की चेष्टा है । इसलिए, मेरी यह ताकीद है कि इसे केवल तकनीकी मुद्दा न समझा जाये । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाये गये मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाये क्योंकि वे हमारे समक्ष समस्या से पूरी तरह जुड़े हुए हैं । अपने मित्र श्री चार्ल्स के इस प्रस्ताव का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि इस सदन को सर्वसम्मति से उचित शब्दों में भारत इस सदन और आम लोगों के अमरीका के डराने धमकाने के दृष्टिकोण के विरुद्ध सर्वसम्मत दृढ़ संकल्प का प्रस्ताव पारित करना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा अभिव्यक्त विचारों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं । अमरीका द्वारा आक्रमण अथवा धमकी का यह एकमात्र मामला नहीं है । सोवियत यूनियन के विघटन के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन आया है । अमरीका भारत को धमका रहा है तथा वे हमारे देश को आत्म-समर्पण करवाना चाहते हैं, हमारी विदेश नीति तथा हमारी गुटनिर्पेक्षता की नीति में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, जिसका अनुसरण हम लम्बे समय से करते आ रहे हैं । हमने अमरीकी साम्राज्यवाद की नीति तथा अमरीकी प्रभुत्व का सामना अपनी गुटनिर्पेक्षता की नीति के द्वारा किया है । उनका मुख्य उद्देश्य हमारी विदेश नीति तथा आर्थिक नीति में परिवर्तन करवाना है । अगर हमारी आर्थिक स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ तो हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता को भी आघात लगेगा । हमारे पास ऐसे बहुत से पूर्व-उदाहरण हैं । इज्राइल को मान्यता भी अमरीकी दबाव के कारण दी गई, लीबिया के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धित सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किए प्रस्ताव का विरोध करने की बजाय अनुपस्थित रहने सम्बन्धी हमारी भूमिका, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, यह सभी बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि एक-एक करके हम अपनी सभी नीतियों का त्याग करते जा रहे हैं । जैसा कि श्री मणि शंकर अय्यर ने सुझाव दिया है कि हमें अमरीका से अपने सम्बन्धों पर पुनर्विचार करना चाहिए, उस पर अमल करने का समय आ गया है । हमें उनके दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर म अपनी आर्थिक स्वायत्तता त्याग देते हैं तो हमारी राजनैतिक स्वायत्तता को भी खतरा पैदा हो जायेगा ।

महोदय, एक और मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं । वित्त मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं । आज 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं ..... **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं बैठ जाइए । आप अलग-अलग मुद्दों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं । आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : अमेरिका के राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करने में मैं अपने मित्रों के साथ हूं कि कुछ भारतीय वस्तुओं पर प्रतिकारात्मक कार्यवाही के रूप में दण्डात्मक शुल्क लगाया जायेगा । इस सम्बन्ध में हमें इस बात पर गौर करना होगा कि यह कार्यवाही विशेष 301 अमरीकी व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की गई है, बल्कि यह कार्यवाही स्वयं अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा की गई है ।

विशेष 301 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की धमकी अभी भी हमारे ऊपर लटक रही है। आगे क्या कार्यवाही की जायेगी, हम नहीं जानते। मैं वाणिज्य मंत्री महोदय से एक बात स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि सुश्री कार्ला हिल्स ने कल संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भारत पर अभी भी नजर रखी जा रही है तथा जो द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बातचीत चल रही है, उससे वे सहमत नहीं है। हम जानते हैं। कि चीन ने द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा ट्रिप्स के प्रावधानों के अन्तर्गत अमरीका से समझौता कर लिया है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : चीन ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली हैं।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : उन्होंने द्विपक्षीय समझौते को अन्तिम रूप दे दिया है। परन्तु मैं वाणिज्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ट्रिप्स के सम्बन्ध में जो द्विपक्षीय बातचीत अमरीका से चल रही है, उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या है। हम यह जानना चाहते हैं कि द्विपक्षीय बातचीत में क्या हो रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं कुछ एक बातें और कहना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि उरुग्वे चक्र की वार्ता में कोई प्रगति नहीं हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधि द्वारा ऐसी कार्यवाही इसलिए की गई, क्योंकि 'गैर' वार्ता के परिणामों के सम्बन्ध में अभी कुछ सुनिश्चित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यह दबाव निकट भविष्य में और बढ़ेगा। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज के इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि भारत अमरीका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रद्द करने जैसे प्रतिकारात्मक कदम द्वारा हम यह साबित कर सकते हैं कि हमारा अपनी भी कोई दृष्टिकोण है। दूसरा सुझाव जिस पर हम सहमत होना चाहिए वह यह है कि ऐसे तानाशाही प्रभुत्व का संयुक्त रूप से सामना करने के लिए गुटनिर्पेक्ष देशों अथवा जी–77 के सदस्य देशों की तुरन्त बैठक बुलाई जानी चाहिए।

तीसरी बात जिसका कि किसी अन्य सदस्यों ने उल्लेख नहीं किया है, वह यह है कि ये सभी मुद्दे आत्म-निर्भरता पर आधारित प्रगतिशील दृष्टिकोण के त्याग से जुड़े हुए हैं। जब तक हम अपने आत्म निर्भरता के दृष्टिकोण को त्याग कर आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के पास जाते रहेंगे, तब तक इन दबावों का सामना करना हमारे लिए कठिन होगा।

इस प्रकार सम्पूर्ण आर्थिक नीति के बारे में भी हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए ताकि हम वास्तव में इस पुराने शत्रु का मुकाबला कर सकें। जैसा कि बताया गया है कि यह न केवल एक महाशक्ति है बल्कि यह सर्वोच्च शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। अतः वाणिज्य मंत्री को अपना उत्तर देते समय इन सभी विषयों का भी उल्लेख करना चाहिए और यदि सर्वसम्मति से कोई संकल्प पारित किया जाता है तब हमें संकल्प में इन सभी विचारों को लाने का प्रयास करना चाहिए। केवल इसी से अमरीकी सत्ता के समक्ष हमारा मुद्दा कुछ अर्थपूर्ण सिद्ध होगा।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : इस विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं । मैं माननीय मंत्री श्री आर्ज फ़र्नान्डीज के इस सुझाव को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं जिसमें उन्होंने अमरीका का विरोध करने वाले राष्ट्रों के खिलाफ अमरीका बाहुबल और दादागिरी के प्रति अप्रसन्नता के प्रतीक के रूप में अमरीका के साथ हमारे प्रस्तावित नौ-सैनिक अभ्यास को बन्द करने का आह्वान किया है । महोदय, हम किसी भी देश के समक्ष अपने स्वाभिमान का समर्पण नहीं कर सकते । अमरीका भारत को व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में कभी भी अपनी प्रभुता कायम नहीं करने देगा ।

अमरीका निश्चित रूप से भारत को दबाने का प्रयत्न करेगा । महोदय, अतः हमारी सरकार के लिए अपने स्वाभिमान को दिखाने का यही उचित समय है । मुझे वाणिज्य मंत्री से यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा । मैं आशा करता हूं कि भारत अपना यही दृष्टिकोण बनाये रखेगा और हम सभी इस सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ हैं ।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हमारा देश और अधिक आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और हम प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। नयी आर्थिक नीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमने एक ठोस कदम उठाया है । और हमन काफी हद तक उन्नति की है दूसरे राष्ट्रों और विशेष रूप से महाशक्ति के सामने यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा ओर तब भी वे और अधिक दबाव डाल रहे हैं।

यहां पर लगभग सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं और मेरा सुझाव होगा कि अमरीका के इस तथाकथित दबाव के खिलाफ इस सभा को सरकार को और भारत की जनता को अमरीका के पास अपना कड़ा और सख्त संकेत भेजना चाहिए ताकि वे यह जान लें कि हम उनकी इच्छाओं के आगे नहीं झुकेंगे ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यह पहला अवसर नहीं है जबकि सम्पूर्ण सभा एक मत से हमारे देश की प्रतिष्ठा और सम्मान के विरुद्ध की गई अमरीकी कार्रवाई की निन्दा कर रही है । इस समय जब श्री चिदम्बरम आगे आकर यह कहते हैं, कि अमरीका का यह कदम अनुचित है, हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गम्भीर है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री चिदम्बरम भी काफ़ी गम्भीर हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे इस सभा में यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि यदि हमारे देश की प्रतिष्ठा, मर्यादा और हित की रक्षा करने के लिए यह सरकार आगे बढ़कर आती है और इस महाशक्ति की दादागिरी पूर्ण युक्तियों के खिलाफ कठोर रवैया अपनाती है, तब सम्पूर्ण देश उनके साथ होगा । इसीलिए यह आवश्यक है कि अब भी हम सब एक साथ आगे बढ़कर आयें और अपनी जनता के विचार को अभिव्यक्त करने का सुदृढ़

निर्णय लें कि इस बदली हुई विश्व की स्थिति में भी हमारा देश साम्राज्यवादी ताकतों और इस महाशक्ति के आक्रमण का कड़ाई से विरोध करेगा और अपने स्थान पर अडिग रहेगा। इसी प्रकार यदि अभी भी वे वास्तव में अपना स्वामित्व जमाने का प्रयत्न करते हैं तब भारत इसका विरोध करेगा और सम्पूर्ण देश, इसकी जनता और इसकी संसद उस निर्णय का पूरी तरह से समर्थन करेगी।

इसके साथ ही मैं इस सभा के संकल्प की मांग का भी समर्थन करता हूं और उसके परिणाम स्वरूप वह कदम जिसे उठाकर हम वास्तव में यह सिद्ध कर सकेंगे कि हम अपने देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके एक प्रतीक के रूप में मैं यह भी मांग करता हूं कि आप उस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रद्द करने का निर्णय ले जिसका इस परिवर्तित स्थिति में कोई अर्थ नहीं है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अमरीकी सरकार विशेषकर अमरीका, टी० आर० द्वारा पहले ही कुछ समय पूर्व अमेरिकन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर भारतीय हितों के खिलाफ कुछेक कदम उठाए गए थे। सुश्री कार्ला हिल्स ने कहा था कि जांच-पड़ताल के पश्चात् यह पाया गया था कि भारतीय पेटेंट प्रणाली उनके हितों के काफी खिलाफ थी और उनके द्वारा दबाव डाले जाने पर वाणिज्य मंत्रालय ने ओ० जी० एल० के अन्तर्गत अमरीकी फिल्मों को अनुमति दे दी थी और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से अधिकार ले लिये थे। यह हमारे ऊपर किये गये सांस्कृतिक हमले का ही एक हिस्सा था जबकि हम सुश्री कार्ला हिल्स और अमरीकी सरकार द्वारा दी जा रही चुनौती पर एकमत से विचार कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा अतीत में किये गये आत्मसमर्पणों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

(हिन्दी)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रेजोल्यूशन मूव किया है इससे सारा हाऊस एक मत है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की स्वाभिमानता को सामने रखते हुए और सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चाहे कितना भी बड़ा कोई देश हो, कितना भी सुपर पावर क्यों न हो हामरी जो पालिसी है हम अपने तरीके से करते हैं उस पर किसी का भी दबाव हम लोग सहन न करें और न ही हम सहन कर सकेंगे, इसके लिए सारा हाउस सहमत है इसलिए आप कृपा करके इस रेजोल्यूशन को मूव करें। दुनिया जानती है कि हिन्दुस्तान गरीब हो सकता है किन्तु अपने स्वाभिमान और अभिमान को अपने पास में रखेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (कैसरगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अमरीका राज्य द्वारा आर्थिक नाकेबन्दी के माध्यम से भारत पर जो दबाव डाला जा रहा है मैं उसका

कड़ा विरोध करता हूं और इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा जो मत व्यक्त किया गया उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मेरी समझ में एक श्लोक आता है :

"यावत जीवेत सुख जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत,

भस्मी भूतस्व देहस्य, पुनरागमनं कुत: ।"

ऋण लेने की जो हमारी प्रवृत्ति है और सुख से जीने की जो हमारी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के कारण आज संयुक्त राज्य अमरीका भारतवर्ष के ऊपर दबाव डाल रहा है। और उसका दबाव पूरे विश्व के उपर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है । भारतवर्ष का रहने वाला प्रत्येक नागरिक एक समय रोटी खा करके अपने स्वाभिमान की, अपने आत्मसम्मान की, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और इस प्रकार से जो हमारे ऊपर एक आर्थिक दृष्टिकोण से दबाव डाला जा रहा है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और हम सरकार से आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि इस विषय को बड़े ही गंभीरता से लिया जाए और अमरीका के सामने इसका विरोध प्रकट किया जाए और सारे विश्व में अमरीका द्वारा जो दादागिरी चलाई जा रही है उसका विरोध किया जाए और इस विषय में एक जनमत व्यक्त किया जाए ।

(अनुवाद)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : : मैं इस सभा में अपने मित्रों और अन्य माननीय सदस्यों के साथ अमरीका के रवैये की निन्दा करता हूं । यह हमारे देश, हमारी गुट-निरपेक्ष नीति, हमारी आर्थिक सार्व भौमिकता को खतरा है । मुझे आशा है कि सभा अमरीका के रवये की निन्दा हेतु संकल्प पारित करेगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम समय-समय पर उन नीतियों के प्रति खतरे का उल्लेख करते रहे हैं जिनका हम अनुसरण करते रहे हैं या जिन्हें हमने अपनाया है। यह ऐसा उदाहरण है जब हम देखते हैं कि हमारी आशंका सही साबित हुई है ।

इस मुद्दे तथा अन्य विभिन्न मुद्दों पर सरकार के साथ हमारे मतभेद के बावजूद मुझे विश्वास है कि सरकार और हम, दोनों बगैर किसी अस्पष्टता के एक दम स्पष्ट रूप में अपने देश की गंभीर आपत्ति तथा विरोध प्रकट कर सकेंगे ताकि जो देश अन्तर्राष्ट्रीय धौंस जमाने का प्रयास कर रहा है वह भूफ करे कि इस प्रकार सारे विश्व में प्रभाव नहीं डाल सकता ।

मुझे खुशी है कि श्री पी० चिदम्बरम पहले ही इसकी निन्दा कर चुके हैं और इसे अमेरिका की अनुचित कार्यवाही बताया है । मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं और मांग करता हूं कि वह इस मुद्दे पर यह रवया अपनाए रहे और इस मामले में सख्त रवैया अपनाए। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सम्पूर्ण सभा इस मामले में सरकार के साथ होगी । इस मामले में कोई अस्पष्टता न हो, कोई झिझक न हो ।

हम विश्व में किसी देश द्वारा इस देश के प्रति मित्रता दर्शाने का स्वागत करते हैं । लेकिन जब हमारी प्रतिष्ठा पर समझौते का प्रश्न है और जब कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था या देश हमसे ऐसा खिलवाड़ करता है तब हमें अपनी प्रतिष्ठा तथा गरिमा को कायम रखना है ।

हम प्रगति कर रहे हैं। हमारी समस्याएं हैं। लेकिन हमें किसी की दया या शुभकामना पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी शक्ति पर निर्भर रहना है और इस मुद्दे पर हमें सम्पूर्ण देश की तरफ से एक संगठित तथा मजबूत कार्यवाही करनी चाहिए। इस मुद्दे पर देश विभाजित न हो, यह सभा विभाजित न हो। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर सामने आए और उचित रवैया अपनाए ताकि हम भी उसके साथ हों।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अब उत्तर देंगे या बाद में ?

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे लिए यह सर्वाधिक उचित होगा कि मैं पूरी जानकारी मिलने के बाद ही उत्तर दूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। अब अनेक सदस्य बोल चुके हैं, मैं कहना चाहता हूं कि शुरू से ही हमने आई० पी० आर० के मुद्दे पर एक मजबूत निष्पक्ष तथा स्थिर रवैया अपनाया है। कुछ क्षेत्रों में गलतफहमी पैदा करने के बावजूद हम दबाव के सम्मुख नहीं झुके और न ही हम अपने व्यापक राष्ट्रीय हित के बचाव में विफल हुए। वास्तव में बदले में की गई यह कार्यवाही दर्शाती है जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हम दबाव के आगे नहीं झुके हैं। मुझे ऐसे दबाव के आगे झुके कुछ अन्य देशों का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है मैं डर या के सम्मुख झुका नहीं हूं। हमने अपने पारस्परिक व्यापारिक भागीदारों से परामर्श किया है, हमने बहुस्तरीय मंचों पर वार्ताएं की हैं।

जब सोमवार या मंगलवार को वाद-विवाद हो, जब भी आप समय तय करें तब सरकार आज सुबह की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर पूरा प्रत्युत्तर देगी। मैं व्यापक राष्ट्रीय हित की रक्षा में सरकार द्वारा अपनाए गए मत पर सदस्यों द्वारा व्यक्त समर्थन का स्वागत करता हूं और उनका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्यों को स्पष्ट करूंगा कि समय की कमी है। हमारे सम्मुख यह मुद्दा है तथा गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प पर भी चर्चा होगी। डन्कल प्रस्ताव पर भी चर्चा का प्रस्ताव है और हमारे पास वास्तव में बहुत कम समय है। इसलिए अगर आप समय तय करें तो हमें संभवतः डन्कल प्रस्ताव और इस मुद्दे को एक साथ लेना होगा ताकि ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य है; यदि माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो एक प्रकार से वे वहां भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इस पर क्या किया जा सकता है।

आज मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्य कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। मैं उन्हें समय दे रहा हूं। लेकिन वे बहुत संक्षेप में बोले, फिर हमारे सम्मुख ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

26—99 LSS/93

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव भी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अपनी स्वीकृति नहीं दी है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने कैसे किया है । मैंने कल एक सवाल यहां पर रखा था आपने कहा कि जार्ज आज इस बात को आप रख पाएंगे । मेरे ध्यानाकर्षण को, मुझे सूचना मिली है आपके सचिवालय से, लेकिन आप नियम 225 को देखिये ।

[अनुवाद]

"जब अध्यक्ष ने नियम 222 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो" जैसा कि मुझे सूचित किया गया है ,

"यदि वह आवश्यक समझें या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है ।"

[हिन्दी]

आपके हाथ में सारे अधिकार हैं, इस बात को मैं कबूल करता हूं ।

[अनुवाद]

"उस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ कर सुना सकेगा और कह सकेगा कि वह सम्मति देने से इंकार करता है या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता" ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इस मुद्दे पर यहां पिछले कई दिनों से बहस चल रही है । जिसको लेकर मैंने अपना प्रिवीलेज मोशन प्रधान मंत्री के विरोध में दिया है । उसमें मूलतः दो बातें आई है । प्रधान मंत्री ने 1 अप्रैल को एक बयान दिया और 23 अप्रैल को एक और बयान दिया । इन दोनों बयानों में अंतर्विरोध है कि वह एक मामूली गलती के तौर पर नहीं है, वह जानबूझकर इस सदन को गुमराह करने के लिए उन्होंने दिया था । इसके सबूत में उनके भाषणों के कई उद्धरण निकाल कर मैंने यहां रखने का काम किया है । ऐसी परिस्थिति में इस सदन के नेता हैं, प्रधान मंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, प्रधान मंत्री के नाते, सदन के नेता के नाते और एक व्यक्ति के नाते । अगर उनकी तरफ से सदन को गुमराह करने वाली बात हो जाती है तो इस नियम 222 को छोडकर मेरे सामने एक ही उपाय रह जाता है कि हम सेंशर मोशन लायें या नो कांफिडेंस लायें सरकार के ऊपर । मैं जानता हूं कि सेंशर मोशन प्रधान मंत्री पर नहीं लाया जा सकता है, अगर मुझे कुछ करना हो तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करा रहे हो । मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे प्रिवीलेज मोशन पर सदन में बहस होने दी जाये, अगर बहस होने के बाद सदन और आप यह महसूस करते हैं कि मैंने कोई ऐसा नोटिस आपको दिया है जिसमें, मैं अपना आरोप सिद्ध करने में असमर्थ हूं, सरकारी पक्ष में बहुत काबिल लोग हैं । सरकार के बचाव में कुमार मंगलम, जी हैं बहुत ही काबिल वकील हैं, बहुत ही काबिल संसदपटु हैं और ये प्रधान मंत्री का बचाव कर सकते हैं । अगर प्रधान मंत्री स्वयं को इसमें अलग रखना चाहें ।

मैं प्रिवीलेज मोशन की बात कह रहा हूं, अगर यह नहीं होता है तो मैं कहां आऊं। अगर सदन के साथ कोई बात हो जाती है आपको छोडकर, नियम 222 को छोड कर, मेरे पास और क्या चीज है। मैंने कोई गलत बयान दे दिया होता में खडा हो कर आपके नियमों के अन्दर, डायरेक्शन्स के अन्दर उसको दुरुस्त करने का काम करता। लेकिन प्रधान मंत्री ने सरकार की तरफ़ से बयान दिया है, गलत बयान दिया है। आप दो पैरा देख लें, इसमें मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूं . . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप वास्तविकता में जा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मैं उसमें नही जा रहा हूं। आपको इजाजत देनी चाहिए, आपको स्वयं पढ़ने का काम करना चाहिए। आप मेरे पत्र के पैरा 11 और 12 को देखिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : इसमें जो अंतर्विरोध है प्रधान मंत्री का वह स्पष्ट हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बोल लिया

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि आप एक बहुत वरिष्ट और योग्य सांसद हैं। मैं इस मामले पर चर्चा हेतु अनेक माध्यमों का उपयोग करता रहा हूं और कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। यह आपका अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही हमें नियमों के अनुसार ही चलना है। नियम 222 में कहा गया है,

"कोई भी सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से कर सकता है।"

मुझे पहले यह निर्णय करना होगा कि क्या मैं सम्मति दे सकता हूं या नहीं, और मैंने आपको सूचित किया कि मैंने इसे सम्मति देने से इन्कार किया है। आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद प्रधान मंत्री से स्पष्टीकरण मिलने के बाद मैंने इसका अध्ययन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसमें कुछ भी असंगत या उल्लंघन नहीं है और मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गुमराह करने वाला है इसलिए मैंने सम्मति नहीं दी। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। मैंने सम्मति देने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद आप इसे नहीं उठा सकेंगे।

मान लिजिए कि मैंने सम्मति देने से इन्कार किया है और आप इसे उठाते हैं और मान लीजिए सभा के किसी सदस्य के खिलाफ़ विशेषाधिकार का उल्लंघन है और मैं सम्मति देने से मना करता हूं और पुन: इस मामले को उठाया जाता है और ऐसा बार-बार होता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज: मैं रेज नहीं कर रहा हू। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। अध्यक्ष जी, मुझे आपका आदेश आज सुबह सदन में आने के बाद मिला कि आपने मेरे प्रिवीलेज मोशन को अस्वीकार किया है। मैंने आपका ध्यान नियम 225 की ओर आकर्षित किया है, मैं बाहर नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : 225 की बात अलग है। समझिये मैंने ब्रीच आफ़ प्रिवीलेज मोशन की कंसेंट नहीं दिया। आपको बोलने का चांस दिया, मैंने दूसरों को सुनकर भी फिर करना है।

[अनुवाद]

1.00 म० प०

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं महोदय। कृपया नियम 225 का प्रथम उपबंध देखिये। इसमें कहा गया है :

"परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 222 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो, यदि वह आवश्यक समझे" ....

[हिन्दी]

तो मैंने मान लिया कि वह आपका अधिकार है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि...

[अनुवाद]

इसमें आगे कहा गया है :

"उस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और कह सकेगा कि वह सम्मति देने से इंकार करता है या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता"।

[हिन्दी]

तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे नोटिस को सदन में पढ़कर सुनाया जाना चाहिए ताकि सदस्यों की अपनी-अपनी राय आ सके। चूंकि इस सदन में पूरे सदन ने बहस में हिस्सा लिया था और इस बहस में योजनाबद्ध तरीके से मेरे बोलने पर हर प्रकार से रुकावट करने का काम आप लोगों ने किया था तो इसके बाद यदि आप मेरे प्रिवीलेज मोशन को अस्वीकार करते हैं तो मेरे साथ ही नहीं बल्कि सदन के साथ अन्याय है ....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए आप सदन के सभी नेताओं को बुला लीजिये, उनको बैठा कर बात करिये ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय ; मुझे तथ्यों पर विचार करना होगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अगर कोई प्राणी मरा है या नहीं मरा है, इसकी जांच करने के लिए डाक्टरों को बुलाया जा सकता है। तो यहां सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है और हम कह रहे हैं कि इसमें जान है ....

अध्यक्ष महोदय देखिये, इस इश्यू पर बहस की गई, इसके बाद अनलिस्टेड ऑवर में जो काम होता है, उसमें बहस हो गई, 2–3 दफा स्टेटमेंट हुए और उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन आया और अब प्रिविलेज मोशन। तो मैं समझता हूं कि बिआंड एक सर्टेन लिमिट इसको नहीं ले जाना चाहिए। इस पर 7–8 घण्टे बहस यहां हुई है जबकि मैंने कहा कि हमारे सामने दूसरे कई विषय हैं। यह सही है कि आप प्रोविजन को जानते हैं, उसका इस्तेमाल भी करना जानते हैं, उसका कर भी रहे हैं, उसका ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं और अगर कोई है तो दूसरे लोग है जो दूसरे पाइन्ट्स उठाना चाहते हैं। इसलिए मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर इसके ऊपर डिसकशन नहीं दी जाती है तो आप कहते हैं कि बात और थी। मेरा यह कहना है कि इस पर 7 घण्टे डिसकशन हुई, सभी ने बोला। उसमें पाइंट को बार-बार उठाने से कुछ नहीं है। मैंने उसके अन्तर्गत केअरफुली देखा, जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जजमेंट था, मैंने कन्सेंट दी है। बार-बार लोग कहते हैं कि आप डिस्क्रिएशन यूज कीजिये, वह मेरा है आपका नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके डिस्क्रिएशन के ऊपर है तो ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मुझे सुनेंगे। तो कम से कम चैम्बर में सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन उसके बाद इस विषय को उठाने नहीं दूंगा ...

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मगर मुझे समझने का काम तो करेंगे, हो सकता है कि आप को न समझा सकूं ...

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं सुनूंगा मगर इसको हाऊस में उठाने नहीं दूंगा। मैंने यह मामला समाप्त कर दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके चैम्बर में आकर बात करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों का किसी भी समय मेरे कक्ष में स्वागत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आधा मिनट लूंगा।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, वह इस पर नहीं बोल सकते ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस समय मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख नहीं कर रहा। चिदम्बरम जी, आपने जो सद्भावना अर्जित की है, उसे इस अनुचित व्यवधान से समाप्त कर रहे हैं ... **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : अब यह विशेषाधिकार नोटिस पर तर्क करना चाहते हैं जिस पर उन्होंने एक मिनट पहले ही स्वीकारा है कि उन्होंने इसे पढ़ा या देखा तक नहीं है। यह किसी संक्षिप्त जानकारी के बगैर ही उच्चतम न्यायालय में भी इसी प्रकार तर्क करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल कानून पर तर्क करते हैं जिसके लिए उन्हें किसी संक्षिप्त जानकारी की जरूरत नहीं होती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे यह नहीं मिला । उन्हें इस रिपोर्ट की प्रति कैसे मिली ? ···(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यह सरकार को दी गई थी ···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे अनावश्यक ही मत उकसाएं...... (व्यवधान) मैंने कल थोड़ा सा हस्तक्षेप किया था । देश के सम्मान का मामला है । मैं आपके विनिर्णय पर प्रश्न नहीं कर रहा । मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है कि आपने अपने विवेक का समझदारी से उपयोग किया इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री को लगा है कि मामला इतना महत्वपूर्ण है कि उनके उत्तर की जरूरत है ···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी इसी के लिए कहा था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह उत्तर दे रहे हैं । इसलिए मामला अन्तिम रूप से समाप्त नहीं हुआ है । वह एक सप्ताह के अन्दर उत्तर दे रहे हैं । मैं तो उन प्रश्नों का उल्लेख कर रहा हूं जो उठाए गए हैं ···(व्यवधान) आप इसके प्रति अपनी अनावश्यक अनिच्छा को मत दर्शाइए ।

महोदय, प्रधान मंत्री के उत्तर के बाद यदि कोई प्रश्न किया जाना है तो हमें उसकी अनुमति होगी अगर आवश्यक हुआ तो आरोप, आक्षेप, शिकायतें जो उठाई जा रही हैं उन पर उचित चर्चा हो सकती है । बार-बार यह क्या है ? इस मुद्दे के प्रति आपकी संवेदनशीलता तथा एक सार्थक चर्चा के प्रति आपका विरोध लोगों के दिमाग में आशंका को मजबूती दे रहे हैं । यही कठिनाई है । इसलिए मैं उनके हित में सुझाव दे रहा हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर देने के बाद और सभा में उठने से पहले हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ जी, मैं अब यहां पर इस मामले को समाप्त कर रहा हूं ! यदि आप हर समय, इसी पर चर्चा करेंगे, मान लीजिए आप इससे सम्बद्ध एक मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं फिर इसी से सम्बद्ध एक और मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं और ऐसा ही करते जाते हैं तो यह कभी समाप्त नहीं होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आज ही चर्चा के लिए नहीं कह रहा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए । कुछ कार्य करते हैं । मैं नहीं जानता और मुझे याद नहीं है कि क्या कहा गया और क्या वायदा किया गया इत्यादि सब बातें मैं नहीं जानता । लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि एक वक्तव्य दिया जाता है और आप कुछ त्रुटि पाते हैं फिर पुनः ऐसा करते हैं तो ऐसा जारी नहीं रखा जा सकता । हमारी सीमाएं हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली शाम जामिया मिलिया इस्लामिया को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया । यह सब इस्लामिक अध्ययन विभाग के प्रोफेसर अख्तर अल वैसी पर कुछ छात्रों द्वारा हमला किये जाने के फलस्वरूप किया गया ।

यहां इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस घटना से पहले प्रोफेसर बैंकी और उनके कुछ अन्य विशिष्ट साथियों जैसे प्रोफेसर ए० जे० किदवई (भूतपूर्व उपकुलपति) माजिद अलीखान, एन० जी० हुसैन, एम० शफीक आदि ने, कुछ छात्रों द्वारा जिस तरह प्रोफेसर मुशीर-उल-हसन एक जाने माने इतिहासकार और जामिया के प्रति-उप कुलपति के "सण्डे मैगज़ीन" में छपे एक साक्षात्कार में दिए कतिपय वक्तव्यों को तोड़ा मरोड़ा है और गलत ढंग से व्याख्या की है के प्रति लिखित रूप में अपनी चिन्ता और रोष प्रकट किया है, उन्हें उनके पद से हटाने की मांग करते हुए एक अभियान छेड़ा गया है, कक्षाएं नहीं चलने दी गयीं, परिक्षाओं में रुकावट डाली गयी, पुतले जलाये गए और उत्तेजनापूर्ण भाषणों से घृणा का माहौल पैदा किया गया।

प्रो-वाइस चांसलर ने अपने साक्षात्कार में सलमान रुश्दी की पुस्तक 'सेटेनिक वर्सिस' के भारत आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाने के संदर्भ में कहा था कि इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने के परिणामस्वरूप पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोका नहीं जा सकता है। इससे तो इस पुस्तक को केवल और अधिक बदनामी हासिल होगी तथा इससे ऐसा लगता था कि वह प्रतिबन्ध हटाने के पक्ष में है। लेकिन प्रतिबन्ध के खिलाफ उनके विचारों की दुर्भावना से व्याख्या की गयी, और यह प्रकट किया गया जैसे कि वह पुस्तक की विषय-वस्तु से सहमत है। यह साक्षात्कार में उनके इस कथन के बावजूद भी कहा गया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि रुश्दी के उपन्यास ने मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचायी है और वह उनके इस संबंध में रोष प्रकट करने पर सहमत हैं तथा उन्होंने बाद में यह कहते हुए एक स्पष्टीकरण दिया कि वह 'सेटेनिक वर्सिस' में की गई टिप्पणियों का बिलकुल भी अनुमोदन नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके विचार से सहमत या असहमत हो सकता है लेकिन क्या यह ठीक है कि चूंकि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं अतः उन्हें प्रताड़ित किया जाए और उन पर सभी तरह के हमले किये जायें तथा जो भी कोई उनका समर्थन करे उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाये? क्या उन्हें उनके विचार प्रकट करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा? मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अधिकारों से वंचित रखना वस्तुतः एक प्रकार से विश्वविद्यालय के माहौल के मूलाधार को ही एक चुनौती है जिसमें विपरीत विचार भी व्यक्त किये जा सकते हैं और उन पर पूरी तरह से वाद-विवाद किया जा सकता है तथा यह हमारे लोकतांत्रिक संविधान के ही विरुद्ध है।

मैं समझता हूं कि एक छोटी सी घटना कुछ माह पहले घटित हुई थी जोकि इस घटना का एक अन्य पहलू है। मुम्बई में कुछ पत्रकारों पर हमला किया गया था क्योंकि उन्होंने यह कहने का साहस किया था कि पाकिस्तानी टीम के दौरा करने से पहले ही वानखेड़े स्टेडियम की पिच को खोद कर खराब करना बुरी बात है।

मैं तो कहूंगा कि इस घटना का धार्मिक भावनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं। प्रो वाईस चांसलर के साथी, जिन्होंने उनका समर्थन किया था वे भी धार्मिक आस्था रखते हैं

और इसी धार्मिक आस्था के आधार पर ही उन्होंने इस प्रकार की गुण्डागर्दी के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। हम समझते हैं कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक माहौल को खराब करने का यह घृणित प्रयास है। हम प्रोफेसर मुशीर-उल-हसन के साथियों के दृढ़ रवैये की सराहना करते हैं और हम वहां की शिक्षक संघ की कार्यकारिणी के दृष्टिकोण की भी सराहना करते हैं। हम समझती हैं कि अधिकांश छात्र, यद्यपि वे आज चुप्पी साधे हैं, इस प्रकार के अशोभनीय हमले का समर्थन नहीं करते हैं और हम समझते हैं कि सरकार इस संबंध में एक सकारात्मक भूमिका निभायेगी। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पहले ही इस मामले से अवगत कराया जा चुका है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। हमने अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य कई चीजें लेनी हैं।

श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य : यहां माननीय सलमान खुर्शीद भी हैं, जोकि जामिया मिलिया से काफी निकट से संबद्ध हैं और मैं समझता हूं कि वे और सरकार तथा सभी संसद सदस्य, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों, इस संबंध में एक सकारात्मक भूमिका निभायेंगे। उन्हें उपकुलपति और शिक्षक समुदाय का समर्थन करना चाहिए और इस तनावपूर्ण माहौल को, जोकि विश्वविद्यालय में चल रहा है, खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और सामान्य माहौल बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री देशमुख···

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैंने भी इस संबंध में नाम दिया है···

(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह बात तो ठीक ढंग से स्पष्ट की जा चुकी है। यदि यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बात पर चार या पांच सदस्य बोलें तो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर, जिसके बारे में आप कल काफी उत्तेजित थे, चर्चा नहीं हो सकेगी क्योंकि 3.30 म० प० पर तो हमें गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य लेना है।

श्री ई० अहमद : महोदय, अब परीक्षा चल रही है। विश्वविद्यालय का बन्द होना छात्रों के हित में नहीं है।···।

अध्यक्ष महोदय : माननीय महिला सदस्य ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है।

श्री ई० अहमद : इन उपकुलपति जी ने, जिनके बारे में मालिनी जी ने काफी कुछ कहा है, मनमाने ढंग से काम किया है। जहां कहीं भी हिंसा या हमला होता है हम उसकी निन्दा करते हैं। यह वास्तव में निन्दनीय है और यह सब जामिया मिलिया जैसे विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। प्रोफेसर मुशीर-उल-हसन ने इस प्रकार की स्थिति पैदा होने का अवसर ही नहीं आने देना चाहिए था खैर यह सब मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। यदि वह सतर्क होते तो स्पष्टीकरण नहीं देने पड़ते। उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जिससे काफी अधिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मुझे पता चला है—मैं शुद्धि के अध्याधीन हूं—कि बड़ी कक्षाओं के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में यह हमला किया है, मैं इसकी निन्दा करता हूं। लेकिन उप कुलपति इस मुद्दे को सद्भावना से निपटा सकते थे। यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देश में कई छात्र आन्दोलन हो रहे हैं लेकिन केवल इस वजह से प्रत्येक विश्वविद्यालय बन्द तो नहीं होता है। अतः सरकार को छात्रों के हित में विश्वविद्यालय खोलने के लिए कदम उठाने चाहिए और इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाना चाहिए। मैं इस वक्त अन्य चीजों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब इस बीच आप दो बार बोल चुके हो। मैं आपको याद दिला रहा हूं।

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम): महोदय, आल इंडिया कम्यूनिटी हैल्थ गाईड यूनियन ने बोट क्लब पर धरना दिया है और भूख हड़ताल की है। यह सी० एच० जी० योजना केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना है। इस यूनियन में 3,70,000 सदस्य हैं और ज्यादातर महिला सदस्य हैं। प्रत्येक गाईड को हर रोज लगभग चार घंटे काम करना पड़ता है और उसे लगभग 22 दिन काम करना पड़ता है उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये मानदेय के रूप में मिलते हैं। काफी समय से यह उनकी मांग रही है कि इस मानदेय को बढ़ाया जाये। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सी० एच० जी० कार्यकर्ता को अधिकांशतया एक ही कार्य करना पड़ता है। एक तरफ तो सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है लेकिन सी० एच० जी० कार्यकर्ताओं को अभी तक न्याय नहीं मिला है। कई बार अलग-अलग समय में विभिन्न सरकारों ने उन्हें आश्वासन दिया है। 8 अप्रैल 1988, 28 अप्रैल 1989, 15 फरवरी 1991 और 22 मार्च 1991 को विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न स्वास्थ्य मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांग पर गौर किया जायेगा। मेरा आपके जरिये सरकार से अनुरोध है कि उनसे शीघ्र बातचीत की जाये और उन्हें सभा को आज स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिए कि वे उनके साथ आज ही बातचीत करें।

(हिन्दी)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर खींचना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के अंतर्गत मंगोल

में एक ग्रेनाइट कम्पनी है । वहां पिछली 27 अप्रैल, 1992 को तीन शैड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं के साथ न केवल बलात्कार किया गया बल्कि बलात्कार करने के बाद, उनको मार कर कुएं में फेंक दिया गया। यह 2 बजे दिन की घटना है। हमारी दलित सेना के लोग वहां जाकर, इंक्वायरी करके आये हैं । उसी दिन हम लोगों ने शाम को इस मामले को उठाने के बारे में सोचा था, जैसे ही हमें जानकारी मिली, लेकिन जान बूझकर हमने उसे नहीं उठाया क्योंकि हम चाहते थे कि जब तक इस घटना की सच्ची प्रामाणिक सूचना हमारे पास न आ जाये, तब तक हम यहां कुछ न कहें । और दो बजे दिन की घटना है और उसके बाद 4 बजे शाम को वहां पुलिस पहुंची है और फिर आज तक उस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई । यदि आप चाहें, तो महिलाओं के नाम भी मेरे पास हैं, मैं आपको बता देता हूं—बी० रामुलम्मा–30 वर्ष, राबुड़ी अंजम्मा–23 और बाथुल्ला यासम्मा–14 वर्ष की हैं । वहां पर तरह-तरह की अफवाहे चल रहीं हैं, किन की वह कम्पनी है, मुख्य मंत्री का उसमें कितना हाथ है और यही नहीं, यहां दिल्ली में भी यदि आप देखें, तो सराय बस्ती में लड़की के साथ बलात्कार किया गया । इस प्रकार से आप देखें, तो बलात्कार के अनेक उदाहरण हैं, जिनमें से मैंने बिहार एवं दिल्ली के एक-दो उदाहरण ही दिए हैं । मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है । नृशंस हत्या करना, मैं समझता हूं कि इससे कोई बड़ा अपराध नहीं हो सकता है । ऐसी घटनाओं पर सारे सदन को क्षोभ व्यक्त करना चाहिए। यह 27 तारीख की घटना है । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो और उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए । जहां से लाश बरामद हुई है उसके सम्बन्ध में जुडीशियरी इन्क्वायरी का आदेश हुआ है या नहीं ? मंत्री जी यहां बैठे हैं मैं इस सदन में इस बात को गम्भीरता से कह रहा हूं, सरकार को इस सम्बन्ध में अभी कुछ न कुछ निश्चित रूप से बोलना चाहिए (व्यवधान) ।

श्री ई० अहमद : पहले आप सुन लीजिये, जो मैं बोल रहा हूं ।

[अनुवाद]

मेरा एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव है जिस पर यहां चर्चा होनी है । इसे नियमित रूप से चर्चा के लिए निर्धारित किया जाता है । मान लिया कि हम इसे नहीं लेते हैं यदि हम कोई अन्य कार्य नहीं करते हैं तो हम इसे नहीं ले पायेंगे । अब चूंकि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 म० प० पर शुरू होना है अतः केवल एक घंटा बचा है । आप मध्याह्न भोजन के लिए भी जायेंगे । मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी को केवल 2 मिनट के लिए अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री रामविलास पासवान : सर, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है उस घटना के बारे में मंत्री जी क्या कह रहे हैं या आप इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव लेने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं, क्या हो सकता है ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर मामला है, बलात्कार का मामला है । इसको आसान तरीके से ले रहे हैं । क्या यह कोई मामला ही नहीं है ? दूसरे लोगों को और भी मामले गम्भीर हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए तो यह सबसे गम्भीर मामला है । क्या गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है ? गरीब लड़कियों के साथ बलात्कार की बात है ।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अब चूंकि ग्रेनाईट कम्पनी का संबंध मुख्यमंत्री से है अतः अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को धारा 256 के अन्तर्गत राज्य सरकार को सूचना देनी चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका काल-अटेंशन मोशन है । मैं आपको बार-बार बता रहा हूं । आपको उस पर टाइम भी मिलेगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह जवाब दे रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मेरे पास इस संबंध में सभी तथ्य नहीं हैं । हम निश्चित रूप से तथ्यों का पता लगायेंगे और सभा के समक्ष आयेंगे । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले चांस दिया है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है । इस समय भी आप दो बार से अधिक बोलना चाहते हैं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं । अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, उनका भी कहना है कि उन्होंने नोटिस दिया है । अगर नोटिस का काम ले लूं, तो जो एजेंडा पर बिजनैस है, उसको छोड़ दूं ?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटक) : मुझे समय देने के लिए धन्यवाद । मैं सभा का ज्यादा समय नही लेना चाहता हूं । एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सारा देश चिन्तित है और वह अफगानिस्तान में हो रहे परिवर्तन हैं । वहां वास्तव में क्या हो रहा है ? पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने अफगानिस्तान-काबुल का दौरा किया। अतः विभिन्न परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं तथा धर्मनिरपेक्ष भारत के विपरीत वहां एक कट्टरपंथी अफगानिस्तान उभर रहा है । इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या स्थिति है । कृपया हमें वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दें और बतायें कि आप अफगानिस्तान में हो रहे परिवर्तनों के संबंध में क्या कर रहे हैं । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सर, मैंने नोटिस दिया था। मैं डिफरेंट पाइंट ऑफ़ व्यू पर बोलूंगा ।

جناب شید شہابایدین (کشن گنج) : سر میں نے نوٹسی دیا تھا ۔ میں دفرینٹ
پواینٹ آف ویو بر بولوں گا ۔

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसके ऊपर मैं छोड़कर चला जाऊंगा, फिर आपकी काल-अटेंशन मोशन नहीं आएगी ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई भी यह समझने को तैयार नहीं है कि कार्यसूची के मुताबिक कौन-सा कार्य करना है । हम इस तरह इस सभा को कैसे चला सकते हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने का मौका दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : सब को एक-एक मिनट चाहिए तो एजेंडा में जो बिजनैस है उसका क्या होगा ।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे का उत्तर दूंगा ।

भारत सरकार अफगानिस्तान में युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत करती है । मुजाहिदीन परिषद् ने काबुल में कार्यभार संभाल लिया है । हम सरकारी तौर पर स्वीकृत करते हैं कि यह परिषद वहां अन्तरिम सरकार की तरह कार्य कर रही है । काबुल में हमारे राजदूत परिषद् के सदस्यों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और उनसे राष्ट्रपति श्री सिबघातुल्ला

मुजैदिदी ने भेंट की है। इन परिवर्तनों से अफ़गानिस्तान में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने की आशायें जगी हैं। भारत ने हमेशा अफ़गानिस्तान के लोगों की इच्छाओं पर आधारित राजनैतिक हल जोकि स्वयं उन्होंने ही निकाले हों समर्थन किया है। हम आशा करते हैं कि काबुल के प्राधिकारी अफ़गान समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों और आंक्षाओं को पूरा करेंगे।

राष्ट्रीय मेल-मिलाप और सौहार्द बढ़ाने, सभी प्रकार के जातीय और दूसरे मतभेदों को समाप्त करने तथा अफ़गानिस्तान की स्थिरता, एकता और प्रादेशिक अखंडता को बरकरार रखने संबंधी राष्ट्रपति और मुजाहिदीन कांउसिल के प्रयत्नों की प्रत्येक सफलता के प्रति हमारी शुभकामना है। इन सभी उद्देश्यों के प्राप्ति की दिशा में भारत अपनी तरफ से हर संभव योगदान देगा। हमने हमेशा ही एक संप्रभु, स्वतंत्र, गुट-निरपेक्ष और संयुक्त अफ़गानिस्तान का समर्थन किया है और हम उस प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ रहेंगे।

हिंसक संघर्ष के लम्बे वर्षों के दौरान अफ़गानिस्तान के लोगों ने बेहिसाब पीड़ा और अभाव को झेला है। काबुल के नये प्राधिकारियों के समक्ष मानवीय पीड़ाओं को कम करने और पुनर्निर्माण, पुनर्वास तथा विकास के कठिन कार्यों को पूरा करने की भारी चुनौति है। भारत सरकार जो कि पारम्परिक रूप से अफ़गानिस्तान के लोगों की बेहतरी के कार्यक्रमों से जुड़ी रही है, अफ़गानिस्तान सरकार को इस प्रकार की कोशिशों में मदद देने को तैयार है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे प्रगाढ़ और मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की जड़ इतिहास और परम्परा में बहुत ही गहरी है। अफ़गानिस्तान के साथ मैत्री और सहयोग को कायम रखने और पुष्ट करने में हमारी स्थायी रूचि है। हम काबुल के नये प्राधिकारियों के साथ एक निरन्तर चलने वाली रचनात्मक और सुफल वार्ता आगे बढ़ाने की प्रतीक्षा में हैं।

---

122. म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल इंस्टिट्यूट फार दी विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून

का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि।

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि विजुअली हैंडीकैप्ट, देहरादून के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्युट फार दि विजुअली हैंडीकैप्ट, देहरादून के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए एल० टी० संख्या 1875/92)

(3) (एक) शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990–91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा पराक्षित लेखे।

(दो) शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990–91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए एल० टी० संख्या–1876/92)

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : श्री शंकरानन्द की ओर से मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1991, जो 14 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 693 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए एल० टी० संख्या 1877/92)

मध्य प्रदेश राज्य कृषि, उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1984–85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1984–85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1984–85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए एल० टी० संख्या 1878/92)

(3) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 की उपधारा (4) और धारा 16 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1990–91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए एल० टी० संख्या 1879/92)

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (1991 का संख्या-1) आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री पी० के० थुंगन की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन––संघ सरकार (1991 का संख्या (1)––वाणिज्यिक––पुनःस्थापन (ग्रंथालय में रखी गायी देखिए एल० टी० सं० 1980/92 (2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 का संख्या 2)—वाणिज्यिक—कंपनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का सारांश, सरकारी

कंपनियों के लेखाओं पर टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखी गयी देखिये एल० टी० संख्या–1881/92] ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 का संख्या 3)—वाणिज्यिक—अलग-अलग विषयों पर लेखा परीक्षा टिप्पणी ।

(ग्रंथालय में रखी गयी देखिये, एल० टी० संख्या–1882/92)

लोक सेवा समिति

1.23 म० प०

पच्चीसवें से तीसवां प्रतिवेदन

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

1. एक प्रशिक्षक वायुयान का विकास और उत्पादन संबंधी 25वां प्रतिवेदन ।
2. सशस्त्र प्रणाली "एक्स" का विकास संबंधी 168वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन ।
3. दोषपूर्ण आयातित पैराशूटों की अधिप्राप्ति संबंधी 27वां प्रतिवेदन ।
4. अत्यधिक काल करने वा ों के दूरभाष काल शुल्क के कम बिल बनाने संबंधी 79वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन ।
5. कतिपय विशिष्ट प्रयोजनार्थ नौसेना जल पोतों के अधिग्रहण में हुए निष्फल और अतिरिक्त परिहार्य व्यय संबंधी 187वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन ।
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—मूल्य सूचियां संबंधी 145वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन ।

1.23 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री सुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैं प्रक्रिया तथा प्रकीर्ण मामलों से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल प रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्यमंत्री वक्तव्य देंगे ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय क्या कोई नोटिस दिया गया है ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुझे तो उन्हें देखकर खुशी हो रही है लेकिन बात यह है कि इसके लिये एक निश्चित प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए । वह मंत्री जिनके नाम का यहां उल्लेख है इस समय यहां नहीं है । क्या उन्होंने इसके लिये कोई अनुमति ली है । (व्यवधान) उन्हें तो आपसे औपचारिक अनुमति लेनी चाहिए थी और अगर आप अनुमति देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां अनुमति ली गई है ।

1.24 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सत्र की शेष अवधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

2 निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (71वां संशोधन) विधेयक, 1990 ।

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (76वां संशोधन) विधेय 1992 ।

(ग) अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 1992 ।

(घ) सेना (संशोधन) विधेयक, 1992 ।

(ङ) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 1992 ।

(च) वायु निगम अधिनियम, 1953 का निरसन विधेयक ।

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा के समक्ष निवेदन श्री पी० के० धूमल ।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में मैं निम्नलिखित को शामिल करने का अनुरोध करता हूं :

हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम से विस्थापित व्यक्तियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । अतः इस पर सदन में बहस होनी चाहिए और उसका सदभावपूर्ण समाधान ढूंढा जाना चाहिए ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित बात को शामिल करने का अनुरोध करता हूं :

उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर सम्बलपुर, बोलनगीर, कालाहंडी, कोरापट, फुलबनी, सुन्दरगढ़ और ढेनकेनाल जिलों में पीने के पानी की कमी वहां के गरीब लोगों को अकथनीय पीड़ा पहुंचा रही है ।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के वर्तमान नियमों के अंतर्गत ग्रामों में वास्तविक विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है और ग्रामवासियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है । अतः इस नीति की समीक्षा कर आवश्यक परिवर्तन किये जायें ।

(अनुवाद)

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में मैं निम्नलिखित बात को शामिल करने का अनुरोध करता हूं :

कोयले पर रायल्टी बढ़ाने की आवश्यकता पर बहस करना, जो कि आज उड़ीसा और देश के दूसरे कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों के लिये सर्वाधिक महत्व के विषयों में से एक हो गया है ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसुची में, मैं निम्नलिखित बातों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं :—

(1) महाराष्ट्र में गंभीर सूखे की स्थिति पर बहस करने की आवश्यकता जिससे वहां सुखे को असाधारण प्राकृतिक विपदा घोषित किया जा सके ।

(2) प्राकृतिक विपदा, विशेषकर सूखे के मामले में स्थिति की गंभीरता का आकलन के लिये निर्धारित दिशा-निर्देश पर बहस करना ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल करने का मैं निवेदन करता हूं :

1. पूरे देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति संबंधी कल्याण योजनाओं की प्रगति का विशेष उल्लेख ।

2. विदेशी राष्ट्रिकों की सीमावर्ती राज्यों में कथित घुस पैठ पर चर्चा ।

1.27 म० प०

संविधान (बहत्तरवां-संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय बढ़ाएं जाने के बारे में प्रस्ताव ।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान अर्थात संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग ग्यारह का अंतःस्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि यह सभा भारत के संविधान अर्थात् संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग ग्यारह का अंतःस्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री [illegible] ([illegible]) : मैं इसका विरोध करना चाहता था । लेकिन माननीय सदस्यों और सभापति के अनुनय के कारण मैंने विरोध नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा भोजनावकाश के बाद करेंगे ।

1.28 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.37 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.37 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

शेयर ब्रोकरों की हड़ताल

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी। श्री जार्ज फर्नान्डीज बोलें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के मामले की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :—

"शेयर ब्रोकरों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के उपबंधों को क्रियान्वित किए जाने के प्रश्न पर की गई हड़ताल से उत्पन्न स्थिति, जिसके परिणाम-स्वरूप स्टाक एक्सचेंजेस बंद हो गए तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश की उद्घोषणा की गई थी। अध्यादेश में प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों के संरक्षण, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अध्यादेश का स्थान चालू सत्र में एक संसद अधिनियम ने ले लिया है। अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन 21 फरवरी, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की स्थापना की गई है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की शक्तियों और कार्यों में स्टाक ब्रोकरों, उप-ब्रोकरी और अन्य ऐसे बिचोलियों का पंजीकरण करना और उनके कार्य-संचालन को विनिमित करना शामिल है जो किसी भी तरीके से प्रतिभूति बाजार से संबद्ध हों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की धारा 12(1) में यह व्यवस्था है कि कोई भी स्टाक ब्रोकर, उप-ब्रोकर आदि अधिनियम के अधीन नियमों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुसार और उनके अधीन के अलावा प्रतिभूतियों की खरीद और उनसे संबंधित कार्य नहीं करेगा। इस धारा के परन्तुक में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभूतियों के क्रय अथवा विक्रय अथवा अन्यथा स्टाक ब्रोकर, उप-ब्रोकर आदि के रूप में प्रतिभूति बाजार का कार्य करता हो, और ऐसे अन्य बिचौलिए जो बोर्ड की स्थापना से पूर्व प्रतिभूति बाजार से संबद्ध हों, जिसके लिए इस प्रकार की स्थापना से पूर्व कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं था, वे इस प्रकार की स्थापना से 3 महीने की अवधि तक ऐसा कार्य करना जारी रख सकते हैं अथवा, यदि उसने उक्त 3 महीने की अवधि में इस प्रकार के पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया हो तो वह आवेदन के निपटान तक कार्य जारी रख सकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का गठन 21 फरवरी, 1992 को किया गया था। यह 3 महीने की अवधि 21 मई, 1992 को समाप्त हो रही है। धारा 12 (2) में यह व्यवस्था है कि पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन उस तरीके से और उस प्रकार के शुल्कों के भुगतान पर किया जायेगा जिनका निर्धारण जैसा कि विनियमों द्वारा किया गया हो। धारा 12 (3) में यह

व्यवस्था है कि बोर्ड, आदेश, द्वारा उस तरीके से पंजीकरण प्रमाण–पत्र को आस्थगित अथवा रद्द कर सकता है, जिसका विनियमों द्वारा निर्धारण किया गया हो। लेकिन इस उप–धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उपयुक्त अवसर न दिया गया हो। धारा 20 (1) में यह व्यवस्था है कि इस अधिनियम के अधीन अथवा नियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जिसे निर्धारित किया गया हो, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने 10 अप्रैल 1992 को स्टाक एक्सचेंजों को एक पत्र जारी किया और सलाह दी गई कि वे अपने सदस्यों को पत्र के साथ सलग्न रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फार्म की एक प्रति सप्लाई करें और आवेदन-फार्मों को शुल्क के लिए चैक / डिमांड ड्राफ्टों सहित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को भेजें जो उसके पास 20 मई, 1992 तक पहुंच जाए ताकि बोर्ड अधिनियम के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका आस्ट्रेलिया, कोरिया, ताईवान और सिंगापुर में ब्रोकरों के पंजीकरण के लिए इसी प्रकार के प्रावधान हैं।

4. कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज बोर्ड के सदस्यों ने विरोध में 15 अप्रैल, 1992 को व्यापारिक कार्य बंद कर दिया और अन्य एक्सचेंजों ने 16 अप्रैल, 1992 को कार्य बंद कर दिया। इसके लिए सूचना नहीं दी अथवा सरकार या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ विचार–विमर्श नहीं किया। बाद में ब्रोकरों ने आवेदन के साथ अदा किए जाने वाले शुल्क लगाने के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की, ब्रोकरों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 5 वर्ष की अवधि के लिए, वार्षिक रूप में अदा किए जाने के लिए अलग-अलग ब्रोकरों के कारोबार के एक प्रतिशत के 1/100 तक एक समय पर अदायगी किए जाने वाले पंजीकरण शुल्क को काफी कम कर दिया। ब्रोकरों के प्रति 1 करोड़ रुपये के कारोबार पर शुल्क 1000/– रुपये बैठता है। भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड ने रविवार 19 अप्रैल, 1992 को इस शुल्क को कम करने के बारे में एक प्रैस वक्तव्य जारी किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शुल्क के प्रति लचीला रुख अपनाया है और इसके साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि यह उस ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है जो कानून के अंतर्गत इसे सौंपी गई है। पंजीकरण शुल्क की अदायगी ब्रोकरों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत बोर्ड द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने पर करनी होगी और उसे आवेदन के साथ भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. 15 शेयर बाजारों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि 20 अप्रैल 1992 को बंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पत्र पर पंजीकरण के बारे में विचार करने के लिए मिले थे। इसके पश्चात् उन्होंने वित्त मंत्री और भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के अध्यक्ष को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। अभ्यावेदन का मुख्य विषय यह है कि शेयर बाजार के सदस्यों को भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के पास पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश में बहुत से शेयर बाजारों के सदस्यों ने 16 अप्रैल, से 24 अप्रैल, 1992 तक भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा जारी किए गए पत्र के विरोध स्वरूप कारोबार नहीं किया। 27 अप्रैल, 1992 को बहुत से शेयर बाजारों में और सभी बाजारों में 28 अप्रैल, 1992 को कारोबार आरंभ हुआ।

6. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 28 में यह व्यवस्था है कि यदि केन्द्रीय सरकार यह मानती है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक अथवा उचित है तो वह किसी भी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के वर्ग को प्रतिभूतियों की खरीद करने या उन्हें बेचने से छूट दे सकती है अथवा इसके अन्यथा धारा 12 की धारा 1 के प्रावधानों के प्रचालन से प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से छूट दे सकती है ।

7. कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक समादेश याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा शेयर बाजारों को उनके सदस्यों के पंजीकरण के लिए जारी किए गए 10–4–1992 के पत्र को चुनौती दी गई है । समादेश याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर ली गई है और तदनुसार इस विषय पर न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

8. महत्वपूर्ण और गौण बाजारों में ब्रोकर महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं और वे वैयक्तिक रूप में तथा संस्थागत निवेशकों को सेवाएं प्रदान करते हैं जैसाकि उनके द्वारा अनुरोध किया गया है । ब्रोकरों द्वारा पंजीकरण की अपेक्षा से छूट देने पर साविधिक प्राधिकारियों की भूमिका, पंजी बाजार की स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने और इसके साथ-साथ ब्रोकर द्वारा छोटे निवेदकों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान कराना सुनिश्चित करने में काफी हद तक कमी हो जाएगी ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज —उपाध्यक्ष जी, कल स्पीकर साहब ने यह कहा था कि जिन सवालों को मैं कल के एप्रोप्रिएशन बिलों के समय उठाना चाहता था उनकी चर्चा आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हो सकेगी । इसलिए मैंने आशा रखी थी कि वित्त मंत्री का जो बयान है यह केवल उस हड़ताल तक सीमित नहीं रहेगा जो अभी दो दिन पहले खत्म हो चुकी है, बल्कि उस हड़ताल और उसके साथ जुड़ा हुआ मामला है जिसमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया का एक सवाल है और स्टेट बैंक आफ इण्डिया तक सीमित नहीं है बल्कि समूचे बैंकिंग सिस्टम का ही मामला सामने आया है । उसके साथ-साथ जो क्रेश हो गया जिसमें पिछले दो दिनों में अन्दाजन 60 हजार करोड़ रुपया खत्म हो गया । कल जो दो दिन तक मार्किट क्रेश हुई है कुल 570 सेंसक्स तक था । 222, 223 से आगे जाकर इसका अर्थ यह होता है कि आज जो मार्किट है कैपेटलिस्ट स्टाक एक्सचेंज की वह तीन लाख बीस हजार करोड़ रुपये है तो साठ हजार करोड़ रुपया डूब गया । इतने लोगों का क्या होगा यह तो भविष्य ही बतायेगा । मंत्री जी जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं कि हिन्दुस्तान में बहुत छोटे लोगों ने अपना धंधा और दुकान बन्द करके सबसे बढ़िया खेलने और कमाने का जरिया स्टाक एक्सचेंज है यह सोचकर वहां पर अपना पैसा डालने का काम किया था । ऐसे निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों ने तथा अन्य लोगों ने अपना पैसा वहां डालने का काम किया था जिनका पैसा साठ हजार करोड़ जो डूब गया है उसमें जुड़ा हुआ है ।

जो बयान मंत्री जी ने दिया है उसका पहला वाक्य बताता है कि सरकार कितनी परेशान है सभी की बातों से । इसमें इतनी जल्दबाजी में सरकार की जायज था उसका जल्दबाजी में होना इसी लिए

आर्डिनेंस लाया गया, सदन के शुरू होते ही बजट पर जाने से पहले इस विधेयक को पारित करवा दिया और उसके बाद इसके अन्तर्गत जो कदम उठाने थे वे उठाने का काम किया। लेकिन आपने महसूस किया जैसे आपने कदम उठाये वैसे ही जो स्टाक एक्सचेंज के ब्रोकर लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुई जमात है उन्होंने आपका मुकाबला करना शुरू किया। अन्त में वे 10-15 दिन तक स्टाक एक्सचेंज को बंद रखकर जितने लोगों को जहां पहुंचना था वहां पहुंचाने का काम किया। मुझे आपके बयान को लेकर दो-तीन आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति यह है कि केवल उनके धमकाने से आपने जो रजिस्ट्रेशन फी को कम करने का काम किया है, यह काम नहीं करना चाहिए था। आज भी कोई रास्ता निकालकर, जो पहले का फैसला है उस पर अटल रहने की हिम्मत आप करेंगे तो हम मानेगें। जैसे आप बीच-बीच में बहस के दौरान यह कहते हो कि अमरीका का भी मुकाबला करने वाले हैं तो जो स्टाक ब्रोकर हैं, जो * लोग है, कुछ हिम्मत दिखाकर आपको थोड़े बहुत शौर्य का प्रदर्शन करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ...., शब्द को निकाल दिया जाये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चोर बोलूंगा, अगर ......, शब्द ठीक नहीं हो तो। उनको बाजार में सांड कहा जाता है, बड़ा सांड। (अखबार रोज लिख रहे हैं) 'बिग बुल'।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : वह 'बिग बुल' के लिए वह यह कह रहे हैं .... ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह संसदीय अभिव्यक्ति है।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संतोष मोहन देव .... अपराधी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वे अपराधी हैं। मैं उन्हें और भी निकृष्ट नाम से संबोधित करने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

दूसरी मुझे जो आपत्ति है इस बात पर है कि आपने कहा है

[अनुवाद]

'सेबी' ने शुल्क के संबंध में ढुलमुल नीति अपनाई है साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि उसे सौंपी गई दायित्व का निर्वाह करता है .... ।"

[हिन्दी]

तो यहां फ्लैक्सिब्लिटी को छोड़ दीजिये, जरा सख्ती करिये। दूसरी जो मुझे आपत्ति है, वह इस बात को लेकर है कि आपने कलकत्ता अदालत में पड़े हुए मामले की चर्चा की है और यहां बताया है चूंकि मामला वहां पर है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अदालत में जाकर किसी ने मुकदमा दायर करने

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से आपकी सरकार के, इस संसद के हाथ नहीं बंधे हुए हैं। इस संसद में पारित हुआ कानून है, उस पर अमल करने का जो काम है, उस काम को आपको करना चाहिए और कोर्ट आदि की बात यहां नहीं आनी चाहिए और सबसे बढ़कर आपसे निवेदन करते हुए आपत्ति इस बात को है कि आपने इतने बड़े निवेदन को यहां पढ़ा लेकिन आपने यह नहीं बतलाया कि इस मामले को लेकर आप ब्रोकर्स के लिए क्या करने जा रहे हैं ? आपकी कोई रेस्पांसिबिलिटी नहीं है ? जो स्थिति है, सब लोग जितना जानते हैं, उससे थोड़ी अधिक जानकारी जो आपकी रही हो, उससे बढ़कर इस निवेदन में आपने कुछ नहीं लिखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सार्वभौम सदन द्वारा पारित कानून को अमल में लाने का दायित्व आपके ऊपर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री की परेशानियां मैं समझता हूं। उनकी परेशानियों में सबसे पहली परेशानी यह है कि जो आज सट्टा बाजार, स्टाक एक्सचेंज बना है, इसके पीछे आपकी पूरी नीतियां या सरकार की न्यू एकनॉमिक पालिसी है। यह सबसे बड़ी जड़ है और उसकी जड़ को मैं यहां बताता हूं। पहली बात यह है कि आपको यानि वित्त मंत्री को और जितने वित्त मंत्री उनके साथ हैं दुनियां को यह दिखाना है कि देश तरक्की कर रहा है। तो कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूर बेकार हो रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है तो तरक्की कहां हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की हो रही है। विश्व के अखबारों में हिन्दुस्तान के स्टॉक जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, यह दिखाने का काम हो गया और कम से कम हिन्दुस्तान के लोगों को ऐसा दिखाना हो गया कि अब देखो हम लोगों का विकास हो रहा है। हालांकि दुनियां में कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके स्टाक एक्सचेंज स्पेकुलेशन, जो दाम बढ़ने से हिन्दुस्तान की कोई तरक्की हो रही है। उपाध्यक्ष जी, तो जो उनकी जिम्मेदारी है, वह यह है कि पिछले 8 महीने में वित्त मंत्री होने के बाद पहला बजट और उसके बाद दूसरे बजट में आपने काला धन को देश के भीतर और देश के बाहर ले जाये गये काले धन को जिस प्रकार से मान्यता देने का काम किया है, उसने ही आज देश में ऐसा माहौल बनाया है कि चाहे जिस ढंग से पैसा कमाओ, चोरी करो, लूटो, डाका डालो, दिन-दहाड़े जो चाहे करो, यह सब चीज मंजूर है। क्योंकि आज सरकार खुद ब्लैकमनी को व्हाईट करने का विज्ञापन देकर शहरों में होर्डिंग लगाकर हम लोगों की मदद करती है और इस परिस्थिति ने भी इस तरह का काम किया है और चूंकि ये मानते हैं कि आज स्टॉक एक्सचेंज में पैसा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल में आ गया, इसमें जो विदेशों से लाया हुआ काला धन था, एन० आर० आई० का बैंकों के पास पैसा रहा तो पैसा इस्तेमाल करने का एक मार्ग यह निकला कि स्टॉक मार्किट में इसको भेजने का काम हो जाये।

उपाध्यक्ष जी, एक दूसरा ठोस प्रश्न मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि इसका आपके पास सबूत नहीं है कि आपने खुफिया विभाग को, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र का खुफिया विभाग है, उसको अपने जानकारी नहीं दी है। दुबई में ...... जैसे मैं बड़े सांड का नाम नहीं ले रहा हूं, इस सदन में ऐसे लोगों के नाम नहीं आने चाहिए तो क्या ऐसे बड़े तस्कर नहीं हैं जिनका पैसा स्टॉक एक्सचेंज बम्बई में लगा हुआ है और यह खेल खेल रहे हैं। इस पर आपने कौनसी कार्यवाही की है ? सरकार के कौन से विभाग ने इस पर कार्यवाई की है ? हम इसका ठोस जवाब चाहेंगे

और जैसा बोफ़ोर्स के मामले में प्रधान मंत्री जी ने समय मांगा था, वैसा समय नही मांगे और हमें सही जवाब दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात से बिलकुल इंकार करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का जो स्टॉक मार्किट का जो सारा खेल चला, इसका इस देश के विकास से संबंध है, इसको मैं बतलाता हूं । जनवरी, 1991 में आपकी सरकार नहीं आयी थी तब सेंसस था 1000 पर, जून-जुलाई में आपकी सरकार आ जाती है इससे कोई फ़र्क नहीं होता है । आप खुद देश में, देश के बाहर, सदन में तथा सदन के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि देश बरबाद हो गया है, दिवाला निकला है, कुछ नहीं है, देश बरबाद है और साल पूरा होने तक आपका सेन्सस जाता है 1900 पर । कौन सी ऐसी घटना घटी हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में सिवाय इसके कि आपने काले धन को सफ़ेद करने का ऐलान कर दिया, उसके लिए कानून लाए और जिसको लेकर 1000 से 1900 पर जाती है और उपाध्यक्ष जी, 30 जनवरी, 1992 को आपका नया बजट आना बाकी था, तो और 400 पांइट आगे जाता है और 2300 पर पहुंच जाता है । इस शेयर मार्किट में तेजी आने और हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास का कोई आपसी संबंध नहीं है । मैं एक उदाहरण देता हूं । ए सी सी का शेयर 1991 में 500 रु० पर था । वह साल पूरा होने तक 500 रुपये से 4000 रुपये पर पहुंच जाता है । क्या हो गया सीमेंट उद्योग में, क्या हो गया एसीसी के मैनेजमेंट में कि वह 400 रुपये से 5000 रुपये तक हो जाए । लेकिन वह वहां नहीं रुकता है । ए सी सी का जो शेयर आज से डेढ़ साल पहले 400 रुपये पर था, वह चन्द दिनों में पहले 10,500 रुपये पर पहुंच गया । कौन सा विकास था कि 10,500 रुपये पर यह शेयर चला गया ? और मैं केवल ए सी सी का उदाहरण क्यों रखूं ? ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो घाटे में हैं, जो कंपनियां बंद हैं ।

[अनुवाद]

जो कम्पनियां बी० आई० एफ़० आर० के अन्तर्गत हैं उन्हें भूल जाएं । रुग्ण कम्पनियां की सूची में जो कम्पनी सरकार से ऋण प्राप्त करने की प्रतीक्षा में, जो राजकोष तथा भारत की जनता से ऋण प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है ताकि ये मोटे सेठ, ये कम्पनियां अपना पांच सितारा अस्तित्व बनाए रख सकें । उन कम्पनियों को भूल जाएं । उन्हें विस्मृत कर दें । कम्पनियां जो बंद पड़ी हैं, इनके शेयर आज बाजार में बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं । मुझे माफ़ कीजिएगा उपाध्यक्ष जी, 9.50 रु० का शेयर था सिंधिया कंपनी का, वह कंपनी बंद है--सिंधिया स्टीमशिप एंड नेविगेशन । उसका 10 रुपये का शेयर 9.50 रु० पर था और यह कहां जाता है--172 रुपये पर (5.75 रु० का शेयर था माजदा इंडस्ट्रीज का, यह कहा जाता है--1650 रु० पर) और इस कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्या इसकी औकात है, मगर यह कंपनी एक "बड़े सांड" की कपनी है । तो किस प्रकार से इन लोगों ने स्टॉक मार्किट को मनिपुलेट करके सनसक्स को ऊपर चढ़ाकर हिन्दुस्तान के मध्यम वर्गीय गरीबों को, जिनको शेयर मार्किट क्या चीज है, इसकी जानकारी तक नहीं है, इन लोगों को धोखे में डालकर आज उनके 60,000 करोड़ रुपये दो दिनों में डुबो देने का काम किया है । मैंने केवल दो उदाहरण आपके सामने रखे हैं । मैं इसमें अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं मगर

ये उदाहरण हैं। बंद पड़े ऐसे बहुत कारखाने हैं, मैं कितने नाम दूं। ऐसी जगहें हैं जहां हमारे साथी यूनियन चलाते हैं, कारखाने बंद हैं लेकिन उसके शेयर मार्किट में सौ गुना दो सौ गुना बढ़ने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार लोगों को इसमें सीधे बेवकूफ बनाने का सिलसिला चलाया गया और मुझे बहुत अफ़सोस है कि सरकार ने ये सारा खेल होते हुए ········· (व्यवधान) ······· बड़े सांड का नाम यहां लेना इस सदन का अपमान होगा। अगर सरकार की तरफ से नाम लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मगर मैं इस नाम को नहीं लेना चाहता। तो इसलिए मैं सरकार को इसके लिए दोषी ठहराता हूं। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती है कि यह स्टॉक एक्सचेंज का खेल है। सैन्सैक्स का जो मैनिपुलेशन होता है, यह कैसे होता है वित्त मंत्री को मालूम है, आपके विभाग को मालूम है। कितने स्टॉक्स हैं जो सैन्सैक्स को तय करते हैं? मैं आपको बता दूं। यह 20 फ़रवरी से लेकर 2 अप्रैल तक का खेल मैं आपको बता दूं। 28 फ़रवरी को आपकी सैन्सैक्स 2759 था। 2 अप्रैल को आपको सैन्सैक्स हो गया 4387। यानि 1500 पांइट बढ़ गया। इतना कैसे बढ़ गया? 1500 में से मात्र चार कंपनियों का योगदान है सैन्सैक्स के 1000 पांइट बढ़ाने में। ये ब्रोकर लोगों की बदमाशी होती है। जैसे इसमें टिस्को, ए सी सी, आई० टी० सी० और एक है रिलायंस।

3.00 म० प०

ये चार कम्पनियां है ···· (व्यवधान) ···· हां, वे सांड नहीं है, वे तो सांड लोगों का इस्तेमाल करती हैं, सांड उनके साथ सौदा करते हैं।

उपाध्यक्ष जी, जब आपने इन चार कम्पनियों के शेयर को बढ़ाने का काम किया तो सैन्सैक्स में 1500 की बढ़ोतरी हो गयी, केवल चार कम्पनियों की बढ़ोतरी के चलते, 1000 प्वाईंट की हो गयी, और बाकी सारी कम्पनियों की 500 प्वाइंट और लोग बेवकूफ बन जाते हैं—भूमि, भूमि, कौन सी भूमि। यदि 500 रुपये का शेयर लेकर ए० सी० सी० का आप 10500 करोगे, और किसी प्रकार का डिविडेंड न देने वाली कम्पनियों का बढ़ा-चढ़ा कर दोगे, जो कम्पनियां किसी प्रकार अपने को बनाकर रखती हैं, ऐसी कम्पनियों को अपने साथ जोड़ने का काम करोगे और पूरे देश को आज इस तरह से आपत्ति में डालने का काम करोगे, मैं इसीलिए सरकार को दोषी ठहराता हूं कि यह जानकारी होते हुए भी आपने कोई कदम नहीं उठाया।

मैं वैसे यहां नानी पालकीवाला का नाम नहीं लेता हूं, मगर नानी पलाकीवाला का बजट के बाद सालाना एक भाषण होता है, हम उनकी राय से कभी मिलते नहीं हैं, उनकी और हमारी राय बिल्कुल अलग-अलग दो कोनों में होती है, मगर उस आदमी ने जो आपका आदमी है, आपकी नीतियों का समर्थक है, इस सरकार की हर नीति का समर्थक है ······ (व्यवधान) ···· नहीं, हमारा कभी नहीं था, ऐसे ही क्यों बोलते हो, जो चीज नहीं मालूम है, उसे मत बोलो। स्पीकर साहब प्रिविलेज भी नहीं लेते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात मत छेड़ो। नानी पालकीवाला आपके बजट के तत्काल पश्चात्, जब 3200 पर आपका सैन्सैक्स पहुंचा था, हिन्दुस्तान के हर बड़े शहर में भाषण देते हैं और कहते हैं—इसे रोक दो, इसे रोक दो, घाटे में जायेगा। स्थिति ऐसी नहीं है आप क्यों स्टॉक एक्सचेंज को जलाने

का काम करते हो। क्यों उसमें इतना स्टीम लाने का, हीट लाने का काम करते हो, इसको रोकों। लेकिन आप कुछ नहीं करते हो बल्कि आप खुद जाते हो। आप कहां जाते हो---बम्बई जाते हो, लेकिन आपके जाने के पहले, आपके रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर, श्री वेंकटरमण बोलते हैं कि इसको रोकना चाहिए, इसे नीचे गिराने का काम होना चाहिए। उनका बयान होता है 10 मार्च को, जब 3500 पर आपका सैन्सैक्स पहुंचता है। उनके बयान के चलते, जब वह कहते हैं कि यह जो सारा पैसा इधर-उधर बैंकों से जा रहा है, संस्थाओं से जा रहा है, इस पर कुछ रोक लगानी चाहिए, तब इन्डैक्स 400 प्वाइंट गिर जाता है। उसके बाद, आप जाते हो ब्रोकर्स के बीच में, वित्त मंत्री जी स्वयं जाते हैं। वहां वित्त मंत्री जी का भाषण होता है 27 तारीख को।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : कब ? मैं कभी किसी स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो फिर आपका निवेदन क्यों जाता है। ठीक है, मैं उसे वापस लेता हूं, अगर आप नहीं जाते हो, आपके के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनसे पूछिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : कुछ लोग मिले थे, कुछ लोग दिल्ली में आकर मिले थे, वित्त मंत्री जी से लेकिन वित्त मंत्री जी और मैं वहां नहीं गये थे।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, वे आपको मिल जाते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने कभी भी किसी ब्रोकर से दिल्ली अथवा दिल्ली से बाहर मुलाकात नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, मैंने कह दिया, वापस ले लिया, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनको समझाते हैं। उनको समझाने बुझाने का काम होता है। उनसे कहते हैं कि यह बहुत बढ़ रहा है, लेकिन 27 मार्च को ...... (व्यवधान) .... हां, तिरूपति सैशन से पहले का है, 27 मार्च को जो इन्डैक्स 3796 पर था, वह 31 मार्च को 4285 तक पहुंच जाता है, मंत्री जी के समझाने के बाद, जब ये उन्हें समझाते हैं तो सारा काम उल्टा हो जाता है।

उपाध्यक्ष जी, मेरा इस सम्बन्ध में, यही कहना है कि जो यह सारा खेल खेलने की बात हुई, इसमें कुल मिलाकर 10 ब्रोकर्स हैं जिनको आप पहचानते हैं, आपका मतलब यहां सरकार से है, मैं केवल आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, माफ करिये, मैं आपके लिए पर्सनल या व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्हें यह सरकार जानती है कि कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, क्या उनका काम है। वे लोग कैसे बयानात देते हैं। वे लोग आपके मंत्रियों को टेलीफोन करते हैं और बोलते हैं---तुम्हारे नाम पर कितने शेयर चाहिएं, पैसा न लगाते हुए, केवल मुनाफा तुम्हारे पास पहुंचाया जायेगा। ऐसे भी मंत्री हैं जो उनको कहते हैं ....

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : आप इस तरह के बेसिर-पैर के आरोप न लगाएं। मैंने एक पैसा भी स्टॉक बाजार में नहीं लगाया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं जानता हूं; दैट वाज द प्वाइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मंत्री हैं जो इन सांडों को कहते हैं कि खबरदार, हमसे बात करोगे, निकल-जाओ—ऐसा कहने वाले मंत्री हैं। लेकिन मुझे परेशानी उनसे नहीं है, ऐसे हैं इसलिए मुझे मालूम पड़ता है, ऐसे मंत्री हैं इसलिए मुझे जानकारी मिलती है, वरना मुझे कैसे जानकारी मिल जाएगी ? इसका मतलब यह है कि ऐसे मंत्री जरूर होंगे, जो सांडों को पसन्द भी कर सकते हैं और इसका अगर सबूत चाहिए, तो मैं आज सबूत रखने के लिए तैयार हूं और सबूत है ओ०एन०जी०सी। ओ०एन०जी०सी० के ठेके को लेकर उस सदन में और इस सदन में बहस चल रही है, जिसका नाम है--"सा पाइप्स" एस० ए० डब्ल्यू० "सा"। "सा पाइप्स" को अभी ठेका मिला है। अनेक तौर-तरीकों पर यह बहस चल रही है, प्रधान मंत्री तक यह मामला जा चुका है। प्रधान मंत्री के पास इसके बारे में 70 संसद-सदस्यों ने पत्र लिखकर भेजा है। अब उसका और इसका क्या सम्बन्ध है, इसको आप सोचिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो केवल इतना बता रहा हूं कि "सा पाइप्स" वाला एक बड़ा सांड है। जो देश का 2 नम्बर का सबसे बड़ा सांड माना जाता है। उस सांड ने जनवरी महीने में बयान दिया है कि "सा-पाइप्स" के सारे प्रोफाइल्स को देखा है, मैं उनके कारखाने में गया हूं, मैंने उनकी सब चीजों की पहचान की है 10 रुपये का शेयर था, मैंने पूरा खरीद लिया और जानते हैं आज उसका शेयर कितने पर पहुंचा है–960 रुपये पर और वह बताता है, वह गर्व से कहता है, इस कारखाने को ठेका मिलने वाला है और अगले साल, 1993 तक, उसका 900 करोड़ रुपये का धंधा होने वाला है और उसको ठेका भारत सरकार से मिल सकता है। 10 रुपये का शेयर 960 रुपये में बिक रहा है। इसकी जांच करिए। ऐसी बहुत चीजें हैं, जिनको मैं यहां पर रख सकता हूं, लेकिन नहीं रखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : रखिए, रखिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उनको अभी रखना संभव नहीं है क्योंकि साढ़े 3 बजे प्राइवेट मैम्बर्स का मामला है और उपाध्यक्ष जी ने घंटी बजाई है। यह बात यहां खत्म नहीं हो रही है, मैं केवल इतना इशारा कर रहा हूं कि यह जो मैंने बड़े सांडों की बात की है, उन्होंने जिस पैसे का खिलवाड़ किया है, वह किस का है, अब इसमें दो प्रकार के पैसे का इस्तेमाल हुआ है। नंबर एक–गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 2 लाख करोड़ रुपये की सिक्योरिटी भारत सरकार की है, इन सिक्योरिटीज पर जो कब्जा है, वह मात्र 8 बड़े सांडों का है। इनमें से सबसे बड़ा जो सांड है, उसके पास 70 हजार करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज पर उसका दावा है और 70 हजार करोड़ रुपये पर जिस का दावा है, उसने नंबर एक उस सिक्योरिटीज के पैसे का इस्तेमाल किया और नंबर 2 केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया मात्र नहीं, बल्कि अन्य बैंकों का भी इस्तेमाल किया और 3 महीनों के लिए नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से यह खेल चलता रहा और स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारी या आपके

सम्बन्धित मंत्रालय के चोरों ने इन चीजों को पकड़ नहीं पाए। आज अगर यह कैश नहीं होता यह हमला नहीं होता और इस सदन के अंदर पिछले 3 दिनों से यह मामला अगर नहीं उठया गया होता, तो इनमें से अनेक तथ्य अध्यक्ष जी के सामने आने जैसी स्थिति नहीं थी और इसलिए मैं मंत्री जी से इस बात को बड़े आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि यदि हम अपने बैंकों को बचाना चाहते हैं मंत्री जी जिस तरह आप चाहते हैं, आपने इस सदन में जब मैंने बैंकों के बारे में कहीं है कि इनके जैसे लोग साल में 2 हजार करोड़ रुपये की लूट करते हैं, तो आपने कई बार बड़े प्यार से टोका है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इन संस्थाओं के लिए कितना प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे कम प्यार नहीं करता, मगर चोरों के हाथ में मंत्री जी जब आप इन संस्थाओं को सौंप देंगे तो फिर इन संस्थाओं को कोई नहीं बचा सकता है। अपवाद छोड़िए, अपवाद को छोड़कर जितने बड़े लोग जिन्हें जेल में होना चाहिए, वे फाइव स्टार होटलों में एक-एक दिन में 10 से 20 हजार रुपया उड़ा देते हैं खुद पर और जब यारों को बुलाते हैं, तो पता नहीं कितना उड़ा देते हैं कितना जुल्म हो रहा है देश के साथ और आज जब मांग आई है तो इसके दोषियों को पकड़ने का कदम उठाइए, हम आपका साथ देंगे। हम आपके सबसे बड़े शत्रुओं में से एक हैं लेकिन इन चीजों में आप कुछ करिए, आपका सारा सदन साथ देगा, क्योंकि अनेक चीजें आज की परिस्थितियों में दुरुस्त करने का काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं।

अध्यक्ष जी, एस० बी० आई० ने क्या किया, अन्य बैंकों ने क्या किया, ये जो बैंकर्स रसीद जाती है, ये बैंकर्स रसीद झूठी बना दी, बैंक के अफसरों ने,

[अनुवाद]

बैंकर्स रसीद तैयार की गई। खतरा उठाते हुए जाली बैंकर्स रसीदों को तैयार करने के लिये पांच प्रतिशत कमीशन के तौर पर दिया गया और उन्होंने खतरा उठाया भी।

[हिन्दी]

आप इसकी खोज करिये कितना पैसा किस तरह से इसमें चला गया?

इसका नतीजा हुआ आज काल मनी 105 प्रतिशत तक पहुंच गई है। तीन महीने पहले काल मनी लेने वाले लोग नहीं थे। 40-50-60 बढ़ गई, 5-6 रोज पहले 105 तक पहुंच गई क्योंकि सारे बैंक घाटे में आ गए, लिक्विडीटी नहीं रही। उधर पैसा फस गया था और 105 प्रतिशत ब्याज पर आपके बैंकों ने ही काल मनी के तौर पर कर्ज लिया। इसलिए मैं मंत्री जी के सामने अपना आवेदन रखना चाहता हूं।

1. आप देश के सारे छोटे इनवैस्टर्स को कहिए कि यह जो स्टाक एक्सचेंज चल रहा है, यह केवल सट्टा बाजार है। इस सट्टे में मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब कर्मचारी न फसें।

2. एफ० आई० आर० फाइल कीजिए बड़े सांडों के खिलाफ और अन्य सांडों के खिलाफ जिनके बारे में आज आपके पास जानकारी है। केवल सांडों तक सीमित मत रखिए,

उसमें जितने बैंक फंसे हुए हैं, उनके जो संबंधित अफसर हैं, उनको भी इसमें शामिल कीजिए और इनवेसटीगेशन के लिए गिरफ्तारी का आदेश देने का काम गृह मंत्रालय से कीजिए ।

3. जितने आफिसर्स आफ दी फाईनेंशल इंस्टीटयूशन्स हैं, रिजर्व बैंक, यू० टी० आई०, एल० आई० सी०, म्युचुअल फंडस और बैंक, इन सब अफसरों को आप तत्काल ताकीद दीजिए अगले सात दिनों में मैं सात दिन का समय देने को तैयार हूं, कि पिछले दो सालों में उन्होंने स्टॉक मार्किट में खेलकर कितना पैसा बनाया है अपने नाम, अपने घरवालों के नाम, अपने दोस्तों के नाम। इसको स्टेटमेंट के तौर पर सरकार के पास देने को उनको मजबूर कीजिए ।

4. बड़े सांडों के कम्प्यूटर को डीकोड करने का प्रयास सुना है, आप पिछले चार दिनों से कर रहे हैं । मैंने सुना है मद्रास से श्री राज आए हैं जो इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं और वे कम्प्यूटर को डीकोड करने के काम में लगे हैं । उनको, यदि नहीं हुआ है तो तत्काल डीकोड कराइए या उसके लिए जो कार्यवाही करनी है कीजिए ।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह कह कर आप कार्रवाई करने की प्रक्रिया में सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

[हिन्दी]

5 सारे फाईनेंशलस इंस्टीट्यूशन्स के पदाधिधिकारियों को आदेश दीजिए की उनके स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी प्रकार के खेल में नहीं जाना चाहिए । इन्हें स्टॉक बाजार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उस पर जो जानकारी है वह अगली बहस में आपके सामने रखूगां, कितने लोगों ने अपनी कम्पनी का अपनी संस्थाओं के पैसे का किस प्रकार से इसमें इस्तेमाल किया है ।

6 जो ब्रोकर्स हैं उनको सिर्फ ताकीद दीजिए, क्योंकि उनके पास आज इतना पैसा है कि उस पैसे का इस्तेमाल वे जिस तरह चाहें कर सकते हैं । मैंने बड़ी गंभीरता से कहा कि मंत्रियों तक फोन जाते हैं और कहा जाता है कि आपके नाम पर कितना लगा दें ।

आखिरी आग्रह है, मैं फिर किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यदि जानकारी को हासिल करना है, जायज समझते हैं तो अपने मंत्रियों और जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे पूछिए कि वे इसमें कहां तक खेल चुके हैं और कहां तक फंस चुके हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल बोले । हमारे पास मात्र 15 मिनट का समय है । क्योंकि 3-30 म० प० पर हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करना होगा ।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) महोदय, मैं समय के प्रति बहुत सचेत रहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अलावा आपको वित्त विधेयक के पुर:स्थापन के लिये पांच मिनट का समय बचाना होगा । यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री रूप चन्द पाल : माननीय वित्त मंत्री ने उन मुद्दों का जिक्र नहीं किया जिसका नोटिस मैंने दिया था ।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, इस मुद्दे पर हम सुनने के लिए तैयार हैं । हम इस चर्चा में भाग लेने के लिये तैयार हैं लेकिन उन सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाए जिन्होंने अपने नाम दिये हैं । ठीक है । लेकिन सदस्यों को समय मिलना चाहिए जिनके नाम यहां शामिल हैं । यदि आवश्यकता पड़ी तो हम 6–00 बजे के बाद भी बैठने के लिये तैयार हैं । हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा सुनना चाहते हैं जिसे श्री जार्ज फर्नान्डीज और अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया है । हम वित्त मंत्री जी के उत्तर को ध्यान से सुनना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैना, आप सदैव ही ध्यान रखते हैं ।

श्री रूप चन्द पाल : माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य में मेरे नोटिस के मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है । मेरा नोटिस था : "स्टाक बाजार में सट्टेबाजी के लिये भारतीय स्टेट बैंक व अन्य बैंकों द्वारा कथित वित्त पोषण ।"

अभी इस सभा में बोफोर्स तथा ए० बी० बी० पर चर्चा पूरी भी नहीं की है कि एक और कांड सामने आ गया । सरकार की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है । स्वतंत्र भारत में ऐसा अभूतपूर्व घपला कभी नहीं हुआ —भारतीय स्टेट बैंक द्वारा श्री हर्षद मेहता को सट्टेबाजी के लिये छह सौ करोड़ रुपये दिये गए । मैं यह नाम इसलिये ले रहा हूं क्योंकि मेरा नोटिस हर्षद कांड से जुड़ा है ।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक किसी घपले में जुड़ा है । आप याद करें नागरवाला के दिनों से ही हमारे सामने अनेक गंभीर अनियमितताएं आई हैं, यहां हम पाते हैं कि "बिगबुल" को अत्यंत ही समृद्ध तरीके से सरकारी प्रतिभूति का उपयोग करने की अनुमति दी गई और जिसके फलस्वरूप शेयर बाजार में उछाल पैदा किया गया, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, अभूतपूर्व गिरावट आई जिसके फलस्वरूप हजारों छोटे निवेशकों में बेचैनी उत्पन्न हुई है । यह भी कहा गया है कि इस "बिगबुल" का "माजदा" से भी संबंध रहा है और उन्होंने यह दर्शाने के लिये आंकड़े दिये हैं कि किस प्रकार (4.5) रुपये प्रति इकाई की कीमत वाले शेयर की कीमत चार्ट में 160 रुपये हो गई ।

यहां दो प्रश्न उभरते हैं । मैं उनका उल्लेख नहीं करता हूं लेकिन यह अच्छी बात हो सकती है कि गिरावट आई है लेकिन इसके साथ ही छोटे निवेशकों में बेचैनी उत्पन्न होगी और सरकार आम तौर पर निवेशकों विशेषकर छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा में बुरी तरह विफल रही है । क्योंकि इस जानकारी के बावजूद उन्होंने इसकी उपेक्षा की और इन बातों को होने दिया । यही आरोप है ।

जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक समाचार पत्रों में यह छपा है कि सी० बी० आई० जांच भी शुरू हो चुकी है और यह भी छपा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने न सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक बल्कि अन्य बैंकों की अनियमितताओं की भी जांच कर रहा है और मेरी जानकारी के मुताबिक इसमें शेयर बाजार के इस कुकृत्य में विदेशी बैंक भी अत्यधिक संलिप्त हैं ।

मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि अन्य वक्ताओं को भी बोलना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब बातों के बावजूद 'बिगबुल' को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया । अभी तक कोई एफ० आई० आर० नहीं दर्ज किया गया है । केवल एस० बी० आई० ही नहीं बल्कि कई बैंकों के अधिकारी शामिल हैं जिन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना है । कई अन्य अधिकारी भी हैं, जिन्हें इतने वर्षों तक अनियमितताओं और हेरा-फेरी में लिप्त पाया गया है । मेरा प्रश्न यह है : क्या सरकार एक जांच आयोग गठित करने का विचार रखती है जो विगत महीनों में इन बैंकों द्वारा किये गए कार्यों की गहराई से छानबीन करे ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री हर्षद मेहता के कम्प्यूटर के 'डिकोड' करने के पश्चात् बहुत सारी जानकारियां मिली है क्या सरकार उन सभी जानकारियों को सभा पटल पर प्रस्तुत करेगी जो श्री हर्षद मेहता के कम्प्यूटर के डिकोड किये जाने के बाद प्राप्त हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस विषय पर हम 6–00 बजे के बाद चर्चा कर लेंगे ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : हम लोगों के लिये 6–00 बजे बाद संभव नहीं है, हम तो अभी बोलेंगे ।

श्री गुलाम नबी आजाद : आपके सब लोग सहमत हैं ।

[अनुवाद]

गैर–सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य आरंभ करने के लिये हमारे पास अभी दस मिनट का समय बाकी है । मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्री जी इन दस मिनटों में अपने वित्त विधेयक पर चर्चा जारी रखना चाहेंगे ।

इसमें केवल पांच अथवा छः मिनट का समय लगेगा कल हमने यह कहा था कि गृह मंत्री जी बम विस्फोट पर अपना वक्तव्य देंगे । वह वक्तव्य भी दिया जाना चाहिए और उसके बाद हम गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य पर चर्चा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब श्री मनमोहन सिंह जी बोलेंगे :

3-21 म० प०

*वित्त विधेयक, 1992

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

29 फ़रवरी, 1992 को इस सम्माननीय सभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने विधेयक में उल्लिखित प्रस्थापनाओं की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया था।

बजट में जो दिलचस्पी दिखाई गई है, उस पर हुई चर्चा और वाद-विवाद से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों के संबंध में बहुत ही लाभदायक सुझाव दिये थे। अनेक माननीय संसद सदस्यों ने इन सुझावों के संबंध में पत्र भी लिखे थे। जनता, ट्रेड-यूनियनों, चैम्बर ऑफ़ कामर्स, व्यवसायीनिकायों तथा स्वयं सेवी संगठनों से भी अनेक सुझाव प्राप्त हुये हैं। मैं उन सभी का इन बहुमूल्य सुझावों के लिए आभारी हूं। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वित्त विधेयक के बारे में हमें जो भी सुझाव भेजे गये उन सभी बातों पर हमने सावधानी पूर्वक विचार किया है। विभिन्न सुझावों के उत्तर में मैं विधेयक में कुछेक संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। इन संशोधनों में से कुछेक की व्याख्या करने के लिये मैं माननीय सदस्यों की सहायता चाहूंगा। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान अपने उत्तर में मैंने कुछेक परिवर्तनों के बारे में घोषणा की थी।

अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि आयकर छूट सीमा में वृद्धि करने तथा कर की दरों में कमी करने के कारण बहुत सी कर रियायतें अब न्यायोचित नहीं लगतीं। इसलिये मैंने आयकर अधिनियम की धारा 80 एल, 80 सी सी ए तथा 80 सी सी बी को वापस लेने की घोषणा की थी। मेरे पास अनेक अभ्यावेदन आये हैं जिनमें यह कहा गया है कि धारा 80 एल के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को वापिस ले लिये जाने के कारण काफी कठिनाई पैदा होगी, विशेषकर निम्न आय वर्ग के उन पेंशन भोगियों तथा कर दाताओं को जिन्होंने विशिष्ट परिसम्पत्तियों में अपनी बचतों का निवेश किया हुआ है। इस सम्माननीय सदन के अनेक सदस्यों, जिसमें सत्ताधारी दल व विपक्ष दोनों शामिल हैं, ने अनुरोध किया है कि धारा 80 एल के अन्तर्गत मिलने वाली रियायतों को समाप्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाये। उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए तथा निम्न आय वर्ग के करदाताओं के हितों की यथा संभव रक्षा करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए मैं आन्तरिक उपाय के तौर पर 7000 रुपये तक की धन सीमा पर धारा 80 एल के अन्तर्गत की जाने वाली कटौती को पुनः बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं। वित्त विधेयक में मूलतः प्रस्तावित छूट की सीमा में 6000 रुपये की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, धारा 80 एल में मैंने जिस संशोधन का प्रस्ताव किया है, इसमें निम्न आय वर्ग के कर दाताओं से मिली शिकायतों को ध्यान में रखा गया है।

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत।

राष्ट्रीय बचत योजना में धारा 80 सीसीए के अधीन मिलने वाली कटौतियों को तथा इसके साथ–साथ धारा 80 सी सी बी से संबंधित इक्युटी से जुड़ी बचत योजनाओं आदि को वापिस ले लेने के कारण मैंने प्रस्ताव किया था कि धारा 88 के अन्तर्गत मिलने वाली रियायत की सीमा बढ़ायी जाये ताकि इसमें ऐसी योजनायें भी शामिल की जा सकें जो कि इस समय धारा 80 सी०सी०ए० तथा 80 सी सी बी के अन्तर्गत आती हैं ।

वर्तमान में धारा 88 के अन्तर्गत मिलने वाली छूट 50,000 रुपये तक के निवेश पर ही मिलती है। कर छूट के बढ़ जाने के कारण मैं अब निवेश की सीमा को बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं । इसका अभिप्राय यह है कि कर छूट की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये हो जायेगी । मैं 60,000 रुपये की इस समेकित सीमा में, इक्युटी से जुड़ी बचत योजनाओं में निवेश के संबंध में, 10,000 रुपये की एक उप–सीमा का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि धारा 88 के अन्तर्गत अन्य बचत योजनायें भी निरन्तर बनी रहें ।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने अपने बजट भाषणों में प्रस्ताव किया था कि छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए एक नयी सरलीकृत कराधान प्रक्रिया शुरू की जायेगी । यह प्रस्ताव छोटे कर दाताओं में विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से रखा गया था ताकि उनके दिल से आयकर अधिकारियों का सामना करने में होने वाली मनो–वैज्ञानिक झिझक दूर हो सके । इस योजना के प्रति पूरे देश में पैदा हुए उत्साह को देखते हुए मैं इसकी सीमा को बढ़ाने के लिये अन्य छोटे दुकानदारों को जो दर्जी, टाइपराइटिंग, फ़ोटो–कापी, धोबी तथा मरम्मत आदि के कार्यों में लगे हैं, को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं । यह शर्त कि सरलीकृत प्रक्रिया का चयन करने वाले व्यक्तियों के पास कर योग्य कोई अन्य आय का स्रोत नहीं होना चाहिए, समाप्त की जाती है । जिन व्यक्तियों को अन्य स्रोतों से एक वर्ष में कुल मिलाकर 5,000 रुपये से अधिक कर योग्य आय नहीं होगी, वे अब इस राशि के लिये अतिरिक्त कर की अदायगी करने पर नई योजना का चयन कर सकेंगे ।

इस वर्ष के बजट में मैंने पूंजीगत लाभों के कराधान के संबंध में प्रमुख परिवर्तन किये हैं । मैंने आस्तियों की अधिग्रहण लागत में वृद्धि संबंधी सूची का प्रस्ताव किया था । मैंने दीर्घावधि के पूंजीगत लाभों पर भी कर के लिये प्रस्ताव किया था जोकि हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए 20 प्रतिशत, कम्पनियों, फर्मों, व्यक्तियों के संघों तथा व्यक्तियों के निकायों पर 40 प्रतिशत और अन्य सभी मामलों में 30 प्रतिशत दर से था। मुझे इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ श्रेणियों के करदाताओं पर लगने वाली कर की 40 प्रतिशत दर बहुत अधिक है । मैं यह महसूस करता हूं कि इन अभ्यावेदनों पर विचार करना होगा । अतः मैं फर्मों, व्यक्तियों के संघों तथा व्यक्तियों के निकायों पर लगने वाले कर की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं साहसी पूंजीगत कम्पनियों के मामले में भी कर की रियायती दर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि फर्म की और भागीदारी की एक ही आय पर दोबारा कराधान से बचने के उद्देश्य से मैंने भागीदारी फर्मों के कराधान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रस्ताव किया था। मैंने यह प्रस्ताव किया था कि फर्म से भागीदार को जो आय का हिस्सा मिलता है, उस पर कराधान नहीं होना चाहिये। मैंने यह भी प्रस्ताव किया था कि फर्म की आय से भागीदार को जो ब्याज, वेतन आदि का भुगतान किया जाता है, उसे भी कटौती के लिए अनुमत किया जाना चाहिए। वेतन के रूप में यह कटौती प्रस्ताव व्यावसायिक फर्मों के मामले में प्रथम एक लाख रुपये पर 90 प्रतिशत तथा व्यापारी फर्मों के मामले में प्रथम 75,000 रुपये का किया गया था। छोटी फर्मों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मैं अब फर्म की आय में से भागीदार के वेतन के रूप में 50,000 रुपये तक की राशि पर शत प्रतिशत कटौती की अनुमति देता हूं।

ऐसी आशंकायें व्यक्त की गई हैं कि कर-निर्धारण अधिकारी आयकर अधिनियम की धारा 40ए (2) के प्रावधानों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं और भागीदार को जो वेतन का भुगतान किया जाता है, उसे अत्यधिक बताकर इसमें कटौती करते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड से कहा जायेगा कि कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि इन शक्तियों का इस्तेमाल छोटी फर्मों या अन्य के मामले में न करें। इनका प्रयोग गिने चुने मामलों में ही किया जाना चाहिये। वित्त विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि भागीदारों को जो वेतन अथवा ब्याज मिलेगा, इस पर स्रोत पर कर काट लिया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसके कारण कार्यान्वयन संबंधी कुछ समस्यायें पैदा हो जाएंगी और फर्म का अनावश्यक कागजी कार्य बढ़ जायेगा। मैं इस प्रावधान को भी वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

विधेयक में यह प्रावधान है कि जिन व्यक्तियों के घरों या फर्मों की तलाशी की जाये वहां उनकी उपस्थिति तब तक सुनिश्चित होनी चाहिये जब तक तलाशी कार्य पूरा न हो जाए। मैंने कर सुधार समिति से अनुरोध किया है कि प्रत्यक्ष कर नियमों से जुड़े प्रक्रिया सम्बन्धी प्रावधानों, जिनमें तलाशी और बरामदगी से संबंधित प्रावधान भी शामिल हों, के पूरे प्रकरण की जांच करे। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना वांछनीय होगा। अतः मैं विधेयक के इस प्रावधान को तदनुसार वापिस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

अपने बजट भाषण में मैंने सम्पत्ति कर के कराधान के संबंध में वर्तमान प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा की थी ताकि उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। अब मैंने सम्पत्ति कर के कुछ अन्य पहलुओं की जांच की है जिन पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह प्रावधान करने की भी आवश्यकता है कि ऐसी मोटर कारें जो स्टाक इन-ट्रेड का हिस्सा हैं कराधान के अन्तर्गत न आयें।

इस बात की भी आवश्यकता है कि शहरी भूमि जिस पर किसी भी कानून के अधीन निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, पर सम्पत्ति कर नहीं लगना चाहिये। इसी तरह की छूट

ऐसी भूमि पर भी लागू होनी चाहिये जो औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दो साल तक की अवधि के लिए रोकी गई हो। मैं सम्पत्ति कर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि पहले घोषित की गई रियायतों के साथ-साथ इन रियायतों को भी अधिनियम में शामिल किया जा सके।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करना चाहूंगा।

मेरे पास जो अभ्यावेदन और सुझाव आये हैं, उनमें जिस एक और बात पर चिन्ता व्यक्त की गई है, इसका संबंध घरेलू उद्योगों पर लगने वाले कुछ आयात शुल्क में की जाने वाली कमी के प्रतिगामी प्रभावों से है। मैंने इन अभ्यावेदनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। इससे पहले 26 मार्च, 1992 को मैंने आयात शुल्क पर महत्वपूर्ण रियायतों की घोषणा की थी जोकि कुल मिलाकर 245 करोड़ रुपये बैठती है। मैं अब उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करके जिनमें महत्वपूर्ण सैक्टरों में आयात शुल्क में राहत देने की बात भी शामिल है, का प्रस्ताव करता हूं।

शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ विशिष्ट औषध इंटरमिडिएट, जिनका प्रयोग बल्क ड्रग्स के उत्पादन में होता है, पर उपलब्ध 95 प्रतिशत रियायती आयात के बजट में समाप्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप बल्क ड्रग्स इंटरमिटिएट जैसे आदानों तथा तैयार माल पर 110 प्रतिशत की दर से ही शुल्क देय होगा? इस बारे में यह कहा गया है कि इससे बल्क ड्रग्स के उत्पादन को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अत: मैं बल्क ड्रग्स के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकतर विनिर्दिष्ट औषध इंटरमिटिएट्स के संबंध में 95 प्रतिशत के आयात शुल्क की रियायत को बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं। कुछ जीवन रक्षक औषधियों तथा दवाईयों को आयात शुल्क से मुक्त रखने का भी इसमें प्रस्ताव है। आंखों की अच्छी देखभाल के लिए मैं जीवाणुहीन घोल पर उत्पादन शुल्क 105 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर रहा हूं, जिसका उपयोग कान्टैक्ट लैन्सों की देखभाल के लिए किया जाता है।

फार्मेस्यूटीकल उद्योग में काम आने वाली 'एसैपटिक-फारम-फिल-सील' पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है।

बजट से पहले इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए कुल कल-पुर्जों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल तथा छोटे-मोटे पुर्जों पर मूल शुल्क के साथ-साथ 50 से 70 प्रतिशत तक अतिरिक्त आयात शुल्क लिया जाता था। अनेक शुल्क दरों को हटा कर उन्हें युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से कच्चे माल तथा छोटे पुर्जों पर शुल्क की दर घटा कर एक समरूप दर 40 प्रतिशत निर्धारित कर दी है। अन्य कच्चे मालों तथा छोटे पुर्जों पर मिलने वाली रियायत वापस ले ली गई है। नए शुल्क ढांचे में त्रुटियों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए मैंने पहले जो कच्चे माल तथा छोटे-पुर्जों पर शुल्क में अन्तर था उसे बहाल कर दिया है। अब मेरा यह प्रस्ताव है कि अधिकतर

कच्चे माल जिन पर बजट के पहले 50 प्रतिशत आयात शुल्क लिया जाता था, उन पर अब 40 प्रतिशत आयात शुल्क लिया जायेगा तथा जिन छोटे पुर्जों पर पहले 70 प्रतिशत आयात शुल्क लिया जाता था, उन पर अब 60 प्रतिशत आयात शुल्क लिया जायेगा।

मैंने फ्लाई ऐश और फोस्फोजिप्सियम ईंटों तथा भवन निर्माण सामग्री बनाने में प्रयुक्त मशीनरी की विनिर्दिष्ट मदों पर आयात शुल्क को कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह रियायत पर्याप्त नहीं है क्योंकि कम की गई शुल्क दर के बावजूद ऐसी परियोजनाओं पर प्रारम्भिक निवेश बहुत अधिक है। ऐसी गतिविधियों के पर्यावरण की दृष्टि से महत्व को देखते हुए मैं फ्लाईऐश और फोस्फोजिप्सियम पर आधारित निर्माण सामग्री को पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने बजट में तैयार लैदर तथा बिना पोलिश के ग्रेनाइट पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था ताकि निर्यातकों को अधिक मूल्य पर आधारित लैदर और पोलिश किए हुए ग्रेनाईट के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि यह शुल्क दर बहुत अधिक है तथा इसे कम किया जाना चाहिए। तदनुसार मैं तैयार लैदर पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत और बिना पोलिश के ग्रेनाईट पर 10 प्रतिशत से घटा कर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

बजट में मैंने भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित भारतीयों द्वारा अपने साथ लाए जा रहे सोने पर आपात शुल्क 10 ग्राम पर 450 रुपए निश्चित किया था जो कि यथामूल्य की दर से 15 प्रतिशत बनता है। मेरे विचार से इससे तस्करों को नुकसान हुआ है। तस्करों को और निरूत्साहित करने के लिए मैं सोने पर आयात शुल्क कम करके 220 रुपए प्रति 10 ग्राम कर रहा हूं।

पोलिस्टरीन के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल ईथायल बैनज़ीन पर आयात शुल्क को मैं 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

बाल और रोलर बियरिंग्स के आयात के बड़े पैमाने पर कम बीजक बनाये जाने की रिपोर्टें मिली हैं। बहुत से संसद सदस्यों ने भी ऐसे अभ्यावेदन दिए हैं कि निरन्तर कम बीजक बनाये जाने के कारण बाल और रोलर बियरिंग्स के घरेलू उत्पादकों पर विशेष कर लघु उद्योग क्षेत्र में, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति से निपटने के लिए मैं इस श्रेणी के आयात को 110 प्रतिशत के अधिकतम आयात शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ताकि विनिर्दिष्ट दरें लागू हो सकें। बजट प्रस्तावों की मूल भावना के अनुसार कई मामलों में यथा मूल्य शुल्क की दरें कम की गई हैं ताकि इन मदों पर कुल शुल्क कम लगे।

इस समय 6 विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर पेरिफेरियल्स को छोड़ कर तथा कम्प्यूटर पेरिफेरियल्स मूल तथा आनुषंगिक दर पर 75 प्रतिशत आयात शुल्क लग रहा है। नई निर्यात-आयात नीति में इनके आयात को उदार बनाया गया है। यह अभ्यावेदन किया गया है कि

75 प्रतिशत का शुल्क वर्तमान परिस्थिति में स्वदेशी उद्योग की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं। तद्नुसार मैं इन कम्प्यूटरों पर तथा उनके पेरिफेरियल्स पर आयात शुल्क बढ़ाकर 110 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि स्वदेशी उद्योग इस बात को समझेगा कि यह एक अस्थायी कदम है। स्वदेशी उद्योग को भविष्य में कम संरक्षण के साथ अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा।

मैंने बजट में इन्सुलेटेड थर्मोवियर और वैक्यूम फ्लास्क पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था। यह अभ्यावेदन किया गया है कि यह उद्योग अभी आरम्भिक चरण में है और उसे प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, मैं बजट से पूर्व उपलब्ध उत्पाद शुल्क की पूरी छूट बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं।

सिले-सिलाये वस्त्रों और होजरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए मैं इस उद्योग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले कतिपय विनिर्दिष्ट ट्रिमिंग्स और ईमबैलिशमैंट पर आयात शुल्क 100 प्रतिशत से कम करके 45 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में परिवर्तन करने के लिए वित्त विधेयक में कुछ संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता हूं। ये संशोधन सामान्य रूप से समर्थकारी उपबन्ध होंगे और राजस्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

अप्रत्यक्ष करों में उपर्युक्त परिवर्तनों से संबंधित छूट अधिसूचनायें यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में मेरे द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों से केन्द्र को कुल 331 करोड़ रुपए और राज्यों को 271 करोड़ रुपए की हानि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि वित्तीय वर्ष 1992–93 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आज उन्हें अच्छे आचरण का प्रमाणपत्र मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तो श्री सोमनाथ चटर्जी वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। सारा सदन भी उन्हें बधाई दे रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हर चीज के लिए नहीं, केवल आज के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में गैर-सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित कार्यवाही 3.30 बजे आरम्भ हो जानी चाहिए थी। खेद है कि इसमें पांच मिनट की देरी हो गई। माननीय मंत्री श्री जैकब एक वक्तव्य देना चाहते हैं। अगर सदन सहमत हो तो मैं माननीय मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहूं।

कुछ माननीय सदस्य, जी, हां ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम दम) : महोदय, संशोधन कब प्रस्तुत किए जाने चाहिएं ? ....(व्यवधान).......... जो संशोधन सरकार प्रस्तुत करना चाहती है, उनकी प्रतियां मिलने के बाद ही हम ऐसा कर सकते हैं । क्या आप बतायेंगे कि संशोधन कब प्रस्तुत होंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट बाद मैं आपको बता दूंगा ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सोमवार अथवा मंगलवार को होना चाहिए । समय भी बताया जाना जाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपने संशोधन सोमवार 3.00 बजे तक दे सकते हैं । अब माननीय मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संशोधन कल तक अवश्य ही परिचालित हो जाने चाहिए ।

3.36 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

नया बाजार दिल्ली में 29 अप्रैल, 1992 को आग लगने की घटना ।

संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को नई बस्ती, नया बाजार में आज सुबह आग लग जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में सूचित करता हूं ।

2. 29 अप्रैल को करीब 10.12 बजे पूर्वाह्न, लाहोरी गेट पुलिस थाने में सूचना प्राप्त हुई कि सुशील मोहन स्कूल के पास से धुआं उठ रहा है और वहां आग लग गई है । करीब 10.14 बजे पूर्वाह्न पी० सी० आर० से वायरलैस पर लाहौरी गेट पुलिस थाने को पुन: सूचना प्राप्त हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बताया कि नावेल्टी सिनेमा के पीछे पीली कोठी के पास नया बाजार में एक बम फटा है ।

3. पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर पहुंची और पाया कि 1725, 1726 एवं 1727 नम्बर की तीन, दो/तीन मंजिली इमारतें ढह गई हैं ।

4. दिल्ली अग्निशमन सेवा के नियंत्रक कक्ष को आग के बारे में करीब 10.10 बजे पूर्वाह्न सूचना प्राप्त हुई । तीन अग्निशमन गाड़ियां तथा एक एम्बुलेंस तुरन्त घटना स्थल पर पहुंची । 10.30 बजे पूर्वाह्न आग को "मध्यम श्रेणी" का घोषित किया गया और करीब 10.45 बजे पूर्वाह्न इसे गंभीर घोषित कर दिया गया । 1.15 बजे अपराह्न आग पर काबू पा लिया गया । कुल मिलाकर 43 अग्नि शमन गाड़ियां तथा सात एम्बलेंस घटनास्थल पर भेजे गए ।

5. इन तीनों इमारतों के भूतल ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कब्जे में हैं। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली अग्निशमन सेवा तथा दिल्ली पुलिस ने मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। निगम के 400 व्यक्ति और दिल्ली अग्निशमन सेवा के 250 व्यक्ति बचाव कार्य के लिए तैनात किए गए।

6. कल प्रात: से बचाव कार्य बिना रुके जारी है। दि० नि० नि० के कर्मचारी और दिल्ली अग्निशमन सेवा के कार्मिक पुलिस की सहायता से अब भी मलबे को हटा रहे हैं जिससे कि मलबे में अब भी फंसे लोगों को बचाया जा सके।

7. अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 28 व्यक्ति मर गए हैं और 24 को चोटें आई हैं। इनमें से चार को (अस्पताल से) छुट्टी दे दी गई है। बाकी को विभिन्न अस्पतालों में दाखिल कराया गया है।

8. विस्फोटक के बाद अपराध (रोकथाम) दल, बम निरोधक दस्ता, केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोशाला तथा आपरेशन सैल के विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया। आग का कारण अभी निश्चित नहीं किया जा सका है। शुरूआती पूछताछ के अनुसार, शुरू में एक विस्फोट के बाद आग लगी और इसके बाद दो विस्फोट और हुए। यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़-भरा है और एक व्यापारिक केन्द्र है। कई ट्रांसपोर्ट कम्पनियां इस क्षेत्र में स्थित हैं। जो हर प्रकार के सामान को ढोती हैं, जिसमें अत्यन्त ज्वलनशील वस्तुएं भी शामिल हैं।

9. लाहौरी गेट पुलिस थाने में विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धारा 4/5 तथा भा० द० सं० की धारा 304/308/427/436 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और आग के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत खोज-बीन जारी है। पुलिस द्वारा की गई प्रारम्भिक पूछताछ से पता चलता है कि विस्फोट नई बस्ती के मकान संख्या 1725 में स्थित एक कम्पनी के कार्यालय सह-गोदाम में हुआ। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है।

10. दिल्ली के उपराज्य पाल, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का कल दौरा किया।

11. मैंने भी घटनास्थल का कल दौरा किया। मैंने दि० न० नि०/अग्नि शमन सेवा तथा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्रतापूर्वक बचाव कार्य करें तथा मलबे को साफ करें। दिल्ली प्रशासन ने इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। मैं माननीय सदस्यों को जांच के परिणामों से अवगत करा दूंगा।

12. इस दुघटना में शिकार हुए लोगों को अनुग्रह राहत प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने कदम उठाए हैं।

13. पुराने शहर में भीड़-भाड़ को दूर करने तथा थोक व्यापार को हटाकर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने के उद्देश्य से जी० टी० करनाल रोड पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट

नगर का विकास किया गया है जहां पर बहुत सी ट्रांसपोर्ट कम्पनियां विशेषकर गोदाम स्थानान्तरित हो सकते हैं। बहुतों ने व्यापार को स्थानान्तरित कर लिया है और अन्य व्यापार को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया में हैं। इस प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। कुछ समय पूर्व दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि दिनांक 1 जून 1992 से पुराने शहर के कुछ भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी सामान तथा वाहनों के प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री तारा चन्द खण्डेलवाल (चान्दनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस पर कोई डिस-कशन नहीं कर रहा हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नियम तो पालन करना है ....

[अनुवाद]

जब भी वक्तव्य दिया जाता है उस पर स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति नहीं दी जाती। [व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियमों का पालन करना है। जब भी कोई मंत्री वक्तव्य देता है उस पर स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति नहीं दी जाती। हमने इसकी कभी भी अनुमति नहीं दी।

[हिन्दी]

श्री तारा चन्द खण्डेलवाल (चान्दनी चौक) : मैं इसके वक्तव्य पर चर्चा नहीं कर रहा हूं परन्तु जो उससे उत्पन्न स्थिति है उस पर कह रहा हूं कि जिन लोगों के मकान जले हैं या जो मकान गिरने वाले हैं उनको इस बीच में कहीं पर ट्रांजिट कैम्प में या दूसरी जगह पहुंचाया जाए और जो घर वाले वहां पर पड़े हैं उनको वहां स्थापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए, मेरा केवल इतना निवेदन है। **(व्यवधान)** ....

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं इनको गोदाम दिए हुए हैं। लेकिन ये जान बूझकर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जिस गोदाम में आग लगी है उसी गोदाम के मालिक को गोदाम मिल चुके हैं लेकिन वे वहां शिफ्ट नहीं करना चाहते। केन्द्र सरकार उनको शीघ्र आदेश दे कि वहां शिफ्ट हों। ...... **(व्यवधान)** ....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे।

3.46 म० प०

श्री पी० पी० कालियापेरुमल

3.46 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति दसवां प्रतिवेदन

श्री पी० पी० कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा 29 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.47 म० प०

बौद्धिक सम्पति अधिकारों सम्बन्धी व्यापार (ट्रिप्स) आदि से संबंधित प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूप चन्द पाल द्वारा पेश किए गए ट्रिप्स आदि से संबंधित प्रस्तावों को अस्वीकृत किए जाने संबंधी संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इस संकल्प पर चर्चा में पहले ही 4 घन्टे 28 मिनट का समय लग चुका है तथा इस प्रकार इस पर चर्चा के लिए निर्धारित समय अवधि पूरी हो चुकी है । पिछली बार इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता श्री रूप चंद पाल चर्चा का उत्तर दे रहे थे तथा वे पहले ही 12 मिनट का समय ले चुके हैं । इसलिए उनको अपना भाषण पूरा करने का अवसर देने के लिए हम इस अवधि में 15 मिनट की वृद्धि कर सकते हैं । मेरे विचार में सदन इससे सहमत होगा ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय 15 मिनट बढ़ाया जाता है ।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मेरे पिछले भाषण के बाद कुछ नई घटनायें हुई हैं तथा अमरीकी और ई० सी० के बीच फार्म सबसिडी तथा अन्य मुद्दों पर गम्भीर मतभेदों के कारण "गैट" वार्ता में रुकावट पैदा हुई है । हम जानते हैं कि यह बातचीत प्रारम्भिक दौर में ही अटक गई थी । उरगवे वार्ता में असफलता उन सभी के लिए चिन्ता का विषय हो सकती है, जो कि अपना भविष्य बहुपक्षवाद पर बनाने

का प्रयत्न कर रहे हैं । "गैट" वार्ता में हुई विफलता का कारण अब जून में रियो में होने वाले पृथ्वी सम्मेलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह भी हम सब के लिए काफी चिन्ता का विषय है । यह सब अमरीका तथा उसके सहयोगियों के हठ, ददंभ तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के कारण हो रहा है । विकसित देशों का सुरक्षात्मक दृष्टिकोण तीसरी दुनिया के देशों के लिए चिन्ता का विषय रहा है; विशेषकर नई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में । नए समीकरण सामने आ रहे हैं, अमरीका अपनी इच्छा विकासशील देशों पर थोप रहा है ।

3.49 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

महोदय, अमरीका जो स्वयं करता है, विकासशील देशों को वैसा करने की अनुमति नहीं देता यद्यपि उनको उनकी परिस्थितियों के अनुरूप इनकी अधिक आवश्यकता होती है । उदाहरण के तौर पर हमने राज सहायता के मुद्दे पर चर्चा की । परन्तु उन्होंने भी अनाज के निर्यात के लिए अपने किसानों को राजसहायता दी है । हम गरीब भारतीयों को उर्वरकों पर राजसहायता देने की अनुमति नहीं दी जा रही । अमरीका के प्रभुत्व वाली उनकी संस्थायें हमें यह कह रही हैं कि हमें अपने किसानों को राजसहायता देनी बंद कर देनी चाहिए और भी अनेक उदाहरण हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं । अनेक बातों पर चर्चा हो चुकी है । आज इतने भोर के समय भी हम यह चर्चा कर रहे थे कि जो हम यह नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं उसमें नई तरह की धमकियों और प्रतिबंधों का वातावरण बना हुआ है । भारत को कुछ नई प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं । जैसा कि आप जानते हैं कि कार्ला हिल्स में धमकी दी है कि बदला लेने के उपाय किए जायेंगे । कल यह घोषणा की गई थी कि बदले की कार्यवाही के रूप में भारत का स्पेशल 301 की सूची में रखा जाएगा । मैंने पहले भी कहा है कि डंकल प्रस्ताव स्वीकार करने से हमारे अपने हितों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि माननीय मंत्री ने कहीं कहा था कि कृषि, वस्त्र और सेन्य सेवाओं आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार सतर्क रहेगी । मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के दौरान सामने आया है। वह है हमारे अनुवांशिक संसाधन । बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन संसाधनों पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं । हमें उनके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए । संभावित नई विश्व व्यवस्था में भारत को और अनेकों धमकियों का सामना करना पड़ेगा । राकेट प्रौद्योगिकी के मामले में भी हमने धमकी का सामना किया है । उन्होंने इस मुद्दे पर रूस पर भी दबाव डालना चाहा था । उन्होंने हमें धमकी दी है कि यदि हम क्यूबा को चावल देंगे तब हम पर किसी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाये जाएंगे । परमाणु अप्रसार संधि के लिए भी हम पर दबाव डाला गया । अब बदले की कार्यवाही की धमकी दी जा रही है ।

मैंने यह संकल्प इसलिये प्रस्तुत किया है क्योंकि सरकार इस बारे में दोगली बातें कर रही है । हम यह देखते आ रहे हैं कि यद्यपि सरकार यह कह रही है कि यह भेदभावपूर्ण नीति है, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने यह कहा कि यदि हम कृषि तथा वस्त्र संबंधी प्रस्तावों से सहमत हो जाएं तब हम भारतीयों को लाभ होगा । लेकिन यह सही नहीं है । हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं । अपना संकल्प प्रस्तुत करते समय मैंने इन सभी बातों का उल्लेख किया था ।

सरकार और माननीय मंत्री ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले संसद से परामर्श किया जाएगा और इस पर एक विस्तृत चर्चा हो सकेगी । मेरा अंतिम कहना यह है और मैंने प्रारंभ में भी यही कहा जो था कि यह अत्यंत जटिल मुद्दा है जो पूरे राष्ट्र को प्रभावित करेगा । विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने ज्ञापन दिए और राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए जिनमें यह विचार रखे गए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग गठित करना उचित होगा जो गहराई से डंकल प्रस्तावों का अध्ययन करेगा ताकि हम उसके वे प्रस्ताव मान सकें जो हमें अच्छे लगें । ऐसे आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर ही हम आगे चर्चा कर सकते हैं और भारत सरकार को अंतिम सिफारिश कर सकते हैं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और हमारी भावी पीढ़ियां हम पर यह आरोप नहीं लगाएं कि हम डंकल और उसके सहयोगियों के शिकंजे में फंस गए ।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैंने पहले ही वाद विवाद के उत्तर में, संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य से यह अनुरोध किया था कि मैंने उनके सभी विचारों को नोट कर लिया है और कि वह अपना संकल्प वापिस ले लें ।

मैं एक बार फिर उन्हें अपना संकल्प वापिस लेने का अनुरोध करता हूं ।

श्री रूप चन्द पाल : माननीय मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध और सभा में दिए गए इस आश्वासन के फलस्वरूप कि इस पर सभा में चर्चा की जाएगी, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

सभापति महोदय : अब हम श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा प्रस्तुत अगले संकल्प पर चर्चा करेंगे ।

3.55 स० प०

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में संकल्प

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि वह भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए उपाय करे और यूनियन कारबाइड कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष को गैस रिसाव मामले में आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए अमरीका से वापस बुलाने के लिए उचित कदम भी उठाये ।"

2 और 3 दिसम्बर, 1984 को विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी हुई थी जब संयुक्त राज्य अमरीका की यूनियन कारबाइड कारपोरेशन की अनुषंगी कंपनी, यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड के भोपाल स्थित संयंत्र के एक भंडारण टैंक से 40 टन अत्यन्त जहरीली मिथाइल आइसोक्यानाइट गैस का रिसाव हुआ था जिससे 5000 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 6 लाख लोगों के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तब से सात वर्ष बीत चुके हैं । संसद के दोनों सदनों में अनेक बार चर्चाएं हो चुकी हैं, विभिन्न समाचार-पत्रों में लेख प्रकाशित हो चुके हैं, न्यायालयों ने अपने निर्णय दिये हैं लेकिन इस त्रासदी के पीड़ितों का भाग्य अभी भी अनिर्णीत स्थिति में ही है । मार्च, 1989 में संसद ने भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम पारित किया था । 14 फरवरी, 1989 को उच्चतम न्यायालय ने अमरीका की यूनियन कारबाइड कारपोरेशन को आपराधिक और सिविल देयताओं के अंतिम निपटान के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास 700 मिलियन अमरीकी डालर जमा करवाने के आदेश दिए थे । 3 अक्तूबर, 1991 को उच्चतम न्यायालय ने 1989 के भुगतान में संशोधन कर दिया ताकि यू० सी० सी० के तत्कालीन अध्यक्ष श्री वारेन एन्डरसन तथा अन्य, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सके । इसी दौरान, त्रासदी के तत्काल बाद राहत और पुनर्वास के लिए 101 करोड़ रु० दिए गए; उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पीड़ितों के एक विशेष वर्ग को अंतरिम राहत के लिए 7.14 करोड़ रु० दिए गए; राष्ट्रीय मोर्चा शासनकाल के दौरान पीड़ितों को 200 रुपए प्रति माह अंतरिम राहत देने के लिए मार्च, 1990 में 310.30 करोड़ रुपए दिए गए; एक कार्य योजना, जिसका परिव्यय 163.10 करोड़ रुपये है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 36.67 करोड़ रुपये दिए लेकिन देश के भीतर और बाहर अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि त्रासदी के पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया गया है । न तो भारत सरकार ने और न ही मध्य प्रदेश की सरकार ने पीड़ितों को बचाने की ओर उचित ध्यान दिया है । जहां तक त्रासदी की गंभीरता का संबंध है 470 मिलियन अमरीकी डॉलर बहुत कम हैं । पीड़ितों को सड़कों पर आकर आन्दोलन

करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यूनियन कारबाइड कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष श्री वारेन एन्डरसन और अन्य को यह रकम मंगवाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। घटना के सात वर्ष बाद की स्थिति को देखते हुए मैं यह संकल्प प्रस्तुत करने पर विवश हुआ। संकल्प की सूचना 21 मार्च, 1992 को दी गई थी। इसी दौरान भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण के लिए न्यायाधिकरणों को सिविल न्यायालयों के रूप में घोषित करने के लिए 27–4–1992 को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सरकार को कुछ समय मिल गया। विश्व की इस भयानक औद्योगिक त्रासदी के पीड़ितों के प्रति भारत सरकार ऐसा रवैया अपना रही है।

अब मैं क्षतिपूर्ति का मामला लूंगा। भोपाल गैस रिसाव त्रासदी अधिनियम, 1985 केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह दावों की प्रत्येक श्रेणी के लिए क्षतिपूर्ति की कुल राशि का निर्धारण करे और प्रत्येक प्रकार की हानि के लिए सामान्य तौर पर दी जाने वाली राशि का निर्धारण करे। पीड़ितों को एकमात्र प्रतिनिधि भारत सरकार ने यूनियन कारबाइड कारपोरेशन के साथ 14–2–1989 को कुल 470 मिलियन अमरीकी डॉलर का समझौता किया था जो कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बहुत कम राशि है।

4.00 म० प०

पहले भारत सरकार ने पूरी क्षतिपूर्ति के रूप में 3000 मिलियन अमरीकी डॉलर का दावा किया था। इसलिए यह बात बहुत आश्चर्यजनक है। 3000 मिलियन अमरीकी डॉलर की मांग करने के बाद केवल 470 मिलियन अमरीकी डॉलर का समझौता करना सही नहीं है क्योंकि यह तो दावे का केवल 16 प्रतिशत है। यह तो भारत सरकार का विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समक्ष पूर्ण समर्पण है। क्यों भारत सरकार ने पीड़ितों के हितों को त्याग दिया और उस संबद्ध बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन से समझौता कर लिया जिसने 4000 निर्दोष लोगों को मार डाला और लगभग 6 लाख लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यह बात पूरा देश जानता है। मार्च, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने पीड़ितों को प्रति माह 200 रु० की अंतरिम राहत देने के लिए 310.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे और पांच लाख पीड़ितों को उक्त राहत मिली भी थी। उच्चतम न्यायालय का यह निदेश है कि 3 फरवरी, 1992 तक कम से कम 40 दावा-न्यायाधिकरण स्थापित कर दिए जाने चाहिऐं ताकि भोपाल गैस पीड़ितों के क्षतिपूर्ति दावों का निपटान हो सके। न्याय-निर्णय की यह प्रक्रिया एक कल्याण आयुक्त, 3 अतिरिक्त आयुक्तों, 5 उपायुक्तों को लेकर शुरू की गई जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित 40 दावा-न्यायाधिकरणों की कुल आवश्यकता का 25 प्रतिशत है। अब सरकार ने न्यायाधिकरणों को कानूनी दर्जा देने के लिए 27–4–92 को एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया। मैं नहीं जानता यह विधेयक कब पारित किया जाएगा। न्यायाधिकरण भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के आधार पर कार्य करेंगे। यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। भारत सरकार को आवश्यक मार्गनिर्देश जारी करने का

समय ही नहीं मिला है जिसके कारण न्यायाधिकरण क्षतिपूर्ति के भुगतान के विषय को अंतिम रूप नहीं दे पायेंगे । प्रारंभ से ही सरकार पीड़ितों को धोखा देती आ रही है। ये कब तक जारी रहेगा ? अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मार्गनिर्देश जारी करे और तत्काल 40 दावा-न्यायाधिकरणों का कार्य शुरू करे ताकि क्षतिपूर्ति देने में और विलम्ब को रोका जा सके। पीड़ितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि काफी होनी चाहिए। कृपया यह सुनिश्चित करें कि विश्व की भयानक औद्योगिक त्रासदी के पीड़ितों को उचित क्षतिपूर्ति देने में विलम्ब न हो और उन्हें किसी भी तरह परेशान न किया जाए ।

महोदय, पुनर्वास के बारे में यह कहा जा सकता है कि पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं की गईं । पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अब तक दीर्घावधि का ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । सात वर्ष का समय बहुत अधिक होता है और एम० आई० सी० गैस द्वारा प्रभावित कुछ व्यक्तियों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है और चिकित्सा की दृष्टि से इसमें बहुत देर हो चुकी हो सकती है । पुनर्वास के लिए 163. 10 करोड़ रुपये की कार्ययोजना शुरू की गई । इसमें आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और चिकित्सीय पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं । कार्यक्रम को शीघ्र पूरा कराने की दृष्टि से निगरानी करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यू० सी० सी० को 18 महीनों के भीतर पीड़ितों के लिए 500 बिस्तरों का अस्पताल स्थापित करने के लिए कहा था जहां पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए । सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू करने की ओर ध्यान देना चाहिए । उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार को 470 मिलियन अमरीकी डॉलर के भुगतान कोष से प्रीमियम देना चाहिए जिससे पीड़ितों को आठ वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति दी जा सके । पीड़ितों को उचित नौकरी भी दी जाए । भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के उचित पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं ।

अब प्रश्न यह है कि इस त्रासदी के लिए कौन उत्तरदायी है ? मैं नहीं जानता कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने यूनियन कारबाइड कारपोरेशन को सघन आबादी वाले इस क्षेत्र में इस प्रकार के खतरे वाले उद्योग को लगाने की अनुमति कैसे दे दी ? यूनियन कारबाइड ने कम लागत देखकर अधिक लाभ कमाने के लिए इस उद्योग को इस क्षेत्र में लगाया था ।

महोदय, सबूतों के आधार पर यही साबित होता है कि संयुक्त राज्य अमरीका की यूनियन कारबाइड कारपोरेशन उस निर्णय, कार्यवाही और घटनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है जिनके कारण भोपाल में यू० सी० आई० एल० संयंत्र के भंडारण टैंक से 90 टन एम० आई० सी० गैस का रिसाव हुआ । गैस के रिसाव के परिणामों को जानते हुए भी उन्होंने जानबूझकर तथा सोच-समझकर ऐसा किया था । यह एक दण्डनीय अपराध है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अमरीका की यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के तत्कालीन

अध्यक्ष श्री वारेन एंडरसन पर और इससे सम्बन्धित व्यक्तियों पर फौजदारी का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। उसी के अनुसार भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने 27 मार्च, 1992 को श्री वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब भारत सरकार को अनिवार्यतः श्री वारेन एंडरसन के अमरीका से निष्कासन हेतु अमरीकी सरकार से तुरन्त सहायता मांगनी चाहिए। इस समय यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के हितों की रक्षा करने, अपनी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा की रक्षा करने और इससे भी अधिक देश की प्रतिष्ठा और मर्यादा की रक्षा करने के लिए अमरीका से श्री एंडरसन के निष्कासन हेतु अब अमरीकी सरकार से बातचीत करे। अमरीकी सरकार द्वारा अमरीकी एयरलाईनर पर बम फेंके जाने के अभियुक्त दो लीबियाई नागरिकों के उनके देश से निष्कासन हासिल करने के अभी हाल ही के किये गये प्रयासों से भारत सरकार को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह भी एक उस अमरीकी नागरिक के अमरीका से निष्कासन हेतु राजनयिक, कानूनी और कानून के अतिरिक्त भी आवश्यक कदम उठाए, जिस पर इस शताब्दी का और विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी ढाने का आरोप है। यदि केवल संदेह के आधार पर अमरीकी सरकार लीबिया के दो नागरिकों को देश से निकालने की मांग कर सकती है और उस देश के लिए सभी प्रकार की दिक्कतें खड़ी कर सकती है, तब हमें शान्त क्यों बैठे रहना चाहिए, जबकि एक अमरीकी पर 4 हजार से भी अधिक व्यक्तियों की हत्या करने और छः लाख व्यक्तियों का भारी अनिष्ट करने का आरोप है? भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने अभियुक्त की सम्पत्ति को जब्त करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। परन्तु इस समय एक अस्पताल का निर्माण करने के उद्देश्य के लिए धन एकत्रित करने के नाम पर यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड ने अपनी परिसम्पत्तियों को बेचना आरम्भ कर दिया है। इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या रवैया है? उन्होंने पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय निगम के दबाव के सामने आत्म-समर्पण कर दिया है। 7 दिसम्बर, को जैसे ही श्री एंडरसन भोपाल पहुंचे, उन्हें और दूसरे व्यक्तियों के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, 304ए, 426, 429, 278 और 120ख के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। यूनियन कार्बाइड अतिथिगृह में उन्हें लगभग छः घंटे तक रोके रखने के पश्चात् जमानत पर छोड़ दिया गया। उन्हें तुरन्त राज्य सरकार के वायुयान द्वारा दिल्ली लाया गया और वहां से उन्हें देश छोड़ने की अनुमति दे दी गई। इस बारे में भी क्या किया गया है जबकि अभी हाल ही में भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने श्री एन्डरसन की गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट आदेश जारी किया है? रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री डा० चिन्ता मोहन ने लोक सभा में कहा है और मैं उन्हें उद्धृत करता हूं :—

"हम किसी को भी दण्डित करने के बारे में विचार नहीं कर रहे"।

क्यों ? क्या यह भारत सरकार द्वारा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समक्ष पूरी तरह से आत्म-समर्पण करना नहीं है ? हमारी सरकार विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को देश में आमंत्रित करने सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित कर रही है। इस समय विदेशी बहुराष्ट्रों के लिए खुला द्वार नीति और इस देश के कामगारों के लिए निर्गम नीति को लागू करना ही भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है। बहुराष्ट्रीय निगम हमारे देश के व्यक्तियों को क्षति पहुंचाकर भी, केवल अपना लाभ अर्जित करने के लिए ही यहां पर आते हैं। जिस प्रौद्योगिकी को वे हस्तांतरित करते हैं वह या तो पुरानी हो चुकी होती है अथवा प्रयोगात्मक ही होती है और जो किसी भी प्रकार से देश के हित के लिए लाभदायक नहीं होती। बहुराष्ट्रीय निगमों के रिकार्ड पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि जिन औषधियों को हानिकर अथवा पश्चिम में मानवीय प्रयोग के लिए ठीक नहीं समझा जाता है उन्हीं औषधियों को तीसरे विश्व के कई देशों में गुणवत्ता औषधियों के रूप में भेजा जाता है। ऐसे भी अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जबकि बहुराष्ट्रीय निगमों ने विकासशील देशों में राजनैतिक अस्थिरता लाने का प्रयास किया है और इन्हीं बहुराष्ट्रीय निगमों की धोखेबाजी के कारण लातिनी अमरीका में कुछ सरकारें गिरी हैं। तीसरे विश्व के देशों में यह धारणा व्याप्त हो रही है कि बहुराष्ट्रीय निगम केवल अपना लाभ ही देखते है और पुरानी अप्रचलित प्रौद्योगिकी को निर्धन देशों में हस्तांतरित कर देते हैं। अत: उनके प्रति अपने मन में सहानुभूति क्यों रखी जाये? हम यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करें ? हमें भोपाल गैस त्रासदी के मामले में यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड की सम्पत्ति को जब्त कर लेना चाहिए और श्री वॉरेन एण्डरसन की देश से निकासी के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

अन्त में मैं संयुक्त राज्य के प्रशासन के रवैये के बारे में कुछ कहूंगा। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हर कोई जानता है। अमरीका के प्रमुख समाचार पत्रों में एंडरसन पर फौजदारी का मुकदमा चलाने और गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट जारी होने और सम्पत्ति को जब्त करने के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं। श्री एंडरसन पर फौजदारी का मुकदमा चलाने के लिए उन्हें भारत सरकार के सुपुर्द करना अमरीकी सरकार का नैतिक, कानूनी और राजनयिक कर्तव्य है। परन्तु आज वे शांत हैं। एक ओर तो अमरीकी सरकार अमरीकी एयरलाईनर पर बम गिराने के संदेह में लीबिया के दो नागरिकों को उनके देश से निष्कासन की मांग करती रही है जबकि वहीं दूसरी ओर यही सरकार श्री एंडरसन की निकासी के मामले में शान्त है, जिस पर 4,000 से भी अधिक व्यक्तियों की जान लेने का आरोप लगा हुआ है। ये दोहरे मापदन्ड है। अमरीकी सरकार ने लीबिया के लिए हर प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न की हैं। अमरीकी सरकार पर श्री एंडरसन की निकासी के लिए दबाव डालकर हमें लीबिया की जनता का साथ देना चाहिए। अमरीका का व्यवहार अधिकारवादी हो गया है। भारत को क्यूबा को चावल न बेचने का आदेश देने

वाली अमरीकी सरकार कौन होती है ? रूस को भारत को अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण न करने का आदेश देने वाली अमरीकी सरकार कौन होती है। वे प्रत्येक देश पर तानाशाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अमरीकी सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण और अधिकारवादी रवये के कारण तीसरी दुनियां के देशों के हित संकट में हैं। अब वह समय आ गया है जब विकासशील देशों को अमरीकी सरकार के अधिकारवादी रवैये का मुकाबला करने के लिए आगे आना चाहिए। इस समय अमरीकी प्रशासन ने 'स्पेशल 301' का प्रयोग करके हमारे देश की आर्थिक प्रभुता को चुनौती दी है। हम सब इस लालफीताशाही को क्यों सहन करें ?

भारत सरकार को भोपाल के गैस रिसने सम्बन्धी मामले में आपराधिक आरोपों का सामना, करने के लिए श्री एन्डर्सन के अमरीका से निष्कासन के लिए अमरीकी सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। यह सब हमारी न्यायिक व्यवस्था की मर्यादा की रक्षा करने, अपने देश की प्रतिष्ठा को कायम रखने और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के हितों की रक्षा करने के लिए किया जाना चाहिए।

अतएव मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गैस पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे और उनके लिए उचित रूप में पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करायें। श्री वॉरेन एन्डरसन पर फौजदारी का मुकदमा चलाने के लिए अमरीका से उनके निष्कासन के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

मैं इस सभा के सभी वर्गों के सभी माननीय सदस्यों से इस संकल्प का समर्थन करने का भी अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि वह भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए उपाय करे और यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष को गैस रिसाव के मामले में आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए अमरीका से वापस बुलाने के लिए उचित कदम भी उठाएं।"

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, अभी हमारे एक साथी श्री सत्यगोपाल मिश्रा ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वास्तव में जो भोपाल गैस काण्ड हुआ, वह मानवता के इतिहास में और समस्त विश्व के इतिहास में एक प्रकार से अत्यन्त कलंकपूर्ण और भयावह विभीषिकाओं से युक्त काण्ड था। इस काण्ड में एक साथ

हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया, हजारों व्यक्तियों को नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित कर दिया। जो भोपाल शहर पहले तालों के तालाबों के नाम से जाना जाता था, कि ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, वही भोपाल शहर इस त्रासदी के कारण इस भयंकर जहरीली गैस की विभीषिका के काण्ड के कारण, हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारे जाने के कारण समस्त विश्व में जाना जाने लगा और सारी दुनिया का ध्यान इस बात की ओर गया कि वास्तव में यदि विज्ञान के साधनों का भली प्रकार से उपयोग नहीं किया गया या थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई, इस प्रकार की जो विषैली और जहरीली गैसें हैं, वह किस प्रकार से सोये हुए लोगों को मौत के घाट उतार सकती हैं, आसपास रहने वाले लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, भोपाल त्रासदी ने इस बात को सिद्ध कर दिया।

यह 1984 की बात है और आज 1992 चल रहा है। 1985 के अन्दर इसी सदन में एक अधिनियम पारित किया गया था, एक कानून बनाया गया था, जिस कानून के अन्तर्गत यह तय किया गया था कि यह चूंकि विश्व की सबसे महान विभीषिका है, घोर विभीषिका है, महान त्रासदी काण्ड हुआ है और इस काण्ड में मरने वाले लोगों को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनके परिवार के अन्दर जो बचे हैं, जो बच्चे हैं, अनाथ हैं या जो बेसहारा विधवायें हैं या जिस ढंग से भी दुष्प्रभावित हुए हैं उन सब को कम्पनी की ओर से समुचित मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भला हो, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को रुचि लेकर और यूनियन कार्बाइड के ऊपर दबाव डाला कर और जैसे-तैसे करके करोड़ों अरबों रुपयों की राशि को स्वीकार करके मुआवजा देने के लिए बाध्य किया है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 1992 का वर्ष आ गया है, इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है। प्रत्येक वर्ष जब भोपाल गैस की दुखान्तिका का दिन आता है, तो हजारों लोग बोट-क्लब पर आ कर प्रदर्शन करते हैं। वह इसलिए कि उनको जो अभी तक मुआवजा मिलना चाहिए, जो राहत मिलनी चाहिए, उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो उनके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो उनके रोगों का उपचार होना चाहिए वह व्यवस्था उनको नहीं मिल पाई है। इस प्रकार के जो कारखानें या कम्पनियां हैं, उनको नगर की आबादी से दूर जाकर बसाना चाहिए। इस सारे मामले की कार्यवाही जो त्वरित गति से होनी चाहिए, जिस तेजी के साथ होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई है। परिणाम यह हुआ कि आज हमारे माननीय सांसद महोदय को यह प्रस्ताव सदन में लाना पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी अपराधी है और यूनियन कार्बाइड कंपनी के उस समय के जो अधिकारी हैं, वे अपराधी हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पता नहीं किस योजना के अन्तर्गत वहां से सकुशल निकाल कर अमरीका भेज दिया गया। उसके मालिक वहीं बैठ कर सब प्रकार से

आनाकानी कर रहे हैं। इस घोर विभीषिका के लिए और हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए इस कंपनी का मालिक जिम्मेदार है और कंपनी में काम करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। जिन्होंने लापरवाही की और लापरवाही से यह प्रमाणित हुआ कि विषैली गैस के कारण ही इतने लोगों को कष्ट उठाना पड़ा, उसके मालिक को वापिस बुलाया जाए। हमारे भारत के अमरीका के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं, उन सम्बन्धों का लाभ उठाते हुए, हमारी सरकार को सारी युक्तियों को काम में लाते हुए, चाहें राजनीतिक हों या चाहे कूटनीतिक हों या चाहे आपसी संबंधों की बात हो अथवा मानवता के नाम पर हों, मानवता के विरूद्ध काम करने वाले व्यक्ति को बुलाकर कड़ी से कड़ी सजा, जो हमारे कानूनों के अनुसार हो, उस व्यक्ति को इसका सामना करने के लिए बुलाया जाए और उसके खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिएं।

महोदय, मल्टी-नेशनल्स को हम देश में न्यौता द रहे हैं और एक प्रकार से स्वदेशी को उपेक्षित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कांड के लिए जिम्मेदार लोगों को अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो आगे आने वाले समय में, जो विदेशी कम्पनियां इस देश के अन्दर आने वाली हैं, हमारी आर्थिक सम्प्रभुता को चुनौती देने वाली हैं, या यहां पर घुसपैठ करने वाली है या यहां पर जो तकनीक को लाने वाली हों, या कहीं भी ऐसी लापरवाही करके यहां के निरीह लोगों को, काम करने वाले लोगों को मौत के घाट न उतार दें, ऐसी कम्पनियां जो स्थापित होने जा रही हैं, और आस-पास के लोगों को कहीं मौत की गहरी नींद न सुला दें, ऐसी कम्पनियों को सावधान करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए एगज़म्पलरी पनिशमेंट देना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मानसिक कमजोरियों को तोड़ कर और एक स्वतन्त्र तथा स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते और अपनी अस्मिता का परिचय देते हुए अमरीका के साथ बात करें कि यूनियन कार्बाईड कंपनी का जो मालिक है, उसको वहां से भेजा जाए और हमारे न्यायालय के अन्दर उस पर मुकद्दमा चले और उस मुकद्दमे के अन्दर कंपैंसेशन को वसूल करने की बात होनी चाहिए तथा और सारी बातें होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा :—

"बहादुर कब किसी का आसरा-एहसान लेते हैं,
उसी को कर गुजरते हैं, जो दिल में ठान लेते हैं।
दिलवर मर्द का लोहा जब मान लेते हैं,
जो कमजोर होता है, कान उसके सब पकड़ लेते हैं।"

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मन में ऐसी कमजोरी न रखे। ऐसी दुर्बलता राष्ट्र के लिए घातक होती है। अमरीका चाहे कितना भी ताकतवर होगा और यूनियन कार्बाईड कंपनी चाहे कितनी ही पैसे वाली होगी, लेकिन जब हमारे निरीह लोगों की

जानें गई हैं, सैंकड़ों बच्चे अनाथ हो गए हैं, सैकड़ों-हजारों मातायें विधवा हो गई हैं और हजारों लोग आज भी ऐसी वेदनाओं से पीड़ित हैं, ऐसे रोगों से ग्रसित हैं और दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पतालों के अन्दर उनके लिए जगह नहीं हैं और उस विषैली गैस से भोपाल के अन्दर नए रोग पैदा हो रहे हैं। यही कारण है कि उनको यहां पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसलिए भारत सरकार को अपराधी को आरोपों का सामना करने के लिए यहां पर बुलाने की कार्यवाही करनी चाहिए ।

महोदय, मैं एक बात मुआवजा देने के बारे में कहना चाहता हूं । मुआवजा देने की बात पहले तय कर ली गई थी कि इस एक्ट के अन्तर्गत पहले सही व्यक्तियों को पैसा पहुंचना चाहिए, लेकिन बीच में दलाली करने वाले लोग या बीच में उनका नाम लेकर, जो दुखी हैं और जो पीड़ित हैं, कि हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, कोई समिति बना दी, कोई संगठन बना दिया, कोई बिचौलिए बन गए और सरकार से सहायता लेने के नाम पर जो फार्म भरने की औपचारिकतायें भरनी पड़ती हैं, नाना प्रकार के आवेदन पत्र और फार्म वगैरह भरने पड़ते हैं तो वह जो बिचौलिए लोग खाने लग गए, कइयों के आफिस खुल गए और कइयों के घरों में बहुत पैसा इधर-उधर पहुंच गया और वास्तविक लोगों तक जो सहायता समुचित रूप से पहुंचनी चाहिए थी वह नहीं पहुंच पाई । इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि भोपाल गैस त्रासदी के अन्तर्गत जो पीड़ित लोग हैं उन सही पीड़ित लोगों को पुनर्वास दिया जाए, सही पीड़ितों तक पूरी सहायता पहुंचनी चाहिए और जिन व्यक्तियों के पास में अभी पक सहायता नहीं पहुंची है उनके पास में सहायता पहुंचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए । जो भी करोड़ों रुपए की राशि, जैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आदेश दिया है और उसके अनुसार जो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को काम सौंपा है और इसके लिए जो कमिश्नर नियुक्त किया है और अभी सरकार भी भविष्य में एक बिल लाने वाली है, उसी भोपाल त्रासदी के पीड़ितों को सहायता करने के सम्बन्ध में, कुछ अपनी पावर्स वगैरह डेलीगेट करने के लिए, मान्यवर, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनकी सहायता पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए वह अवश्य दिया जाए और भविष्य में जो इस प्रकार की बड़ी-बड़ी विषैली गैस बनाने वाली, विषैले रसायनों का काम करने वाली जो कम्पनियां, अगर अपने कहीं कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां या बड़े-बड़े ऐसे संस्थान कायम करती हैं तो उनके लिए सख्त निर्देश कर दिया जाए कि भविष्य में कभी-भी ऐसी असावधानी न बरतें और समय-समय पर उनके सारे संयंत्रों की भली प्रकार से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । हमारे जो इंस्पेक्टर हों, हमारे जो पर्यावरण को देखने वाले लोग हों या और भी जो हमारे इस प्रकार के संस्थानों के ऊपर अधिकारी नियुक्त हों, भारत सरकार के या राज्य सरकारों के या संबंधित विभागों के, उन कम्पनियों को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि वहां पर भविष्य में इस प्रकार की दुखांतिकाएं घटनाएं न हों ।

मान्यवर, मुझे विनोबा भावे के वह शब्द इस अवसर पर याद आ रहे हैं : "विज्ञान है पांव और आत्मज्ञान है आंख" विज्ञान आगे बढ़ाना जानता है कि पांव खड्डे के अन्दर न चले जाएं इसलिए उनको सही निर्देशित करने के लिए आंखों का देखना बहुत आवश्यक है, तो विज्ञान भी आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वही विज्ञान कब मानव के लिए घातक बन जाए, वही विज्ञान मानव के लिए इतना दुखांत कारी दृश्य पैदा करने वाला हो जाए, अतः इसके लिए जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हों या अधिकारी हों या प्रशासनिक कर्मचारी हों या और दूसरे जो लोग हों उन सब को संवेदनशील हो करके इस प्रकार के जो विषैले रसायन हैं उनके प्रयोगों के ऊपर एक प्रकार से बड़ी सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए या उनके स्वास्थ्य वगैरह की रक्षा करने के लिए जिन कड़े नियमों की पालना आवश्यक हो वह अवश्य करानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही कहीं भी दृष्टिगत न हो ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं और केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरी शीघ्रता बरती जाए । अब इतने आठ-आठ, नौ-नौ साल हो गए हैं, कानून बन गए, सब कुछ हो गया, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से और केन्द्रीय सरकार के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति और संगठनों का निर्माण और उनके पुनर्वास कराने की योजना, इसका मूल्यांकन और जांच भी होनी चाहिए कि वास्तव में इतना पैसा, जो करोड़ों रुपया बांटा गया है वह वास्तव में सही पीड़ित लोगों के पास पहुंच भी गया है या नहीं । उनके परिवारों में जो बच्चे हैं उनका पालन-पोषण भी हो रहा है या नहीं, उनके घर वगैरह बन भी गए हैं या नहीं या उनके लिए जो नयी बस्तियों वगैरह का निर्माण किया गया है वह बन गई हैं या नहीं । वहां उनकी जो विधवाएं हैं या बेसहारा हैं या जो और पीड़ित लोग थे जो अंधे हो गए थे, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी उन लोगों को कोई वहां सहारा देने के लिए या किसी संस्था के द्वारा जो पैसा वगैरह सरकार ने दिया है उसका सही उपयोग उनके लालन-पालन और सुखी जीवन के निर्वाह के लिए हो रहा है या नहीं, इस बारे में अवश्य जांच की जानी चाहिए और सही लोगों तक सही सहायता पहुंचे इस बात की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि यह जो हमारे माननीय सांसद साथी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह वास्तव में लोक कल्याणकारी प्रस्ताव है और भोपाल गैस जो इस युग की सबसे बड़ी विभीषिका थी और जिसको इतने वर्ष हो गए उनके पीड़ितों को सही मुआवजा वगैरह मिले और यूनियन कार्बाइड के मालिकों पर दबाव डाला जाए, क्योंकि उन कम्पनियों के पास हमने सुना है कि यहां से बहुत पूंजी कमा-कमा कर अमरीका में उन्होंने जमा कर दी है, उनके खातों में अगर इतना पैसा जमा हो तो भारत सरकार अमरीका से और इस कम्पनी के मालिक से पैसा मांगे कि हमारे इतने लोगों को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इतना रुपया खर्च करना पड़

रहा है तो वह रुपया भी उनसे वसूल किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मांग करूंगा कि इस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर ले।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) महोदय, मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गए संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। भोपाल त्रासदी जो 3 दिसम्बर, 1984 को अकस्मात् घटी थी, उसे मानव इतिहास में सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदी बताया गया है। मैं यह कह कर इस बारे में अपनी बात आरम्भ करूंगी कि निश्चित रूप से उन लोगों के लिये यह एक विभीषिका थी जिनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई थी, परन्तु उन लोगों के लिए यह और भी बड़ी अनिष्टकारी सिद्ध हुई, जो आज भी गैस त्रासदी के पीड़ितों के रूप में रह रहे हैं। यह सर्वाधिक भयानक त्रासदी थी, इसलिए नहीं कि इसमें शारीरिक रूप से लोगों को अधिक क्षति पहुंची है बल्कि यह इसलिए और अधिक भयावह त्रासदी थी, क्योंकि इसमें निर्दोष पीड़ितों के प्रति इतनी अधिक उपेक्षा, कठोरता, बर्बरता और झक्कीपन बरता गया है। इस पूरे मामले का सबसे अधिक दुखद पहलू यह है कि चूंकि इस घटना के शिकार व्यक्ति अधिकतर निर्धन और अविशिष्ट गुमनाम व्यक्ति थे, अतः यह समझ लिया गया कि उन्हें न्याय मिलना कोई आवश्यक नहीं है और उन्हें केवल दिखावटी दया और उपकार से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। यह दया और उपकार भी सात-आठ वर्षों में कई व्यक्तियों से छीन लिया गया।

सभा में प्रस्तुत संकल्प में पर्याप्त मुआवजा राशि सुनिश्चित करने के लिए उपाय बताये गए हैं। साथ ही इसमें यूनियन कार्बाइड कम्पनी के भूतपूर्व प्रमुख के निष्कास की मांग की गई है। मैं यह यह कहना चाहूंगी कि ये दोनों मांगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या निजी बदले की भावनावश उनके निष्कासन की मांग की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल न्याय पाने की खातिर ही ऐसा किया जा रहा है।

इससे पहले इस त्रासदी के घटने के कुछ समय पश्चात ही यह अभियुक्त भारत आया था। उसे गिरफ्तार किया गया था और इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया था कि जब भी उसे बुलाया जायेगा वह अदालत में हाजिर होगा। 8 अप्रैल, 1985 को भारत सरकार द्वारा न्यूयार्क दक्षिणी जिला अदालत में यूनियन कार्बाइड कम्पनी के खिलाफ मुआवजा राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई। इस पहल को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था कि मंच उचित नहीं था। खैर, न्यूयार्क के न्यायाधीश कीनन ने उस समय बताया था कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी को भारत में अदालतों के कार्यक्षेत्र के समक्ष मुआवजा राशि देना स्वीकार करना चाहिए। अमरीका और भारतीय न्याय-पालिका दोनों के निदेशों का यह स्पष्ट और हेकड़ीभरा उल्लंघन है कि अभियुक्त भोपाल अदालत द्वारा बार-बार पत्र भेजे जाने पर भी लगातार ध्यान नहीं दे रहा है। 3 अक्तूबर, 1991 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यूनियन कार्बाइड कम्पनी को इससे पहले प्रदान की गई आपराधिक प्रतिरक्षा को समाप्त कर दिया गया है, ताकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पुनः उस मामले से सम्बन्धित कार्यवाही शुरू की जा सके। भोपाल जिला न्यायाधीश की अदालत में 1989 से ही इन आपराधिक

मुकदमों को दबा दिया गया है। अब इन्हें दुबारा खोला गया है। बहरहाल मुख्य अभियुक्त लापता है। इसके अलावा 1 फ़रवरी, 1992 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने यूनियन कार्बाइड कम्पनी के प्रमुख की चल और अचल सम्पत्ति को जब्त करने के आदेश दिये थे। परन्तु अदालत ने बताया था कि सरकार द्वारा ली गई कानूनी राय के माध्यम से यह सुझाव दिया गया था कि अमरीका की दाण्डिक प्रकिया के अन्तर्गत सम्पति जब्त करके किसी अभियुक्त को अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः वह कार्रवाई निष्फल रही थी। जहां तक भारत में स्थित यूनियन कार्बाइड कम्पनी की सम्पत्ति को जब्त करने सम्बधी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचका का सवाल है, यह अभी भी अदालत में निलम्बित है और अभियुक्त अर्थात् यूनियन कार्बाइड कम्पनी ने इस अवसर का सदुपयोग अपने भारतीय शेयरों को बेचने का प्रयत्न करके किया है। इन प्रयत्नों के बारे में अभी हमें जो नवीनतम जानकारी मिली है, वह अत्यत चिन्ताजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अन्दरुनी साधनों के माध्यम से अपनी सम्पति का हस्तांतरण करने की दशा में कुछ कदम उठाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 20 मार्च को अमरीका की यूनियन कार्बाइड कैमिकल्स और प्लास्टिक कम्पनी ने गोपाल अस्पताल न्यास नामक एक धमार्थ—न्यास की स्थापना की है और लंदन के एक भूतपूर्व न्यायाधिकर्ता सर ईयान परसीवल को इसका न्यासी नियुक्त किया है। उसी दिन एक सुरक्षा सम्बन्धी समझौते के आधार पर यूनियन कार्बाइड ने न्यास के साथ एक समझौता किया और भारतीय शेयरों में इसके अधिकार, हक और हितों को गिरवी रख दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि 'फेरा' के आधार पर इस कारंवाई को पहले ही रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया की स्वीकृति मिल चुकी है। हम जानना चाहते हैं कि यह सत्य है अथवा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा है तब उस स्थिति में कानूनी कार्यवाही उससे भी अधिक जटिल हो जायेगी, जितनी कि हमने पहले कल्पना की थी। हम यह भी महसूस करते हैं कि अब अपराधी मेघनाथ के समान छुप रहे हैं। बादलों के पीछे छिपे हुए वे दिखाई नहीं दे सकते है और वहां से वे स्थिति को अपने हाथ में लेने कोशिश कर रहे हैं ताकि भारतीय न्यायापालिका दंड प्रक्रिया के अन्त में उन्हें मुआवजे के रूप में जुर्माना देने के आदेश दे दें, तो वे बच जाएं। यदि उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी गई, यदि भारत सरकार इससे बचाव न कर सकी तो उनको उस जुर्माने का भुगतान करने के लिए मजबूर करने का कोई और तारीका नही होगा। इसलिए हम यह भी माँग करना चाहेंगे कि भारत में यूनियन कार्बाइड को भारमुक्त सम्पति को इन आपराधिक मामलों के निपटाए जाने तक बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस कार्य में अपराधियों की दोष-दर्शिता को छिपाया गया है, जिसमें उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के लोगों के यिए पृथक रूप से एक अस्पताल बनाने के लिए 17 मिलियन डालर की रकम देने का प्रस्ताव रखा था विश्व के पैमाने पर वे उन खाद्य अपश्रमिकों की धृष्टता को दोहरा रहे हैं जो कि बच्चों के खाने में मिलावट करके गंगा में स्नान करने जाते हैं और रास्ते में वापसी पर भिखारियों को कुछ पैसे दे देते हैं। गैस त्रासदी के शिकार लोगों के लिए इस अस्पताल का प्रस्ताव रखकर यूनियन कार्बाइड भी वही रवैया अपना रहा है। आपराधिक कार्यवाही जारी रखना आवश्यक क्यों है? निश्चय ही वे एक मूल चीज चाहते हैं, वह है, प्राकृतिक न्याय की मांग। उन पर आरोप लगाया गया है और हमें उनकी लापरवाही के कारण हुई मौतों को हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि न केवल एक अथवा दो अथवा पांच अथवा दस व्यक्तियों की मौत थी बल्कि कम से कम 3700 व्यक्तियों की

मौत थी और इस त्रासदी के दीर्घकालिक प्रभावों के कारण अब तक और लोग भी मर रहे हैं। लेकिन हम यह समझते है कि आपराधिक प्रक्रिया को निपटाया जाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन प्रक्रियाओं के द्वारा ही हम यूनियन कार्बाइड कम्पनी पर वित्तीय जुर्माना लगा सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 470 मिलियन डालर की राशि पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गैस त्रासदी से प्रभावित अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वे इसे अपर्याप्त तथा एक तरफ़ा मानते हैं। फिर भी शायद आपराधिक प्रकिया इससे अधिक स्वीकार्य राशि सुनिश्चित करने में मदद करें। लेकिन अपराधियों के करार रहते, ऐसा नहीं हो सकता है। यह समझ में नहीं आता कि उच्चतम न्यायालय ने 470 मिलियन डालर के मुआवजे की राशि पर फ़ैसला कैसे कर लिया। उन्होंने इस राशि पर निर्णय कैसे ले लिया ? भोपाल गैस रिसाव त्रासदी अधिनियम, 1985 के द्वारा भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति के स्थान पर उसका कार्य करने और उसका प्रतिनिधित्व करने का विशेष अधिकार अपने लिए सुरक्षित रखा था, जिसने कि इस संबंध में कोई दावा किया है। भोपाल गैस से प्रभावित लोगों के हित में एक मात्र प्रतिनिधि ने 3 बिलियन डालर अर्थात् 3,900 करोड़ रु० के मुआवजे का दावा करने की घोषणा के साथ अपना कार्य आरम्भ किया। काफ़ी देर से 29 जनवरी, 1988 को भारत सरकार ने अपने संशोधित वाद पत्र में भोपाल की जिला अदालत में उसी राशि के मुआवजे की मांग की थी। लेकिन बाद में 1989 में अचानक अदालत को यह सुझाव दिया गया कि 3 बिलियन डालर के स्थान पर 500 मिलियन डालर की न्यूनतम राशि दी जाये। 3 बिलियन डालर के स्थान पर 500 मिलियन डालर ! मुआवजे की राशि में कमी क्यों हुई ? किस आधार पर कमी की गई ?

जहां तक भारत सरकार का संबंध है, गैस दुर्घटना के प्रभावित लोगों के लिए यह एकमात्र याचिकादाता है, यह इस कार्य में लापरवाही के लिए अकेला जिम्मेवार है और हम यह महसूस करते हैं कि अदालत को गुमराह किया गया है और गैस से प्रभावित लोगों के मामले को उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

निश्चय ही, केन्द्र सरकार का रवैया कुछ समय से बदल रहा है। 1986 में समझौते की कुछ ऐसी कोशिश की गई थी और अब हम यह देखते हैं कि मांग की राशि में कमी करके उसे बदल दिया गया है, वह भी इस आधार पर कि न केवल मुआवजे का मूल्यांकन का तरीका गलत था बल्कि अधूरा भी था। इस बात का निर्णय लेते समय सभी दावों में से केवल 5 प्रतिशत दावों को ही स्पष्ट किया गया था उसी से ही कुल राशि का मूल्यांकन कर लिया गया था। गैस से प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य की श्रेणी को भी गलत बताया गया है। उदाहरण के लिए 1985 की भोपाल योजना के अन्तर्गत मुआवजे के लिए दर्शायी गई दावों की सभी 15 श्रेणियों में से सात को निर्णय के दौरान छोड़ दिया गया था। यह तरीका है जिस तरह से भोपाल गैस कांड से प्रभावित लोगों की ओर से एकमात्र याचिकादाता अपना कार्य किया है। यह वह तरीका है जिस तरह से उन्होंने अपने मामले को प्रस्तुत किया है और यह वह तरीका है जिस पर 470 मिलियन डालर के मुआवजे की राशि पर फैसला पहुंच गया था।

यदि लोगों को उचित मुआवजा दिलाना है तो यह आवश्यक है कि यूनियन कार्बाइड की आभार ग्रस्त आस्तियों को तत्काल 'फ्रीज' कर दिया जाये ।

यहां एक अन्य मुद्दा है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा किए गए अपराध के दायित्वों को केन्द्र सरकार पर डाल दिया जाएगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय का यह अभिनिर्णय है कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत सरकार को सभी दायित्व अपने ऊपर लेने चाहिए । इसलिए अन्ततः यदि मुआवजे की अदायगी में कोई कमी हुई, यदि यूनियन कार्बाइड ने जो कुछ देय था उसका भुगतान पहले ही कर दिया तो निश्चय ही उच्चतम न्यायालय के अभिनिर्णय के अनुसार भारत सरकार अर्थात् भारतीय लोगों को ही अतिरिक्त मुआवजे की अदायगी करनी होगी । इसलिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के अवगुणों के अधीन देश को उसके कुप्रभावों की कीमत भी चुकानी होगी ।

अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि कोई शैतान के साथ भोजन करना चाहता है तो उसके पास एक लम्बा चम्मच होना चाहिए लेकिन यदि शैतान विश्व साम्राज्यवाद का शैतान है, यदि शैतान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शैतान है तो वह शैतान आपको लम्बा चम्मच भी इस्तेमाल नहीं करने देगा और भोपाल के मामले मे यह प्रमाण मिलता है । भोपाल के मामले ने पहले इस बात का प्रमाण दिया और आज सुपर 301 के कार्यान्वियन से हम एक बार फिर यह भली भांति महसूस कर रहे हैं । इस बीच आठ वर्ष गुजर गए हैं ।

अधिनियम 1985 बनाया गया और मैंने यह देखने के लिए उसे पढ़ा कि दावों को त्वरित गति से, प्रभावी रूप से, समान रूप से तथा दावेदारों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए निपटाया जा रहा है । मैं दावेदारों को अधिक लाभ प्रदान करने की बात पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने उस मुद्दे पर पहले ही बहस कर ली है । जहां तक कि गति का संबंध है, आपने सुना होगा कि आयुक्त के कार्यालय में क्या हुआ । अब तक भी उसे पूरी तरह से सुसज्जित नहीं किया गया है । कितने न्यायाधिकरणों का गठन किया गया और उसके अतिरिक्त अब तक इस बरबादी की कोई व्यापक जांच नहीं की गई है, इस विपत्ति के कारण सामाजिक तथा पर्यावरणीय पतन, इसके दीर्घकालीन प्रभाव; आने वाली पीढ़ी और गर्भस्थ बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव और पर्याप्त सुधारात्मक उपायों का निर्णय लेने के लिए इस संबंध में अब तक कोई व्यापक जांच नहीं की गई है ।

एक आयोग था । न्यायाधीश एन० के० सिंह आयोग लेकिन इससे पहले कि वो अपनी रिपोर्ट देते, उसे सरसरी तौर पर भंग कर दिया गया था । इसलिए, हमें पता चला है कि इस तबाही के पांच लम्बे वर्षों के बाद तक भी अन्तरिम सहायता की अदायगी नहीं की गई थी । राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को श्रेय देने के लिए यह अवश्य कहना चाहिए कि उसने कम से कम गैस प्रभावित क्षेत्रों के सभी निवासियों के लिए अगले तीन वर्ष तक के लिए 200 रु० की दर से 360 करोड़ रु० अन्तरिम सहायता आवंटित करने की व्यवस्था तो की । लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ । इस वास्तविकता को कि इन सब वर्षों में कुछ नहीं हुआ, उच्चतम-न्यायालय में दलील के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि एक बार हमेशा के लिए जो कुछ

भी उपलब्ध था, उसे स्वीकार कर लिया जाए । यही है वह जो आपको इन सब वर्षों में नहीं मिला, इसलिए यदि आप लम्बे समय तक इन्तजार करेंगे तो सम्भवतः आपको कुछ न मिले, इसलिए जो कुछ भी मिल सकता है, ले लीजिए । यह रवैया था और मुझे खेद है कि यही दष्टिकोण उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी प्रतिबिम्बित हुआ है । उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा है :—

> "हमारे विचार में हजारों पीड़ितों को शीघ्र राहत देने की आवश्यकता की प्रतीक्षा की जा सकती थी, जब तक इन प्रश्नों, अर्थात् अन्य न्यायिक मुद्दों, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों, का न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय नहीं हो जाता, क्योंकि 470 मिलियन डालर पर जल्दबाजी में समझौता करके इस मामले को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकार पीड़ितों को न्याय से वंचित कर दिया गया है ।"

अधिनियम को त्वरित, प्रभावी तथा समान हल ढूंढने के लिए बनाया गया था । यह एक चीज में प्रभावी है, वह है न्यायिक प्रक्रिया को निपटाने में, क्योंकि वे गरीब और मजबूर हैं और यूनियन कार्बाइड कम्पनी द्वारा किया गया थोड़ा सा परोपकार भी उनके लिए काफी होगा । इस चीज में वे प्रभावी हैं, एक समान हैं ? निश्चय ही, वे यूनियन कार्बाइड कम्पनी के समान हैं । उन्होंने काफी उदारता बरती है लेकिन दुर्घटना से प्रभावित लोगों को कुछ नहीं मिला । यही समानता है ।

अब सरकार ने इन सात अथवा आठ वर्षों के बाद आयुक्त को कुछ शक्तियां देकर अधिनियम में एक मामूली परिवर्तन किया है । हमें इस संशोधन में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम यह सुझाव देंगे कि आप इस अधिनियम को पूर्ण-रूपेण संशोधित कर दें और एक आयोग का गठन करें जिसके पास समयबद्ध जांच और निगरानी के लिए आवश्यक शक्तियां हों ।

महोदय, अपने भाषण को समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार की वर्तमान नीति द्वारा अनेक और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को देश में लाए जाने की सम्भावना है और न केवल एक यूनियन कार्बाइड कम्पनी को । इसलिए अनेक अन्य ऐसी कम्पनियों के देश में आने की सम्भावना है ।

वास्तव में, सरकार ने इस सत्र में दो अधिनियम पारित किए हैं जिसमें उन्होंने इस अप्रतिबन्धित प्रवेश से होने वाले खतरों को माना है, एक है हानिकारक कीट तथा कृमि अधिनियम और दूसरा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम । आपने यहां विदेशों से अप्रतिबन्धित आयात द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा होने वाली हानि और नुकसान को माना है, लेकिन यह दो अधिनियम काफी नहीं है । यह कुछ भी नहीं है । यह केवल तूफान के सामने तिनके के बराबर है । प्रदूषण उत्पन्न करने वाली प्रोद्योगिकी को अधिक से अधिक उत्तर से स्थानान्तरित किया जा रहा है । अन्ततः, भोपाल में क्या हुआ ? वहां केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं

था लेकिन यह वास्तविकता है कि दोषी अभी भी सुरक्षित हैं, यह तथ्य कि उन्होंने हमारे लोगों पर रोटी का टुकड़ा फेंकने की गुस्ताखी की है, जैसे कि वे भिखारी हों, यह तथ्य कि उन्होंने भारतीय न्यायपालिका के प्राधिकरण को चुनौती देने की गुस्ताखी की है और यह कि उन्होंने हमारी जनता को न्याय न देने की गुस्ताखी की है और उन्हें केवल दान देने का प्रस्ताव रखा है । यह भोपाल मामले के पीछे राजनीति के खेल तथा अन्य पर्यावरणीय मुद्दों को प्रकट करता है ।

यहां, हम प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के सम्मुख है जो कि हजारों लोगों का कत्ल कर भाग सकते हैं । आज, एक भोपाल है । लेकिन जो कुछ भी सन् 1984 में भोपाल में हुआ, वह अब से कुछ वर्षों बाद भारत में कहीं भी हो सकता है, हो सकता है वह विपत्ति अचानक न आए बल्कि धीरे-धीरे आए । हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अप्रतिबन्धित प्रवेश के कारण इतने बड़े विनाश की घटनाओं का रोक नहीं सकते ।

इसलिए, महोदय, यह हमारा निवेदन है, यह हमारी मांग है कि इन अपराधियों, इन अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए न कि भिक्षा और न ही दया की कुछ बूंदें । भोपाल गैस दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिए वह सब कुछ नहीं है बल्कि उन्हें पूरा न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस ओर एक कदम बढ़ाने के रूप में मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अन्य सदस्यों से, मेरे साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे साथ इस संकल्प का समर्थन करें और मेरा सरकार से दृढ़ अनुरोध है कि वे इस संकल्प को स्वीकृति दें ।

सभापति महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, ... ।

डा० राजगोपालन श्रीधरण (मद्रास दक्षिण) कोरम नहीं है ।

सभापति महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । कोरम के लिए घंटी बजाई जाती है ।

अब कोरम है । माननीय सदस्य, श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र का इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं, जिससे कम से कम इस विषय पर चर्चा करने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ-ही-साथ इस मामले की पुनरीक्षा करने का भी मौका मिलेगा ।

निश्चय ही, यह एक अपमानजनक बात है कि इस दुर्घटना के आठ वर्षो बाद भी इस मामले पर यहां आज भी चर्चा की जा रही है ।

यह इस शताब्दी की सबसे बड़ी विनाशक घटना थी, जिसमें हजारों बेकसूर लोग भोपाल शहर में मारे गये थे । आठ वर्षों से अधिक समय के बाद हम इस पर संसद में चर्चा कर रहे हैं । यह अच्छी बात नहीं है ।

इस दुख:द घटना के बाद केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने पीड़ितों को राहत देने संबंधी कार्य तथा उनके बचाव कार्यों का प्रबंध शीघ्रता से अपनी क्षमता के अनुसार किया था । उसके बाद सरकार ने आवश्यक कानून भी बनाया इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था ।

यह दुर्घटना 2 दिसम्बर 1984 की आधी रात को बल्कि 3 दिसम्बर को बहुत सुबह घटित हुई थी, और 29 मार्च, 1985 को आठवीं लोक सभा गठित होने के बाद संसद ने भोपाल गैस रिसाव विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अधिनियम, 1985 को पारित किया था । संबंधित अदालतों में भी यह मामला उठाया गया था । इस मामले को अमरीका की अदालतों में भी उठाया गया था, लेकिन इसे न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न दलीलों से क्षेत्राधिकार की दलील आदि से रद्द कर दिया गया था ।

5.00 म० प०

उसके बाद, केन्द्रीय सरकार ने अपने दावे जिला न्यायाधीश अदालत भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये थे । वहां भी मामले में देरी हुई । हमारी न्यायिक प्रणाली में विलम्ब एक परम्परा बन गई है । हमें इस विलम्ब को समाप्त करने के लिए कुछ करना चाहिए । हम सभी जानते हैं कि न्याय में देरी न्याय की हत्या है । इसके बावजूद न्याय में देरी हो रही है । वर्तमान बोझिल प्रक्रिया के तहत जिला न्यायालयों में ऐसे मामलों में भी निर्णय लेने में देरी हो रही है । फिर जैसे भी रहा हो, जिला न्यायालय भोपाल ने यूनियन कारबाईड कारपोरेशन को 350 करोड़ रुपये का भुगतान करने के आन्तरिक आदेश जारी कर दिये थे । यह एक आन्तरिक आदेश था ।

महोदय, कृपया उस दु:खद घटना पर ध्यान दीजिए । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश के विरोध में अपील की थी तो एक माननीय जज ने इस राशि को 100 करोड़ रुपये कम करके 350 करोड़ से 250 करोड़ कर दिया । नि:संदेह भारत सरकार द्वारा उसके खिलाफ फिर से अपील की गई । मेरा कहने का अभिप्राय यह है सरकार ने न केवल पीड़ितों के हितों को संरक्षण प्रदान करने बल्कि आवश्यक राहत आदि जितनी जल्दी संभव हो सके उपलब्ध करवाने के लिए अपने ढंग से प्रयास किये हैं ।

मुआवजे की राशि के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है और अन्त में 47 करोड़ डालर की राशि निश्चित की गई । वास्तव में ऐसे मामलों में कोई सीमा नहीं हो सकती । जितनी अधिकतम राशि प्राप्त की जा सकती है । उतनी प्राप्त की जानी चाहिए । मैं यह नहीं कह सकता कि वास्तविक राशि क्या हो सकती है । लेकिन जितना करना संभव हो सके, उतना करने का प्रयास करना चाहिए ।

5.02 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं] । जो यहां चाहे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मानव जीवन की तुलना में अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता चाहे हम एक लाख, दो लाख या दस लाख का भुगतान करें । लेकिन यह राशि मृतक के रिश्तेदार को ही दी जा सकती है । मूल्यवान जीवन समाप्त हो गया है, उसे वापिस नहीं लाया जा सकता । इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूं कि इसके मुआवजे में, आज धन का भुगतान या अन्य वस्तुएं मानव जीवन का विकल्प नहीं हो सकती । लेकिन इन परिस्थितियों में जब दुर्घटना होती है तो प्रासंगिक प्रश्न यह उठता है कि उसे टाला जा सकता है निश्चय ही समय पर उपचारात्मक उपायों से टाला जा सकता है । इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेवार है ? अभी तक इस घटना के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है ।

कभी-कभी हमारे सरकारी उपक्रमों जैसे कोल इण्डिया लिमिटेड के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ दुर्घटनाएं हुई थी । पिछली वर्षा ऋतु में उड़ीसा में इन्दिरावती सरोवर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणाधीन थी । उसमें एक नहर थी । एक सौ से ज्यादा श्रमिक उसमें कार्य कर रहे थे । अचानक बाढ़ का पानी आ गया था और दुर्घटना हो गई थी । ये सारी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं । लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें इसके पीछे कारणों और परिस्थितियों को जानना चाहिए और विशेषतया जब कि बहुत से बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन अब भारत में पूंजी लगाकर अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना चाहती हैं, हमें इस भोपाल दुर्घटना से सबक सीखना चाहिए । इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने का भविष्य में ध्यान रखना चाहिए ।

सभापति महोदया, जब आप यहां से बोल रही थी, तब आपने कहा था कि यह एक आपराधिक लापरवाही है । मैं आपसे सहमत हूं महोदया, इस दुर्घटना से सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को जानें गई थीं और आगे भी बहुत से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । हजारों लोग पूरी तरह से अपंग हो गये हैं और लाखों अभी भी मानसिक सदमे से पीड़ित हैं अत: प्राकृतिक रूप से ऐसे आपराधिक लापरवाही के लिए उन लोगों को उदाहरण के तौर पर सजा दी जानी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं । इस बारे में कोई दो राय नहीं है । आगे एक और प्रश्न था ऐसे कितने खतर-नाक उद्योग हैं जो घनी आबादी वाले नगर में या उसके आस-पास स्थित हैं ? हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों । राशि, क्षेत्राधिकार आदि तो एक कानूनी लड़ाई थी और जब ये सब बातें हो रही थी, तो अन्त में, 14 फरवरी, 1989 को सभी पार्टियों की सहमति से उच्चतम न्यायालय में प्रभावित एक समझौता हुआ था । हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश ने भी अपनी इच्छा से इसे उचित ठहराया था । इस समझौते के पीछे तर्क यह था कि इससे निसहाय पीड़ितों को जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी । यह बहुत महत्वपूर्ण था । लेकिन मुख्य घटक यह था कि जल्दी से

जल्दी राहत दी जाये। निःसंदेह 300 बिलियन डालर का दावा था, भुगतान किए गए 470 मिलियन डालर की तुलना में इसमें काफी अन्तर था। भारत की दृष्टि में यह काफी बड़ी राशि लगती है, लेकिन वास्तव में अमरीका की दृष्टि में स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए यह एक छोटी सी राशि थी। कुछ अन्य दुर्घटनाओं में जहां हानि काफी कम थी, बहु-राष्ट्रीय कारपोरेशन ने मुआवजा लगभग एक बिलियन डालर तक दिया था। हमारी चिन्ता तो पीड़ितों को शीघ्र राहत देना थी, लेकिन पीड़ितों को तुरन्त राहत पहुंचाने के लिए इस राशि पर समझौता हुआ था। लेकिन मुझे दुःख है कि आज तक पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान न होने से तुरन्त राहत दिलाने का उद्देश्य खत्म हो गया यह इस कहानी की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया तो फिर इसमें और देरी क्यों हुई? इस देरी का क्या कारण है? इस समझौते के बाद भी तीन पुनरीक्षित याचिकाएं दायर की गई जिसमें से एक भारत सरकार द्वारा दायर की गई थी और अन्ततः फिर कुछ महीनों पहले पिछले अक्तूबर के अन्त में फिर अन्तिम निपटान किया गया जिसमें 470 मिलियन डालर की राशि देनी तय हुआ। निःसंदेह पिछले निर्णय से कुछ बेहतर हुआ क्योंकि उसमें आपराधिक मामले शुरू करने संबंधी कुछ प्रतिबन्ध थे, अक्तूबर में दिये गये निर्णय में यह प्रतिबंध हटा लिया गया था। इसके साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने भी अन्य शर्तें लगाई थी। उच्चतम न्यायालय ने 1987 में अपना ही निर्णय रद्द करके भोपाल गैस रिसाव का मामला तथा 470 मिलियन डालर का समझौता कायम रखा। कारबाइड अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई। निःसंदेह यह एक सुधारजन्य तथा स्वागत योग्य कदम है।

फिर, यूनियन कारबाइड कारपोरेशन तथा यूनियन कारबाईड इण्डिया लिमिटेड के अधिकारियों को एक निर्देश दिया गया था। अठारह महीनों के अन्दर पीड़ितों के लिए 500 बिस्तर वाला एक अस्पताल बनाया जाये तथा आठ वर्ष तक पीड़ितों की देखरेख के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाये। मैं नहीं जानता कि क्या यह अवधि निर्णय देने की तारीख से है या जब घटना हुई थी उस तारीख से है। यदि यह जब घटना हुई थी उस तारीख से है तो मेरे विचार से वह अवधि अब समाप्त होने जा रही है।

जैसा कि पहले कहा गया है, जितना भी अन्तराल हो, राज्य के कल्याण के रूप में इस क्षति को पूरा करना भारत सरकार का काम है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दिशा-निर्देश दिये गये हैं, क्या यूनियन कारबाइड कारपोरेशन तथा यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड ने उसे पूरा किया है या किया जा रहा है, क्योंकि उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एण्डर्सन अब फरार हो गये हैं।

जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि सी० बी० आई० द्वारा जांच चल रही है। सी० बी० आई० इस जांच को पूरा करने में कितना समय लेगी? यदि इसे जांच करने में अनिश्चित समय लगता है तो सी० बी० आई० जैसा प्रतिष्ठित संगठन की विश्वसनीयता संकट में पड़ जायेगी। इसलिए जांच शीघ्र ही पूरी की जानी चाहिए।

यह न केवल कुछ राशि के निर्धारण का प्रश्न है बल्कि पीड़ित लोगों को भुगतान करने का प्रश्न है । मात्र 200 रुपये प्रति माह आन्तरिक भत्ता या इसी प्रकार का अन्य कुछ लाभ देने का आदेश या प्रबंध था, जिसे फिर से उन्हें अन्तिम भुगतान के एवज में समायोजित किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा है ऐसे मामलों में कोई भी सीमा पर्याप्त नहीं है तथा मानव जीवन और मानव पीड़ाओं का कोई मोल नहीं हो सकता है । जो कुछ उन्हें अन्तरिम भत्ता के रूप में भुगतान किया गया है; को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त उन्हें पूरा अन्तिम भुगतान कर दिया जाना चाहिए। भारत-सरकार से, उसके विचरार्थ मेरा यह अनुरोध है । 200/– रुपये प्रतिमाह की दर से दिया गया धन या इसी तरह दी गई अन्य धनराशि को अन्तिम भुगतान देते समय नहीं गिना जाना चाहिए । यह राशि अन्तरिम भत्ते से अतिरिक्त होनी चाहिए ।

पीड़ितों को व्यक्तिगत तौर पर किए गए भुगतान के संबंध में मुझे यह कहना है सम्बद्ध दावों को कमिश्नर, मध्यस्थ या ऐसे ही किसी प्राधिकारी को भेजना होता है । निर्धारित प्रक्रिया की सिविल कोर्ट की प्रक्रिया है । यदि कोई विवाद हो तो ऐसे मामलों में भी स्थिति को और बिगड़ने में काफी लंबा समय लगेगा, जो बच्चा उस समय पैदा नहीं हुआ था और मां के गर्भ में था और उसके बाद पैदा हुआ है और आठ वर्ष की आयु का नहीं है उसमें शारीरिक विकृति और अशक्तता हो सकती है । ऐसे बच्चे कितने समय तक पीड़ित रहेंगे ? स्वभाविक रूप से विशेष न्यायालयों को, जिनके लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, न्याय जल्दी देना चाहिए । राज्य सरकार को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं ।

यह सब किसकी निगरानी में हो रहा है । हमने इस काम के लिए कुछ आयुक्त बनाए हैं । परन्तु उनके कार्यालय, उनके न्यायालय के कमरे भी तैयार नहीं हैं । और अधिकारियों को अपने कमरे लेने और वहां से कार्य कर पाने में असाधारण विलंब हो रहा है । इस तरह की कुछ बात है । इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए । इस कार्य पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो इस काम को तत्परता से करे और इसे भी उच्च प्राथमिकता दे । साथ ही अन्य बातों, जैसे अपराधिक मामलों इत्यादि में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय के अक्तूबर के फैसले के बाद इस बारे में निर्णय ले लिया है और केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो में इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है । परन्तु इसमें अनेक बाधाएं आ रही हैं । केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो ने श्री एन्डर्सन की परिसंपतियों को जब्त करने और अभियुक्त की आपराधिक मामले में न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश जारी कराने के लिए न्यायालय में जाने के लिए कदम उठाए हैं ।

परन्तु मुझे बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के अनुसार परिसंपति को इस तरह से जब्त करने की अनुमति नहीं है । ऐसा ही कुछ हो रहा है । परन्तु मैं समझता हूं कि हमारे पास इस संबंध में कुछ तरह की संधियां भी हैं । हमारे पास अमेरिका

के साथ प्रत्यर्पण संधि है । भारत सरकार को उच्च स्तर पर इस बारे में भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ बात करनी चाहिए ।

इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि गैस त्रासदी के इन पीड़ितों को जितनी भी अधिक धन राशि की व्यवस्था की जा सके वह की जाए । इस दिशा में गंभीरता से सभी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, और ये प्रयास भी यथाशीघ्र किए जाने चाहिए । इस तरह से मैं सुझाव दूंगा कि बेहतर होगा कि माननीय मंत्री और भारत सरकार इस मामले की मिलकर पुनरीक्षा करें और इसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करें । इसमें जो खामियां हैं उन्हें हर संभव तरीके से दूर करने की कोशिश की जाए । यदि जरूरत पड़ी तो इस संबंध में उनके विचार जानने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करने में कोई हानि नहीं है । इस बारे में क्या है ? हम पीड़ितों को अधिकतम राहत प्रदान किए जाने के इच्छुक हैं । हम जानते हैं कि भारत सरकार भी इस त्रासदी के पीड़ितों की सहायता करने की इच्छुक है । मैं जानता हूं कि भारत सरकार को यूनियन कारबाइड कारपोरेशन के अधिकारियों से कोई सहानुभूति नहीं है। परन्तु फिर भी अत्यधिक विलंब हो रहा है ।

परन्तु हमारी न्यायिक प्रणाली में कुछ खामियां मौजूद हैं जैसा कि पहले कहा गया है कि विलंब इसका सहचर है । ऐसा होता है कि यदि दादा किसी न्यायाधीश के न्यायालय में बटवारा मुकदमा या सिविल मुकदमा दायर करता है तो यह दादा और पिता की मृत्यु के काफी लम्बे समय बाद पोते के समय में सुनवाई के परिपक्व होता है ।

परन्तु कुछ भी हो इस मामले में इसे अत्यधिक तेजी से करना होगा । इस जटिल प्रक्रिया से पार पाया जाना चाहिए और कुछ सारांश किस्म की प्रक्रिया शुरू की जाए । भारत सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए और यदि जरूरत पड़े तो इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श किया जाय । अत: क्षतिपूर्ति की राशि को अधिकतम करने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए तथा इसका भुगतान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुधीर गिरि (कोंटाई) : सभापति महोदया, मेरा एक सूचनाप्रद मुद्दा है । पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले को आज साक्षर जिला घोषित किया गया है, यह देश के साथ-साथ पूरे सदन के लिए अति प्रसन्नता और प्रेरणादायक खबर है, मैं आपके माध्यम से यह खबर सदन को देना चाहता हूं ।

सभापति महोदया : जानकारी के लिए आपका धन्यवाद । मैं समझती हूं कि सदन इस खुशी का इजहार करने में आपके साथ है ।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : सभापति महोदया, मैं भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी प्रस्ताव लाने के लिए सदस्य महोदय को धन्यवाद देता हू

34—991LSS/93

और इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि कानूनी कार्रवाई शीघ्र की जा रही है, मुझे खेद है कि यह प्रस्ताव तबाही के कुछ वर्ष बाद लाया जाना चाहिए था जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिए था कि हम गैस पीड़ितों को उचित न्याय और मुआवजा सुनिश्चित करने में बिलकुल विफल हो गए हैं । यह बात सत्य है कि निपटान राशि केवल 470 मिलियन डालर है जबकि याचिका दाताओं की ओर से सरकार द्वारा याचिका दाता के रूप में लगभग 3 बिलियन डालर का दावा किया गया है । यह बात सच है कि हमें इतनी कम राशि पर समझौता करना पड़ा है जब कि इसकी तुलनां में हानि कई गुना अधिक हुई है और मुआवजा अदा करने वाला नियोक्ता यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है । परन्तु इसके बावजूद भी हम इस राशि का संवितरण सुनिश्चित नहीं कर सके हैं, कानूनी लड़ाई चल रही है ।

उच्चतम न्यायालय ने अब मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है और उस अनुमति के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उस कंपनी के मालिक अपराधिक लापरवाही के मामले में एक कथित कार्रवाई का अभियुक्त है, और यह अनपेक्षित है कि सरकार अभियुक्त को न्यायालय में नहीं ला सकी है । अब प्रत्यर्पण के लिए कदम उठाए जाने हैं । मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने यह दलील दी है कि कुछ भी हो प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है । ऐसे भी मामले हैं जिनमें प्रत्यर्पण संधि है । विदेशों की सरकारों ने प्रत्यर्पण के बारे में तकनीकी बारीकियोंकी दलीलें दी हैं । मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर संबंधित पक्ष ने ऐसी दलील दी है । तथापि, यह हमें देखना है कि प्रत्यर्पण के लिए कदम शीघ्र उठाए जाएं तथा अभियुक्त को भारत में वापिस लाया जाए । मैं समझता हूं कि इस संबंध में उठाए जाने वाले आवश्यक कदम सरकार को बहुत ही गंभीरता से उठाने होंगे ।

इस मामले के बारे में कोई दो राय नहीं हैं कि दावाकर्त्ताओं को समुचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए और उन्हें इसका भुगतान शीघ्र किया जाए । यह भी एक असफलता ही है कि समुचित कानून बना लिए गए हैं, और वास्तविक हानि का आकलन कर लिया गया है परन्तु अभी तक अधिकरणों की स्थापना नहीं की गई है, यहां तक कि कानून बना लिए गए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, यह दुःखद सत्य है कि इस बारे में कदम उठाने में समय लगेगा । मैं सरकार से इसे बहुत गंभीरता से लेने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि अधिकरणों का गठन शीघ्र किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए मुआवजा निर्धारित किया जाए ।

अन्य पहलुओं को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मेरा इस तथ्य से पूर्ण सामंजस्य है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन से अधिकतम सीमा तक मुआवजा राशि प्राप्त हो, के लिए तत्काल और कदम उठाने हेतु कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए तथा सभी दावाकर्त्ताओं को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए । यह एक ऐसा मामला है जिससे इस तरह की सबसे अधिक तबाही हुई है और यह ऐसा मामला है जिसमें तबाही अभी भी

हो रही है जिससे और ज्यादा समस्या पैदा हो रही है । इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निरन्तर हो रहे नुकसान के मुआवजे का उचित रूप से आकलन किया जाता है और समुचित रूप से पीड़ितों को दिया जाता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरह के उन मामलों की ओर भी आकर्षित करूंगा जो कि अन्यत्र भी घटित हो रहे हैं, केरल में मैं एक पहलू लाने की कोशिश करूंगा हालांकि यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है । हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित कुछ कंपनियां हैं, हमारे अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों से भी किसी तरह का रिसाव हो रहा है और उनसे हो रहे बहिस्राव से लोगों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है । मैंने अन्यथा भी यह तथ्य मंत्री महोदय के ध्यान में ला दिया है, 'फैक्ट' के मामले में उन्होंने उसका दौरा भी किया है । वह इसे जानते हैं यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोचीन में है । कोचीन मण्डल के 'फैक्ट' कारखाने का बहिस्राव एक नदी के जरिए आ रहा है और उन गरीब लोगों की खेती को लगातार नुकसान पहुंच रहा है जिनके पास 50 सेंट से कम है । यह भूमि इसकी वजह से काफी समय से खेती के योग्य नहीं रह गई है। इनमें से कई लोगों ने लगभग 17 साल पहले से इस भूमि पर खेती करनी बंद कर दी थी । उनमें से कुछ लोग न्यायालय में गए और ऐसे मामले जिनमें न्यायालय ने कुर्की की है और मुआवजा देने के आदेश दिए हैं । अब भी यह बड़ी कंपनी, जो कि मुआवजा देने में समर्थ है या उस कंपनी के आस-पास की भूमि को अधिगृहीत करने की स्थिति में है और किसानों को मुआवजा दे सकती है ऐसा नहीं कर रही है । मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए उन लोगों को मुआवजा देने के लिए कदम उठाए जाएं जो पिछले 17 साल से नुकसान उठा रहे हैं, वे उनकी कृषि भूमि पूर्णतः कृषि के अयोग्य हो जाने के कारण आजीविका कमाने की स्थिति में नहीं है। मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा ।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य को यह विधेयक लाने के लिए और इस प्रस्ताव के संबंध में उन्होंने इसकी जो व्यापक पृष्ठभूमि की है उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

[redacted] "मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मुआवजा जल्दी-से-जल्दी देने के लिए कदम उठाए जाएं और तथाकथित अभियुक्त की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए जो न केवल न्यायालय से फरार है बल्कि देश से भी फरार है और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिससे भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए ।"

(हिन्दी)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों का मत अपराधी को बाहर बुलाकर के कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की भावना प्रकट की है वह स्तुत्य है । आज ही नवभारत टाईम्स में एक खबर छपी है कि भोपाल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां इनका एक मुकदमा दर्ज है । वहां पर

श्री गुलाब शर्मा, मजिस्ट्रेट की अदालत में आज ही यूनियन कारबाइड के वकील ने कहा है कि मेरे मुवक्किल को भारत सरकार में अब कोई विश्वास नहीं रहा। अब मैं यह मानकर चलता हूं कि भविष्य में कभी भी पूर्व निदेशक भारत की अदालत में उपस्थित हो सकेंगे या नहीं। मैं समझता हूं कि भारत में इस शताब्दी की इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक बार ही जब अपराधी आ गया तो उसको छह घंटे के अंदर ही छुट्टी दे दी गई। इसके अंदर कोई न कोई बात जरूर नजर आती है कि हम केस में कमजोर हैं। हमारे द्वारा जो वकालत की जा रही है उसमें कमी है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक मानिटरींग सैल बनाया जाना चाहिए और निश्चित मंत्री इसको गंभीरता से लें। वहां के डाक्टर बताते हैं कि इस दुर्घटना के बाद रोग मुक्त नहीं हो सकेंगे। लोग अंधे कुबड़े या लंगड़े होंगे। इस प्रकार की स्थिति हमको कई पीढ़ियों तक भोगनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पांच सौ बैड का एक हास्पिटल बनाया जाए और आठ साल तक यूनियन कारबाइड इस अस्पताल का सारा खर्चा वहन करेगी और पचास करोड़ रुपया इसके रख-रखाव का प्राप्त होना था। इसके प्रति गंभीरता नहीं है। अब तक कोई नींव रखने की स्थिति नहीं है। एन्डर्सन कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है वह बड़ा उद्योग-पति है। लेकिन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते। क्यूबा ने अमेरिका को लिखा है कि 70 व्यक्तियों के हत्यारों को क्यूबा को वापिस सौंपा जाए। वर्ल्ड बैंक सरकार को बताए कि गैस-पीड़ितों को राहत मिल सकेगी या नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं मिल सकेगी। इसके लिए शेयर हैं। वे आज भी कलकत्ता में जमा हैं। सरकार उनको जब्त करे। क्यों नहीं सरकार उनको जब्त करना चाहती। यह ठीक है कि कानूनी प्रक्रियायें इस प्रकार की है कि जब्त करने के बाद वह आदमी 6 महीने में न्यायालय में अपील कर सकता है। फिर दो साल तक मुकदमा चलता रहेगा कि वह अपराधी है या नहीं। आज वह कह रहे हैं कि मैं अपराधी नहीं हूं। जबकि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। इसलिए उसके शेयरों को जब्त करके पचास करोड़ रुपया अस्पताल को दिया जाना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार की अपनी मर्यादा होती है, सीमित बजट होता है वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। वहां पर हजारों अपंग व्यक्ति हैं, हजारों व्यक्तियों की आंखों की ज्योति चली गई है, जीवन मरण का प्रश्न है इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको मुआवजे की पूरी रकम जल्दी से जल्दी मिले और अपराधी को बुलाकर नियमानुसार मुकदमा चलाया जाये और सजा दी जाये। अगर हम सजा नहीं दे पाये और मुआवजे के आधार पर निर्भर रहे कि मुआवजा मिल जायेगा तो गरीबों को मदद दी जायेगी तो इस प्रकार देश के अन्दर और भी घटनायें हो सकते हैं। जैसा कि सभापति महोदय आप स्वयं ने कहा था कि भारत में विदेशी कम्पनीज तेजी से पांव पसार रही हैं। ऐसी स्थिति में इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। मुझे गम्भीरता अभी लगती नहीं।

कल जो दिल्ली में दुर्घटना हुई वह कोई छोटी-मोटी दुर्घटना नहीं है। घनी आबादी के अन्दर गोदाम बने हुए हैं। मंत्री जी नहीं हैं, नियम ऐसे हैं कि मंत्री जी के वक्तव्य के बाद बहस नहीं कर सकते, यह वक्तव्य राज्य सभा में आयेगा तो निश्चित रूप से सरकार की इस पर खिंचाई होगी। मेरे पास पुष्ट प्रमाण हैं कि वहां जो तीन कारखानेदार हैं उनमें एक व्यक्ति को पूरी जमीन अन्यत्र आवंटित कर दी गई थी, लेकिन वह यहां भी पांव पसारे हुए है। और वहां भी पांव पसारे हुए है। इस प्रकार से ऐसी घटनायें घटती है। चेरनोबिल की घटना सारे विश्व में इसी तरह का एक उदाहरण है।

राजस्थान के अन्दर अणु-शक्ति प्रोजेक्ट है। तीन साल में एक बार अभ्यास भी होता है। सारा वातावरण बनता है, कुछ लोगों को अभ्यास के कारण भय लगता है। यह ठीक है कि अभ्यास के दौरान लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से यह सही भी है। वहां पर बीस-पच्चीस मील तक उस अणु-शक्ति प्रोजेक्ट के आसपास कोई सड़क नहीं है, कच्चे गडार हैं, उनमें अभ्यास जब चलता है तो तीन-चार घंटे तक लोगों को काफी भय सताता है। वहां नकली रूप से लोगों को निकालने का काम होता है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हमारे देश में जिस प्रकार सैनिक क्षेत्र हैं उसी प्रकार से अणु-शक्ति क्षेत्र भी होना चाहिए उसका एक निश्चित बजट होना चाहिए। उसके माध्यम से ऐसे जो खतरनाक स्थान हैं उन तक हम लोगों को त्वरित गति से पहुंचाने के लिए सड़क का मार्ग दे सकें। लेकिन सरकार उस पर गम्भीर नहीं है।

एक बार यहां चर्चा भी हुई थी अणु-शक्ति की तो जार्ज साहब और मैंने इसका उल्लेख किया था। कई तरह की वहां आशंकायें जन्म लेती हैं और तरह-तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। भगवान न करे ऐसा दुःखदाई दिन आये, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कभी भी कुछ घट सकता है इसलिए हमें इस पर ध्यान देकर वहां सब प्रकार की सुविधायें मुहैया करानी चाहिए। आठ साल हो गये इस भोपाल गैस की दुर्घटना हुए, मैं दो साल से यहां हूं मैंने कोई ऐसा सत्र नहीं देखा जब इस पर बहस न होती हो। लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता है। न केस का निर्णय हो रहा है, न एंडर्सन इसको स्वयं गम्भीरता से ले रहे हैं। अगर सरकार की शक्ति का अनुमान यूनियन कार्बाइड ऑफ इण्डिया के पूर्व निदेशक को होता तो निश्चित रूप से कोई गंभीर निर्णय लेते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसके बाद दूसरे जज ने उनको राहत दे दी। अब ऐसे मानव के प्रति जिम्मेदारी का भाव न निभाकर क्यों ऐसी आगे अपील की है। उस फैसले के खिलाफ निश्चित रूप से आज भोपाल में गलीगली के अन्दर भोपाल गैस त्रासदी के लोगों से मिल जायेंगे जो पीड़ा भोग रहे हैं जिनके परिवार नष्ट हुए हैं, उनके बाल-बच्चे रहे नहीं हैं, जो अंधे हो गये हैं, लूली लंगड़ी संतान पैदा कर रहे हैं। इन सबके बारे में माननीय सदस्य ने गैर-सरकारी प्रस्ताव द्वारा जो संकल्प लाये हैं, उसके अन्तर्गत मुख्य अपराधी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये। इस संकल्प के द्वारा निश्चित

रूप से हम उन लोगों को न्याय दिलवा सकेंगे जिनके परिवार उजड़े हैं, अन्मान्ध हो गये हैं, ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए तो हमारी अच्छी छवि बनेगी वरना जो अमेरिका का एक बड़ा व्यक्ति है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे और उससे हिन्दुस्तान की छवि घटेगी।

सभापति महोदया, इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं माननीय सदस्य को साधुवाद देता हूं जो यह बिल लाये हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से लेगी और माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो भारत के लोगों में एक आत्म विश्वास जाग सकेगा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। इसके साथ ही क्यूबा में जो घटनाक्रम हुआ है, उन्होंने सीधे-सीधे अमेरिका को नोटिस दिया है कि 8 साल पहले विमान दुर्घटना में जो दो व्यक्ति संलिप्त थे, उनको तुरन्त समर्पित किया जाये, निश्चित रूप से ऐसा सख्त निर्णय लेकर आज घोषणा करें जिससे लोगों को राहत मिल सके।

(अनुवाद)

श्री प्रताप सिंह (बांका) : सभापति महोदय, मेरे परम मित्र, श्री मिश्रा द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं यह संकल्प उचित समय पर लाया गया है। लेकिन, फिर भी, इस संकल्प की महत्ता कम नहीं हुई है क्योंकि भोपाल त्रासदी से प्रभावित इन लोगों के दुःख-दर्दों का सम्पूर्ण मामला जोकि अनेक वर्षों से अनसुलझा पड़ा है, आज भी हमारे साथ अभी भी एक सजीव मुद्दा है।

मैं इन घटनाओं के कालानुक्रम के बारे में ज्यादा विस्तारपूर्वक नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे यह देखकर दुःख हुआ है कि आज भी हम देखते हैं कि इस दुखद दुर्घटना अथवा त्रासदी के शिकार होने के सात वर्ष बाद भी वे अभी भी यहां दिल्ली में बोट क्लब पर आंदोलनों का सहारा ले रहे हैं। मैं यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह निर्धारित करने के लिए सरकार ने फिर भी धनराशि खर्च की है। कि इन लोगों को कितना मुआवजा दिया जाए। जो सरकारी तंत्र इस बात की जांच करने और पता लगाने की कोशिश में संलग्न है कि एक मानव-जीवन अथवा एक मानव-जीवन जो आगे आने वाले एक लम्बे समय के लिए सक्षम होने जा रहा है, के लिए कितना मुआवजा न्यायोचित है, मैं शायद ऐसा अनुभव करता हूं कि उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अत्यधिक समय और धनराशि व्यय कर दी है, जो कि यदि समय पर तत्काल उन व्यक्तियों को राहत के रूप में दे दी जाती, तो बेहतर होता। हमने शायद गलती की हो। कुछ व्यक्ति जो मुआवजा दिये जाने के पात्र नहीं थे, वे भी गलती से मुआवजा प्राप्त कर जाते। लेकिन यह इन लोगों को इतने लम्बे समय तक न्याय प्रदान करने में विलम्ब करने से ज्यादा बेहतर होता। मेरा गम्भीरता पूर्वक मानना है कि हमें अब इससे छोटे आकार और शायद इनसे भी बड़ी त्रासदियों, जोकि समय-समय पर हमें संभवतः नुकसान पहुंचाए, की प्रक्रिया के बारे में सोचना

और पता लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें यह महसूस करना ही चाहिए और एक मानव-जीवन, जोकि समाप्त हो चुका है, के लिए क्या सही मुआवजा होना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना कोई बहुत असम्भव कार्य नहीं है। एक अपंग व्यक्ति अथवा जो एक सही ढंग से एक उचित वेतन कमाने की सक्षमता खो चुका है, के लिए क्या समुचित मुआवजा होना चाहिए? मेरे विचार से प्रत्येक सरकार इन लोगों की प्रतिपूर्ति करने और दोषी व्यक्ति को दण्डित करने का पूर्ण प्रयास कर चुकी है। लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा कि मेरे परम मित्र, श्री पाणिग्राही कह रहे थे, कि न्याय में विलम्ब का मतलब न्याय से वंचित करना।

मैं इस सारे मामले में और अधिक नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि मेरे सभी मित्रों ने, जो मुझ से पहले बोले हैं, ने तथ्यों का पूर्ण ब्यौरा दे दिया है। लेकिन यह देखकर बहुत दुःख होता है कि इस त्रासदी के लिए मुख्य रूप से दोषी व्यक्ति, श्री एंडेरसन सबसे पहले बिना किसी बड़े प्रयास के इस देश से सम्बन्धित सरकारों की सहायता से भागने में सफल हो गया।

मैं कोई आशंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस समय यह कहने का कोई रास्ता ही नहीं था कि वह एक अभियुक्त है। लेकिन अब जबकि यह पता लग गया है कि ऐसा ही एक व्यक्ति इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है, तो मैं समझता हूं कि, जैसा कि मेरे मित्र श्री मिश्रा ने कहा है, हमें एक अति कठोर रूख अपनाना चाहिए और हमें इस व्यक्ति विशेष की वापसी के लिए कहना चाहिए और हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार पर यह अधिकतम दबाव डालना चाहिए कि वह देखे कि इस व्यक्ति को हमारे ही इस देश में दण्डित किया जाये। उस पर मुकदमा चलना ही चाहिए और उस कम्पनी विशेष—यूनियन कारबाईड कार्पोरेशन—को यहां पर किये गये उनके दुष्कार्यों के लिए पर्याप्त और उचित मुआवजे के लिए कहा जाना चाहिए। जैसा कि सुझाव दिया गया था कि किसी ऐसी विधि से, जिससे कि हम इन लोगों से कुछ-न-कुछ प्राप्त कर सकें, उनकी यहां पड़ी सम्पत्ति को अनुपलभ्य बना देना चाहिए। यह एक सराहनीय कदम है। मेरे एक अच्छे मित्र ने मुझसे पहले यह कहा था कि वे किसी न्यायाधिकर्ता अथवा किसी फ़र्म को कुछ अधिकार प्रदान करके इस देश के बाहर एक प्रकार का झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। अतः हमें यह जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि यह यूनियन कारबाईड कार्पोरेशन अभी भी इस देश में विद्यमान एक कम्पनी है और, आपके ही नियंत्रणाधीन है। इस घड़ी में ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उन लोगों, जिनको कि भोपाल में हुई घटना से बुरी तरह नुकसान पहुंचा है, को मुआवजा देने के लिए उन पर झुकने के लिए दबाव डालें।

सभापति महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे दिये गये इस अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूं।

(हिन्दी)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदया, यह भोपाल गैस की घटना 8-10 वर्षों से लंबित है । उस वक्त मैं बिहार विधान सभा का सदस्य था । मुझे पूरी तरह याद है जब यह घटना घटी तो तत्कालीन भारत सरकार ने अनेक घोषणाएं की थीं। घोषणा इन्होंने की थी कि जितने गैस पीड़ित कर्मचारी हैं और गैस से वहां का वातावरण दूषित हुआ है, इस सब के लिए हम तुरंत कार्रवाई करेंगे । उसके बाद फिर हम लोगों को एम० पी० बनकर दिल्ली आने का मौका मिला ।

जब यह घटना घटी थी, उस समय मैं स्वयं वहां गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां के लोगों की स्थिति क्या है । मुझे तो इस सरकार पर भी शंकाएं हैं । शंकाएं क्यों हैं— क्योंकि आज देश में बेरोजगारों की फ़ौज खड़ी हो गयी है, बेरोजगारों की स्थिति बहुत भयावह है और दूसरी तरफ़ भारत सरकार के जितने प्रतिष्ठान हैं, चाहें वह भोपाल गैस का हो, बोकारो स्टील प्लांट हो, आसाम का तेलशोधक कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, मतलब यह है कि जितने ऐसे प्रतिष्ठान गैस बनाने वाले या पैट्रोल बनाने वाले हैं, अगर उनमें उस तरह की घटनाएं घटतीं तो वहां के लोगों की दशा बहुत दयनीय हो जाया करती है । उस पर यह सरकार 8 साल तक, 10 साल तक अमल न करे, उसी का नतीजा है कि आज इस देश की जनता के मन में इस बात की शंका है और इसका ज्वलंत उदाहरण है कि गैस पीड़ित लोगों की समस्याओं पर आज चर्चा यहां हो रही है लेकिन हमारे मंत्री जी को गप्प से फ़ुरसत नहीं है और वे गप्प करते ही जा रहे हैं । उन्हें पता नहीं कि कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, आप जरा उन्हें समझाने की कोशिश करें ।

आपने इस देश में कोर्ट को एक मजाक बनाकर रख दिया है । कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों को मुआवजा तुरन्त देने की आप व्यवस्था करें । गैस से पीड़ित लोगों की स्थिति, मैं आज समझता हूं, चाहे वह कोई मंत्री हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन आप लोगों के साथ अगर इस तरह की घटना घटी होती तो पता नहीं क्या हुआ होता । आज चूंकि एक सरकारी कर्मचारी है और दुर्घटना घटी, उस दुर्घटना के चलते, उसे मुआवजा ढंग से नहीं मिले, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता । बहाने अनेक हो सकते हैं, बहाना हो सकता है कि हमारे पास रुपये का अभाव है, बहाना हो सकता है कि कर्मचारियों को साधारण रूप से हमने अनुदान दे दिया है, इस तरह अनेकों बहाने आप कर सकते हैं कि उनके बच्चों को हमने सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे दी, मतलब उससे नहीं है । मतलब यह है कि अगर वह मनुष्य था, मानवता के आधार पर एक मनुष्य को जीने के लिये, क्या चाहिये था, वह आपने किया या नहीं, उसकी व्यवस्था की या नहीं । आपने उल्टे क्या किया कि जो अभियुक्त था, अमेरिका से जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक ही उस आदमी को यहां पर लाया गया था, उसे आपने 5-6 घण्टे के

अंदर वापस अमेरिका भेजने का काम किया । यही हम लोग फाल्ट करते हैं, यही हमारा डिफैक्ट है, डिमैरिट है ।

इसलिये इस पर ज्यादा बहस करना, न करना, कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता । मतलब इस बात से है कि क्या भोपाल के गैस पीड़ित लोग, जो विकलांग हो गये, जिनकी पढ़ाई बंद ही गई, जिनको मृत्यु हो गयी, उनके सम्बन्ध में कोर्ट ने जो निर्देश दिया, क्या उसका पालन हुआ । यहां पर भी हमसे कहा जाता है कि फ़लां मामले पर नियम के मुताबिक बोलना नहीं है, यह राष्ट्रपति महोदय का मामला है, इस पर बहस नहीं हो सकती, लेकिन इसमें क्या हो गया । इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, आप कोर्ट के जजमेंट को क्यों लागू नहीं करना चाहते हो, क्या उसमें दिक्कत है ।

इसलिये मेरी मांग है कि जो मानवता का दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत पीड़ित लोगों को पूर्ण राहत दिलाने का काम आप करें । उनके बच्चों को या उनके परिवारों को वहां बढ़िया ढंग से जीवन-यापन करने की व्यवस्था आप करिये और इस लायक उन्हें आप मुआवजा दें ।

आप इस बात को याद रखें कि हमारे यहां बोकारों स्टील प्लांट में भी वैसी ही घटना घटने की संभावना थी जब वहां एक पाईप लीक हो गया था । ऐन मौके पर उसे सम्भाल लिया गया । यदि वह घटना घट गयी होती तो क्या जिस तरह से भोपाल गैस पीड़ितों को आप 10 वर्ष से घुमा रहे हो, उन्हें भी आप इसी तरह घुमाने का काम करते । क्यों अपने ही लोगों के मन को तोड़ने का काम आप कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि कोर्ट का जो फैसला है, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वह अपने ही देश की समस्या है । लोग उससे पीड़ित हुए हैं इसलिये उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, जितना मैक्सिमम हो सके, उनके लिये राहत और मुआवजे की आप व्यवस्था करें । फिर एक चेतावनी भी मैं आपको देना चाहता हूं । भोपाल गैस पीड़ितों के लिए आपने ठीक से व्यवस्था नहीं की, तो मुझे लगता है कि गांव का आदमी तो समझता नहीं, लेकिन शहर और फ़ैक्ट्रीज के जितने आदमी हैं, उनके मन में बहुत जोरों से यह शंका पैदा हो गई है कि अगर अब कहीं ऐसी घटना फिर घटे, तो वह बगावत कर सकता है । इसलिये लोगों के मन की ये शंकाएं दूर करें और उनको राहत दें ।

मैडम आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । चूंकि यह शोकसंतप्त परिवारों का मामला है, इस लिए इस पर विचार करें और जो कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार कार्रवाई करें ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिये निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए इसे बढ़ाना पड़ेगा । मैं यह सभा के सामने रखती हूं कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए एक घन्टे का समय और बढ़ाया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : आपका धन्यवाद । इस चर्चा का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है । श्री सुदर्शन रायचौधरी अपना वक्तव्य रखें ।

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : सभापति महोदया, भोपाल गैस त्रासदी एक बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन के कारण घटित हुई है । इस त्रासदी से हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए । इन दिनों प्रासंगिक बात यह है कि बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है । वास्तव में, इस सरकार की नई आर्थिक नीति और नयी औद्योगिक नीति ने हमारे देश को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगे खुला छोड़ दिया है ।

हमें एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी, पैप्सी के साथ हमारा अनुभव है । क्या इसने संविदा शर्तों का पालन किया है ? आज के समाचार पत्र में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर 'पैप्सी' ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया है और हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय चिन्तित हैं । जब 'पैप्सी' कम्पनी यहां आई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य पंजाब में बागवानी क्रान्ति लाना है । लेकिन यह एक गारा-सानने के सिवाय और कुछ भी साबित नहीं हुआ है । जब यूनियन कारबाईड कम्पनी भारत में आई थी, तो ऐसे ही बड़े-बड़े वायदे किये गये थे कि यह हमें रसायन उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगी । लेकिन, हमें उससे केवल यह त्रासदी प्राप्त हुई है ।

इन बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशनों के बारे में तीसरे विश्व के उन देशों के क्या अनुभव है जो अब इन्हें खुला निमंत्रण दे रहे हैं ? इस तथ्य के अलावा कि वे कार्पोरेशन यहां उस पुरानी और प्रदूषित प्रौद्योगिकी के साथ आते हैं, जिसे उनके ही मूल-क्षेत्र के देशों में अपनाने की अनुमति नहीं दी गई है । हम विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, श्री लारेंस समरस द्वारा कहे गए शब्दों को स्मरण कर सकते हैं । उसने कहा है कि गन्दे उद्योग दक्षिणी देशों में जाने चाहियें ।

इनके अतिरिक्त, ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कुछ अन्य गुप्त उद्देश्यों से भी आती हैं और उनमें से बहुत-सी कम्पनियां उन देशों को अस्थिर करने में मग्न हो जाती हैं ।

आप चिल्ली में पैप्सी की भूमिका को याद कर सकते हैं और अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो उनके पीछे वास्तविक अभिनेता, उनके पीछे साम्राज्यवादी शक्ति, सक्रिय हो जाती हैं।

जब साल्वाडोर आलेंडे ने दो विदेशी कम्पनियों 'अनाकोंडा' और 'केनकोट' का राष्ट्रीयकरण किया था, तो चिल्ली का जो हाल हुआ था, उसे हम जानते हैं । हम, मोसादेघ सरकार के भाग्य को जानते हैं, जब उन्होंने ईरान में एंगलो-ईरानी-ऑयल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया था । हमें ग्वाटेमाला में अरबेनज सरकार ने, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के

स्वामित्व की यूनाईटेड फूड कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उनका क्या हाल हुआ था, हमें ज्ञात है ।

06.00 म० प०

अतः भोपाल त्रासदी से एक शिक्षा लेनी चाहिए । हमें बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन के बारे में पता होना जाहिए । त्रासदी दिसम्बर, 1984 में हुई थी । यूनियन कारबाईड कार्पोरेशन के एक टैंक से ब्यालीस टन एम० आई० सी० गैस रिस गई थी । लगभग आठ हजार लोग मर गये थे । 'दिल्ली सांईस फोरम' के एक सर्वेक्षण-प्रतिवेदन का कहना है कि आज तक भी, गैस रिसाव के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति प्रतिदिन मर रहा है । एक सरकारी सूचना के मुताबिक पिछले सात वर्षों की अवधि में 2-5 लाख लोग रोग-ग्रस्त हुए हैं । अट्ठारह हजार व्यक्ति स्थाई रूप से अक्षम हो गये हैं । जो जीवित हैं, उनमें से अधिकतर का प्रतिरक्षण-तंत्र समाप्त हो गया है ।

मुआवजे के मामले पर, कानूनी-युद्ध चल रहा है । इसी बीच लोग पीड़ित हैं । आपको विदित ही है कि सरकार प्रति व्यक्ति 200 रु० प्रति माह राहत के रूप में दे रही है । लोगों को यह खैरात प्राप्त करने के लिए बारह घंटे से अधिक समय तक पंक्ति में खड़ा रहना पड़ता है । इस मामले के आरंभ से ही, यूनियन कार्बाइड स्वयं को अपनी भारतीय शाखा से दूर रखने की अनुमति मांग रही है । थोड़ा बहुत भी उत्तरदायित्व स्वीकार करने की बजाय यह एकदम गलत है ।

मैं कई प्रश्न पूछना चाहता हूं : क्या यह सही नहीं है कि भोपाल कारखाने के मुख्य-कर्मियों को प्रशिक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दिया गया था ? क्या यह सही नहीं है कि भोपाल-संयंत्र का मुख्य सुरक्षा-आडिट 1982 में "डेनबरो' के "फोर्ड फातिम" ने किया था और इसने दस सुरक्षा-दोष निकाले थे, जिनकी अनदेखी कर दी गई थी ? क्या यह सही नहीं है कि तीन आलोच्य पद्धतियां जिन्होंने "गैस-टावर" "फ्लेयर-टावर" तथा 'वाटर-स्प्रे-सिस्टम' को विफल किया था, मूल कम्पनी से ही आये थे ।

भोपाल हेतु तकनीकी-नियम-पुस्तिकाएं यूनियन कारबाइड कार्पोरेशन द्वारा जारी मूल-प्रलेख पर ही आधारित थीं । अतः यूनियन कारबाइड अपने उत्तरदायित्व से इन्कार नहीं कर सकती । यूनियम कारबाइड के मुखिया वारेन अंडेरसन को बेदाग नहीं छोड़ा जा सकता ।

आज के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में एक रिपोर्ट छपी है कि भोपाल के मुख्य न्याय दण्डाधिकारी की न्यायालय में, यू० का० कारपोरेशन के सलाहकार ने यह घोषणा की है कि यूनियन कारबाइड कार्पोरेशन भारतीय न्यायलय के समक्ष हाजिर नहीं होगी । इसका भारत सरकार से विश्वास उठ गया है । इससे मुझे एक राज्य की न्यायिक-पद्धति में दूसरे राज्य के ऐसी ही विश्वास उठ जाने की घटना के बारे में स्मरण आता है । हम लीबिया के मामले को देख सकते हैं, जिसमें स० रा० अमेरिका ने यह घोषणा की है कि उसको लीबिया-न्यायापालिका पर कोई विश्वास नहीं है । यही कारण है कि दो व्यक्ति, जिन्हें वह दोषी ठहरा रहे हैं, इस स्थानीय विमान-दुर्घटना के लिए दोषी हैं । उन्हें

संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपा ही जाना चाहिए और उन्हें कारागार में बंद किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि मुआवजे की कोई भी राशि पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन वारेन अंडेरसन का प्रत्यार्पण होना ही चाहिए। एक भारत–अमेरिका प्रत्यार्पण संधि हुई है। अतः हम न्याय संगत मांग कर सकते हैं कि अंडेरसन भारत आये और दण्डात्मक कार्यवाही का सामना करे। भारतीय कानून में न्यायालय में उपस्थित न होने के लिए सम्पत्ति की कुड़की करने का प्रावधान है और हमें पता चला है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत में यूनियन कारबाइड कार्पोरेशन की सम्पत्ति की कुड़की हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। यह कानून की आत्मा के विरूद्ध होगा, यदि यूनियन कारबाईड कार्पोरेशन अपने हिस्से को बेचता है। अब यूनियन कारबाईड कार्पोरेशन अपना हिस्सा यू॰ सी॰ आई॰ एल॰ को बेचने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त यूनियन कारबाइड कर्मचारी संघ ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कारबाईड कार्पोरेशन तथा अन्यों को अपना उत्तर दर्ज करने के लिए निर्देश देते हुए नोटिस/सूचनाएं जारी की हैं।

इन परिस्थितियों में मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब तक भोपाल न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े अपराधिक मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक यू॰ सी॰ सी॰ को यू॰ सी॰ आई॰ एल॰ में अपनी परिसंपत्तियों को बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

महोदया, अस्पताल निर्माण के लिए यू॰सी॰सी॰ को आवश्यक धन उपलब्ध कराना चाहिए। हमें उन्हें परिसंपत्तियाँ बेचकर अस्पताल के लिए धन इकट्ठा कर न्यायालय में उपस्थित होने से बचने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अंत में, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ यहां तक कि सुरक्षा परिषद से आसानी से अनुरोध कर सकती है। हमने देखा है कि सुरक्षा परिषद ने किस तरह लोकरबाइ बमकांड के कथित दो अपराधियों को वापिस न करने के कारण लीबिया के विरुद्ध प्रति–बंद लगाए हैं। सुरक्षा परिषद ने अध्याय 7 लागू किया है। अध्याय 7 तभी लागू किया जाता है जब शांति भंग होती है, शांति को खतरा होता है। हम लीबिया के मामले के बारे में जानते हैं। यह शांति भंग करने, शांति को खतरा होने अथवा आक्रमण का मामला नहीं है। इसके बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के कहने पर सुरक्षा परिषद ने यह निर्णय लिया कि अध्याय 6 को लागू न किया जाए, जिसमें प्रशांत राष्ट्रों के साथ वार्ता के लिए कहा गया था, बल्कि अध्याय 7 लागू किया गया। अतः हम सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से कह सकते हैं कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा ब्रिटेन को दो लीबियावासी वापिस न करने के लिए लीबिया के विरुद्ध अध्याय 7 लागू किया जा सकता है, तब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए यह संभव नहीं है कि यदि संयुक्त राज्य अमरीका वारेन एन्डरसन को भारत को नहीं सौंपता है तब उसके विरुद्ध भी इसी प्रकार अध्याय 7 लागू किया जाए।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) सभापति महोदया, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी हुए 7 वर्ष बीत चुके हैं। अब इसे तृतीय विश्व में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां तृतीय विश्व की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए वहां निवेश नहीं करती हैं। यह भी देखा गया है कि जिस विकास प्रक्रिया में वे विश्वास करते

हैं, उसके अनुसार वे सारा माल निर्यात कर देते हैं, उनकी प्रौद्योगिकी अथवा कार्यों में कमियां हैं भोपाल गैस कांड बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्यों का एक उदाहरण है ।

सात वर्ष पहले 2-3 दिसम्बर, 1984 को भोपाल गैस कांड के कारण हजारों भारतीय मर गए और जो बच गए, उन पर अभी भी इसका प्रभाव बाकी है । वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जो व्यक्ति बच गए हैं, वे फिर से उतनी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जितनी शक्ति उनमें पहले थी । महोदया, अब पूरा मामला न्यायालय में है । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि गैस रिसाव त्रासदी से पीड़ित लोगों को 47 करोड़ अमरीकी डालर क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने चाहिएं । इसने अमरीका की यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन को उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास यह राशि जमा करने का आदेश दिया । हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के लिए कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं । कानून के हाथ बहुत लंबे हैं । इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में भारत में अपराधिक कानून को समाप्त कर दिया है । भारत सरकार के तीन मिलियन डालर के दावे की तुलना में यह 47 करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति बहुत ही कम है। आम धारणा यह है कि यूनियन कारबाईड कारपोरेशन उस दुर्घटना के लिए बहुत सस्ते में छूट रहा है, जिसमें लगभग 4,000 जानें गईं, हजारों लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए और लाखों लोगों को मानसिक यंत्रणा झेलनी पड़ रही है ।

महोदया, उच्चतम न्यायालय में इस दावे का निपटान होने से पहले ही भोपाल न्यायालय ने निर्णय दे दिया । भोपाल जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने 9 फरवरी, 1989 को यह निर्णय दिया था कि श्री एन्डरसन को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए । वह यहां से भाग गए हैं । महोदया, मामले की वास्तविकता यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो अपराधिक मामला दायर किया था वह अभी तक वापिस नहीं लिया गया है । तथापि, यू० सी० सी० ने भारतीय न्यायालय के अधिकार को चुनौति दी है और कहा है कि श्री एन्डरसन भारत नहीं भेजा जा सकता है ।

भोपाल न्यायालय के निर्णय में जो घोषणा की गई थी वह अत्यंत महत्वपूर्ण थी । इसमें यह कहा गया कि श्री एन्डरसन ने नर हत्या का अपराध किया है । हथियारों अथवा अन्य तरीकों द्वारा गंभीर चोटें पहुंचाना तथा अपराधिक भावना से और जानते हुए ऐसा अपराध करना भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304, 326, 429 और 35 के अंतर्गत दंडनीय है ।

मैं जानता हूं कि श्री एन्डरसन को अब भारत बुलाना अत्यंत कठिन कार्य है । लेकिन भारत सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं । इस मामले पर संयुक्त राज्य अमरीका के साथ बातचीत की जानी चाहिए अथवा भारत में यू० सी० सी० के अधिकारी इसकी सजा भुगतें । यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तब ऐसा ही प्रतीत होगा कि हम भारत में ऐसी स्थिति में हैं कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका की बात हर क्षेत्र में माननी पड़ती है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो अथवा सामाजिक या अन्य क्षेत्र । महोदया, हमें ऐसी स्थिति

से उबरना चाहिए। इससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। अतः अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भारत सरकार से फिर अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के बचे हुए व्यक्तियों के साथ मानवीय बर्ताव किया जाए। प्रस्तावित अस्पताल के संबंध में यूनियन कारबाईड कारपोरेशन के निर्णय को लागू किया जाना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि वे अस्पताल के नाम पर न्यास बनाकर धन को अवरुद्ध न कर दें। इस प्रकार से वे अपने दायित्व से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि लोग इस त्रासदी को भुगतें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति को समझे और तदनुसार उस पर कार्यवाही करे।

6.15 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण—(जारी)

(शेयर ब्रोकरों की हड़ताल)—(जारी)

सभापति महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करगे और मैं श्री रूपचन्द पाल से अनुरोध करती हूं कि वह अपना भाषण पूरा करें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कुछ मुद्दे पहले ही उठा चुका हूं। मैं केवल दो या तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

6.17 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

यह सरकार द्वारा हाल में अपनाए गए आर्थिक उपायों का सीधा परिणाम है। स्थिति की विडम्बना यह है कि केवल एक दलाल ने सारी अव्यवस्था पैदा कर दी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक ने जांच कार्य शुरू कर दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कोई एफ० आई० आर० दर्ज की गई है और इस व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा।

अनुमानों के अनुसार 600 करोड़ रुपये के अलावा विदेशी बैंकों सहित अन्य बैंकों से 500 करोड़ रुपया लिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों का और अन्य दलालों का पता लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई एफ० आई० आर० दर्ज की गई है और यदि नहीं तो यह कब दर्ज की जाएगी।

मैंने सामान्य बजट पर बोलते हुए यह कहा था कि बैंकिंग में गोपनीयता का प्रावधान होता है। सरकार षड्यंत्र तथा अन्य बातों के बारे में कह रही है लेकिन उसने गोपनीयता के प्रावधान को समाप्त नहीं किया है और न ही माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर

किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति में सरकार वित्तीय संस्थानों के गोपनीयता संबंधी प्रावधान को समाप्त करने के लिए तैयार है।

दूसरे, आय-कर की एक धारा 291 है जिसमें यह कहा गया है कि यदि छापा मारने के समय कोई व्यक्ति साक्ष्य के उद्देश्य से स्वेच्छा से कुछ बताना चाहता है तब उसे कानून के अनुसार किसी प्रकार की सजा से माफी दे दी जाती है।

सभापति महोदय : आपको प्रश्न पूछना है। आपने सात मिनट का समय ले लिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यदि आपने विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र बनाने का कार्य किया है तब उसमें पहले प्रस्तावना आती है और फिर प्रश्न आते हैं ?

सभापति महोदय : इसीलिए मैंने प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया है। प्रश्न पूछने के लिए तो पांच मिनट की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मेरा अन्तिम प्रश्न है कि सरकार ने चौथी बार राष्ट्रीय आवास बैंक में स्वेच्छा से बयान देने के कारण सजा से माफी दी है। कितना धन जमा किया गया है ? चौथी बार ऐसा अनुभव होने के बाद सरकार कौन से कदम उठाना चाहती है अथवा कड़ी कार्यवाही करना चाहती है ताकि काले धन का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि समानांतर अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त न करे तथा जैसा आज शेयर बाजार में हुआ है वैसा दोबारा न हो ?

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है मैं समझता हूं कि उसके अन्दर कोई नयी बात उन्होंने नहीं कही, जो बातें उन्होंने कही हैं वह तो सब समाचार-पत्रों में आ चुकी हैं। अगर आज का अखबार वित्त मंत्री जी ने पढ़ा हो तो उसमें भी वही बात आई है जो कल हमने चिन्ता प्रकट की थी, हमारे सदन में माननीय सदस्यों ने, आज भी समाचार-पत्रों में बड़े-बड़े हैडिंगों में है कि शेयरों में गिरावट का दौर जारी :

[अनुवाद]

"डेली-इक्विटी में और गिरावट आई। मद्रास में शेयरों में और घाटा हुआ।"

[हिन्दी]

तो सारे देश के अन्दर जो शेयरों के अन्दर एकदम मन्दी और पहले जो उछाल आया, तो यह जो उछाल और मन्दी का मामला चल रहा है यह वास्तव में कहीं न कहीं दाल में कुछ काला अवश्य है और इसलिए वित्त मंत्री को आज अपने स्टेटमेंट के अन्दर यह बताना चाहिए था कि यह जो पहले उछाल हुआ और बाद में फिर इतनी मंदी हो गई

आखिर इसके पीछे कौन से दिमाग काम कर रहे हैं। समाचार-पत्रों के अन्दर कुछ नाम आए थे। कल भी हमारे नेता श्री वाजपेयी जी ने एक सवाल आपके सामने खड़ा किया था, समाचार-पत्रों में यह आ रहा है कि यह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में, संभवत: स्टेट बैंक आफ इण्डिया के बारे में, कि उसने एक शेयर दलाल के माध्यम से करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए और वह जो मामला समाचार-पत्रों में आ रहा है तथाकथित उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कि उसमें कितनी सच्चाई है और जिसको यह पैसा वगैरह दिया गया है और जिसके माध्यम से बाजार के अन्दर यह सारा मामला आया है जो कुछ लोग बाजार की दिशा तय करने में लगे हुए हैं वे कौन से लोग हैं या कौन सा अंडरग्राउंड है।

मान्यवर, समाचार-पत्रों में यह भी आया है, कुछ लोगों के नाम आए हैं यद्यपि वे नाम यहां नहीं लेने चाहिए लेकिन यह मामला सारे देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाजारों में जो बड़े-बड़े खिलाड़ी तथाकथित हर्षद मेहता, बल्लभ सेठ, मिस शाह, राजेन्द्र भाटिया, ये जो शेयरों के बड़े-बड़े दलाल हैं, ये जो सारा तमाशा करा रहे हैं, आखिर ये किन के हाथों में खेल रहे हैं, उनके पीछे कौन है जो इस तरह का वातावरण देश के अन्दर पैदा कर रहे हैं ?

सभापति महोदय ने जैसा निर्देश दिया है कि केवल सवाल ही पूछने हैं तो मैं केवल दो-चार बातों की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर सभापति जी, ये जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम बनाया गया था और इसके अंतर्गत जो बोर्ड की स्थापना की गई थी 21 फरवरी, 1992 को और उस बोर्ड की धारा 12(1) के अंतर्गत जो प्रावधान था कि पंजीकरण कराना आवश्यक है जो भी स्टॉक के क्षेत्र में ब्रोकर्स हों या उप-ब्रोकर्स हों उनको इन अधिनियमों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से प्राप्त पंजीकरण की शर्तों के अनुसार जो कार्य करने का प्रावधान किया गया था और इसमें कहा गया था कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर अपने पंजीकरण करा लें और वह अवधि तीन महीने की 21 मई, 1992 को समाप्त हो रही है। वह अवधि तो नजदीक आ रही है मैं जानना चाहूंगा कि क्या अभी तक किसी ने पंजीकरण कराया है या नहीं कराया है और पंजीकरण नहीं कराने के बारे में उनमें जो असंतोष पैदा हो गया है वे पंजीकरण नहीं कराना चाहते। संभवत: स्टॉक एक्सचेंज के जो 16 अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी एक बैठक की और उन्होंने वित्त मंत्री जी के पास अपना कोई मेमोरेंडम वगैरह भी भेजा। वित्त मंत्री जी बम्बई गए और वहां भी उन्होंने अपना उपदेश उनको दिया कि शेयर बाजारों के काम की बेहतरी, वित्त मंत्री के निर्देश और इसी प्रकार से उन्होंने जो और भी आदेश दिया और कुछ अपेक्षाएं कीं लेकिन वे लोग उंगली से अंगूठे में नहीं आ रहे हैं तथा इस मामले के अन्दर कोई भी सहयोग करने को तत्पर नहीं है और वे कहते हैं कि पंजीकरण की क्या आवश्यकता है तो क्या सरकार इस तिथि को आगे बढ़ाने की बात सोच रही है तथा इसके बारे में उनके साथ में बैठ करके कोई बातचीत करेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि यह सारा बोर्ड बनाने की बात, रजिस्ट्रेशन करवाने की बात, क्या इस संबंध में कानून बनाते समय ये विदेश या दूसरे देशों के उदाहरण दे करके अपने यहां भी, ऐसा प्रावधान करने के संबंध में नियम बनाने से पहले क्या स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों से या उनके अध्यक्षों से, उनके दलालों या ब्रोकरों से जो भी कहें इस बाजार से सट्टा लगाने वालों से इस बारे में कोई बातचीत की गई थी या नहीं। ऐसे कौन से निहित स्वार्थी तत्व हैं, जो छिपे रूस्तम हैं, जो भूमिगत होकर जानबूझकर हड़ताल करवाने के पहले या बाद में या बाजार की किस प्रकार दिशा हो, इसमें लगे हुए हैं, वे कौन से लोग हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या शेयरों में गिरावट आर्थिक नीतियों के कारण नहीं है। इसके बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एस० ए० बी० आई० के बारे में बताएं कि वह छह सौ करोड़ का क्या मामला है। एक कहावत है "इविल कम्युनिकेशन करप्ट्स गुड मैनर्स"। उस बारे में सोचने की बात है। शेयरों के भाव एकदम गिर जाने से छोटे और नए निवेशक बहुत परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। उनके हितों की रक्षा आप किस प्रकार से करेंगे। जो प्रावधान आपने बनाए हैं, वे लागू नहीं हो रहे हैं। जो करोड़ों रुपयों का घाटा ऐसे लोगों को हुआ है और जो उनको नुकसान होने वाला है, उनके बारे में क्या सोचेंगे। छोटे और नये निवेशकों के हितों की रक्षा के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है। क्या यह सही है कि वित्त मंत्री ने मांग के अनुसार शेयर उपलब्ध न होने की दिशा में राइट्स इश्यू होने की अनुमति देने की बात कही है। इस बारे में स्पष्टीकरण दें। क्या शेयरों में निरन्तर तेजी बजट में जो रियायतें दी गई हैं, उसके कारण आई है। क्या इससे पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिला है। सोने का आयात और विदेशी पूंजी का आगमन और सट्टा बाजार से जो सारी स्थिति पैदा हुई है, इसके पीछे सरकार की नयी नीति है या नहीं।....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक सवाल ही पूछ सकते हैं।

जब से यह तेजी आई तो ऐसे कुछ बाजारों में इन्दौर के अंदर एक नकली संगठन बनाया गया है और करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है। उस संगठन का नाम है—इन्वेस्टर्स क्लब। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के स्टाक एक्सचेंजों के समानान्तर जो संगठन बन गए हैं वे रोज 25 लाख रुपए का अनाधिकृत काम कर रहे हैं। शहरों के सर्राफा बाजार के ब्रोकरों ने इस तरह के क्लब का गठन किया है। वे अवैध काम कर रहे हैं। इन अवैध काम करने वालों पर पाबंदी लगाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में वित्त मंत्री जी जरा स्पष्टीकरण दें कि जो गैर-कानूनी संस्थाएं हैं, उनको रोकने के लिए कोई उपाय करेंगे, "इविल कम्युनिकेशन करप्ट्स गुड मैनर्स"। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, शेयर दलालों द्वारा समस्त देश में 10 दिन की हड़ताल करना बहुत दुर्भाग्य की बात है और यह निन्दनीय भी है। उन्होंने लगभग 150 लाख शेयर धारकों को परेशानी में डाल दिया है।

अब यह प्रवृति इतनी बढ़ रही है कि दूरदराज के क्षेत्रों के लोग तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शेयरों की खरीददारी में काफी रुचि लेने लगें हैं और वे इक्विटी पूंजी में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने किस प्रयोजन से हड़ताल की है? वे अपनी फर्में पंजीकृत नहीं करना चाहते हैं। यह बात आम आदमी को भी मालूम है कि गांव के छोटे व्यापारियों को भी या तो बिक्री कर या केन्द्रीय बिक्री कर या अन्य किसी उपबन्ध के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत करना पड़ता है। लेकिन ये लोग जो करोड़ों रुपये कमाना चाहते हैं स्वयं को पंजीकृत नहीं करना चाहते। प्रत्येक खेल के अपने ही नियम होते हैं। लेकिन ये लोग अपने खेल के लिए भी किसी नियम की पाबन्दी नहीं चाहते हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शेयर दलालों से कड़ाई से निपटे। निवेशकों के हितों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पंजीकरण से निश्चित रूप से इन स्टॉक दलालों की उन पूरे सौदों में जनता के प्रति जिम्मेदारी हो जाती है जो वे उनके साथ करते हैं। इससे उनके इस सौदेबाजी में भी कुछ सुस्पष्टता आयेगी। आजकल लगभग सभी स्टॉक एक्सचेंजों में आन्तरिक व्यापार भी चलता है। एस०ई०बी०आई० के उपबन्धों से कुछ हद तक ये सौदेबाजियां कम होंगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मेरी जानकारी के मुताबिक--मैं शुद्धि के अध्यधीन हूं—अग्रनीत प्रभारों, जिन्हें 'बदी' प्रभार कहते हैं तथा जो मुम्बई में 2 प्रतिशत है तथा कलकत्ता में 10 प्रतिशत है, में अन्तर है। ये आगे बढ़ाये जाने वाले प्रभार हैं। क्या यह सच है और क्या यह चल रही गलत व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देना है? मैं यह माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं।

हाल ही में मैंने आवेदन दिया था और मुझे कार खरीदने के लिए 50,000 रुपये का एक अग्रिम चैक दिया गया था। यह भारतीय स्टेट बैंक के नाम से दिया गया था। लेकिन अपने क्षेत्र में जाने के बाद मुझे इसे भुनाने का समय नहीं मिला—मेरा भारतीय स्टेट बैंक में खाता था—मैंने बाद में इसे भुनाने के लिए भेज दिया। बैंक के प्रबन्धक ने कहा कि 500 रुपये समाहरण प्रभार के रूप में काटे जायेंगे।

जब मैंने समाचार पत्र में यह समाचार पढ़ा कि एक व्यक्ति विशेष, जिनके नाम का जिक्र मेरे साथी ने इस प्रकार किया था . . . *तो मुझे आश्चर्य हुआ। वह एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 600 करोड़ रुपये सट्टेबाजी के लिए बगैर किसी ब्याज के लेने में सफल हुए। यह कैसे संभव है? माननीय वित्त मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे कि वह

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कैसे हुआ । इसमें कार्य करने का कौन सा तरीका अपनाया गया ? क्या इसका तात्पर्य यह है कि इस समय चालू व्यवहार और प्रक्रियाओं में कई कमियां और खामियां हैं ? (व्यवधान)

मुझे माननीय वित्त मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या इस प्रकार के कई सौ करोड़ रुपयों की घटनायें कितने ही अन्य बैंकों में भी हुई हैं, जहां इस तरह इन्हीं बहानों पर कुछ लोगों को अग्रिम पैसा दिया गया ? मुझे इस बात की जानकारी माननीय वित्त मंत्री से चाहिए । इन सौदेबाजियों से, इन तथाकथित सौदों से उन्होंने कितना लाभ कमाया ? यह बात आपके नोटिस में कब आयी ? कब से यह सब चल रहा है और कितने लोग इससे लाभान्वित हुए ? . .

मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसके क्या परिणाम होंगे, वर्तमान सौदेबाजी और उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से लिए करोड़ों रुपयों के भुगतान के लिए शेयरों की बिक्री पर इसके क्या प्रभाव होंगे । साथ ही मैं छोटे और मध्यम दर्जे के लोगों द्वारा किए गये निवेश पर, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानना चाहता हूं । यह भी पता चला है कि भारतीय स्टेट बैंक की दो अनुषंगी इकाइयां एक राष्ट्रीयकृत बैंक और एक विदेशी बैंक, इस प्रकार की निन्दनीय सौदेबाजी में शामिल हैं । इन बिक्री करने वाले बैंकों के अफसर स्टाक दलालों को बैंक रसीद कैसे जारी कर देते हैं और उन्हें प्रतिभूतियों को जारी करने का भी आश्वासन देते हैं ? ये स्टॉक दलाल इतनी अपूर्व और बड़ी राशि सट्टेबाजी के लिए कैसे ले पाते हैं ? क्या यह सच नहीं है कि मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज के निकट स्थित भारतीय स्टेट बैंक के कुछ अधिकारियों के अलावा उनके अन्य बैंकों के साथी भी इस 'बिग बुल' को सहायता देते रहे हैं ? इस व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? . . . (व्यवधान)

सभापति महोदय : 'बिग बुल' क्या है ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यही शब्दावली इसके लिए दी गयी है . . *

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मुझे उनके नाम का जिक्र करने में कोई रुचि नहीं है । इसलिए मैंने इसे 'बिग बुल' कहा था ।

सभापति महोदय : नाम को कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया जाए ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इस नाम का आज कई बार जिक्र किया गया है । आप बहुत विलम्ब . . . (व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप 'बिग बुल' या बिग काऊ' या ऐसा कुछ कह सकते हैं लेकिन नाम नहीं ले सकते हैं ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडे : इस व्यक्ति तथा उन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है जिन्होंने कानून को तोड़ा है और जो सट्टेबाजी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये प्राप्त करने में सफल हुए हैं ?

एक किसान या एक सामान्य व्यापारी को फार्म भरते हुए कई बातों का उल्लेख करना पड़ता है और कुछ प्रतिभूतियां देने के बाद भी उन्हें ऋण नहीं मिलता है । लेकिन यहां एक व्यक्ति को 600 करोड़ रुपये का ऋण मिल जाता है । कैसे ? मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन नौ 'म्यूचुअल फंडों' का नवीनतम दर्जा क्या है—जिनके पास कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी का कुछ एक भाग है और क्या इसमें भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सूचीबद्ध होने से पहले ही अग्रिम व्यापार हुआ है । इन 'म्यूचुअल फंडों' से कितना लाभ हुआ है ? इस से किसे फ़ायदा होगा ? क्या इसमें देश के साधारण लोग हैं या कुछ बड़े लोग शामिल हैं—जोकि इस तरह के धन्धों में लगे हैं ? सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि इस तरह की घटना फिर दोबारा न घटे ।

कुछ महीने पहले ही हमारे वित्त आयोग के उपाध्यक्ष ने विजयवाड़ा में शेयर दलालों के एक कल्याण संघ का उद्घाटन किया था । महोदय, आप विश्वास करें या न करें, अकेले विजयवाड़ा शहर में चार शेयर दलाल संघ इस समय कार्यरत हैं । इस प्रकार काफी संख्या में लोग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं । और इस नाजुक समय में निवेशकों की आशाओं पर पानी नहीं फिरना चाहिए । सरकार को इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों और उन बैंक अधिकारियों से या उन अधिकारियों से कड़ाई से पेश आना चाहिए जिनकी इस तरह के लोगों से गुप्त सांठ-गांठ है । हम जानना चाहते हैं कि क्या कड़े कदम उठाए गये हैं और उन प्रश्नों को स्पष्ट करें जो यहां हमने उठाये हैं ।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हम केवल अध्यक्षपीठ से निवेदन कर सकते हैं और यदि अध्यक्षपीठ इजाजत दें तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं ।

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ नियम से बांछित है ।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था अन्ततः वित्त मंत्री ही उत्तर देंगे । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपकी जानकारी के लिए मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अध्याय 16 में से पढ़ सकता हूं ।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं यह जानता हूं । लेकिन मैं केवल यही चाहता हूं कि वह यह बतायें कि इस राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या निर्णय किया है और सरकार इस

सम्बन्ध में पूरी तरह से क्यों चुप है और मुम्बई स्टाक एक्सचेंज इस राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के बिल्कुल खिलाफ है। यद्यपि इस पर दो वर्ष पहले निर्णय हो चुका था फिर भी अभी तक . . . . (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि इन पांच सदस्यों द्वारा यह पहलू भी प्रश्नों के रूप में पहले ही चर्चा में शामिल हो चुका है। माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : यह पहलू शामिल नहीं हुआ है। दूसरे इसकी सदस्यता के बारे में यह प्रतिबन्ध क्यों है, यहां स्टॉक एक्सचेंज के लोग मनचाहा कैसे कर लेते हैं? वे अपनी पसंद के मुताबिक किसी को भी सदस्यता दे सकते हैं। मान लिया कि योग्यता सम्बन्धी शर्तें यदि पूरी हो जाती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति स्टाक एक्सचेंज का सदस्य हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? सरकार स्टॉक एक्सचेंज को निदेश क्यों नहीं देती है? ये स्टॉक एक्सचेंज के उपनियम ब्रिटिश काल में बनाये गये थे। अब मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज के लोग एकाधिकार जमाये हुए हैं। सरकार को निदेश देना चाहिए कि यदि सदस्य या आवेदक शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें सदस्य बनने दिया जाये और उन्हें खुले बाजार में उतरने दिया जाये। मैं दलालों के समर्थक केवल उन दलालों का ही क्यों समर्थन कर रहे हैं। . . .

सभापति महोदय : मैं समझता हूं ये सभी प्रश्न कई माननीय सदस्य पूछ चुके हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : वे शर्तें हैं, जो भी योग्य हों उनके लिए इसे खोल दिया जाए। इस पर प्रतिबन्ध न लगायें और उन गलत तत्वों को जो मुम्बई स्टाक एक्सचेंज में बैठे हैं, इस संबंध में पैसा नहीं बनाने दिया जाए।

सभापति महोदय : आप माननीय वित्त मंत्री को बोलने दें।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं इस मुद्दे को उठाने और स्पष्टीकरण मांगने वाले माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

मुख्य रूप से तीन प्रकार की आशंकायें व्यक्त की गई हैं। उनमें एक तो हाल के महीनों में स्टाक बाजार के व्यवहार से सम्बन्धित है। दूसरी, छोटे निवेशकों को बचाने की जरूरत से सम्बन्धित है। तीसरी, सरकारी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित लेन-देन में वित्त उपलब्ध कराने में हुई गड़बड़ी के प्रति चिन्ता है।

माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए विशेष प्रश्न लेने से पूर्व मैं इन प्रत्येक मुद्दों पर बोलना चाहूंगा।

यह सच है कि दो दिन पूर्व तक हाल के महीनों में स्टॉक बाजार में बहुत तेजी आई। अब मैं आपके सम्मुख यह स्वीकार करता हूं कि मेरे पास इस बारे में एकदम सही उत्तर नहीं है कि स्टाक बाजार के मूल्य कैसे निर्धारित होते हैं। यह मुद्दा तो स्पष्ट है,

37—99LSS/93

क्योंकि स्टाक बाजार के मूल्य न सिर्फ इस देश में अत्यधिक घटते-बढ़ते हैं बल्कि अनेक अन्य देशों में भी ऐसा होता है और इस विषय पर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि इस कला में यह सही उत्तर नहीं है कि स्टाक बाजार के मूल्य कैसे निर्धारित होते हैं ।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं वित्त मंत्री बनने के बाद से ही कह रहा हूं कि कुछ वास्तविक पहलू हैं, अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू हैं और अन्य पहलू हैं जो स्टाक बाजार के मूल्यों को प्रभावित करते हैं और ये दोनों मेरे विचार से जरूरी नहीं कि साथ-साथ चले। इसलिए मैंने यह कभी दावा नहीं किया कि मैं जो कर रहा हूं वह स्टाक बाजार के व्यवहार से उचित है । इसलिए मुझे स्टाक बाजार से प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है जो यह सही ठहराए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह देश के लाभ हेतु और हित में कर रहे हैं । हाल ही में मैं दि इकानामिक्स टाइम्स को दिए विस्तृत साक्षात्कार में मैंने इन पहलुओं की ओर संकेत किया था । स्टाक बाजार के व्यवहार में निहित खतरे मौलिक पहलुओं से अलग हो सकते हैं और कई बार स्टाक बाजार के मूल्य वहां पर मूल्य अर्जित अनुपात से कोई सम्बन्ध नहीं रखते । यह समस्या सिर्फ भारत ही नहीं, जापान तथा कई अन्य देशों में भी है । इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि एक समझदार निवेशक को मेरे विचार से स्टाक बाजार से व्यवहार करते समय ध्यान रखना चाहिए मैं यह विशेषकर छोटे निवेशकों को अवश्य कहूंगा । सरकार ने इसी विषय पर म्यूचुअल फंड तथा यूनिट ट्रस्ट स्थापित किए हैं और बैंक भी छोटे निवेशक की मदद को आए हैं । इसलिए स्टाक बाजार में खतरे हैं। यह जीवन का एक तथ्य माना जाए ।

मैं यह भी कहूंगा कि सरकार स्टाक बाजार के स्वस्थ कार्यकरण की इच्छुक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी नींद सिर्फ इसलिए खो दूं कि स्टाक बाजार में एक दिन तेजी आती है तो दूसरे दिन गिरावट आती है । आज यह खबर है कि स्टाक बाजारों में बहुत तेजी आई है । जो लोग यह कह रहे थे कि बाजार में गिरावट सरकार की विफलता दर्शाती है, वे यह सोचेंगे कि . . . . . . (व्यवधान) इसलिए आज बाजारों में तेजी है । बम्बई स्टाक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक कल 3,674 से बढ़कर 3,833 हो गया है । मैं यह नहीं कह रहा कि इससे हमारी नीति की पुष्टि हुई है । बाजारों में उतार चढ़ाव होता है और मैं समझता हूं कि हमें इन बातों को उपयुक्त रूप में लेना चाहिए । मैं यही कह सकता हूं कि बाजार की स्थिति से चिन्तित हूं और वित्त मंत्री के लिए जो कुछ संभव हो सकता है, मैंने किया है ।

इस सन्दर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 28 मार्च, को मुख्य स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों से मिला और कार्य में एकरूपता लाकर निवेशकों के विश्वास को प्रोत्साहन देने के लिए स्टाक बाजार की कुशलता कायम रखने और नियमों के तहत चलाने की जरूरत के बारे में उन्हें बताया और निम्नलिखित क्षेत्रों में तत्काल कार्यवाही के लिए कहा :

दलालों के लिए पूंजी की क्षमता सम्बन्धी मानदण्ड ;
एक समान व्यापार कार्य के घंटे, लेन-देन पर तेजी से कार्यवाही और निपटान ;
निगमित सदस्यता को बढ़ाना; और आन्तरिक व्यापार तथा मूल्य में गड़बड़ी करने पर नियन्त्रण ।

यह मुद्दा अनेक माननीय सदस्यों के सम्मुख है और मैंने स्टाक एक्सचेंज प्राधिकारियों पर जोर दिया है कि वे इन मुद्दों से निपटने हेतु एकदम दोष रहित उपाय करें ।

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि मैं इस मामले पर रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात करता रहा हूं और गवर्नर ने अपनी ऋण नीति के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहा है कि बैंकों के पास ऐसी हिदायतें रहें कि वे शेयर लेन-देन के लिए अधिक बैंक ऋण उपलब्ध करा कर सट्टेबाजी को बढ़ावा न दें ।

मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि शेयरों के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि को देखते हुए तथा सट्टे के कार्य हेतु बैंक ऋण के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि शेयर, डिबेंचर और स्टाक के मामले में व्यक्तिगत बकाया ऋण में कोई वृद्धि न हो । मैं यह कहना चाहूंगा कि आयकर विभाग का ध्यान कुछ विशेष दलालों की ओर गया और उसमें कुछ व्यक्तियों तथा कम्पनियों सहित शेयर दलालों के एक गुट के अनेक कार्य स्थलों तथा आवास स्थल पर तलाशी भी ली है। यह सब समाचारपत्रों में ये सब बातें आने से बहुत पहले हुआ था ।

श्री श्रीकांत जेना : इन छापों का क्या परिणाम रहा है ?

श्री मनमोहन सिंह : यह जांच चल रही है । मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस बारे में कहना उचित नहीं है ।

मैं यह भी कहूंगा कि मैं आमतौर से बैंक कार्डों के प्रति चिंतित रहा हूं और वित्त मंत्री बनने के बाद शीघ्र ही मैंने रिजर्व बैंक से कहा कि वह इस व्यवस्था को मजबूत करने, इसकी जांच और निगरानी रखने तथा उपयुक्त उपचारात्मक और निवारक कार्यवाही करने हेतु इस प्रणाली तथा प्रक्रिया की जांच करे । रिजर्व बैंक ने इन सभी मुद्दों पर जांच हेतु एक समूह गठित किया है और मुझे बताया गया है कि इस समूह की रिपोर्ट पूरी होने वाली है । इसलिए मैं समझता हूं कि सामान्य मुद्दों पर हम सतर्क हैं और इस मामले मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम सतर्क रहेंगे । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब भी स्टाक बाजार के मूल्यों में उतार या चढ़ाव हो तो हम अपनी रोज की नींद ही खो दें ।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि यह सच है कि हाल के महीनों में एक तथ्य यह भी रहा है कि स्टाक बाजारों में अत्याधिक सट्टेबाजी हुई है । यह भी सच है कि इसे आंशिक रूप से बैंक के कोष से वित्त दिया गया । सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन का

उल्लेख किया गया है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक संलिप्त है । अब भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात का पता चला । भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के पूर्ण सहयोग से इस मामले की जांच की और यह सच है कि गड़बड़ी हुई है । लेकिन मैं सभा को बताना चाहूंगा कि बैंकिंग समुदाय में यह विश्व-व्यापी प्रथा है। जब आपको ऐसी बात का पता चलता है तो सर्वप्रथम सबसे जरूरी यह होता है कि धनराशि को वसूल किया जाए । मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने भी यही किया है । ये गलतियां अनेक खातों में पाई गई । इनमें से अनेक तो एक विशेष स्टाक दलाल से सम्बन्धित हैं। जब भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने प्रतिभूति खातों तथा बहीखातों में इन गलतियों का पता चला तो भारतीय स्टेट बैंक ने उचित कार्यवाही की और उन्होंने इस विशेष दलाल से 622 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं । बाकी पर अनुवर्ती कार्यवाही चल रही है । मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि पूरे मामले की जांच करे और न सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक, बल्कि अन्य सभी बैंकों के प्रतिभूति खातों की भी जांच करे । रिजर्व बैंक यही कार्य कर रहा है । मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि जो भी अपराधी होगा, उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी । मैंने कहा है कि यह जांच भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के तहत की जाए । यह जांच चल रही है और जैसा कि मैंने कहा, मैं इस सभा को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी गड़बड़ी में लिप्त व्यक्ति को सजा देने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी ।

श्री श्रीकांत जेना : प्रथम दृष्टि में यह साबित हो चुका है ।

श्री मनमोहन सिंह : फिलहाल ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि हम प्रत्येक कार्यवाही करेंगे । वस्तुतः इस मामले में प्रणाली की विफलता निहित है । इसलिए हम सभी कारणों पर गौर करेंगे कि ऐसी बातें क्यों हुई और इस प्रणाली को सुधारने के लिए क्या किया जाए । इस विषय पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समस्या का एक भाग, बैंकों के खातों तथा रिजर्व बैंक द्वारा रखे जा रहे बहीखातों के मिलान में कठिनाइयां मिलान की मानवयुक्त प्रणाली है । इसका परिणाम यह है कि हमारे देश में इन खातों के मिलान को पूरा करने में महीनों लग जाते हैं । हम सब जानते हैं कि इसी देश में श्रमिक संगठन के दबाव तथा अन्य कारणों से इन खातों को कम्प्यूटरीकृत करना संभव नहीं हुआ है । मैं सभा में सभी पक्षों के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमारी बैंकिंग प्रणाली के हित में यह एकदम आवश्यक है कि खातों का न्यूनतम मात्रा में कम्प्यूटरीकरन किया जाए ।

श्री श्रीकांत जेना : इस विशेष लेन-देन में दोनों ही बैंक अधिकारी तथा* लिप्त हैं। इन्हें बचाने का प्रयास न करें ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा कि ऐसा हुआ है········ **(व्यवधान)** मैं यह कह रहा हूं कि अगर हमारे यहां खातों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली होती तो तत्काल इसका पता चल जाता। मैं समझता हूं कि हमें ऐसी व्यवस्था और प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए, जिसमें ऐसी गड़बड़ी की संभावना कम से कम हो। **(व्यवधान)** यह इस मामले के विभिन्न पहलुओं के बारे में है। मेरे विचार से मैंने इन सभी को लिया है। अब मैं विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए विशेष प्रश्न लेता हूं। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे : आपने बही–खाते में गड़बड़ियों का उल्लेख किया है जिसे हाथ से लिखा जाता है। क्या आपको इस गड़बड़ी का पता अभी–अभी चला है? क्या यह गड़बड़ी काफी लम्बे समय से नहीं होती रही थी?

श्री मनमोहन सिंह : इसका पता मार्च महीने के अन्त में चला था। इसलिए मेरे विचार में हो सकता है कि यह गड़बड़ी आगे भी चलती रहती। हम सभी खातों की जांच कर रहे हैं ताकि अगर यह प्रक्रिया जारी रही भी तो हमें इसकी जानकारी मिल सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : यह सब पिछले दो वर्षों से चल रहा है।

श्री मनमोहन सिंह : जैसा कि आप कह रहे हैं कि यह सब पिछले दो वर्ष से चल रहा है तो मैं यह जानकारी रिजर्व बैंक को दे दूंगा। अब मैं उन कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्हें यहां पर चर्चा के दौरान उठाया गया है। एस० ई० बी० आई० सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया के कार्यकरन तथा दलालों की हड़ताल के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा इरादा एस० ई० बी० आई० से सम्बन्धित कानून का दृढ़ता निष्पक्षता से क्रियान्वयन करने का है और इसलिए इस सम्बन्ध में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस कानून के क्रियान्वयन के लिए जो भी कदम आवश्यक होगा, हम उठायेंगे तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि एस० ई० बी० आई० 1987 में अस्तित्व में आया था। इस वर्ष तक उसे सांविधिक संस्था के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। हमने इस वर्ष में ऐसा किया है क्योंकि हमें निवेशक के हितों की चिन्ता रहती है तथा हम अपने पूंजी बाजार को स्वस्थ रूप में कार्य करते देखना चाहते हैं। अब जबकि एस० ई० बी० आई० अस्तित्व में आ चुका है तथा इसे सांविधिक शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं, अब हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि एस० ई० बी० आई० एक प्रहरी के रूप में कार्य करे तथा स्टाक बाजार की गतिविधियों को संरक्षण दे तथा हमारे बाजारों का कार्य कुशलता से चले। एस० ई० बी० आई० को इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा मुझे आशा है कि दलालों तथा अन्य लोगों के साथ–साथ सभी वर्ग के लोग सी० ई० बी० के साथ उसके कार्य निर्वहन में सहायता प्रदान करेंगे।

आर्थिक नीति का मुद्दा श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाया गया था, तथा मेरे विचार में एक और माननीय सदस्य ने भी यह मुद्दा उठाया था। मैं इस सम्बन्ध में कोई लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता। जैसा मैंने कहा कि स्टाक की कीमतें घटती–बढ़ती रहती हैं। आज स्टाक बाजार की कीमतों में काफी

वृद्धि हुई है। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारी आर्थिक नीतियां काफी सुदृढ़ हैं, तथा मेरे विचार में हम इस चर्चा को जहां तक चाहें लम्बा खींच सकते हैं।

जहां तक मूल तत्वों के सम्बन्धों का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा कि केवल इस देश में ही नहीं, बल्कि बहुत से अन्य देशों में भी स्टाक बाजार की कीमतों तथा आमदनी के बीच कोई उचित अनुपातिक सम्बन्ध नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है कि आय अर्जित करने की तत्कालीन क्षमता स्टाक बाजार की कीमतों को शासित करती है। यहां मैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर बोल रहा हूं क्योंकि मैं कोई निवेशक नहीं हूं तथा न हीं मैंने कोई शेयर खरीदें हुए हैं। परन्तु जो कुछ भी अध्ययन मैंने आज तक किया है उसके अनुसार मेरा यह विचार है कि आय अर्जित करने की तत्कालीन क्षमता के अतिरिक्त स्टाक बाजार स्पष्टत: पूंजी दर लाभ से भी प्रभावित होता है, जो कि कार्य व्यवस्था की सामान्य स्थिति तथा अन्य बातों से भी जुड़ा हुआ है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं इन सब बातों को समझता हूं परन्तु मैं श्री फर्नान्डीज के इस विचार से सहमत हूं कि स्टाक बाजार की स्थिति का मूल तत्वों से कोई सम्बन्ध नहीं। जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है, आपको ऐसे बहुत से मामले मिल जायेगें जिसमें कम्पनी ने लाभांश की घोषणा नहीं की है परन्तु फिर भी उसके शेयरों के भाव बढ़ते जा रहे हैं।

श्री फर्नान्डीज ने छोटे निवेशकों की समस्याओं का भी उल्लेख किया है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम चौकन्ने रहेंगे और मैं यह कहना चाहूंगा कि स्टाक बाजार में निवेश एक जोखिम भरा काम है तथा इसीलिए हमने म्यूचूअल फंड की स्थापना की है क्योंकि छोटे निवेशकों को जानकारी नहीं होती है उन्हें तजुर्बा नहीं होता है। वे बाजार में हो रहे द्रुत परिवर्तनों का लाभ नहीं उठा सकते तथा इसलिए छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए संस्थायें बनी हुई हैं। एस० ई० बी० आई० छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की ओर ध्यान देगी। एक और मुद्दा जो श्री फर्नान्डीज ने उठाया है, वह इस कांड में संलिप्त दलालों तथा बैंक अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने का है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जैसे ही सभी तथ्य प्राप्त हो जायेंगे, उचित कार्यवाही की जायेगी।

7.00 म० प०

श्री आर्ज फर्नान्डीज : मैं एक बात से चिन्तित हूं। यह दलाल बड़े धाघ लोग हैं। उनके बुरे इरादे सामने आ चुके हैं। अब चाहे यह छ: महीने की बात हो या दो साल की, राज्यों की 600 करोड़ से भी अधिक धन राशि अथवा केन्द्र की 2000 करोड़ से भी अधिक की धन राशि यह सब चर्चा की बातें हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्होंने विश्वासघात किया है। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अपराध किए हैं। मेरे विचार में इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए हमारे मन में इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं रह जानी चाहिए।

इसलिए मेरा कहना है कि अगर अन्य बहुत से मामलों की तरह इस मामले को भी लटकते रहने दिया गया, तो स्थिति में कभी भी सुधार नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय के इस

विचार से सहमत हूं कि स्टाक बाजार की अपनी विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं तथा उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध में हम एक लम्बी चर्चा कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस चर्चा के लिए यह उचित अवसर नहीं है।

मैं इस संबंध में मंत्री महोदय से यह आश्वासन आवश्य लेना चाहूंगा कि उन बेईमान लोगों के विरुद्ध प्रभावशाली दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने बैंकों से धोखाधड़ी करने की चेष्टा की, जिन्होंने अपने हितों के लिए बैंकों को हानि पहुंचाकर कमीशन कमाया है और बैंकों को हानि उठानी पड़ी। अगर इन सब बातों का पर्दाफाश न हो जाता, तो वे अपनी यह धोखाधड़ी का धन्धा जारी रखते। मैं यह कल्पना करके कांप जाता हूं कि अगर इस धोखाधड़ी का पता इस बाजार के दीवालिया होने पर ही चलता तो हमारे धन का क्या होता। ये लोग बेईमान हैं। ये धन को देश के बाहर ले जाते। वे बिल्कुल सुरक्षित रहते। परन्तु छोटे निवेशकों के साथ-साथ हमारी वित्तीय ईकायों को हानि उठानी पड़ती। वे लोग जिनके पास फिजूल खर्ची के लिए धन है तथा जो घुड़ दौड़ों तथा शेयर बाजार में जूए की तरह धन लगाते हैं, उनकी मुझे चिन्ता नहीं। परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, हम छोटे आदमी के लिए चिन्तित हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने यह तथ्य खोज निकाला है कि यह एक जोखिम भरा काम है, तथा अगर लोग निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें म्यूचुअल फंड अथवा अन्य ऐसी संस्थाओं में धन लगाना चाहिए जोकि सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए स्थापित कर रखी है। परन्तु उन से मैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस धोखाधड़ी में संलिप्त दलालों के विरुद्ध ही नहीं परन्तु इस धोखाधड़ी में सहायक लोगों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनमोहन सिंह : : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता में मैं भी शामिल हूं तथा मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस संबंध में प्रभावशाली कार्यवाही की जायेगी, जिसमें सभी प्रकार की कार्यवाहियां शामिल हैं। परन्तु पहले जांच कार्य पूरा होना चाहिए। रिजर्व बैंक यह जांच कर रहा है। मैं एक बार फिर रिजर्व बैंक से इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कहूंगा। जैसा कि मैंने कहा है, इस संबंध में दोषी पाये गये लोगों को दण्ड देने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं जल्दी ही उन्हें जेल में देखना चाहता हूं।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने प्रभावशाली कार्यवाही का विश्वास दिलया है। और आवास तथा काले धन के संबंध में भी मुद्दे उठाये गये थे। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहें हैं, इनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु मैं उन बातों का भी उत्तर दे सकता हूं।

मेरे विचार में आवास योजना के अन्तर्गत हमने करीब 150 करोड़ रुपये एकत्रित किये थे। स्पष्टतः यह योजना कोई अधिक सफल तो नहीं रही। यह 31 जनवरी, को बन्द हो गई थी।

जहां तक काले धन का संबंध है, मेरे विचार में यह एक समस्या है । हमें इसका समाधान ढूंढना होगा । इस समस्या का प्रभावशाली तरीके से सामना करने के लिए हमें सबको अपनी सारी बुद्धि लगानी होगी ।

मेरे विचार में श्री शोभनाद्रीश्वर राव द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है । स्टाक दलालों के व्यवहार के सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है । अन्तरंग व्यापार (इन साइडर ट्रेडिंग) जैसे कदाचारों की अवांछनीयता को मानता हूं तथा जब एस० ई० बी० आई० अस्तित्व में आ जायेगी तो हम इसका पूरी ताकत से सामना करेंगे । उसका यह उत्तर-दायित्व होगा कि अन्तरंग व्यापार तथा ऐसे ही अन्य कदाचारों पर अंकुश लगायें ।

सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की अप्रिय बिक्री के संबंध में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है । मैं इसकी जांच करूंगा । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज तथा इसकी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ।

श्री मनमोहन सिंह : जहां तक राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज का संबंध है मैंने माननीय सदन को इस बात से पहले ही अवगत करा चुका हूं कि राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में हम सिद्धांत रूप से सहमत हैं । इसकी कार्यविधि के सम्बन्ध में मैं सदन को बाद में बताऊंगा ।

श्री श्रीकांत जेना : स्टाक एक्सचेंजों की नई सदस्यता के संबंध में आपका क्या कहना है ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि पहले मुझे आपके सुझाव के परिणामों का अध्ययन करना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : जो संस्थाएं अवैध रूप से शेयर्स का काम कर रही हैं, नकली संस्थाएं बन गई हैं, उनके नियंत्रण के लिए कुछ करेंगे ?

श्री मनमोहन सिंह : माननीय सदस्य ने अवैध संस्थाओं की चर्चा की है । मेरे विचार में देश के कानून में इन अवैध संस्थाओं से निपटना चाहिए उन्होंने इन्दौर की किसी एक संस्था का उल्लेख किया है । मैं इस संबंध में जानकारी उनको दे दूंगा ।

गोपनीयता संबंधी खण्ड के संबंध में मेरा विचार यह है कि समय के साथ-साथ इसमें कमी आती जानी चाहिए परन्तु मैं आपको यह विश्वास नहीं दिला सकता कि इसे रातों रात

समाप्त कर दिया जायेगा । हमारी यह कोशिश रही है कि समय के साथ-साथ हमारी बैंक प्रणाली यथासंभव सुस्पष्ट हो जाये । कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं । यह केवल हमारी ही समस्या नहीं है । सारे विश्व में यही समस्या है । इस लिए मैं कोई विशिष्ट समय अवधि निश्चित नहीं कर सकता परन्तु हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 4 मई, 1992, सोमवार, 11 बजे म० पू० को पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

7.06 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 4 मई, 1992/14 वैशाख 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

99 एस० एस० एस०/93—12-8-93—

पी.एल.एस.-48/12/42/92(एन.)
250

© 1992 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित, 1993